राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का तीसवां दिवस [संख्या : 18

मंगलवार;

16 अप्रैल, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक

11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान। प्रश्न संख्या-466.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आज तो आखरी दिन है सदन का।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 5 अप्रैल, 2002

अनुभव के आधार पर राज्य में फार्मासिस्टों का पंजीयन

89. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बिना डी.फार्मा डिप्लोमा किए ही फार्मासिस्ट बनाने वाले दलाल राज्य में अप्रशिक्षित लोगों को दवाई की दुकान चलाने का लाइसेंस दिला रहे हैं? यदि हां, तो कब से? उक्त लाइसेंस किन-किन लोगों के बनाए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत तीन वर्षों से राज्य में ऐसे लोग दलालों के माध्यम से नागालैण्ड में पंजीयन करवा चुके हैं? यदि हां, तो कितने लोगों ने करवा रखे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति लाखों रुपये लेकर पहले तो उक्त का अनुभव के आधार पर नागालैण्ड में पंजीयन करवाते हैं फिर उनका राज्य में स्थानान्तरण करवा कर लाइसेंस दिया जाता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? तीन वर्ष से अब तक कितने लोगों ने उक्त लाइसेंस प्राप्त किए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि नई कार्यकारिणी ने अब उक्त व्यक्तियों का पंजीयन करना शुरू कर दिया है जिनके पास अनुभव के आधार पर किए गये

(श्री रामस्वरूप)

आवेदनों को पूर्व में निरस्त कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि नई कार्यकारिणी उक्त आवेदनकर्ताओं को भी बुलाकर उनका पंजीयन कर रही है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? क्या सरकार अब और ऐसे अनुभवी व्यक्तियों का पंजीयन वर्ष 2002-2003 में करने जा रही है?

(6) क्या सरकार अब ऐसे अनुभव वाले व्यक्तियों को जिनके पास 10-15 वर्ष का अनुभव है को उक्त आधार पर दुकान चलाने का लाइसेंस जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से उक्त प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे और उनकी प्रक्रिया क्या होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्री राजेन्द्र चौधरी) : (1) जी नहीं। राजस्थान फार्मासिस्ट काउंसिल द्वारा अधिनियम में निर्धारित योग्यता रखने वाले लोगों का पंजीकरण किया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। किसी भी राज्य में पंजीकृत फार्मासिस्ट फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 32 (बी) एवं 32(2) के प्रावधानों के तहत अपना पंजीयन किसी भी राज्य में स्थानान्तरण करवा सकता है। गत तीन वर्षों में नागालैण्ड से फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा कर राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत लोगों की सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने पर फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 33 के तहत आवेदक फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण हेतु अपील कर सकता है। अपील प्राप्त होने पर सुनवाई कार्यकारिणी करती है, जिसकी सिफारिशें काउंसिल को प्रस्तुत की जाती हैं। अंतिम निर्णय काउंसिल लेती है।

(5) जी नहीं। जो भी अपीलें प्राप्त हुई हैं उनकी सुनवाई कार्यकारिणी करती है। निर्णय काउंसिल लेती है। 31 मार्च, 2002 के बाद प्राप्त किसी भी अपील में रजिस्ट्रेशन का आदेश नहीं दिया है और न ही काउंसिल ऐसा कोई इरादा रखती है।

(6) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मसला है। अप्रशिक्षित फार्मासिस्ट बनाने के धन्धों पर मैंने मामला उठाया था। पिछली बार भी सदन में प्रश्न लगातार स्थगित हुआ था। आपकी मेहरबानी से पुनः यह लगा है। मंत्री महोदय, मेरा तो निवेदन है, कृपया आप यह बताने का कष्ट करें कि आपने

(श्री रामस्वरूप)

राजस्थान फार्मासिस्ट काउंसिल के रजिस्ट्रार को कब पद से मुक्त किया? क्या यह प्रश्न उठाने के बाद प्रथम दृष्टया आपने इस मामले को माना इसलिए आपने उसको निलम्बित किया, हटा दिया? यह बताने का कष्ट करें।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि क्या प्रथम दृष्टया जांच में शिकायतें सही पाई गईं? क्या इसीलिए काउंसिल द्वारा उनकी नियुक्ति जो की गई थी वह बगैर इजाजत के की गई थी? यदि हां, तो इसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा निवेदन है कि नागालैण्ड से फर्जी अनुभवों के आधार पर जो यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया था उनकी क्या आपने जांच की? कितने केस इस प्रकार के पाए गये जिनके बारे में आपने कार्यवाही की? पांच साल का उसमें अनुभव मांगा गया था। पांच साल तक उन्होंने अनुभव प्राप्त नहीं किया। क्या इसकी कोई जांच की है? क्या फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन 1981 में क्या बन्द कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुए हैं? मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि काउंसिल के जो पांच सदस्य नियुक्त होते हैं, क्या माननीय मंत्रीजी आप काउंसिल के पांच सदस्य नियुक्त करने जा रहे हैं? यदि हां, तो कब तक?

आखिर में मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इसमें जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी जांच के लिए क्या मंत्री महोदय कोई आयोग बैठाने जा रहे हैं? यदि हां, तो कब तक और उनमें क्या कार्यवाही आप करने जा रहे हैं?

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जानकारियां मांगी हैं, मैं आपको अवगत करा दूं कि रजिस्ट्रार को हटाने का निर्णय हमने नहीं लिया है। फार्मेसी काउंसिल एक्ट की धारा 26 है, उसमें यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रार फार्मेसी काउंसिल जिसको नियुक्त करेगी उसके लिए पैनल गवर्नमेंट को भेजेगी और गवर्नमेंट की अप्रूवल से ही वह नियुक्त कर सकती है। रजिस्ट्रार का जो मामला है, हमने उन्हें हटाने के निर्देश नहीं दिए, न हम दे सकते हैं। हमने उनसे पैनल मांगा है। एक बात का उत्तर तो यह है।

दूसरा, नागालैण्ड से आने वाले फार्मासिस्ट का जो मामला है उसके अन्दर मैंने अभी खण्ड 3 में जवाब दिया है 32 (1)(बी) में और 32(2)(बी) में यह प्रावधान है कि किसी भी राज्य के अन्दर जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वह अपना ट्रांसफर करवा सकता है। उसका प्रावधान यह है कि यदि राजस्थान में कोई ट्रांसफर कराना चाहता है चाहे नागालैण्ड से हो, चाहे किसी भी राज्य से हो, तो वहां पर हमारी काउंसिल की

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

तरफ से सूचना उनसे पूछी जाती है कि इस व्यक्ति ने आवेदन किया है, यह क्रमांक संख्या उसके रजिस्ट्रेशन की है और सम्बन्धित काउंसिल उस स्टेट की जब हमें यह सूचना दे देती है कि हमारे यहां पर रजिस्टर्ड है, अनुभव के आधार पर रजिस्टर्ड है और इसकी संख्या यह है। तब वह एन.ओ.सी. वहां से देती है और वह नाम अपने रजिस्ट्रेशन में से काट देती है, उसके बाद में ही यहां की काउंसल उसको रजिस्टर करती है। नागालैण्ड के कुल 161 मामले अभी तक अनुभव के आधार पर यहां पर रजिस्टर किए हैं।

तीन वर्ष का जो माननीय सदस्य ने पूछा था 125 मामलों का रजिस्ट्रेशन यहां पर किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक बात यह पूछी है कि नोमिनेशन की बात है, तो पांच मैम्बर्स को नोमिनेट करने का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है और निर्णय लेने पर नियुक्ति की जाएगी।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने यह कहा कि वहां उनको अनुभव के आधार पर, जो वहां प्राप्त करते हैं उसके बाद में उनका ट्रांसफर हो सकता है। मेरा मंत्री महोदय आपसे विनम्र निवेदन है जब 1981 में आपने यह नियम बना रखा था, वह बन्द कर दिया था, यहां किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता था। क्या उसके बाद भी आपने इस प्रकार का काम किया है?

श्री राजेन्द्र चौधरी : टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य शायद समझ नहीं पाए हैं। मैंने यह बात कही है। एक्ट का प्रावधान मैंने बताया है। राजस्थान के अन्दर, जो राजस्थान के लोग थे उनके लिए 1978 चूंकि काउंसिल बनी थी और उसमें प्रावधान है कि तीन वर्ष तक वह आवेदन मांग सकती है, तो हमारी तारीख अगस्त, 1981 तक की है उसमें जिन्होंने आवेदन किया, राजस्थान के लोगों के लिए वह था और उसमें उन आवेदनों के ऊपर सरकार ने, फार्मेसी काउंसिल ने निर्णय लिया। और कुल 31.8.1981 तक 7792 आवेदन मिल थे। वह राजस्थान के अनुभव के आधार पर थे उसमें धारा 33(2) के पश्चात्, जांच के पश्चात् कुल पंजीयन हुए वह 2552 हुए। उसके बाद में जिनको रिजेक्ट किया है, जांच के बाद, वह है 5240 को रिजैक्ट किया है। और धारा 33(3) के तहत कुल अपीलें, चूंकि जो रजिस्ट्रार जिनको निरस्त कर देता है वह धारा 33(3) में अपील कर सकते हैं। अपील करने वाले लोग 1932 हैं और अपीलों का जो निर्णय दिया गया है, उनका पंजीयन किया गया है, वह 1301 लोगों का किया गया है और 631 अपीलें अस्वीकार की

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

गई है। वह राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के लिए था। जो 1981 के बाद में हमने अनुभव के आधार पर वह तारीख आगे नहीं बढ़ाई। हमारी लास्ट डेट थी तीन साल तक की उसमें यह आवेदन राजस्थान के लोगों के लिए आया है और जो मैंने आपको बताया धारा 32(2) और एक 32(1)(बी) उसके अन्दर प्रावधान है फार्मेसी काउंसिल एक्ट में कि दूसरे राज्यों से, जैसे राजस्थान राज्य से भी दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, तो यह प्रावधान उस बात के लिए है। उसमें जो बाहर से आए हैं वह इसके आधार पर आए हैं और जो राजस्थान में 31.8.1981 के बाद आए हैं वह संख्या मैंने आपको बताई है।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने शुरू में ही बताया था कि रजिस्ट्रार मित्तल को हटा दिया गया है। हटाने के लिये तो खैर आपको धन्यवाद है। इसके साथ ही...

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, नहीं। माननीय सदस्य मैंने आपसे यह अनुरोध किया, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार की नियुक्ति जो फार्मेसी काउंसिल करती है पर वह अपना पैनल भेजती है राज्य सरकार को और उसके आधार पर जो शक्तियां एक्ट के अन्दर हैं, वह पैनल के आधार पर गवर्नमेंट उसको एप्रूव करती है। हमने हटाने का आदेश किसी को नहीं दिया है। जो नियुक्ति काउंसिल ने रजिस्ट्रार की, उसके बारे में हमने यह कहा है कि आपने अपने स्तर से यह नियुक्ति कैसे कर दी। यह बात है।

श्री रामस्वरूप : नहीं, आपने यह पूछा कि यह नियुक्ति कैसे कर दी। क्या उन्होंने गलत की है? क्या उनके स्तर से वह नहीं कर सकते हैं नियम के अनुसार?

श्री राजेन्द्र चौधरी : बिलकुल, नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही यह मेरे उत्तर में बताया है कि जो फार्मेसी एक्ट की धारा 26 है उसके अन्दर यह स्पष्ट प्रावधान है कि फार्मेसी काउंसिल अपना पैनल भेजेगी और पैनल को स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी।

श्री रामस्वरूप : नहीं कर सकते, तो अब आप क्या करेंगे उसके खिलाफ? नहीं कर सकते, आपने मान लिया, आपके स्टाफ ने मान लिया, सारा घोटाला हुआ है। फिर आप उसके खिलाफ, मित्तल के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि हमने लिख दिया है फार्मेसी काउंसिल को, हमने यह भी लिखा है कि वह कोई नीतिगत निर्णय रजिस्ट्रार नहीं करें और पैनल भेजे। हमने यह लिख दिया है।

श्री रामस्वरूप : क्या आप पुनः उस पैनल को बनवा रहे हो, उस पर विचार कर रहे हैं और उसको कैंसिल करने का इरादा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप काफी सप्लीमेंटरी पूछ चुके हो।

श्री रामस्वरूप : मैं तो मंत्री महोदय से आखिर में एक निवेदन करना चाहता हूं, इसके जो सदस्य नियुक्त होने हैं वह कब तक नियुक्त कर दिए जाएंगे? इसके ऊपर जो आयोग आप बैठा रहे हो वह कब बैठा रहे हो? माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में यह बहुत स्पष्ट बताया है कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति, फार्मेसी काउंसिल अपना पैनल भेजेगी स्टेट गवर्नमेंट को और हमने चूंकि उन्होंने अपने स्तर से यह नियुक्ति कर दी इसलिए हमने उनको लिखा है कि आपको अधिकार नहीं है। आप गवर्नमेंट से यह अप्रूवल लें। नीतिगत निर्णय के लिये हमने उनको लिख दिया है कि आप नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। जहां तक गवर्नमेंट नामिनी का मामला है वह मैंने अभी बताया है कि शीघ्र ही उसमें निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है। मामले को आपने स्वयं ने माना है प्रथम दृष्टया, आपने स्वीकार किया है और जो जवाब दिया है उसमें माना है इसके लिए तो आपको धन्यवाद है। लेकिन आप जब कार्यवाही करने जा रहे हैं, तो उसकी कोई मियाद तो होनी चाहिए, कब तक होगी, क्या होगी। इसके बारे में निवेदन है, मेरा साहब। मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपकी ईमानदारी पर कोई शंका नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन मेरा निवेदन है, फिर आप यह घोषणा क्यों नहीं कर देते। (व्यवधान) कि 5 मैम्बर ये नियुक्त करने जा रहे हैं, इसके बारे में अब यह करने जा रहे हैं, क्या मियाद है उसकी? कोई तारीख या कोई अवधि तो होनी चाहिए, माना है तो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं, यह पूछना चाहता हूं कि आपने इस प्रश्न के उत्तर के खण्ड 4 में यह कहा है कि जब फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार किसी भी पंजीयन के मामले को निरस्त कर देता है, तो फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 33 में फार्मेसी काउंसिल को यह अधिकार है कि वह उस पर पुनर्विचार करे, सुनवाई करे। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि फार्मेसी काउंसिल तो बनी हुई नहीं है। 1996 में तत्कालीन सरकार ने श्री रमेश ओझा को इसका अध्यक्ष, फार्मेसी काउंसिल

(मोहम्मद माहिर आजाद)

ने चुना था, बनाया था। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके बाद अभी तक आपने दूसरे मैम्बर इसमें नामिनेट ही नहीं किए, तो फार्मेसी काउंसिल आज की तारीख में एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। जब वह है ही नहीं, तो वह किस पर पुनर्विचार करेगी।

दूसरा, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 1997 से 3 मामले ऐसे पैंडिंग हैं जिसमें एक मेरे निर्वाचन क्षेत्र से डाक्टर नसरूद्दीन का है और दो चूरू के हैं। जिनको रजिस्ट्रार ने कैंसिल कर दिया था और उन्होंने अपील की हुई है। आज तक फार्मेसी काउंसिल की कार्यकारिणी ने उसके पुनर्विचार का, सुनवाई का मौका ही नहीं दिया। आज तक उसकी बैठक ही नहीं हुई है। यह कब तक इस पर पुनर्विचार हो जाएगा और यह जो कार्यकाल समाप्त हो गया, आज कोई अध्यक्ष ही नहीं है, आप इसमें कब तक अपने नामिनी नामिनेट कर देंगे ताकि फार्मेसी काउंसिल निश्चित तौर पर प्रक्रिया के तहत अपना कार्य प्रारम्भ कर दे? इस पर कोई एक निश्चित अवधि तो होगी कि आप कब तक इसको पूरा कर देंगे? जो मामले पैंडिंग हैं, आज 5 साल से पैंडिंग हैं उसकी मीटिंग ही नहीं हुई कार्यकारिणी की, कब मीटिंग हो करके उन लोगों को न्याय मिल सकेगा, कृपया यह बताएं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि फार्मेसी काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो अपील कैसे होगी। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि फार्मेसी काउंसिल में, जो पहले बनी हुई है वह मैम्बर्स पहले से ही कार्यकारिणी में मौजूद हैं, काउंसिल भी मौजूद है। उसमें जो कार्यकाल जिनका समाप्त हो गया है उसमें प्रावधान है कि जब तक नये सदस्यों का मनोनयन नहीं होगा तब तक वे चलेंगे, यह एक्ट में प्रावधान है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप नयी क्यों नहीं बना रहे हैं?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने बात बता दी है अभी, हम जल्दी ही इस महीने में ही नामिनेशन कर देंगे और उसमें नियुक्ति कर देंगे। और जो मैटर आपने बताया है कि उन्होंने अपील की है और कार्यकारिणी के सामने बैठक नहीं हुई है, तो यह नसरूद्दीन का मामला और दूसरे मामले जो बता रहे हैं आप बिलकुल मुझे दे दें। हम फार्मेसी काउंसिल को भेजेंगे और इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अपील की हुई है। आपने ला सैक्रेटरी से इसको एग्जामिन भी करवा लिया था और उसने भी कहा कि फार्मेसी काउंसिल को

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अधिकार है कि वह इसको दुबारा पुनर्विचार करके कोई भी निर्णय ले सकती है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : बिलकुल।

मोहम्मद माहिर आजाद : उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी। हमने यह भी लिखवा के दे दिया कि अगर आप इस पर सुनवाई करते हो और न्याय करते हो तो हम केस विथड्रा कर लेंगे, पहले ही, यह भी लिखवा के दिया हुआ है। (व्यवधान) अब ये कब मीटिंग करेंगे, कब फैसला करेंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय सदस्य, आपने जो आज जानकारी दी है हम आज ही फार्मेसी काउंसिल, रजिस्ट्रार को भेजेंगे कि इसमें कार्यकारिणी विचार करके इस मामले पर निर्णय करें।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 1981 में यह फैसला किया अनुभव के आधार पर फार्मासिस्ट बनाने का, वही फैसला नागालैण्ड सरकार ने 1972 में कर लिया था और नागालैण्ड से यह फर्जी फार्मासिस्ट बनाने का गोरख धंधा चल रहा है, यह पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने फार्मेसी एक्ट की धारा 45 में इसकी जांच कराने के लिए आयोग गठित किया है। और जितने भी आपने ये नाम दिए हैं अपने सवाल के जवाब में, उनमें कई लोगों को, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, नागालैण्ड में 5 साल रहना तो दूर रहा कभी उन्होंने अपने चरण कमल भी नागालैण्ड में नहीं रखे होंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मित्तल साहब ने जो रजिस्ट्रार के रूप में काम किया और अब आपने जिनको हटा दिया है, उनके कार्यकाल में जो यह लाइसेंस बने हैं उन मित्तल साहब का भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परिचय निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ 3 साल पहले राज्य सरकार ने नकली दवाइयां बनाने का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है और वह अदालत में चल रहा है। तो यह बहुत जरूरी हो गया है कि उनके कार्यकाल में जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनकी जांच करायी जाए और नागालैण्ड से ये सारे फर्जी अनुभव के प्रमाण पत्र के आधार पर जो लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन वहां करवाकर आए हैं, क्योंकि आपके जैसे ही नागालैण्ड में 1972 में फैसला कर लिया था कि अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन के जितने भी प्रपोजल्स हैं वे डिस्पोजल कर दिये जाएं। क्या आप इस मामले की राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश से जांच करवाने की मंशा रखते हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : मुकदमा चल रहा है, सजा थोड़ी हुई है। सैम्पल फेल हुआ था, केस में निर्णय थोड़ी हुआ है अभी तक।

श्री संयम लोढ़ा : तो सरकार ने यह महसूस किया होगा न कि नकली दवाइयां बनायी हैं, इसलिए चालान किया होगा।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मंत्रीजी, आपने कहा है कि प्रशिक्षित डी.फार्मा वालों को ही लाइसेंस दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी जानकारी में यह है क्या कि यह फर्जी और दलालों से दिलाने वाली बात तो अलग प्रकरण है, राज्य में कितने प्रशिक्षित डी.फार्मा वालों को जिनको लाइसेंस दिया है, उनमें कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो किराए पर अपना लाइसेंस देते हैं? यह किराए वाली टर्म्स से, इस संज्ञा से आप वाकिफ भी हैं या नहीं है, आपकी जानकारी में है या नहीं है? अधिकांश दुकानें ऐसी ही हैं जहां पर लाइसेंस एक नाम से गवर्नमेंट इश्यू करती है, दुकान दूसरा आदमी चलाता है और उसको महीने का किराया देता है। यह आपकी जानकारी में है या नहीं है? सबसे बड़ा मसला तो यह है कि जो दुकान चलाते हैं वास्तव में वे क्वालीफाइड नहीं है। वे अप्रशिक्षित हैं, उनको डी.फार्मा नहीं है. उनको कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ किराया उसको दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं जिसके नाम से होता है। यह आपकी जानकारी में है या नहीं है? और जानकारी में नहीं है, है तो कितना प्रतिशत आपके खयाल से ऐसी दुकाने हैं जो किराये पर चलती हैं और आप क्या इसमें कोई जांच कराएंगे या कोई कार्यवाही करने जाएंगे, इसको कैसे चैक करेंगे आप?

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बिन्दु की ओर इशारा किया है नागालैण्ड गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल बनाया और उसमें 14 नवम्बर, 1972 तक की उसमें तारीख थी, अनुभव के आधार के ऊपर। क्योंकि जिस समय कमीशन बनता है, काउंसिल बनती है, तो काउंसिल बनने के तीन वर्ष की अवधि में उसमें प्रावधान है कि अनुभव के आधार पर आप उनको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो वह उसकी कार्यकारिणी को अधिकार है और उसके बाद में काउंसिल को अधिकार है, रजिस्ट्रार को अधिकार है।

नागालैण्ड का जो मामला मैंने पहले ही उत्तर में बताया कि 125 मामले हैं और इसके अन्दर 161 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और मध्य प्रदेश की बात भी आपसे बताई है। मैं इस मामले में सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि चूंकि हमने इस सारे मामले को देखा है। पहले भी सदन में यह प्रश्न जब आया था तो सारी सूचनाएं हम एकत्रित कर रहे

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

थे। आपसे हमने अनुरोध किया था इसको स्थगित करने का और जब मेडिकल डिपार्टमेंट की डिमांड पर टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता यहां पर व्यक्त की थी। हमने इस सारे मामले की हमारे स्पेशल सैक्रेटरी मेडिकल और ड्रग कंट्रोलर से प्राइमाफेसी जानकारी इकट्ठी करके जांच कराएंगे और इसमें यदि हमको दोष सीधा रूप से नजर आएगा, तो जो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने जो बात कही है, कमीशन आफ इंक्वायरी की, वह उसके बाद की बात है। उसमें जब हमारे सामने तथ्य आ जाएंगे तब हम उसके बाद में निर्णय ले पाएंगे।

मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उस चिन्ता से मैं भी सहमत हूं और पूरा सदन भी सहमत है। कोई ऐसी बात नहीं है, परन्तु यह ऐसा मामला है कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, हमारे पास में समय-समय पर जहां पर कहीं भी शिकायत प्राप्त होती है, कोई माननीय सदस्य करता है या कहीं से भी शिकायत प्राप्त होती है, तो हम उसकी जांच करवाते हैं और जांच में यदि पाया जाता है कि वहां फार्मासिस्ट नहीं है, केवल वह उसका सर्टिफिकेट लटका रखा है, तो हम उस सर्टिफिकेट को, ड्रग लाइसेंस को कैंसिल भी करते हैं, कार्यवाही करते हैं। यह एक ऐसा मामला है वास्तव में कि उस दुकान के ऊपर वह फार्मासिस्ट है या नहीं, नकली तो नहीं है, जो सर्टिफिकेट लगा रखा है वह असली है, अब दुकानों पर मौजूद है या नहीं है। वह तो एक ऐसी एजेंसी है जो हमारी उसके जांच के माध्यम से, औषधि निरीक्षक के माध्यम से ही पता लग सकता है।

श्री रामस्वरूप : नहीं, उसमें फोटो लग सकता है क्या? फोटो लगा दिया जाए।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना कुछ अखबारों में छप चुका है और सरकार ने कभी इस बात का नोटिस नहीं लिया कि हमको इस पर कार्यवाही करनी है। यह तो आपने यह क्वेश्चन अलाउ किया तब ही यह सरकार हरकत में आई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से बचाना चाहते हैं, तो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं है, मेरा तो क्वेश्चन ही नहीं है कि वह फर्जी है। सर्टिफिकेट तो सही है लेकिन जो सर्टिफिकेट है वह किराए के ऊपर जो आपको मैंने बताया न कि यह कोई शिकायत नहीं आएगी, अध्यक्ष महोदय, आम आदमी को कोई मतलब नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

है। जो आदमी दवा लेने जाता है अगर उसको दवा सही मिलती है, तो वह काहे को शिकायत करेगा? यह तो आप चूंकि एंफोर्स करना चाहते हैं क्वालिफिकेशंस को, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी जांच कराएं। आप जांच कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं? शिकायत नहीं आएगी इसके अन्दर आपके पास।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है उससे मैं भी सहमत हूं और सारा सदन सहमत है। कोई इसके विरुद्ध नहीं है पर एक किसी भी प्रक्रिया के अन्दर, किसी भी दुकान पर जाकर वह चैक करता है, हमारा ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन जो है वह इस बात को देखता है कि दुकान के ऊपर फार्मासिस्ट है या नहीं है। अब फार्मासिस्ट की उपस्थिति नहीं होने पर सर्टिफिकेट जो है वह सर्टिफिकेट सही जांच, एक तो होता है कि सर्टिफिकेट गलत दिया गया है और एक सर्टिफिकेट सही है और वह वहां पर दुकान पर मौजूद है या नहीं है। एक पूरी तरह से सामान्य तौर पर यह बात चर्चा में आती है, पर यह हम कैसे इतनी हजारों दुकानें राजस्थान में हैं, इसमें कैसे रूटिन हमारी जांच चलती रहती है। हमारे आर्गेनाइजेशन के लोग [illegible] करते रहते हैं [illegible] भी मैं इसके लिए मेरे विभाग को और ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन को यह निर्देश दूंगा कि इसके लिए एक अभियान चलाएं और इस बात को वे चैक कराएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा. के. सी. चौधरी।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि नागालैण्ड के 161 फार्मासिस्ट को आपने राजस्थान में रजिस्टर्ड किया है, तो यह इकतरफा ट्रेंड है या राजस्थान के कुछ फार्मासिस्ट नागालैण्ड में रजिस्टर्ड हुए हैं? वहां की सरकार ने नहीं किया है राजस्थानियों को और अपन ने 161 को कर लिया है, तो यह बाइलेटरल रिलेशनशिप है, तो अपने यहां पर भी कुछ ऐसे केसेज हुए हैं क्या? वहां रजिस्ट्रेशन सन् 1972 से लेकर आज तक नागालैण्ड से आए हुए 161 को तो अपन ने यहां रजिस्टर्ड कर लिया, यहां से गये हुए भी वहां पर रजिस्टर्ड हुए हैं क्या? वहां पर तो मना कर दिया गया क्लियरकट, यह मेरा आपसे निवेदन है। मना कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके मार्फत यह जानना

(श्री हरजीराम बुरड़क)

चाहता हूं कि अभी आपने फरमाया कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति काउंसिल ने सीधी कर दी और राज्य सरकार से अप्रूवल नहीं ली, तो क्या वह राज्य सरकार को यह जानकारी अभी ही मिली है? इतने लम्बे समय तक उसको राज्य सरकार ने रहने क्यों दिया? एक बात।

दूसरी बात, आपने अभी बताया कि अपीलों का निर्णय काउंसिल करती है। जितनी भी अपीलों का निर्णय हुआ उसकी अपील की कानून में अवधि क्या है और क्या यह सारी की सारी अपीलें अवधि बीतने के बाद में दर्ज करके फैसला किया? यह दो बात आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा कि यहां से, नागालैण्ड से ही यहां आते हैं या वहां से जाते हैं। मैंने यह कहा कि धारा 32(1)(बी) और 32(2) में राजस्थान से भी बाहर जाते हैं और दूसरे राज्यों से भी आते हैं।

डा. के. सी. चौधरी : आपको यह जानकारी है क्या कि यहां से वहां पर कितने गये हैं?

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, यह पूछा नहीं गया है, बाकी आपको यह बता दूंगा कि कितने लोग राजस्थान के दूसरे राज्यों में गए हैं। नागालैण्ड भी गए हैं और दूसरे राज्यों में भी गए हैं।

डा. के. सी. चौधरी : वहां नागालैण्ड में राजस्थानियों को नहीं दे रहे हैं। साहब, वहां यह मैं कहना चाहूंगा आपसे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं तो आपने फार्मासिस्ट, फार्मेसी काउंसिल एक्ट की ही बात कर रहा हूं जो कि एक सैंट्रल एक्ट है और पूरे हिन्दुस्तान में वह लागू होता है। दूसरा, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है अपील की अवधि जो है रजिस्ट्रार द्वारा...(व्यवधान) एक मिनट, माननीय, जो रजिस्ट्रार निरस्त कर देता है, उसके 90 दिन की अवधि में अपील करने का अधिकार है काउंसिल में, उस पर कार्यकारिणी विचार करती है और उसमें निर्णय के आधार पर वह काउंसिल के सम्मुख ले जाती है। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा है कि जो अवधिपार है, 90 दिन के बाहर के ऐसे मामले जो हैं वह भी हमारी जानकारी में आए हैं। इसीलिए यह जो मैंने अभी बात कही है कि अवधि पार के लोगों को जो उन्होंने काउंसिल में एंटरटेन किया है या उनका जो डिले कंडोन किया है, वह जो स्पेशल

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

सैक्रेटरी मेडिकल और डायरेक्टर, ड्रग कंट्रोल आर्गेनाइजेशन है, वह इस मामले की जांच करेंगे और वह तथ्य सामने आने पर जो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उसके अनुसार हम कमीशन आफ इंक्वायरी का निर्णय ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) आपने पूछ लिया है। हरजीरामजी, आप एक सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं लेकिन आपने दो पूछे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं-नहीं, मैं वह उत्तर ही मांग रहा हूं। मेरा पहला रजिस्ट्रार वाला पाइंट था, वह रजिस्ट्रार वाला उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : एक क्वेश्चन ही आया है अभी तक। नैक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या-467

श्री के. सी. विश्नोई।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-468

श्री कन्हैया लाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री ललित भाटी।

जिला अजमेर एवं नागौर में बिजली चोरी के दर्ज प्रकरण

469. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर एवं नागौर में जनवरी, 1999 से फरवरी, 2002 तक कितने यूनिट बिजली चोरी विभाग द्वारा दर्ज की गई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बिजली चोरी घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक तथा किसानों द्वारा कितनी-कितनी पाई गई है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बिजली चोरी पकड़ने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा चोरी रोकने के लिए क्या कोई कार्यक्रम या योजना एवं कदम उठाये जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जिला अजमेर एवं जिला नागौर में जनवरी, 1999 से फरवरी, 2002 तक बिजली चोरी की दर्ज की गई यूनिटों का जिलेवार विवरण निम्नप्रकार है :-

जिला अजमेर- 77.18 लाख यूनिट
जिला नागौर- 296.65 लाख यूनिट

(2) उपरोक्त दोनों जिलों में घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक व कृषि क्षेत्र में दर्ज किये गये चोरी के प्रकरणों का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :-

(डा. चन्द्रभान)

क्र. सं.	श्रेणी	चोरी के प्रकरणों की संख्या	यूनिट लाख में
जिला अजमेर			
1.	घरेलू	2361	29.04
2.	औद्योगिक	103	9.12
3.	व्यावसायिक	572	8.11
4.	कृषि	634	30.91
	कुल योग	3670	77.18
जिला नागौर			
1.	घरेलू	4820	40.98
2.	औद्योगिक	1119	68.55
3.	व्यावसायिक	785	20.38
4.	कृषि	2184	167.64
	कुल योग	8908	296.65

(3) विद्युत चोरी पकड़ने पर विभाग द्वारा सतर्कता जांच प्रतिवेदन तैयार कर मौके पर विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर लोड अनुसार राजस्व निर्धारण कर वसूली हेतु नोटिस दिया जाता है तथा समझौता राशि जमा न कराने वालों के खिलाफ सम्बन्धित थाना क्षेत्रों में प्रथम सूचना दर्ज करायी जाती है। विद्युत चोरी को रोकने के लिए विद्युत निगमों में स्थाई रूप से सतर्कता व जांच दल बने हुए हैं जो निरन्तर चैकिंग करते रहते हैं। विद्युत चोरी को पकड़ने के लिए प्रदेश के सभी 11 के.वी. फीडरों पर मीटर लगाए जा रहे हैं ताकि सघन चोरी वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके। सभी श्रेणी के नये कनेक्शनों में इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाए जा रहे हैं जिससे विद्युत उपभोग का आकलन सही हो सकेगा। साथ ही अभियान चलाकर खराब मीटरों को बदला जा रहा है। मीटरों को सील करके बक्सों में लगाकर बक्सों को भी सील किया जा रहा है।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं वैसे तो मैंने प्रश्न पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछा था जिससे विभाग को भी और आपको भी पता लगे कि कितने व्यापक स्तर पर चोरी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि बिजली चोरी के जो मामले पकड़े जाते हैं उसके अन्दर यह सम्बन्ध विच्छेद कर देते है। लोड के हिसाब से उसकी टैक्स वसूली, रेवेन्यू वसूली की बात करते हैं और एफ.आई.आर. दर्ज कराते हैं। तो कितने प्रकरणों में आपने इन दो जिलों के अन्दर एफ.आई.आर. करवाई हुई है और यह जितने प्रकरण हैं? क्या इन सबके आपने विद्युत कनेक्शन काटे हुए हैं या यह आज की तारीख में मौके पर जारी हैं? इन चोरी के मामलों को पकड़ने से कितनी राजस्व

(श्री ललित भाटी)

की वसूली विभाग को हुई है और यह जो चोरी हो रही है, इसमें क्या आप कहीं पर अधिकारियों की मिलीभगत मानते हैं? क्या उस मिलीभगत के आधार पर उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करने का मन रखते हैं? सघन चोरी का क्षेत्र एक तो नागौर पता लग ही गया है कि सारे क्षेत्रों में, चाहे घरेलू हो, औद्योगिक हो, व्यावसायिक हो, कृषि हो। क्या आपने यहां पर, सब जगह पर जिस तरह से कहा 11 के.वी.ए. के ऊपर मीटर लगाने की बात कर रहे हैं, क्या मीटर्स लगाये जा चुके हैं या लगाने की व्यवस्था आप कर चुके हैं?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : पूरे राजस्थान में नागौर ही दिखा क्या? पूरे राजस्थान में बिजली की चोरी होती है। एक नागौर के सम्बन्ध में आप कह रहे हैं।

श्री ललित भाटी : नहीं, मिर्धा साहब, मैं तो यह दो जिलों की...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : (व्यवधान) नागौर में ही बसते हैं इसका मतलब।

श्री ललित भाटी : आप आहत मत होइए। मैं आपको आहत करने के दृष्टिकोण से कोई बात नहीं कह रहा हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : भाटी, साहब, किसान मर रहा है। पैसे चुका नहीं सकता और कहते हैं विजिलैंस भेजो। यह मर रहा है किसान तो।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह तो मंत्री महोदय बताएं कि उन्होंने नागौर के आंकड़े सबसे ज्यादा किस वजह से दिए हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आपके क्वार्टर का कितना बिल आता है, आप ही बता दो। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : किसी जिले को चोर ठहराने के लिए मैंने यह सवाल नहीं पूछा है। मैंने पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अजमेर का भी पूछा है। नागौर का ही नहीं, अजमेर का भी पूछा है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नागौर में चोर ज्यादा, बाकी राजस्थान में साहूकार है? (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : वाह! भाटी साहब। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : नागौर में चोर नहीं, नागौर के बैल प्रसिद्ध हैं। बैल प्रसिद्ध हैं नागौर के तो साहब। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे राजस्थान का पूछा था। मंत्री महोदय ने असमर्थता जताई और मेरा यह

(श्री ललित भाटी)

कतई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी जिले को चोर साबित करें या उस जिले के उपभोक्ताओं को चोर साबित करें। मेरा सीधा-सीधा उद्देश्य है कि जब हम एक तरफ प्रयास कर रहे हैं राजस्थान को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर करने के लिए और चोरी के प्रयासों को रोकने के लिए, तो विभाग इस दिशा के अन्दर क्या कार्य कर रहा है, यह जानना मेरा उद्देश्य है। न कि किसी जिले और उपभोक्ताओं को कोई प्रमाण पत्र देने की मेरी कोई चेष्टा है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वह आज एक तरह से राष्ट्रीय समस्या है इस क्षेत्र की। यह सही बात है कि बिजली की चोरी की घटनाएं केवल नागौर और अजमेर में ही नहीं हो रही हैं और एक मिस-कंसेप्ट है कि यह खेती में और ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि शहरों में और औद्योगिक क्षेत्रों में और हर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हैं। इस कारण विद्युत क्षेत्र को राजस्व की दृष्टि से भी और तकनीकी दृष्टि से भी बड़ा नुकसान होता है। मैं माननीय सदस्य को और आपके माध्यम से पूरे सदन को भी राज्य भर में चोरी की जो घटनाएं हैं, उनमें क्या कार्यवाही हमने की और कितने राजस्व की वसूली की, उनकी जानकारी दे देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सन 1998-99 में चोरी के कुल मामले पकड़े गए वह 31,823 और हमने राजस्व वसूल किया 17 करोड़ 70 लाख 90 हजार, 1999-2000 में 37,258 और राजस्व वसूली की गयी 19 करोड़ 10 लाख 38 हजार, 2000-2001 में 42,959 प्रकरण दर्ज हुए और उनमें 19 करोड़ 73 लाख 99 हजार रुपए वसूल किए गये और 2001-02 में हमने विद्युत चोरी को रोकने के लिए, उसे पकड़ने के लिए एक अभियान भी चलाया था 15 मई, 2001 से लेकर 30 जून, 2002 तक। 2001-2002 में दर्ज किये गए चोरी के कुल प्रकरणों की संख्या करीब एक लाख तक पहुंच गयी 95,614 और इनसे जो वसूली की गयी वह राशि है 30 करोड़ 74 लाख। राजस्व का आकलन किया गया वह 56 करोड़ 15 लाख 21 हजार है।

माननीय सदस्य का यह कहना बहुत सही है कि विजिलैंस के जितने भी मसले होते हैं, अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारियों का ध्यान भी थोड़ा राजस्व की तरफ ज्यादा रहता है। इन सब मसलों में कम्पाउंडिंग किया जा रहा है और डिस-कनेक्शन भी किया जाता है। कई बार राजस्व की वसूली होती है और कई बार उपभोक्ता पैसे जमा नहीं कराता है, तो एफ.आई.आर. हम लोज कराते हैं। लेकिन यह बात सही है कि एफ.आई.आर. की संख्या एकदम नगण्य है। और यह भी सही है उनमें कार्यवाही

(डा. चन्द्रभान)

भी बहुत कम में होती है। मुश्किल से मैं कहना चाहूंगा कि प्रकरण 95,614 हैं और एफ.आई.आर. जो शायद दर्ज करायी गयी उनकी संख्या एक हजार से भी कम है।

ऐसे मामलों में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिन प्रकरणों में कम्पाउंडिंग नहीं होती है और इसके अलावा भी मैं कहना चाहूंगा कि विद्युत चोरी निश्चित रूप से एक सामाजिक बुराई भी है, अपराध भी है, उन लोगों के खिलाफ केवल हमारा ध्येय यही नहीं होना चाहिए कि हम राजस्व की वसूली करें और डिस-कनेक्शन करके अपनी जिम्मेदारी का वहन समझ लें बल्कि उनके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए जिससे कि सिस्टम को भी नुकसान नहीं हो और राजस्व की वसूली हो सके। जो लोग गडबड़ी करते हैं या थैप्ट करते हैं उनका भुगतान इनोसेंट कंजूमर को नहीं भुगतना पड़े।

माननीय सदस्य ने एक सवाल और रखा कि यह सब कहीं विभाग के विद्युत कर्मियों की मिलीभगत से तो नहीं होता है। ऐसे भी कई मसले पकड़े गए हैं जिसमें हमारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ भी कार्यवाही की गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, आपने पूछा कि इसमें आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक दृष्टि से तो हम कार्यवाही कर रहे हैं। चैकिंग का नम्बर भी बढ़ा रहे हैं लेकिन आज जो टी.एण्ड.डी. लोसेज हैं, हालांकि, अध्यक्ष महोदय, गत दो वर्षों में हमारे टी.एण्ड.डी. लोसेज चार प्रतिशत घटे हैं, जिसमें थैप्ट भी है, टैक्निकल लोसेज भी हैं। यह समस्या, मैंने कहा पूरे देश की है। लेकिन कनेक्शन भी हम देते हैं और चोरी के प्रकरणों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसको हमें टैक्नोलाजी के माध्यम से रोकना पड़ेगा और इसके लिए राज्य भर में इलैक्ट्रोनिक मीटर्स भी हमने लगाए हैं और खराब मीटर बदले हैं। मैं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी में लाना चाहूंगा कि यह जो मीटर वगैरह बदले गये हैं, इनकी संख्या भी काफी बढ़ी है। पहले जो मीटर बदले जाते थे।

मैं आपको कम्पेरेटिवली जानकारी दूं। जनवरी, 1999 से हमारी सरकार आने के बाद में हमने चार महीने में ही 1,34,914 खराब मीटरों को बदला जिससे राजस्व की वसूली बढ़ी और चोरी पर अकुंश लगा। इसके बाद में 1999-2000 में 3,71,262, 2000-2001 में 3,30,720 और अब की बार 2001-2002 में 8,18,726 और इलैक्ट्रोनिक मीटरों में टैम्प्रिंग कम होती है और मीटर जो लगा रहे हैं सील भी लगा रहे हैं।

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदय, पूरा विवरण बताने के बजाय मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक पूछा कि अधिकारियों को, क्योंकि आपने अभी यहां हाउस में जो आंकड़े दिए हैं उसमें आपने देखा कि 1998–99 से शुरू हो करके आप 2000 के अन्दर लास्ट तक पहुंच गए हैं, तो यह तो स्पष्ट हो गया कि आपका विभाग चोरियों को रोकने में बिलकुल नाकारा साबित हुआ है और अधिकारियों के बारे में आपने स्पष्ट नहीं किया। कंजूमर से तो आप वसूल कर रहे हैं मगर जहां अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की क्या, उनको किसी को सस्पेंड किया क्या? ऐसा कोई उदाहरण अगर आप पेश करते तो मैं सोचता हूं कि विभाग के अन्दर और सक्षमता आती। वह आप स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : बैठिए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का यह कथन है कि यह पहले 31 हजार, 37 हजार और 42 हजार चैकिंग, यह मामले दर्ज हुए अब 95,614 हो गये। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, पूरा सदन जानता है कि यह टी.एण्ड डी. लॉसेज पूरे देशभर में 40 परसेंट से ज्यादा हैं और हमारे राज्य में भी इतने हैं। इनमें से मैं कहना चाहूंगा कि 40 परसेंट कम्पोनेंट थैफ्ट का है। हम लोगों ने चैकिंग करके यह जो प्रकरण दर्ज किए हैं, इनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है। पहले संख्या कम थी इसका मतलब यह नहीं है कि पहले चोरी नहीं होती थी, पहले चोरी को पकड़ने के लिए सघन अभियान नहीं चलते थे। आप आज तो बात कह रहे हैं कि अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई मैं इसकी सूची आपको दे दूंगा कि इस तरह के जो मसले हैं उनमें कई जगह अधिकारियों के खिलाफ भी हमने कार्यवाही की है।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने बात कही है कि आप 11 के.वी.ए. पर मीटर लगाने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र जाड़ावत।

श्री ललित भाटी : जहां सघन चोरी के क्षेत्र आपके सामने आ रहे हैं वहां आपने कहां मीटर लगाए, इसका आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बिना अनुमति के नहीं। आप नहीं बोल सकते। श्री सुरेन्द्र जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बिजली चोरी की समस्या पूरे प्रदेश की व्यापक समस्या है और इसका कारण है कि भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है इसकी वजह

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

से आज कुएं सफल नहीं हैं और ट्यूबवैल काश्तकार लगाता है। जब काश्तकार को कनेक्शन नहीं मिलता तो मजबूरी के अन्दर वह अपनी कोई व्यवस्था बैठा करके अपनी मोटर चला लेता है। इसका नेटवर्क ग्राम स्तर तक, जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारी भी हैं, कुछ गांव वाले भी सम्मिलित हो जाते हैं और वह ऐसी कार्यवाही को प्रोत्साहित करते हैं। किसान किसी हालत में अपने आपको चोर कहलाना पसंद नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से संकल्पित है, उनके उत्थान के लिए संकल्पित है तो क्यों नहीं कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे काश्तकारों को चोरी भी नहीं करनी पड़े और उनको सस्ती बिजली भी मिल जाय और तुरन्त मिल जाय।

पहले एक नर्सरी योजना चलती थी जिसके अन्दर दो रुपये यूनिट की काश्तकार को देने पड़ते थे लेकिन वह योजना हमारी सरकार आने के बाद में बन्द कर दी। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह योजना वापस लागू करें और काश्तकारों को अगर डेढ़ रुपये यूनिट बिजली दे देते हैं तो कोई भी काश्तकार सीधी बिजली लेकर चोर कहलाना पसन्द नहीं करेगा। अगर ऐसी योजना हमारी सरकार बनाती है तो निश्चित रूप से हर किसान अपना कनेक्शन ले लेगा और चोरी भी बन्द होगी।

श्री अध्यक्ष : आप शोर्ट में क्वेश्चन पूछिए जाड़ावतजी। (व्यवधान) आप बैठिए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल पूछा है, यह चोरी के जो सघन क्षेत्र हैं उनसे सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, पूरे देशभर में तीन राज्य हैं-हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान जिनमें 11 के.वी. फीडर्स में मीटर लगाने का कार्य प्रगति पर है और हमारे यहां कुलमिलाकर के 6200 फीडर हैं जिनमें 5000 फीडर पर तो हमने 31 मार्च तक यह मीटर लगा दिए हैं और उनसे मेजरमेंट का काम भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। 31 मई तक सभी, जितने भी फीडर हैं, मीटर लग जाएंगे और उसके बाद जून के महीने से हम उनके ऊपर रीडिंग का काम भी शुरू कर देंगे। उससे सघन क्षेत्र को हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उसी क्षेत्र पर चोरी रोकने के लिए हम प्रयास करेंगे।

चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसान जो चोरी करता है वह मजबूरी में करता है। अध्यक्ष महोदय, चोरी तो खैर चोरी ही है लेकिन माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उसमें

(डा. चन्द्रभान)

कुछ हद तक सच्चाई है और हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे मसले होते हैं तो हमारे अधिकारी जाते हैं, तो वहां परिवार के लोग आ जाते हैं, गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप कनेक्शन तो दे नहीं रहे हो तो हम क्या करें?

अध्यक्ष महोदय, इसमें यही व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि हमने डोमेस्टिक में तो करीब-करीब सब कनेक्शन दे दिए, हम देने की स्थिति में हैं, एग्रीकल्चर में करीब दो लाख के आसपास कनेक्शन पैंडिंग है लेकिन हम एक कटआफ डेट सालाना जारी करके और देते हैं। इसमें हम यह भी कर सकते हैं कि जो ज्यादा नीडी लोग हैं उनके लिए विशेष श्रेणी के माध्यम से भी कनेक्शन दे सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इस चोरी को हम रोकें। इसके लिए विशेष श्रेणी पुन: चालू कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को कनेक्शन दें।

श्री अध्यक्ष : शार्ट में। श्री मोहन लाल चौहान।

श्री रामस्वरूप : कर सकते नहीं, आज घोषणा करेंगे, कि कर दी है हमने चालू अब इससे ताकि किसानों को पता लग जाए कि हमको इस प्रकार के कनेक्शन मिल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप : घोषणा कर दो।

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, बैठिए। आप नहीं। श्री मोहन लाल चौहान।

श्री आदराम मेघवाल (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, अभी बिजली पर चर्चा हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप देखिए मैंने आपको काल नहीं किया है, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इसको आज ही माननीय मंत्रीजी कह दें, सब को पता लग जाएगा राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को पूछना चाहता हूं कि थैफ्ट की डेफिनेशन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को पुकारा है।

श्री मोहन लाल चौहान : थैफ्ट की डेफिनेशन क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नागौर जिले में लो वोल्टेज के कारण ज्यादा एम्पीयर लेते हैं, उनके भी चोरी करने

(श्री मोहन लाल चौहान)

में केस दर्ज करते हैं और किसानों के शीट काट देते हैं। नागौर जिले में किसान ने देसी पम्प मोटर लगा रखी है, उनके चोरी का केस दर्ज करते हैं, शीट भर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : मोहन लालजी, शार्ट में पूछो।

श्री मोहन लाल चौहान : लो वोल्टेज के कारण, किसानों के ज्यादा एम्पीयर लेने के कारण से किसानों के शीट गलत भर रहे हैं, वह चोरी की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। मंत्री महोदय, आप इसमें जांच करवाएं। ऐसे केसेज ज्यादा हैं। चोरी में किसानों की नसबन्दी कर रहे हैं, किसानों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। इस बारे में आप उत्तर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री नगराज।

श्री यशवन्त सिंह (रामू)(नदबई) : अध्यक्ष महोदय, हम भी बैठे हैं, हमारी तरफ भी कृपा करो।

श्री नगराज (लसाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके जो बिजली चोरी के केस 1999 से लेकर 2001 तक एक लाख तक पहुंच गये और उसमें आपने अभी तक किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया? मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि उदयपुर जिले में हमारे वहां पर बिजली चोरी कर रहे हैं कई तरह से, सीधी आंकड़ी डाल करके कर रहे हैं और वह इसलिए कर रहे हैं कि थ्रेशर चलाना, मोटर चलाना, जो छोटे-मोटे उद्योग चला रहे हैं वो इसलिए चला रहे हैं कि उनको कनेक्शन आप लोग देते ही नहीं हो। कनेक्शन नहीं देते हो, तो मजबूरी में वो इस प्रकार से लाइट चोरी करेंगे ही। जो उपभोक्ता है, जो समय पर वाजिब पैसे का भुगतान करता है, आप उनके कनेक्शन काट देते हो।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है। चालू महीने में जब बिल नहीं आया उसके पहले ही मेरे वहां पर कम से कम 50 लोगों के कनेक्शन काट दिए और जो बिजली चोरी कर रहा है उसके लिए कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, यह सारी की सारी मिलीभगत है इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, कौन कर्मचारी सम्मिलित हैं और जो उसमें सम्मिलित हैं, जो मिलीभगत करके बिजली चोरी करते हैं उनको अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए। यह मेरी मंत्री महोदय से शिकायत है। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में पूछिए आप संक्षेप में। श्री आदरामजी।

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : अध्यक्ष्य महोदय, बिजली पर चर्चा हो रही है। रावतसर के चारों तरफ बीच में टिब्बी क्षेत्र रह गया है, उसमें 132 के.वी. का हो। ढाणिया, चक और ग्राम रावतसर लगभग 15000 की बस्ती है, टयूबवैल है वहां 33 के.वी. का ही है तो लोग तो चोरी करेंगे ही जब लोड बढ़ेगा तो मेरा निवेदन है, मंत्रीजी, कि 132 के.वी. का रावतसर में बिजली का जी.एस.एस. करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, इतनी देर से खड़ा हूं, आप सुनते ही नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, मौका ही नहीं दे रहे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (व्यवधान) बीच में नहीं, आप बैठिए पहले। इसके बाद आपकी बारी आएगी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग को कम खर्चे पर...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बता दें कि जो 1999-2000 में बताया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, बीच में नहीं। नहीं, नहीं श्री रतनारामजी।

श्री रामस्वरूप : विशेष श्रेणी वाली घोषणा आज ही करें माननीय मंत्रीजी।

श्री रतनाराम चौधरी : मेरा नाम पुकारा है। अध्यक्ष महोदय ने मेरे को इजाजत दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।

श्री अमराराम (धोद) : आपने आंकड़े बताएं 1999-2000 के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, बैठिए। अंकित नहीं हो। आपको अनुमति नहीं दी, आप यूं कैसे खड़े हो?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी को यह एक सरल तरीका, जो किसानों को लाभ... (व्यवधान)

श्री नाथूराम : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठिए। स्पेसीफिक क्वेश्चन।

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं किसान वर्ग से हूं, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और सभी किसानों की यह पीड़ा है। बिजली विभाग को...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री रतनाराम चौधरी : वन पोल और टू पोल का कनेक्शन अविलम्ब जारी करना चाहिए। एक तो यह है। दूसरा, किसानों

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रतनाराम चौधरी)

का अगर एक महीने का बिल नहीं आता है तो कनेक्शन काट दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप शार्ट में बोलिए।

श्री रतनाराम चौधरी : उद्योगपतियों के करोड़ों रुपये बाकी हैं। उनका कनेक्शन नहीं काटते हैं। उनसे ब्याज सहित वसूली करनी चाहिए। हमारी यह मांग है।

श्री अध्यक्ष : बैठिए। श्री यशवन्त सिंह (रामू)।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो विशेष श्रेणी के कनेक्शन आपने बन्द किए हैं उनको चालू किया जाए।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा): ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : दूसरा मेरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, कि जिन लोगों की गलत बी.सी.आर. भरी गयी है विजिलेंस के द्वारा, जिनके बारे में मैंने आपको और माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र द्वारा अवगत करवा दिया, उनके बारे में कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे? अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक कहावत है कि जिनके घर कनेक्शन हैं वह तो स्विच आफ करके सोते हैं और जिनके घर कनेक्शन नहीं हैं उनके यहां बिटौरा में भी चौबीस घंटे लाइट जल रही है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : विशेष श्रेणी के कनेक्शन चालू करवाएं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी किसान वर्ग से आते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला बृजलाल।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती कमला बृजलाल)

करौली जिले में...(व्यवधान) मंत्री महोदय, जरा सुनने का कष्ट करें। करौली जिले में 1988 की प्राथमिकता चल रही है जबकि अन्य जिलों में 1995 का चल रहा है, तो यह पक्षपात क्यों? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब सरकार बाध्य कर रही है किसानों को चोरी के लिए, उनको उस टाइम के लिए कम से कम टेम्परेरी कनेक्शन की व्यवस्था करनी चाहिए, फसल के टाइम पर कनेक्शन दे दिया जाए तो कोई भी किसान चोरी नहीं करना चाहेगा। तीसरी बात यह है कि अधिकारी किसानों को लूटते हैं, राजस्व की हानि करते हैं, तो ऐसे में किसान क्या करे। अगर उन अधिकारियों को पैसे नहीं देगा तो अपनी फसल कैसे बचा पाएगा। इसलिए सीधा रास्ता है कि अधिकारियों की मिलीभगत है, सीधे राजस्व की हानि करते हैं और किसानों को बराबर लूटते हैं। चौथी बात यह है कि मैं ऐसे क्षेत्र से विधायक हूं जहां डांग क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है और वहां, पहले जैसे सौर ऊर्जा लाइट थी। वहां सब्सिडी इतनी मिलती थी कि करीब 1500 रुपए में आदमी लाइट लगवा सकता था, अपने वहां उजाला कर सकता था। सिंचाई की नहीं खाली जलाने की बात है। अब एक गरीब किसान राडा वाली लाइट के लिए आठ हजार रुपए कैसे खर्च कर सकता है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि गरीब किसानों को यह छूट दें। किसानों को सीजनल कनेक्शन टेम्परेरी के रूप में देने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप खड़े नहीं हो सकते।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष : सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं–नहीं, आप बैठिए। सुश्री मिनाक्षी चन्द्रावत।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। अमरारामजी, आप रोज दस–दस सप्लीमेंटरी पूछते हो। आप बैठिए। सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष : महिलाओं की बारी आने दीजिए।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि यह गांवों की लाइट काट देते हैं जबकि वहां पर पचास-साठ प्रतिशत से भी ज्यादा बिल जमा होते हैं। आज विशेष श्रेणी की घोषणा करें। मंत्रीजी, आज कुछ न कुछ तो घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : वरना ये तो हम सब विधायकों को मार जाएंगे इसलिए आज तो घोषणा करनी ही पड़ेगी इनको आपके माध्यम से।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अध्यक्ष महोदय, आज तो इनमें विशेष श्रेणी की घोषणा करवाएं।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : जब कहेंगे तब ही तो विशेष श्रेणी होगी।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं। बीच में नहीं। रामस्वरूपजी, आप बीस दफा खड़े होते हैं। यह क्या तरीका है?

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप पूछिए।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि 1999 से लेकर 2001 तक जो आपने थैप्ट के आंकड़े दिए हैं उनमें से कितने तो नॉन कंजूमर्स हैं और कितने कंजूमर्स हैं? क्या कंजूमर्स द्वारा एक्स्ट्रा लोड लेने पर उन्हें आप थैफ्ट की योजना में लाते हैं? क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि आपने विभाग के हर अधिकारी को थैप्ट का अलग-अलग कोटा दिया हुआ है इसका कारण है कि यह 1999-2000 पर आपकी पहुंच गयी है और आपने इस थैप्ट का समाधान बताया है। इलैक्ट्रोनिक मीटर लगने के बाद क्या थैप्ट नहीं होगी? यह भी मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि कंजूमर होने के बाद आप उसको थैप्ट की श्रेणी में ले आए हैं और यह किस तरह से वाजिब है?

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री मंगला राम गोदारा।

श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि बी.आर. की वजह से पी.एच.ई.डी. के कनेक्शन रुके हुए हैं और गांवों में भयंकर पानी की समस्या है। बी.आर. की वजह से पी.एच.ई.डी. वाले कहते हैं कि बी.आर. लगा हुआ है, कनेक्शन दे नहीं सकते। बिजली विभाग यही कहता है और

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मंगला राम गोदारा)

एम.एल.ए. कोटे से गवर्नमेंट से टयूबवैल खुदे हुए हैं, ओपन वैल बोरिंग हुए हैं उसके बावजूद भी गांवों में भयंकर पानी की समस्या आ रही है और आने वाले गर्मी में भयंकर समस्या आएगी, ऐसे कई गांव हैं। मेरे यहां बी.आर. की वजह से कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। दूसरा, जो चोरियां हो रही हैं, किसान मजबूरी में चोरी करता है।

श्री अध्यक्ष : गोदाराजी, बैठिए।

श्री मंगला राम गोदारा : जब तक आप सामान्य श्रेणी या विशेष श्रेणी के कनेक्शन नहीं देंगे तब तक किसान चोरी करता रहेगा और विभाग उनसे मिला हुआ है। ये चोरियां चलती रहेंगी। दूसरा, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कनेक्शन जो सामान्य श्रेणी के हैं या विशेष श्रेणी के हैं बगैर मीटर के चालू करें। अगर आप मीटर लगाओगे तो किसान पिट जाएगा और भयंकर तबाह हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मंगला रामजी, संक्षेप में।

श्री मंगला राम गोदारा : इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि कोई श्रेणी चालू करें, बगैर मीटर के करें।

श्री अध्यक्ष : आप ही के पास मदन लालजी वर्मा।

श्री मदन लाल वर्मा (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में बिजली की चोरी को रोकने के लिए किसानों को चार माह के लिए अस्थाई कनेक्शन जारी करते हैं। मध्य प्रदेश में सभी गांवों में यह व्यवस्था है कि 1330 रुपए में तीन हार्स पावर के कनेक्शन चार-चार महीने के लिए जारी करते हैं, तो क्या राजस्थान में भी उसी तरह की आप व्यवस्था करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलालजी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

(12.00 बजे)

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चोरी होने के कारण मैं भी थोड़ा सा बता सकता हूं। यह इलैक्ट्रोनिक मीटर जो लगाए गए हैं उसमें गति ज्यादा चलती है इसलिए वहां चोरी होती है, क्योंकि गति ज्यादा चलने से यह मीटर...

श्री यशवंत सिंह (रामू) : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री शंकरलाल अहारी : आप पुराने जो मीटर लगाते थे वह लगावें। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आप बैठिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री रतनाराम चौधरी : ×××

श्री रतन लाल ताम्बी : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

डा. चन्द्रभान : आपकी इजाजत हो, तो।

श्री अध्यक्ष : आधा मिनट, आधा मिनट।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से यहां माननीय सदस्यों ने सप्लीमैंटरी काफी पूछी हैं। आपने आधा मिनट की इजाजत दी है। मैं आपसे एक मिनट की इजाजत चाहता हूं, केवल एक मिनट।

आपने कहा कि ये लो वोल्टेज और उसमें एम्पीयर ज्यादा निकलते हैं, इसके लिए हमने स्वैच्छिक लोड भार की योजना निकाली थी उसका किसानों को लाभ मिला है और यह जो इक्विपमैंट से चैक करते हैं। उसमें भी हमने कह दिया कि दस हार्स पावर की मोटर यदि बाहर तक बताती है तो उसे थैप्ट का केस नहीं माना जाए।

दूसरी बात बी.आर. की कही है वोल्टेज रेगुलेशन तो तकनीकी दृष्टि से, अध्यक्ष महोदय, रखना पड़ेगा। इसके कारण दो हजार कनेक्शन नहीं दे पाए हैं किसानों को। (व्यवधान) माननीय सदस्य कह रहे हैं कि विद्युत चोरी के लिए जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया गया, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। मैं उनकी सूची इनके पास भेज दूंगा और आगे भी कार्यवाही करेंगे।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने और एक तरह से मैं कहना

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. चन्द्रभान)

चाहूंगा कि पूरे सदन की भावना का सम्मान करते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर रहा हूं और मैं आपको...(व्यवधान) यदि आप यह चाहते हैं कि घोषणा ही करें तो मैं यह घोषणा करता हूं कि मई के महीने में कृषि कनेक्शन के लिए विशेष श्रेणी योजना को पुन: प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

रावत राजपूत जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में नामांकन

466. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को दिनांक 24 नवम्बर, 2001 को भारतीय रावत राजपूत महासभा के अध्यक्ष ने मय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा ज्ञापन देकर निवेदन किया कि पूर्व में दिनांक 6 अगस्त, 1994 को अन्य पिछड़ी जातियों की जो सूची जारी की गई उसकी क्रम संख्या 45 पर रावत जाति के साथ रावत राजपूत जाति सूचक शब्द जोड़ने का निवेदन किया गया? उक्त पर आयोग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ज्ञापन के समर्थन में कई माननीय सदस्यों ने ये प्रमाण पत्र जारी किए हैं कि उनके क्षेत्र में आबाद हजारों की संख्या में रावत जाति को रावत राजपूत जाति के नाम से भी पुकारा जाता है और दोनों एक ही जाति दो नामों से पुकारी जाती है? क्या कारण है कि आयोग द्वारा उक्त रावत जाति के नाम के साथ रावत राजपूत जाति सूचक शब्द अन्य पिछड़ी जाति की सूची में जोड़ने में विलम्ब किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नेशनल कैपिटल टेरीटरी आफ दिल्ली सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने निर्णय दिनांक 18 अप्रैल, 2001 को दिल्ली राज्य क्षेत्र में रावत एवं रावत राजपूत जाति को अन्य पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने का निर्णय उक्त ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया? क्या उक्त एक प्रमाणित आधार है? क्या सरकार उक्त जाति के साथ रावत राजपूत जाति सूचक शब्द जोड़ने में विलम्ब कर रही है?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती समारोह की ग्रंथ माला–19 राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के अमर पुरोधा (राव श्री गोपाल सिंह खरवा)

(श्री हीरासिंह चौहान)

पर प्रकाशित पुस्तक 12 मार्च, 2001 के पृष्ठ संख्या 62 व 63 पर सन् 1947 में जोधपुर के पूर्व महाराजा श्री हनुवन्त सिंह ने रावत राजपूत जाति के गौरवपूर्ण इतिहास को स्मरण करने का उल्लेख किया है? क्या इससे भी रावत जाति के साथ रावत राजपूत जाति नाम से अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के पर्याप्त सबूत नहीं बनते है?

(5) अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सरकार को निर्णय लेने के लिए कब रिपोर्ट प्रेषित की या अब तक ज्ञापन की जांच करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में रावत जाति के साथ रावत राजपूत जाति के सम्मिलित करते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त ज्ञापन आयोग के विचाराधीन है।

(2) ज्ञापनकर्ताओं ने कई माननीय सदस्यों के रावत एवं रावत राजपूत एक ही जाति होने के प्रमाण पत्र एकत्रित कर ज्ञापन के साथ संलग्न किए हैं। आयोग तथ्यों पर गौर कर अपनी राय राज्य सरकार को प्रेषित करता है।

(3) ज्ञापनकर्ताओं ने रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या प्रथम 17, 18 एवं अन्य तीन पृष्ठों की फोटो प्रतियां पेश की हैं।

(4) ज्ञापनकर्ताओं ने किताब की शीर्षक, पृष्ठ, प्राक्कथन पेज 62 एवं 63 की फोटो प्रतियां संलग्न की हैं तथ्य आयोग के विचाराधीन है।

(5) ज्ञापन विचाराधीन है। आयोग द्वारा उचित संस्तुति अपने वार्षिक प्रतिवेदन में अन्य जातियों के ज्ञापनों के संस्तुति के साथ प्रेषित किया जावेगा।

(6) आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार कर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

मीरा महाविद्यालय समिति, संगरिया को अनुदान

467. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देती हैं? यदि हां, तो उक्त के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या संगरिया जिला हनुमानगढ़ की सभी अनुदानित संस्थाओं में नियमानुसार पद भरे जाते हैं? यदि हां, तो प्रारम्भ से अब तक विकलांग एवं अनुसूचित जनजाति के कितने-कितने पद भरे गये हैं? कनिष्ठ लिपिक से लेकर व्याख्याता तक अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री के. सी. विश्नोई)

(3) क्या सरकार उक्त अनुदानित संस्थाओं में आरक्षित कोटे में नियमानुसार पद नहीं भरे जाने पर उक्त संस्थाओं को अनुदान राशि बन्द करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो अब तक किन-किन संस्थाओं को बन्द की हैं। यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि संगरिया मीरा महाविद्यालय समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त व्यक्ति किसी सहकारी समिति एवं सहकारी बैंक के सचिव या व्यवस्थापक भी हैं? यदि हां, तो क्या दोनों पदों पर एक साथ कार्य कर सकते हैं? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था के पूर्व प्राचार्य की नियुक्ति के तुरन्त बाद अचानक त्याग पत्र मांग लिया? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे? क्या सरकार उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने या सी.बी.आई. से जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) उक्त संस्थान में जो भी नियुक्ति की गई है क्या उसका संस्था द्वारा कोई विज्ञापन जारी किया गया है? यदि हां, तो किन-किन पदों हेतु और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के अन्तर्गत निजी शिक्षण संस्था का पैनल निरीक्षण समिति द्वारा की गई अभिशंसा के आधार पर एवं सहायता अनुदान समिति की सिफारिश पर सहायता अनुदान हेतु अनुदान सूची पर लिए जाने की कार्यवाही की जाती है। नियम 11(4) के अनुसार संस्था की सहायता अनुदान समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेगी और अन्तिम रूप से उतनी हो सकेगी जितनी सरकार द्वारा अनुमोदित की जाये और संस्था के अनुमोदित व्यय की 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक हो सकेगी। उक्त मानदण्डों के अतिरिक्त परिशिष्ट "1" पर अंकित नीतिगत निर्देशों का पालन भी किया जाता है।

(2) संगरिया जिला हनुमानगढ़ में प्रारम्भिक शिक्षा की 02 अनुदानित संस्थाएं हैं जिनमें आरक्षण नियमों की पालना की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा की 03 एवं उच्च शिक्षा की 02 अनुदानित संस्थाएं हैं जिनमें आरक्षण नियमों की पालना नहीं की गई है। कनिष्ठ लिपिक से लेकर व्याख्याता तक के पदों का अलग-अलग विवरण परिशिष्ट "2" पर उपलब्ध है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) संस्थाओं को अनुदान सूची पर लेने के बाद जो रिक्तियां हुई हैं उनमें आरक्षण नियमों की पालना की गई है या नहीं इसके लिये माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के अधीन संचालित संस्थाओं की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं। जांच अधिकारियों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के नियम 18 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(4) जी हां। मीरा शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त जैन लीलावती ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के सचिव भी हैं। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता एवं सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम-23 में इस सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है। नियमों में रोक नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(5) जी नहीं। संस्था के पूर्व प्राचार्य श्री रोशन लाल सर्राफ (सेवानिवृत प्राचार्य) ने अपना त्याग पत्र पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दिया है तथा इन्होंने दिनांक 27.12.1993 से 9.5.1995 तक एवं 23.9.1998 से 12.5.2000 तक प्राचार्य के पद पर कार्य किया जिस हेतु कोई अनुदान नहीं दिया है। उक्त प्रकरण में कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

(6) मीरा कन्या महाविद्यालय, संगारिया 1.1.1994 से अनुदान सूची पर आया उसके बाद तीन व्याख्याताओं की नियुक्तियां की गई उनमें संस्था द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इसका विवरण परिशिष्ट ''3'' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पर्यटन विकास निगम के अन्तर्गत कर्टसी के तहत देय सुविधाएं

468. श्री. कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य पर्यटन विकास निगम के तहत ''कर्टसी'' से क्या अभिप्राय है? कर्टसी के तहत मेहमानों एवं मेजबानों के लिए क्या-क्या सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभागीय अधिकारी/कर्मचारी एवं स्वयं माननीय मंत्री महोदय ने कर्टसी के रूप में विभागीय कारों व अन्य सुविधाओं के नाम पर भिन्न-भिन्न मदों में खर्च बताकर [illegible]

(श्री कन्हैया लाल)

का उपयोग किया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन में भोजन व्यवस्था आरम्भ से अन्त तक किस-किस कैटर्स को दी गई और इन्हें कितना-कितना राशि का भुगतान कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त सम्मेलन में भोजन के बिल का एक ही कैटर्स को दो बार भुगतान किया गया? यदि हां, तो कौन से कैटर्स को कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया? कैटर्स द्वारा कितने आदमियों के लिए किस दर पर भोजन व्यवस्था की थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कर्टसी से अभिप्राय नि:शुल्क सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत आवास, भोजन एवं यातायात की सुविधा मुहैया करवायी जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन [illegible]

[illegible]

इसके लिए इन्हें दिनांक 23.9.2000 को सिसोदिया रानी बाग में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा आयोजित भोज व दिनांक 24.9.2000 को राजभवन में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए कुल राशि रुपए 11,17,596/- का भुगतान दिनांक 13.12.2000 को आई.आर.सी. द्वारा किया गया।

इसके अतिरिक्त सिसोदिया रानी बाग में दिनांक 23.9.2000 को आयोजित रात्रि भोज में अतिरिक्त बैठक व्यवस्था, राजस्थानी शैली में भोजन की अतिरिक्त व्यवस्थाओं एवं एक्सेस मीनू आइटम हेतु रुपए 2,95,397/- का भुगतान मैसर्स ज्ञानजी स्वीट कैटर्स, जयपुर को दिनांक 9.2.2001 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने किया।

मैसर्स रोमा कैटर्स को सेवा कर्मियों के खाने के पैकेट्स के लिए 22,000.00 रुपए का भुगतान किया गया।

(4) जी हां। भुगतान का विवरण प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में अंकित है। कैटर्स द्वारा 3252 व्यक्तियों के लिए 220/- प्रति व्यक्ति (कर अतिरिक्त) की दर से व्यवस्था की तथा समस्त उपर्युक्त वर्णित अतिरिक्त व्यवस्थाओं के लिए 1077 व्यक्तियों के लिए 130/- प्रति व्यक्ति (कर अतिरिक्त) तथा 2175 व्यक्तियों के लिए 60/- प्रति व्यक्ति (कर [illegible] की गई।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला धौलपुर के शिक्षित बेरोजगारों को स्वीकृत ऋण

873. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर में वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक कुल कितने शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत ऋण में से कितने बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराया गया?

(3) क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र से ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् भी शिक्षित बेरोजगारों को बैंकों से ऋण नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत जिला धौलपुर में वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक 959 युवाओं को ऋण स्वीकृत करवाया गया है, वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	ऋण स्वीकृत संस्था
1999-2000	295
2000-2001	333
2001-2002 (फरवरी, 02 तक)	331
योग	959

(2) उक्त स्वीकृत ऋण में से फरवरी, 2002 तक 582 युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाया गया है।

जी नहीं। जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है वरन जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा युवाओं का साक्षात्कार कर चयनित किया जाता है, तथा उनकी प्रोजेक्ट के अनुरूप बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु अभिशंसा की जाती है। बैंक द्वारा प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाता है। ऋण स्वीकृति के पश्चात् जिला उद्योग केन्द्र द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है एवं प्रशिक्षण पश्चात् बैंको द्वारा ऋण वितरित किया जाता है।

(3) राजस्थान में इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष में 74 प्रतिशत युवाओं को ऋण वितरित किया गया था। कुछ आवेदकों द्वारा बैंकों की औपचारिकताओं यथा किरायानामा, सिक्योरिटी, मशीनों के कोटेशन तथा बिजली के कनेक्शन आदि में प्रभावी कदम नहीं उठाने के कारण ऋण का वितरण नहीं हो पाता है।

प्रश्न संख्या-874

(स्थगित)

राजस्थान हाथकर्घा विकास निगम के कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान

875. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान हाथकर्घा विकास निगम घाटे में चल रहा है? यदि हां, तो कब से और घाटे के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान हाथकर्घा विकास निगम में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या लगभग एक वर्ष से उनको वेतन नहीं दिया गया है?

(3) क्या सरकार हाथकर्घा विकास निगम की व्यवस्थाओं को सुधार कर उसे घाटे से उबारने का विचार रखती है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1985-86 से निगम निरन्तर घाटे में चल रहा है। घाटे के मुख्य कारण निम्नप्रकार है :-

1. ओवर स्टाफिंग
2. कार्यशील पूंजी की कमी
3. प्रोसेस हाउस की अनार्थिक संचालन
4. केन्द्र/राज्य सरकारों से विभिन्न मदों में स्वीकृत राशियां समय पर एवं शत-प्रतिशत न मिल पाना
5. राजकीय विभागों द्वारा हाथकरघा वस्त्रों की खरीद में कमी
6. हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री में विकसित क्षेत्रों जैसे मिलों एवं पावरलूम वस्त्रों में प्रतिस्पर्धा

(2) वर्तमान में निगम में कुल 220 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, इनमें दो अधिकारी प्रतिनियुक्ति के भी शामिल है। निगम मुख्यालय के कार्मिकों को गत चार माह से एवं निगम की विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों के 30 कार्मिकों के लगभग एक वर्ष से वेतन बकाया है।

(3) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों के पुनर्गठन, सशक्तिकरण एवं विनिवेशन एवं औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में श्री राजसिंह निर्माण समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

इन्दिरा गांधी स्टेडियम जैसलमेर का खेल छात्रावास का पुनर्संचालन

876. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998-99 में जैसलमेर के इन्दिरा गांधी स्टेडियम में खेल छात्रावास प्रारम्भ किया गया था?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास हेतु भवन निर्माण करवाया गया?

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों से उक्त छात्रावास बन्द है यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु खेलों के कोचों के पद रिक्त हैं?

(5) क्या सरकार उक्त खेल छात्रावास को पुनः प्रारम्भ करने तथा कोचों के पद भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् ने अपने स्तर पर छात्रावास प्रारम्भ किया था तथा परिषद् ने वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण स्वयं ही इस छात्रावास को बन्द किया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। संसाधनों के अभाव के कारण वित्तीय वर्ष 2000-2001 से छात्रावास बन्द है।

(4) जी नहीं। क्रीड़ा परिषद् में कोचों की जिलेवार स्वीकृति न होकर पूरे राज्य के लिए है। आवश्यकतानुसार कोचों को जिलों में पदस्थापित किया जाता है।

(5) खेल छात्रावास पुनः प्रारम्भ करने की योजना विचाराधीन है।

जिला बांसवाड़ा में विचाराधीन खेल स्टेडियम निर्माण कार्य

877. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बांसवाड़ा में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है?

(2) उक्त प्रस्तावित खेल स्टेडियम का स्थान कौनसा है एवं स्टेडियम निर्माण की अनुमानित लागत क्या है?

(3) क्या सरकार उक्त खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बांसवाड़ा में खेल स्टेडियम का निर्माण राजकीय महाविद्यालय के सामने स्थित भूमि पर निर्माणाधीन है।

स्टेडियम निर्माण हेतु वर्ष 1993 में 40.00 लाख के संशोधित व्यय अनुमान तैयार किए गये थे। जिला कलक्टर को संशोधित परियोजना एवं अनुमान तैयार करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। बजट उपलब्धता पर स्टेडियम निर्माण हेतु राशि आवंटित करने पर विचार किया जा सकेगा।

पंचायत समिति, जवाजा (अजमेर) में संचालित गांधी ग्राम योजना

878. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंचायत समिति जवाजा (अजमेर) के किसी ग्राम पंचायत में गांधी ग्राम नामक कोई योजना का संचालन हो रहा है? यदि हां, तो उक्त योजना का उद्देश्य एवं गतिविधियां क्या-क्या हैं तथा कितने विभाग इससे सम्बन्धित हैं?

(2) उक्त ग्राम में अब तक गांधी ग्राम योजना के तहत क्या-क्या कार्यवाही हुई है और क्या-क्या प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, जवाजा (अजमेर) की ग्राम पंचायत, कोटड़ा के ग्राम बाडियामोटा में गांधी ग्राम नामक योजना का संचालन को रहा है। उक्त योजना का उद्देश्य सम्पूर्ण जनसहभागिता के आधार पर जलग्रहण विकास तथा अन्य सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के समन्वित क्रियान्वयन के माध्यम से ग्राम को सर्वोतोमुखी ग्रामीण विकास के आदर्श के रूप में विकसित करना है। गांधी ग्राम योजना की गतिविधियों में ग्राम में जलग्रहण विकास कार्य तथा अन्य विभागों की कल्याणकारी योजनाएं संचालित किया जाना है। 23 विभाग इससे सम्बन्धित है।

(2) उक्त ग्राम में अब तक गांधीग्राम योजना के तहत गांधी ग्राम का चयन, पंचसूत्रों का पालन, जलग्रहण क्षेत्र की स्वीकृति एवं सचालन, संस्थागत व्यवस्थाएं, मण्डलों का गठन तथा सामाजिक आर्थिक विकास हेतु दस प्राथमिकताओं के चयन की कार्यवाही की गई है। गांधी ग्राम में उक्तानुसार ही कार्यवाही कर समन्वित क्रियान्वयन के माध्यम से ग्राम को सर्वोतोमुखी ग्रामीण विकास के आदर्श के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न संख्या-879
(स्थगित)

पंचायत समितिवार परिवार नियोजन

880. श्री रामलाल जाट (बनेड़ा): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में वर्ष 1991 में पंचायत समितिवार कुल कितने परिवार नियोजन किये गये और वर्ष 2001 में पंचायत समितिवार कुल कितने परिवार नियोजन किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में वर्ष 1991 एवं 2001 में किये गये परिवार नियोजन की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कार्यरत चिकित्सकों में महिला चिकित्सकों का प्रतिशत

881. श्री रामलाल जाट (बनेड़ा): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्तमान में पंचायत समितिवार कुल चिकित्सक कितने हैं तथा उक्त में महिला चिकित्सक कितनी हैं?

उत्तर

पंचायत समितिवार कार्यरत कुल चिकित्सकों एवं उनमें से महिला चिकित्सकों की संख्या का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम सिरियारी (पाली) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

882. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सिरियारी (पाली) में आचार्य भिक्षुक समाधि स्थल होने की वजह से लाखों व्यक्ति हर वर्ष आते हैं तथा कई व्यक्ति महीनों तक वहीं अराधना करते हैं? क्या वर्ष 2004 में आचार्य महाप्रज्ञ जी का बहुत ही बड़ा चतुर्मास भी होने जा रहा है? यदि हां, तो क्या वहां हमेशा की भांति लाखों व्यक्तियों का आना-जाना रहेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि सिरियारी में चिकित्सा विभाग का उपकेन्द्र ही संचालित है? क्या उक्त परिस्थितियों में उक्त केन्द्र पर्याप्त रहेगा? क्या सरकार उक्त में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या प्रथम श्रेणी कम्पाउण्डर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आचार्य महाप्रज्ञ जी के वर्ष 2004 में चतुर्मास होने की विभाग को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां। ग्राम सिरियारी में वर्ष 2004 में आचार्य महाप्रज्ञ जी के चतुर्मास की सूचना प्राप्त होने पर चिकित्सा सुविधा की समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2002-2003 में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य उपकेन्द्रों के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्र सिरियारी को भी उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किए जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा के चिकित्सकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

883. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोपाराम मेघवाल)

(1) राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा में विभिन्न श्रेणी के कुल कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं एवं उक्त पदों पर कौन-कौन कब-कब से चिकित्सक कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लम्बे अर्से से कार्यरत चिकित्सकों का व्यवहार जनता एवं रोगियों के प्रति ठीक नही है? क्या जनता द्वारा उक्त के विरुद्ध कई बार शिकायतें भी राज्य सरकार को प्राप्त हुई? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय नाहटा चिकित्सालय, प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, बालोतरा में विभिन्न श्रेणी के चिकित्सकों के स्वीकृत पद संख्या एवं उन पदों पर कार्यरत चिकित्सकों के नाम मय पदस्थापन की समय अवधि सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) पदस्थापित चिकित्सक के विरुद्ध जनता एवं रोगियों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं होने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट -2 देखें)

जगतपुरा-सांगानेर (जयपुर) की दुकानों/होटलों में मिलावट की जांच

884. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर एवं नगर निगम सीमा में वर्ष 2001 से फरवरी 2002 तक कितनी दुकानों/होटलों/रेस्टोरेंटों की खाद्य वस्तुओं एवं पेय पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में अभियान चलाये गये? उक्त में से कितनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जगतपुरा-सांगानेर (जयपुर) में वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 तक इस तरह का अभियान चलाया गया था? यदि हां, तो कब-कब उक्त में कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जगतपुरा में ऐसे दुकानों/होटलों एवं रेस्टोरेंटों के विरुद्ध अभियान चलाने का विचार रखती है जो उक्त क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं में एवं पेय पदार्थों व घी, तेल मसालों आदि में मिलावट करके बेचते हैं?

(4) क्या सरकार जगतपुरा में ऐसे मिष्ठान भण्डार एवं हलवाइयों की दुकानों की भी सघन अभियान चलाकर जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जयपुर शहर एवं नगर निगम सीमा में जनवरी, 2001 से फरवरी, 2002 तक खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत विभाग में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर 13 अभियान चलाए गये। मिलावट का संदेह होने पर 199 नमूने विभिन्न खाद्य/पेय पदार्थों के लिये जिसमें से 58 नमूने मिलावटी पाए गये।

पी.एफ.ए. एक्ट में व्यापारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

उक्त अवधि में विभाग के अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा मिलावटियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में 14 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दर्ज प्राथमिकी की सूची संलग्न है। परिशिष्ट "अ"

(2) जी हां। जगतपुरा-सांगानेर (जयपुर) क्षेत्र में वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 तक सामान्य जांच के साथ-साथ विभाग द्वारा 13 बार विशेष अभियान चलाए गये। उक्त अवधि में उक्त क्षेत्र में 28 नमूने जांच हेतु किए गये। जिनमें से 07 नमूने मिलावटी पाए गये जिनके विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (चलाये गये अभियानों की तिथि व मिलावटी पाये गये नमूनों की सूची संलग्न है) परिशिष्ट "ब"

(3) जी हां। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार विभाग में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों की जांच की जाती है एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अभियान भी चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं। उक्त क्षेत्र में खाद्य वस्तु पेय पदार्थ एवं घी, तेल मसालों में मिलावट कर बेचने की कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है।

(4) जी हां। पी.एफ.ए. एक्ट में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप जगतपुरा क्षेत्र में मिष्ठान भण्डार व हलवाइयों की दुकानों की समय-समय पर जांच की जाती है एवं समय-समय पर अभियान चलाकर भी खाद्य पदार्थ के नमूने लिए जाते हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

महुवा (दौसा) का डुप्लीकेट लाइसेंस हेतु लम्बित आवेदन पत्र

885. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) एवं **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या विमल मेडिकल स्टोर, महुवा, [illegible] प्लाट नम्बर 453/453ए ने [illegible] 20 और 21

(डा. किरोड़ी लाल)

जारी करवाने हेतु दिनांक 12.3.2001 को औषधि नियंत्रक राजस्थान के यहां आवेदन किया था और उक्त हेतु निर्धारित फीस बारह रुपये चालान द्वारा निर्धारित मद में 17.2.2001 जमा कराई थी? यदि हां, तो अब तक डुप्लीकेट लाइसेंस की प्रति जारी क्यों नहीं हुई तथा अब सरकार कब तक डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने का विचार रखती है?

उत्तर

जी नहीं। मैसर्स विमल मेडिकल स्टोर, महुवा, जिला दौसा ने डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने के लिए सम्बन्धित सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर को आवेदन किया था उक्त फर्म को डुप्लीकेट लाइसेंस जारी कर दिए गए है।

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के भवन विहीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र

886. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में कितने भवन रहित स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति गढ़ी के हिम्मत सिंह का गढ़ा (ग्राम पंचायत आमोड़ा) पिछोड़ा बड़ा (ग्राम पंचायत सम्पाड़ा) एवं पंचायत समिति तलवाड़ा के सेवना भवन रहित स्वास्थ्य उपकेन्द्र है?

(3) क्या सरकार उक्त केन्द्रों के लिए भवन बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में भवन रहित उप-स्वास्थ्य केन्द्र का विवरण निम्नप्रकार है :-

पंचायत समिति	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम
गढ़ी	अखेमानजी का गढ़ा
गढ़ी	पिछोड़ा बड़ा
गढ़ी	हिम्मत सिंह का गढ़ा
तलवाड़ा	पिपलवा
तलवाड़ा	सेवना

(2) जी हां।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कराए जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उक्त भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में लम्बे अर्से से पदस्थापित कर्मी

887. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमराराम चौधरी)

सवाइमानसिंह चिकित्सालय जयपुर में कितने चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ ऐसा है जो 10 वर्षों से भी अधिक समय से एक ही अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं?

उत्तर

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से 5 चिकित्सक, 1 नर्सिंग अधीक्षक-II, 94 नर्स श्रेणी-प्रथम, 197 कर्मचारी नर्सिंग ग्रेड-द्वितीय के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। (सूची संलग्न है)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रश्न संख्या–888

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के चिकित्सालयों में रिक्त पद

889. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के राजकीय चिकित्सालयों में कितने चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के पद स्वीकृत हैं?

(2) वर्तमान में उक्त में से कितने कर्मी कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त है? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के अन्तर्गत आने वाले राजकीय चिकित्सालयों में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में उक्त में से कितने कर्मी कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं की सूचना प्रश्न के भाग एक के साथ परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

जी हां। सीधी भर्ती वाले नर्स श्रेणी द्वितीय, वाहन चालक, कनिष्ठ लिपिक, लैब टैक्नीशियन एवं स्वीपर के रिक्त पद को भरने की समुचित स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

राज्य सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(2) कार्मिक/क2/अ.प्र.91 दिनांक 10.1.2002 के द्वारा किसी भी पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित है। इसमें शिथिलता मिलने पर कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ बहुद्देशीय कार्यकर्ता के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

विधान सभा क्षेत्र देसूरी के चिकित्सालय की भूमि पर अतिक्रमण

890. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि देसूरी चिकित्सालय के पोस्टमार्टम कक्ष की भूमि पर अनधिकृत कब्जा है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर पाली के निर्देशों के पश्चात् भी उक्त सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है?

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाकर भूमि चिकित्सालय को दिलाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों, और हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला कलक्टर, पाली को जांच के निर्देश दिए जा रहे हैं।

(2) जिला कलक्टर, पाली को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जा रहे हैं।

(3) जिलाधीश पाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनरल अस्पताल जालौर में रिक्त पद

891. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जालौर जनरल अस्पताल में वरिष्ठ/कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारियों के कितने-कितने पद स्वीकृत है?

(2) उक्त पदों में से कौन-कौन, किस-किस पद पर कार्यरत हैं?

(3) उक्त अस्पताल में वरिष्ठ/कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारियों के कितने-कितने पद रिक्त हैं?

(4) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामान्य चिकित्सालय जालौर में वरिष्ठ विशेषज्ञ 6, कनिष्ठ विशेषज्ञ 9, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 4, चिकित्सा अधिकारी के 13 पद स्वीकृत है।

(2) उक्त पदों में से कार्यरत चिकित्सकों की पदवार एवं नामवार सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) सामान्य चिकित्सालय जालौर में वरिष्ठ विशेषज्ञ 5, कनिष्ठ विशेषज्ञ 2,

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 2 एवं चिकित्सा अधिकारियों के 5 पद रिक्त हैं।

(4) जी हां। राज्य सरकार कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश क्रमांक प.5 (2) कार्मिक/क–2/अ.प्र./91 दिनांक 10.1.2002 के द्वारा किसी भी पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित है इसमें शिथिलता मिलने पर पदोन्नति से भरे जाने वाले वरिष्ठ विशेषज्ञ कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त तथा चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

राज्य के निजी चिकित्सालयों को नेत्र प्रत्यारोपण करने की स्वीकृति

892. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कितने व्यक्ति नेत्रहीन हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नेत्रहीनों को नेत्र प्रदान करने के लिए कारनिया ट्रांसप्लांटेशन (नेत्र प्रत्यारोपण) की सुविधा किन-किन सरकारी अथवा गैर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है और निकट भविष्य में कहां-कहां कब तक उपलब्ध हो जायेगी?

(3) क्या निजी चिकित्सालयों के चिकित्सक मृत व्यक्ति के नेत्र निकालने व नेत्रहीन को प्रत्यारोपण के लिए विधि मान्य है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार भविष्य में इन्हें अधिकृत करने की कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है?

(4) मृत्यु उपरान्त नेत्रदान प्रोत्साहन के लिए सरकारी स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या प्रचार प्रसार किया जा रहा है? क्या कोई संकल्प प्रपत्र भराये जाकर उनका पंजीकरण किया जा रहा है? प्रचार सामग्री, संकल्प पत्र व पंजीकरण पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) मृत्यु के बाद नेत्र दान संकल्प प्रपत्र भरकर घोषणा करने वाले को कोई गले में डालने के लिए पैंडिल प्रदान करने की योजना है ताकि आकस्मिक या दुर्घटना के समय उसके आधार पर उसके नेत्र निकाले जा सके तथा आवश्यक दिशा निर्देश सहित कोई पंजीकरण कार्ड प्रदान किया जा सके?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 में किए गये सर्वे के मुताबिक

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

देश में अन्धता की प्रिवेलेंस रेट 1.27 है। इसके मुताबिक प्रदेश में तकरीबन 7.1 लाख रोगी मोतियाबिन्द के कारण अन्धता से पीड़ित हैं।

(2) मेडिकल कालेज, जयपुर/अजमेर/ जोधपुर/बीकानेर एवं उदयपुर के नेत्र विभाग में कारनिया ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा उपलब्ध है। चूंकि किसी भी निजी नेत्र चिकित्सालय खोलने/पंजीयन के लिए वर्तमान में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अतः गैर सरकारी अस्पतालों को वित्तीय संसाधनों में सुधार पश्चात् इन सेवाओं का विस्तार सम्भव होगा।

(3) कोई भी प्रशिक्षित नेत्र विशेषज्ञ (एम.एस. आप्थलमोलोजी) मरणोपरान्त नेत्र निकालने के लिए सक्षम है। परन्तु नेत्र पटल प्रत्यारोपण केवल वही चिकित्सक कर सकता है जिसने इस कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण लिया हो।

(4) सरकारी स्तर पर आई.ई.सी. के माध्यम से जैसे पोस्टर, दूरदर्शन पर विज्ञापन, रेडियो परिचर्चा, समाचार पत्रों में लेख, प्रदर्शनी आयोजन, सतत् स्वास्थ्य शिक्षा, ग्रीफ काउंसलिंग, बुकलेट, पैम्फलेट इत्यादि द्वारा प्रचार प्रसार कर जनमानस को नेत्रदान हेतु प्रेरित करने के प्रयास किये जाते हैं। प्रत्येक नेत्रदान करने वाले व्यक्ति से संकल्प प्रपत्र भरवाया जाता है। जिनका संधारण किया जाता है (प्रचार सामग्री संकल्प प्रपत्र, पंजीयन कार्ड की प्रति संलग्न है)

(5) मृत्यु उपरान्त नेत्रदान संकल्प घोषणा करने वाले व्यक्ति को नेत्रदान कार्ड अपने पास रखने हेतु दिया जाता है। जिस पर पंजीयन संख्या, दिनांक, नाम, आयु, पता, फोन नम्बर, ब्लडग्रुप आदि का विवरण अंकित होता है इसी कार्ड पर आवश्यक निर्देश भी अंकित होता है (प्रति संलग्न हेतु)

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर के नर्सिंग कर्मियों की विभागीय जांच

893. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर से राज्य कर्मचारी हड़ताल 2000 में बर्खास्त नर्सिंग कर्मियों की विभागीय जांच हुई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभागीय जांच में सभी बर्खास्त कर्मचारी दोषी पाए गये? यदि

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नहीं, तो निर्दोष नर्सिंग कर्मियों को बर्खास्त क्यों किया गया था?

(3) उक्त बर्खास्तगी के दौरान के वेतन का क्या होगा?

(4) उक्त निर्दोष कर्मियों की वार्षिक वेतन वृद्धियां क्यों रोकी गई? उन्हें अभी तक वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ क्यों नहीं मिला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या गलत सूचना देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य कर्मचारियों ही हड़ताल 2000 को राज्य आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत आवश्यक सेवाएं घोषित किए जाने एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक.एफ. 20(2) गृह-9/88 दिनांक 16.1.2000 द्वारा कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध घोषित किए जाने के बाद भी कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने, रोगियों की परिचर्या/अत्यावश्यक चिकित्सा नहीं करने अन्य राज्य कर्मचारियों को उकसाने, हड़ताल के दौरान ड्यूटी पर आ रहे कर्मचारियों को रोकने, मारपीट करने के आरोप में अनुशासनिक प्राधिकारी को यह समाधान हो गया कि उक्त दूराचरण की प्रवृति एवं आम हड़ताल को दृष्टिगत नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में विस्तृत जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य एवं व्यवहारिक नहीं होने के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परन्तुक एवं सी.सी.ए. नियमों के नियम 19(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त राज्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया।

हड़ताल समाप्ति के उपरान्त उक्त बर्खास्त कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार को अपील करने पर सदाशयं का रुख अपनाते हुए उक्त बर्खास्त कर्मचारियों की अपील स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 10.3.2000 एवं 20.7.2000 द्वारा सेवा में पुनः बहाल कर दिया गया है।

बर्खास्त कर्मचारियों के प्रत्येक प्रकरण की जांच करने के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला बनता है या नहीं, यह प्रक्रियाधीन है जिसे दो महीने में पूर्णकर लिया जाएगा व उसके पश्चात् ही उक्त अवधि के वेतन के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(3) वेतन वृद्धि या रोके जाने के कारण का उल्लेख प्रश्न के भाग 2 में कर दिया गया है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(4) बर्खास्त कर्मचारियों के बर्खास्तगी की अवधि का नियमन नहीं होने के कारण उन्हें वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई।

(5) अधिकारियों द्वारा गलत सूचना देने सम्बन्धित कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों का बकाया भुगतान

894. **श्री सांवर लाल** (भिनाय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन् 1998 के बाद राज्य सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किस-किस जिले में कितना व्यय किस-किस प्रकार के कार्यों पर किया गया तथा उक्त राशि किस-किस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी है?

(2) क्या सभी कार्यों का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो कितना भुगतान करना शेष है? इन्हें कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) सन् 1998 के बाद राज्य सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में सड़कों, भवनों व पुलों के कार्यों पर किया गया जिलेवार व्यय परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है तथा उक्त राशि राज्य योजना (भवन व सड़क), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केन्द्रीय सड़क निधि, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, गैर आयोजना, डिपोजिट कार्य, अकाल राहत कार्य आदि के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है।

(2) जी नहीं। लगभग 820.65 लाख रुपए का भुगतान करना शेष है तथा इनका भुगतान धन की उपलब्धता पर कर दिया जाएगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की पंचायत मुख्यालयों का डामरीकरण

895. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) में कौन-कौन सा पंचायत मुख्यालय डामरीकृत सड़क से जुड़ने से वंचित है? उक्त को कब तक डामरीकृत सड़क से जोड़ दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में किस-किस प्रकार की कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण

(डा. रतन लाल जाट)

कराया गया तथा सड़कों से वंचित गांवों के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं और इनको कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर एक हजार की आबादी वाले कितने गांव डामरीकृत सड़क से वंचित हैं इनको सड़क से अब कब तक जोड़ दिया जाएगा?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कौन-कौनसी सड़कों के कार्य स्वीकृत हैं, कितने काम चल रहे हैं तथा इनको कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पांच पंचायत मुख्यालय डामर की सड़क से नहीं जुड़े हुए है जो निम्नानुसार है:-

(1) उम्मेदपुरा (2) खाखरमाता (3) बागड़ (4) नारायणखेड़ा (5) गणेशपुरा

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत इन सभी पंचायत मुख्यालयों को वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है।

(2) गत पांच वर्षों में एम.एन.पी., बी.एम.एस.पी., नाबार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जिन सड़कों का निर्माण कराया गया उनकी सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। सड़कों से वंचित गांवों में से 500 व अधिक आबादी के गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बारहमासी सड़कों से जोड़ना जनसंख्या 2001 के आधार पर 1000 व अधिक आबादी के गांवों को 2003 तक प्रस्तावित है। जिनकी सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है। 500 से 999 तक की आबादी के गांवों को 2007 तक सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है जिनकी सूची परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है। सड़क से नहीं जुड़े पंचायत मुख्यालयों को भी इस योजना के अन्तर्गत 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है। 500 से कम आबादी वाले अन्य गांव वर्तमान में इस योजनान्तर्गत जोड़ने का लक्ष्य नहीं है।

(3) वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर 1000 व अधिक के कुल 2 गांव डामर सड़क से जुड़ने से वंचित है। (1) गलवड़ी (2) चारोठ गांव चारोठ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है तथा अक्टूबर, 2002 तक डामर से जोड़ने की सम्भावना है तथा गलवड़ी के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 59.36 लाख के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे जा चुके है। स्वीकृति प्राप्त होने पर इसे डामर सड़क से जोड़ा जाना सम्भव होगा।

(4) प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत इस विधान सभा में 4 कार्य स्वीकृत हुए जो निम्नानुसार है :-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(1) लाखोला भरक (2) लाखोला अर्निया (3) कोशीथल गलवा (4) सम्पर्क सड़क चारोठ

इनमें से प्रथम 3 कार्य वर्ष 2001-2002 में पूर्ण किये जा चुके है एवं सम्पर्क सड़क चारोठ का कार्य प्रगति पर है जिसे अक्टूबर 2002 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

सड़क निर्माण के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति

896. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वर्ष 1999-2000 में सड़कों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य रखा था? यदि हां, तो कितने किलोमीटर सड़कें निर्माण कराई जानी थीं व उसके लिये कितनी राशि का प्रावधान बजट में रखा गया था?

(2) उक्त वर्ष में कितनी किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य हुआ?

(3) क्या उक्त में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये उसकी उपलब्धि व बजट राशि का उपयोग हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 1350 किलोमीटर सड़कें निर्माण कराई जानी थी व उसके लिए 134.67 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में रखा गया था।

(2) उक्त वर्ष में 442 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ।

(3) जी नहीं। कुल बजट आबंटन राशि तक का उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि बजट में कटौती कर दी गयी इस कारण पूर्ण उपलब्धि नहीं हो पाई।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में जोगणिया माता के घाटे की प्रस्तावित सड़क

897. श्री घनश्याम जैन (बेगूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं में ठुकराई से मेनाल सड़क पर जोगणिया माता का घाटा है? क्या उक्त घाटे की सड़क की चौड़ाई कम होने व चढ़ाई सीधी होने व घुमाव कम होने की वजह से उक्त में आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं?

(2) क्या सरकार उक्त घाटे को चौड़ा करने व चढ़ाई कम करने व घुमाव

(श्री घनश्याम जैन)

बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना बजट इस हेतु इस वर्ष दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार इसे ठीक करने पर विचार किया जावेगा।

इटावा (कोटा) का विचाराधीन बाईपास

898. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या इटावा जिला कोटा में बाईपास बनाने के लिए बी.ओ.टी. स्कीम में प्रस्ताव तैयार किये गये हैं?

(2) उक्त बाईपास को स्वीकृत करने के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार उक्त बाईपास की स्वीकृति देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसको निरस्त किया जा चुका है।

(3) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र अटरू, छबड़ा एवं हिण्डौली के स्वीकृत अपूर्ण कार्य

899. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू व छबड़ा तथा हिण्डौली में वर्ष 2001-2002 में कौन-कौनसी सड़कों/नाली/पुलिया का कार्य करवाया गया?

(2) उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई कितनी राशि बकाया है और कार्य कब तक पूरे करवाये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्रों में उक्त अवधि में किन-किन मार्गों पर पेच वर्क करवाया गया और कितनी राशि व्यय की गई है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू व छबड़ा तथा हिण्डोली में वर्ष 2001-2002 में करवाये गये सड़क/नाली व पुलिया के कार्यों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(2) व्यय राशि का विवरण, बकाया राशि तथा कार्य कब तक पूर्ण करवाए जाएंगे का विवरण उपरोक्तानुसार परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिन सड़कों पर पेच रिपेयर करवाए गए हैं व व्यय राशि विवरण परिशिष्ट ''ब'' में संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के विचाराधीन कार्य

900. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के करवाये गये हैं और कौन-कौनसे कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं?

(2) वर्तमान में सरकार द्वारा कौन-कौनसे कार्य कहां-कहां पर चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां द्वारा वर्ष 2001-2002 में कराए गये कार्यों का विवरण संलग्न प्रपत्र ''अ'' में संलग्न है एवं प्रस्तावित कार्यों का विवरण प्रपत्र ''ब'' में संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में जो कार्य चल रहे है उन कार्यों का विवरण प्रपत्र ''अ'' में संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के ग्रामों की सम्पर्क सड़कें

901. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत किन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना था? उक्त में से कितने ग्रामों को सम्पर्क सड़क से जोड़ा जा चुका है?

(2) उक्त योजना में कौन-कौनसी सम्पर्क सड़कें पूर्ण/अपूर्ण हैं? उक्त सड़कें कब तक पूर्ण हो जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिन गांवों को जोड़ा जाना था उनकी सूची प्रपत्र ''अ'' में संलग्न है। उक्त योजना के तहत अभी तक किसी भी गांव को नहीं जोड़ा गया है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) उक्त योजना में पूर्ण-अपूर्ण सड़कों का विवरण प्रपत्र ''ब'' में संलग्न है व कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि सड़क के नाम के सामने अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की टोरडा ब्राह्मणान से तुलसीपुरा सड़क निर्माण

902. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कौन-कौनसे ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़े गये हैं तथा कौन-कौन से ग्राम वर्ष 2002-2003 में जोड़े जाने की योजना है?

(2) क्या सरकार ग्राम टोरडा ब्राह्मणान को तुलसीपुरा तक सड़क बनाकर जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पांच गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़े गये हैं :-

(1) फतेहपुरा कलां (2) खेड़की मुक्कड़ (3) खेड़की वीरभान (4) खुर्दी (5) अभाई कोट, तथा निम्न चार गांवों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

(1) बीठलोदा-वाया सुजान नगर (2) जीनगौर (3) दादूका (4) रूपपुरा

वर्ष 2002-2003 में निम्न तीन गांवों को सड़कों से जोड़े जाने की योजना है।

(1) रघुनाथपुरा (2) कायमपुरवास (3) करवास

(2) जी नहीं। ग्राम टोरडा ब्राह्मण को जोड़ने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-II पैकेज संख्या आर.जे. 16-012 में शामिल किया हुआ है लेकिन यह गांव ठीकरिया से जोड़ा जाना है। रोड इंडेक्स गणना के अनुसार इस गांव को तुलसीपुरा से जोड़ा जाना उपयुक्त नहीं पाया गया है।

विधान सभा क्षेत्र टिब्बी की अपूर्ण सड़कें

903. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में वर्ष 2001-2002 में किस-किस सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम थालड़का से मसीतो वाली सड़क का डामरीकरण कर दिया गया है? उक्त सड़क के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई और उक्त में से कितनी व्यय की गई? उक्त सड़क बनाने में जो सामग्री

(श्री आदराम मेघवाल)

उपयोग में ली गई है उसका क्या अनुपात था? रोडी और डामर किस कम्पनी का था? उक्त द्वारा प्रस्तुत बिल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क की पूरी रोडी बिखर गई है व सड़क में गढ्डे पड़ गये हैं और आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं?

(4) क्या उक्त सम्बन्ध में निविदा स्वीकृत उक्त सड़क निर्माण के लिये हुई? यदि नहीं, तो उक्त सम्बन्ध में कौन जिम्मेदार है? क्या इस सम्बन्ध में ठेकेदार को इस सड़क का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त कार्य पुनः कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या उक्त ठेकेदार को सरकार उक्त अनियमितता के लिये दोषी मानते हुये ब्लैक लिस्ट करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 में टिब्बी विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़कों का डामरीकरण आर.यू.पी. के तहत किया जा रहा है।

(क) टिब्बी-चाइयां सड़क किमी.0/0 से 8/0 एवं किमी. 10/0 से 12/0

(ख) टिब्बी-चाइयां सड़क किमी. 28/0 से 33/400

(ग) संगरिया टिब्बी सड़क किमी. 10/0 से 14/0 व 17/0 से 19/700

(घ) रावतसर से भांखरावाली चक अमीन की ढाणी किमी. 3/0 से 5/0 (सम्पर्क सड़क 10 के.डब्ल्यू.डी.)

(ड़) टिब्बी-ऐलनाबाद सड़क किमी. 7/500 से 12/500 (हरियाणा बार्डर तक)

(च) नोहर-ऐलनाबाद सड़क किमी 1/0 से 3/0

नोट :- क्रम सं. 1(क) से (ग) का कार्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा व (घ) से (च) तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। इसके अलावा थालड़का-मुण्डा सड़क का 20 किमी. (0/0 से 20/0) का डामरीकरण सी.आर.एफ. के तहत किया जा रहा है।

(2) थालड़का से मसीतावाली सड़क की कुल लम्बाई 36.6 किमी. है, जिसमें से 20 किमी. सी.आर.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत है उसमें 9 किमी. का डामरीकरण कर दिया गया है। उक्त सड़क के लिये 2.00 करोड़ राशि स्वीकृत है। उसमें से 1.34 करोड़ व्यय हो चुके हैं। सड़क निर्माण में काम में ली गई रोडी रणधीसर पहाड़ी से व डामर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम व इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड अधिकृत रिफाइनरों

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

से मैसर्स गणेश बिल्डर, श्री गंगानगर ठेकेदार द्वारा लाया गया है। डामर के बिल यानि सी.आर.सी. की प्रतियां संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त सड़क में कोई गढ्डे नहीं है लेकिन सड़क का कार्य प्रगति पर है। डब्ल्यू.बी.एम. के कार्य में कहीं-कहीं रोड़ी बिखरना स्वाभाविक है। डामरीकरण कार्य पूर्ण करवाते समय यह सही करवा दिया जाता है। अभी तक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का प्रकरण विभाग के ध्यान में नहीं आया है।

(4) जी हां। उक्त सड़क निर्माण हेतु किमी. 0/0 से 20/0 तक सम्पूर्ण कार्य हेतु निविदा ली गई थी। कार्य अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ही करवाया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का ही भुगतान किया गया है।

(5) जी हां। कार्य प्रगति पर है और यह कार्य माह अप्रैल, 2002 में ही पूरा करना लक्षित है।

(6) जी नहीं। अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन करने पर ही कार्यवाही की जाती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र चूरू में सड़क निर्माण हेतु किसानों की अवाप्त भूमि का मुआवजा

904. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू में विभाग द्वारा निर्मित सड़कों में कितना मुआवजा किसानों की भूमि का देय होने के प्रकरण लम्बित हैं? उक्त में कुल कितनी राशि कब से बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चूरू-तारानगर-चूरू-राजगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में जिन किसानों की भूमि सड़क निर्माण में आई थी उनका मुआवजा 35 वर्ष के पश्चात् भी देय नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों? क्या चूरू-राजगढ़ सड़क को अब और चौड़ा किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या भू-अवाप्ति से पूर्व में लम्बित मुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि चूरू-राजगढ़ सड़क के ग्राम ढाटर में बड़ी संख्या में हरिजन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की जा रही है? यदि हां, तो कुल कितने काश्तकार व कितनी भूमि? क्या काश्तकारों ने सरकार को कोई लिखित प्रार्थना पत्र दिया है? क्या काश्तकार ने कोई धरने का नोटिस भी सरकार को दिया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है? यदि हां, तो सरकार उक्त पर क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) उक्त सड़क का गांव चतरोन तक कब पेचवर्क किया गया और कितनी राशि व्यय की गई? वर्ष 2000–2001 व 2001–2002 में कुल कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू में विभाग द्वारा निर्मित पांच सड़कों की भूमि के मुआवजे के भुगतान के प्रकरण लम्बित है। बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) चूरू-तारानगर सड़क में अवाप्त भूमि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। चूरू-राजगढ़ सड़क अब राष्ट्रीय राजमार्ग में क्रमोन्नत होने के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग में मापदण्डों के अनुरूप करने हेतु किमी. 38/0 से 80/0 में दो लेन (टू लेन) तक चौड़ा किया जा रहा है। इस सड़क पर भूमि अवाप्ति का मुआवजा लम्बित नहीं है क्योंकि चूरू-राजगढ़ सड़क निर्माण में काश्तकारों की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी लेकिन मुआवजा तय नहीं किया जा सका क्योंकि उक्त सड़क की स्वीकृति विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाने से बजट अभाव में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त (ड्राप) की गई।

(3) जी नहीं। वर्तमान में भूमि अवाप्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) चूरू-राजगढ़ सड़क पर चतरोन नाम का कोई गांव नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों में निरन्तर कमी

905. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शिक्षा सत्र 1992–93 से 2000–2001 तक राजकीय माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10 व 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम क्या रहे? परिणामों सम्बन्धी मात्रात्मक एवं गुणात्मक सांख्यिकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त विद्यालयों की कक्षा 10 व 12 के परिणामों सम्बन्धी योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले राजकीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं की संख्या कितनी है? संख्यात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय विद्यालयों के नियमित छात्रों की संख्या परीक्षा में सम्मिलित होने एवं परीक्षा परिणाम कम होता जा रहा है? यदि हां, तो वर्ष 1990 से 2001 तक का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बोर्ड का सत्र 1992-93 से 2000-2001 तक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-1 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) परीक्षा 1991 से 2001 तक कक्षा 10 व 12 (विज्ञान + वाणिज्य + कला) के परिणामों में योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले राजकीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं की संख्या सम्बन्धी विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) जी नहीं। माध्यमिक परीक्षा 1997 व उच्च माध्यमिक परीक्षा 1999 को छोड़कर राजकीय विद्यालयों के नियमित छात्र/छात्राओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। परीक्षा परिणाम सम्बन्धी सूचना वर्ष 1990 से 2001 तक का विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

राज्य में पंचायत मुख्यालयों पर आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

906. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा समस्त पंचायत मुख्यालयों पर एक आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की योजना के निर्धारित मानदण्ड क्या हैं? उक्त सम्बन्धी जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर स्थापित आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय में निर्धारित विषयवार अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्यात्मक स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में कुल कितने भाषा अध्यापक नियुक्त किए गये हैं? जिलेवार व भाषावार, नव नियुक्त अध्यापकों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आदेशों की प्रति परिशिष्ट ''क'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य के आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चयनित विषयवार अध्यापकों की संख्यात्मक स्थिति निम्नप्रकार है :-

अंग्रेजी	गणित	विज्ञान
3184	3555	3656

(3) सूची परिशिष्ट ''ख'' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

बोरी तहसील अरनोद (चित्तौड़गढ़) हेतु नवीन विद्यालय भवन का निर्माण

907. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बौरी, तहसील अरनोद (चित्तौड़गढ़) का भवन गत वर्षों में गिर गया है? यदि हां, तो विभागीय किस-किस अधिकारी ने मौके पर पहुंच कर उचित कार्यवाही की? क्या उक्त भवन रात्रि में गिरने से किसी जनधन की हानि नहीं हुई?

(2) सरकार अब उक्त विद्यालय के बालकों के लिए नवीन विद्यालय भवन निर्माण के लिए क्या व्यवस्था करने जा रही है?

उत्तर

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बौरी तहसील अरनोद (चित्तौड़गढ़) के भवन के दो कमरे दिनांक 2.7.2001 की रात्रि में वर्षा से ढह गये थे। दिनांक 3.7.2001 को तत्कालीन कार्यवाहक ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ने एवं दिनांक 6.7.2001 को तत्कालीन विकास अधिकारी के साथ मौका मुआयना किया तथा छात्रों के बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। रात्रि में भवन ढहने से किसी जन-धन की हानि नहीं हुई।

(2) राज्य सरकार की सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (आयोजना) के तहत एक कमरा व एक बरामदे निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है तथा दो कमरे व बरामदे का निर्माण लोक जुम्बिश परियोजना से कराया जाएगा।

बीजागुढ़ा (पाली) का पुनर्संचालन विद्यालय

908. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बीजागुढ़ा (पाली) को पुराना विद्यालय व पर्याप्त छात्र संख्या होने के बावजूद भी सरकार द्वारा अनार्थिक विद्यालय में सम्मिलित किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अति दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र पिछड़े, अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा देने का विचार रखते हुये जनहित में यथास्थिति बनाये रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

ग्राम रताऊ तहसील लाडनूं (नागौर) के उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन स्थानान्तरण प्रकरण

909. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रताऊ, तहसील लाडनूं, जिला नागौर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कमरों की भूमि की कमी है और पास में ही बने प्राथमिक विद्यालय में कमरे व भूमि इससे अधिक है? यदि हां, तो प्राथमिक विद्यालय के भवन में उच्च माध्यमिक विद्यालय को स्थानान्तरित करने में क्या आपत्ति है?

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के प्रस्ताव सरकार को कई बार विद्यालय स्थानान्तरण के लिए भेजे गये हैं? यदि हां, तो उक्त पर सरकार ने सहमति क्यों नहीं दी?

(3) क्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने भी विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय के भवन में स्थानान्तरण का प्रस्ताव सरकार को भेजा है? यदि हां, तो अब तक उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्रामवासियों ने, पंचायत समिति ने व विधायक कोटे से भूमि की, मकानों की कमी को देखते हुये उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए प्राथमिक विद्यालय में अधिक कमरों का निर्माण कराया? यदि हां, तो यह विद्यालय स्थानान्तरित नहीं होगा तो उक्त कमरों का क्या उपयोग होगा?

(5) अब उक्त विद्यालयों को कब तक स्थानान्तरित करवा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय भवन में संचालित हो रहा है। प्राथमिक विद्यालय के भवन में पंचायत समिति द्वारा दानपत्र माध्यमिक शिक्षा विभाग के नाम करने पर उच्च माध्यमिक विद्यालय को इस भवन में विधिक रूप से स्थानान्तरित किया जा सकेगा। इस विद्यालय भवन का दानपत्र अभी विभाग के पक्ष में होना बाकी है।

(2) जी हां। दानपत्र विभाग के पक्ष में होना शेष है।

(3) जी हां। उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन प्राथमिक विद्यालय भवन में ही किया जा रहा है।

(4) जी हां। उक्त विद्यालय को इसी भवन में अस्थायी रूप से संचालित किया जा रहा है।

(5) उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय भवन में ही संचालित हो रहा है तथा दानपत्र पंचायत समिति द्वारा विभाग के पक्ष में होने पर नियमानुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न हो सकेगी।

माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याताओं की जारी वरिष्ठता सूची

910. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या माध्यमिक शिक्षा में वर्ष 1998 तक नियुक्त विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अस्थाई वरिष्ठता सूची कब जारी की गई और उसमें संशोधन हेतु कितनी आपत्तियां प्राप्त हुई एवं उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में वरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध है। अस्थाई वरिष्ठता सूची पर कार्मिक द्वारा आपत्तियां दर्ज करवाएं जाने पर नियमों तथा अभिलेखों के आधार पर परीक्षण कर संशोधन किया जाता है।

जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अजमेर शहर के शाला प्रधानों से भूकम्प पीड़ितों की मदद हेतु जबरन वसूली की जांच

911. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या श्री भवानी दत्त शर्मा महामंत्री, पश्चिम ब्लाक एक ने जिला कलक्टर, अजमेर को अजमेर शहर के प्रधानाचार्य, जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. तोपदड़ा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर, राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय, रा.मा.वि. बालूपुरा, रा.मा.वि. पीपल का कुआं द्वारा छात्रों से गुजरात भूकम्प पीड़ितों को मदद के नाम से फरवरी, 2001 को अवैधानिक तरीके से जबरदस्ती राशि वसूल करने की लिखित शिकायत की है? यदि हां, तो संस्था प्रधानों ने छात्रों से कितनी राशि एकत्रित की?

(2) जिला कलक्टर, अजमेर ने जांच अधिकारी किसे नियुक्त किया और जांच अधिकारी ने सम्बन्धित शाला प्रधानों से क्या जांच की है?

(3) उक्त में कितने संस्था प्रधानों से राशि एकत्रित करने के क्रम में पूछा गया है और कितने संस्था प्रधानों ने जांच अधिकारी को क्या लिखकर दिया?

(4) क्या एकत्रित की गई राशि जिला कलक्टर, अजमेर को जमा कराई गई? यदि हां, तो एकत्रित की गई राशि को किस राजकोष में जमा कराई गई?

(5) क्या एकत्रित की गई राशि संस्था प्रधानों के पास है?

(6) उक्त में जांच अधिकारी ने किसे दोषी माना है?

(श्री कय्यूम खान)

(7) क्या जांच प्रक्रिया अधूरी रही? यदि हां, तो क्यों?

(8) उक्त प्रकरणों में छात्रों से राशि एकत्रित करने वाले प्रधानाचार्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। संस्था प्रधानों द्वारा छात्रों एवं स्टाफ से एकत्रित की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम विद्यालय	राशि
1.	ओसवाल जैन वि.	26603
2.	जवाहर उमावि.	5432
3.	आदर्श नगर उमावि.	6000
4.	पीपल का कुआं वि.	3100
5.	सुभाष मा. वि.	2525
6.	बालूपुरा मा. वि.	1251
7.	तोपदड़ा उमावि.	11000
		55911

(2) जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा इस शिकायत की जांच के लिए ए.डी.एम. सिटी, अजमेर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक 430-36 दिनांक 22.3.2001 द्वारा शिकायत पत्र में उल्लिखित सभी संस्था प्रधानों से गुजरात भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ विद्यालय के छात्रों एवं स्टाफ से राशि एकत्रित करने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(3) शिकायत पत्र में उल्लिखित सभी 7 संस्था प्रधानों से शिकायत के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पूछा गया। इन संस्था प्रधानों द्वारा जांच अधिकारी को उनके द्वारा परिशिष्ट ''क'' के अनुसार राशि एकत्रित कर विभिन्न पदों में राशि जमा कराना बताया गया।

(4) रा. जवाहर उ.मा.वि. के प्रधानाचार्य द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर को रुपये 2100/- की राशि जरिए ड्राफ्ट जमा कराई गई तथा अन्य संस्थानों द्वारा भाग-3 के अनुसार राशि विभिन्न मदों में जमा करायी।

(5) जी नहीं।

(6) शिकायत पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कार्यवाही लम्बित है।

(7) जांच कार्यवाही विचाराधीन है।

(8) उपरोक्तानुसार।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

पुराना आमेर रोड (जयपुर) में संचालित निजी शिक्षण संस्थाओं में अनियमितताओं की जांच

912. **श्री ललित भाटी** (अजमेर-पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ललित भाटी)

(1) क्या यह सही है कि विजय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, विजय बालिका सीनियर स्कूल, विजय पब्लिक स्कूल, विजय नर्सरी शिक्षा समिति, विजय प्ले वे स्कूल एक ही भवन 265, पुराना आमेर रोड, जयपुर में संचालित है? क्या उक्त विद्यालयों का निरीक्षण कभी किया गया तथा यह पाया गया कि उक्त सभी संस्थाएं मान्यता प्राप्त हैं?

(2) क्या निरीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि वे शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं तथा कम वेतन देकर अधिक पर हस्ताक्षर लेकर अभिलेख कूट रचित कर रहे हैं?

(3) क्या उक्त पाठशालाओं की पृष्ठभूमि में किसी स्वनामधन्य संसद सदस्य की भूमिका है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पाठशालाओं में सैकण्डरी बोर्ड एवं आठवीं बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को भी परीक्षा में झूठे अभिलेख के आधार पर सम्मिलित किया गया है?

(5) क्या सरकार उक्त संस्थाओं की जांच करवाकर गम्भीर अनियमितताएं पाई जाने पर मान्यता रद्द करने का विचार रखती है?

(6) क्या उक्त संस्थाओं के व्यवस्थापकों को अभिलेख कूट रचित करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467 तथा 468 के आधार पर दण्डित करवाया जाएगा?

(7) क्या राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी श्री सुरेश टोडवाल पुस्तकालयाध्यक्ष रा.उ.मा.वि. विराट नगर जिला जयपुर हाल डेपुटेशन (जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, द्वितीय जिला जयपुर) प्राइवेट स्कूल विजय नर्सरी शिक्षा समिति द्वारा संचालित विद्यालय में भी अनियमित रूप से नौकरी करते हैं? क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

(8) क्या उक्त शिक्षण संस्थाओं में राज्य सरकार के मानदण्डों के आधार पर छात्रों से शुल्क वसूल किया जाता हैं? क्या यह सब सरकार की जानकारी में है?

(9) क्या उक्त संस्थाओं की धांधली की जांच अक्टूबर, 2000 को की गई थी? क्या उक्त जांच में तत्कालीन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक रेनवाल मांझी तहसील फागी, जिला जयपुर जिला लिप्त थे?

(10) क्या सरकार उक्त संस्थाओं की अनियमितताओं की जांच करवाकर इनकी मान्यता रद्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु विजय नर्सरी शिक्षा समिति एक समिति का नाम है जिसके अधीनस्थ विजय सीनियर सैकण्डरी स्कूल तथा विजय बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल संचालित की जा रही है, जो कि 265, पुराना आमेर रोड पर संचालित है। नव विजय पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति के द्वारा विजय पब्लिक स्कूल संचालित किया जा रहा है जो कि 265, पुराना आमेर रोड, जयपुर पर स्थापित है। विजय प्ले वे नाम की कोई संस्था इस भवन में संचालित नहीं है। विजय सीनियर सैकण्डरी स्कूल एवं विजय-बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल प्रथम पारी (प्रात: 7 से 12) में एक ही भवन के दो अलग-अलग हिस्सों में संचालित है। द्वितीय पारी (12 से 5) में विजय पब्लिक स्कूल संचालित है। गत 10 वर्षों से इस समिति के माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित किसी भी विद्यालय का निरीक्षण किसी भी स्तर पर नहीं हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर प्रथम के अधीन लगभग 600 राजकीय, अनुदानित एवं गैर अनुदानित संस्थाएं संचालित है। अनुदानित एवं राजकीय संस्थाओं का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है जबकि गैर अनुदानित संस्थाओं का निरीक्षण कार्यभार की अधिकता के कारण विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। विजय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, विजय बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल को विभाग द्वारा क्रमश: 20.10.1987 एवं 14.3.1991 के द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता प्रदान की गई है। ये सभी गैर अनुदानित संस्थाएं हैं।

(2) गत 10 वर्षों में निरीक्षण नहीं हुआ है परन्तु अक्टूबर, 2000 में पी.एम. कटौती एवं पी.एम. खाता संख्या नहीं बताये जाने तथा उपस्थिति पंजिका बदलने की शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी जांच कराई गई। अध्यापकों के शोषण व कम वेतन देकर अधिक पर हस्ताक्षर लेकर कूट रचित अभिलेख तैयार करना आदि की शिकायत थी ही नहीं। अत: इन बिन्दुओं की कोई जांच नहीं की गई। कार्यरत 28 अध्यापकों ने संस्था से किसी प्रकार की शिकायत न होने बाबत लिखित में दिया है।

(3) विभाग को स्वनामधन्य सदस्य की भूमिका की होने की जानकारी नहीं है।

(4) विभाग को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवा कर जांच में दोषी पाए जाने पर ही संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(6) शिकायत प्राप्त होने पर एवं जांच में दोषी पाए जाने पर ही नियमानुसार

(शिक्षा मंत्री)

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के तहत एवं भारतीय दण्ड संहिता के तहत किसी अपराध का होना पाया जावेगा तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(7) जी नहीं। वर्तमान में श्री सुरेश टोडवाल, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय), जयपुर के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं हैं। श्री टोडवाल पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में वर्तमान में रा.मा.वि. लोहाकना खुर्द (विराट नगर) में कार्यरत है तथा श्री सुरेश टोडवाल नाम का कोई कर्मचारी उक्त संस्थाओं में कार्यरत नहीं है। श्री टोडवाल विजय शिक्षा समिति के सदस्य हैं। नियमानुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी समिति का सदस्य हो सकता है।

(8) वर्तमान में निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा शुल्क वसूल किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा शुल्क निर्धारित नहीं किया हुआ है।

(9) जी हां। जांच तत्कालीन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेनवाल मांझी, तहसील फागी, जयपुर से कराई गई थी। शिकायत में प्रमुख रूप से केवल तीन बिन्दु थे। 1. पी.एफ. कटौती 2. पी.एफ. खाता संख्या नहीं बताना 3. उपस्थिति पंजिका बदलना। जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर को उनसे प्राप्त शिकायत के आधार पर कर उन्हें प्रस्तुत कर दी गई है।

(10) जी नहीं। विद्यालय का पैनल निरीक्षण करवाये जाने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। निरीक्षण में अनियमितता पाई गई तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर में शिक्षकों के पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति की जांच

913. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत श्री विजयसिंह, वरिष्ठ. लिपिक जो प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर में कार्यरत है, की पत्नी श्रीमती मिथलेश कुमारी की नियुक्ति अनियमित तरीके से मैरिट सूची की समाप्ति के पश्चात् व बिना शैक्षणिक योग्यता के की गई है? यदि हां, तो क्यों? श्रीमती मिथलेश की नियुक्ति के समय क्या शैक्षणिक योग्यताएं थी, मैरिट नं. क्या था तथा विभाग द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला पद के लिए क्या निर्धारित योग्यताएं होती हैं? उक्त मैरिट कब तक वैध थी? विवरण सदन को मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्रीमती मिथलेश कुमारी की नियुक्ति के सम्बन्ध

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

में तत्कालीन शिक्षा मंत्री के कार्यालय के नोट क्रमांक शिमं/शिक्षा/99/4720 दिनांक 22.10.1999 द्वारा राज्य सरकार को इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई निर्देश दिए गये थे? जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा उनके पत्रांक: प.5 (179)/ शिक्षा-2/1999 जयपुर दिनांक 4.11.1999 द्वारा नियम विरुद्ध नियुक्ति निरस्त करने के निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर को निर्देश दिए गए थे? यदि हां, तो उक्त निर्देश की अनुपालना में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीमती मिथलेश कुमारी पत्नी श्री विजय सिंह की नियुक्ति राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के आदेश क्रमांक प. 21(2) शिक्षा/6/1995 जयपुर दिनांक 25.3.1996 की अनुपालना में गई है। जि.शि.अ. (छात्र), भरतपुर द्वारा 6.7.1996 को नियुक्ति आदेश जारी किए गए। राज्य सरकार का यह आदेश रिट संख्या 1820/1992 कुमारी सुनीता शर्मा (सुमित्रा शर्मा) बनाम सरकार के समान प्रकरण में हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में जारी हुआ था।

श्रीमती मिथलेश कुमारी की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता बीए., बीएड. (नियुक्ति के समय) है।

तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर शैक्षिक योग्यता सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं समकक्ष मय अंग्रेजी तथा गणित विषय के एवं शिक्षण प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त/समकक्ष योग्यता निर्धारित थी।

(2) जी हां। प्रकरण निस्तारण हेतु प्रक्रियाधीन है।

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शालाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

914. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2001-2002 के बजट में उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा मद में कितनी-कितनी राशि, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शालाओं में अध्यापकों के वेतन चुकाने हेतु रखी गई थी तथा उसमें से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई।

(2) क्या यह सही है कि उक्त शालाओं में अध्यापकों के पद नहीं भरे जाने के कारण पूरी राशि खर्च नहीं हो पाई?

(3) क्या यह भी सही है कि अध्यापकों के पद नहीं भरे जाने से छात्रों की पढ़ाई में नुकसान हुआ है? यदि हां, तो इस हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 में राजकीय माध्यमिक तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों के वेतन का भुगतान करने हेतु बजट आबंटन तथा व्यय की गई राशि का विवरण इस प्रकार से है :-

वर्ष 2001-2002 में वेतन मद में आबंटित बजट (लाखों में)	वर्ष 2001-2002 में व्यय की गई राशि (लाखों में) (वेतन मद में)
71519.18	70857.90

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। छात्रों के अध्यापन में व्यवधान न हो इस हेतु गैस्ट फैकैल्टी योजना के तहत अध्यापकों की व्यवस्था की गई तथा विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों से छात्रों के अध्यापन का कार्य करवाया गया है।

उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल का रिक्त पद

915. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुरसिटी, जिला झुंझनूं में विगत पांच वर्षों में प्रिंसिपल/प्रधानाचार्य का पद कब-कब कितने-कितने समय के लिए रिक्त रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त स्थिति से संतुष्ट है और उचित मानती है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसी संस्था में प्रधानाचार्य का पद इतने लम्बे समय तक रिक्त रहे तथा कितने और वर्षों तक इस पद को रिक्त रखने का सरकार का मानस है?

उत्तर

(1) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) में प्रधानाचार्य का पद गत पांच वर्षों में रिक्त रहने की स्थिति इस प्रकार से है:-

अवधि	रिक्त रहने की कुल अवधि
7.10.1998 से 18.11.2001	3 वर्ष 1 माह 12 दिन से
4.12.2001 लगातार	4 माह से निरन्तर

(2) जी नहीं। सभी संवर्ग के पदों पर डी.पी.सी. के आयोजन पर रोक लगी हुई है, डी.पी.सी. पर लगाई गई रोक हटाये जाने पर ही रिक्त पद की पूर्ति किया जाना सम्भव हो सकेगा।

दरीबा प्रोजेक्ट (अलवर) के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदोन्नति

916. **श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रतन लाल ताम्बी)

(1) क्या जिला शिक्षा अधिकारी छात्र संस्थाएं, अलवर ने अपने पत्र क्रमांक जी.सी.अल./संस्था-1/का-42/92-98/55 दिनांक 5.8.1997 के द्वारा अधीनस्थ सेवा के 10 प्रतिशत पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदोन्नति के प्रावधान के सम्बन्ध में निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से पदोन्नति के लिये मार्गदर्शन मांगा था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पत्र में श्री द्वारका प्रसाद शर्मा प्रयोगशाला सेवक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दरीबा प्रोजेक्ट, अलवर को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति देने के लिये मार्गदर्शन मांगा था? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है संयुक्त निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), बीकानेर ने अपने पत्र क्र. शिविरा-प्रार/संस्था/एफ. 2/714/98/67 दि. 2.6.1998 के द्वारा उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2), शासन सचिवालय से कार्मिक संयुक्त परामर्शदात्री परिषद् की दिनांक 16.6.1978 को हुई बैठक में निर्णय संख्या 19 के वर्तमान में प्रभावी के बारे में मार्गदर्शन मांगा है? यदि हां, तो अब तक राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जिला शिक्षा अधिकारी छात्र संस्थाएं, अलवर द्वारा अपने क्र.जीशिअ/अल/संस्था-1/का-42/97 =98/55 दिनांक 5.8.1997 के पत्र में प्रस्तावित श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, प्रयोगशाला सेवक को अध्यापक पद पर पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों के पद समाप्त कर उनको तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक में समायोजित कर दिया गया है? यदि हां, तो प्रयोगशाला सेवक तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक पद की योग्यता रखते हैं, उनको अध्यापक बनाने में क्या आपत्ति है? यदि नहीं, तो नियमानुसार कब तक अध्यापक के पद पर पदोन्नति देने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रयोगशाला सेवक को अध्यापक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अतः किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता।

(3) जी हां। प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी नहीं। प्रयोगशाला सेवक को अध्यापक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति दिए जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अत: किसी भी प्रकार की कार्यवाही किए जाने का औचित्य नहीं बनता।

(5) जी हां। अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों का समायोजन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद पर किया गया है। प्रयोगशाला सेवक की पदोन्नति/नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर किए जाने का प्रावधान है तथा अध्यापक के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रयोगशाला सेवकों को अध्यापक के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं है।

राजवंश पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कूल, टोंक फाटक, जयपुर द्वारा अनियमितताएं

917. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि निजी विद्यालयों की निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा जांच की जाती है? क्या राजवंश पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कूल, टोंक फाटक, जयपुर का वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में कभी निरीक्षण किया? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल में श्री अगम विश्नोई कक्षा बारहवीं कामर्स का वर्ष 2001-2002 में रेगुलर विद्यार्थी था? यदि हां, तो उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राजस्थान बोर्ड अजमेर द्वारा श्री अगम विश्नोई के रोल नम्बर जारी कर दिए थे? यदि हां, तो उसके रोल नम्बर कब जारी हुए व रोल नम्बर कितने थे? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि श्री अगम विश्नोई के कक्षा बारहवीं की जून, 2002 तक की स्कूल फीस भरवायी गयी थी? यदि हां, तो फीस रसीद की प्रति सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उसका नाम स्कूल से काट दिया गया? यदि हां, तो नाम काटने से पूर्व उसके घर के स्थायी पते पर उसकी विद्यालय द्वारा कोई सूचना दी गई थी? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या उक्त लड़के का बिना कोई गम्भीर कारण के नाम स्कूल से काटा गया है? यदि हां, तो सरकार स्कूल के प्रिंसिपल या उसके मैनेजमेंट के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री दिग्विजय सिंह)

(7) क्या सरकार ऐसी संस्था की मान्यता समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और अब तक कितनी संस्थाओं की मान्यता समाप्त की है?

उत्तर

(1) शिक्षा अधिकारियों द्वारा समय समय से निजी विद्यालयों की जांच की जाती है। वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में विद्यालय का निरीक्षण दिनांक 17.5.2001 को अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर-प्रथम तथा 20.4.2000 को उप निदेशक, (माध्यमिक), जयपुर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

(2) जी हां। श्री अगम विश्नोई दिनांक 24.12.2001 को सत्रान्त तक विद्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा में बैठने की अनुमति उपस्थित कम होने के फलस्वरूप नहीं दी गई थी, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के स्थगन के आधार पर छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई।

(3) जी हां। रोल नम्बर दिनांक 25.2.2002 को प्राप्त हुए। बोर्ड द्वारा छात्र को रोल नम्बर 2073880 आबंटित किये गये थे।

(4) जी हां। फीस की रसीदें परिशिष्ट ''क'' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी हां। छात्र स्वयं को दिनांक 1.11.2001 को उपस्थिति कम होने की सूचना दी गई थी तथा छात्र के घर के स्थायी पते पर नाम पृथक करने के पश्चात् डाक द्वारा दिनांक 12.1.2002 दिनांक 24.1.2002 एवं 7.2.2002 को सूचना भिजवाई गई।

(6) छात्र सत्र पर्यन्त विद्यालय से अनुपस्थित/अवकाश पर रहता था। छात्र के अवकाश पर रहने का कोई ठोस औचित्य प्रतीत नहीं होता है। छात्र दिनांक 24.12.2001 से बिना किसी सूचना के सत्रान्त तक अनुपस्थित रहा, विभागीय नियमानुसार लगातार 10 दिवस अनुपस्थित रहने पर छात्र का विद्यालय से नाम पृथक करने का प्रावधान है। इसी परिप्रेक्ष्य में छात्र का नाम विद्यालय से पृथक किया गया। विद्यालय कुल मीटिंग संख्या 338 में से छात्र के कुल उपस्थिति 166 हैं जबकि बोर्ड के नियमानुसार 75 प्रतिशत से इसकी उपस्थिति 254 होनी आवश्यक है। इस हेतु स्कूल के प्रिंसिपल एवं मैनजमेंट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है तथा ना ही इस आधार पर कार्यवाही की जा सकती है।

(7) जी नहीं। संस्था द्वारा छात्र का नाम विभागीय नियमानुसार लम्बी अनुपस्थिति के कारण पृथक किया गया है। इस हेतु संस्था के प्राचार्य एवं मैनजमेंट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(रसीदें विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र चौमूं (जयपुर) के विचाराधीन विद्यालय

918. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र चौमूं की सभी ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र की कौनसी ग्राम पंचायत में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कब हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त क्षेत्र के किस-किस ग्राम में नये माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम पंचायतवार संचालित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) वर्ष 2002-2003 में राज्य में 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों व 200 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है। क्रमोन्नत किये जाने वाले विद्यालयों को अभी चिन्हित नहीं किया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के परिसर में व्यवसायिक काम्पलैक्स का निर्माण

919. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर के राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर की भूमि पर नगर विकास न्यास द्वारा व्यवसायिक काम्पलैक्स बनाया जा रहा है?

(2) उक्त व्यवसायिक काम्पलैक्स किसकी सहमति से बनाया जा रहा है? क्या इसके बनाये जाने से शैक्षिक वातावरण दूषित होगा? क्या छात्रों द्वारा इसका भारी विरोध किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि अध्यापक व छात्र सभी इसका विरोध कर रहे हैं तथा अध्यापकों व छात्रों पर इसे बनाने देने के लिये सरकार द्वारा दबाव डाला जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक 11(12)शिक्षा-6/2001 दिनांक 9.8.2001 के अनुसरण में दिनांक 1.9.2001 को निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था। इसके निर्माण से शैक्षिक वातावरण प्रभावित होने की आशंका से छात्रों ने असन्तोष प्रकट किया है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) छात्रों द्वारा इसका विरोध किया गया था। वर्तमान में कार्य स्थगित है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी से विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कराने के बावजूद विद्युत बिल की वसूली

920. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति चाकसू एवं बस्सी के कौन कौन से विद्युत उपभोक्ता कृषक ने स्वयं या तहसील के माध्यम से अपने कुएं सूख जाने की सूचना विद्युत विभाग को दी है? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त उपभोक्ता के यहां सूचना देने के बावजूद भी विद्युत बिल भेजा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा कृषक का कुआं सूख जाने पर बिना विद्युत उपभोग किये ही वसूली की जा रही विद्युत बिल राशि कृषक का आर्थिक शोषण है? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त को बन्द कर देगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति चाकसू व बस्सी के निम्नलिखित कृषि उपभोक्ताओं ने कुआं सूख जाने की सूचना विभाग को दी है:-

1. धन्ना, ग्यारसा, नेहनू, ग्राम दामोदरपुरा खाता संख्या-2205/039
2. मुन्ना, रूपा माली, ग्राम सांभरिया खाता संख्या-2210/026
3. रूपनारायण, श्रवण, ग्राम बराला खाता संख्या-2209/002
4. रामधन, हरनाथ, ग्राम टहरटा खाता संख्या-2213/016
5. सीताराम, रामसहाय ग्राम झर खाता संख्या-1607/058
6. हरिनारायण, भौंरीलाल, ग्राम दयालपुरा खाता संख्या 1606/061
7. मोतीलाल, उदयनारायण, ग्राम चाकसू खाता संख्या-2303/078
8. श्रवण, राजेन्द्र, ओमप्रकाश, ग्राम दूसरी खाता संख्या 2307/165
9. नाथू लाल, प्रभाती रैगर, ग्राम महेशपुरा

(2) उक्त उपभोक्ताओं में क्रम संख्या 1 से 5 तक के कनेक्शन कटे होने के कारण बिल जारी करना बन्द कर दिया है तथा क्रम संख्या 6 से 9 तक के उपभोक्ताओं के कनेक्शन चालू होने के कारण बिल जारी किए जा रहे हैं।

(3) विद्युत सम्बन्ध विच्छेद होने पर बिल जारी नहीं किये जाते हैं परन्तु कनेक्शन चालू रहने की दशा में उपभोग न करने पर भी मिनिमम राशि का बिल जारी किया जाता है, जो कि नियमानुसार

(ऊर्जा मंत्री)

उचित है। यदि उपभोक्ता चाहे तो अपने कनेक्शन को अकाल की स्थिति के कारण कनेक्शन 9 माह के लिए कटवा सकता है, यह सुविधा कृषक को तीन वर्ष में एक बार उपलब्ध है। कई कृषि उपभोक्ता अपने कुएं को गहरा करवा कर तुरन्त चालू करने के प्रयास में इस सुविधा का लाभ नहीं उठाते हैं।

नगरपालिका क्षेत्र रामगढ़ शेखावाटी में विद्युत आपूर्ति

921. **श्री भंवरू खान (फतेहपुर) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील फतेहपुर के नगरपालिका क्षेत्र रामगढ़ शेखावाटी में गत 10-11 माह से शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक विद्युत कटौती की जा रही है? यदि हां, तो नगरपालिका क्षेत्र रामगढ़ शेखावाटी में कितनी-कितनी विद्युत किस-किस समय पर गत 11 माह में दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रामगढ़ शेखावाटी की विद्युत आपूर्ति फतेहपुर से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक आपूर्ति की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील फतेहपुर के नगरपालिका क्षेत्र रामगढ़ शेखावाटी को 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन चूरू से विद्युत आपूर्ति की जाती है। सायंकाल 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में कभी-कभी फ्रीक्यूवेंसी कम होने अथवा 132 के.वी. ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ जाने से या लोड शैडिंग के तहत कुछ समय के लिए एक से डेढ़ घंटे विद्युत आपूर्ति ग्रिड सब-स्टेशन चूरू से बन्द कर दी जाती है। नगरपालिका क्षेत्र रामगढ़ शेखावाटी में अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक सायंकाल के समय में की गई विद्युत कटौती का माहवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। रामगढ़ शेखावाटी की विद्युत सप्लाई फतेहपुर 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन से करने हेतु प्रस्ताव का अध्ययन करवाया जा रहा है। तकनीकी व वित्तीय रूप से साध्य पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार भविष्य में क्रियान्वित करवाने के प्रयास किए जाएंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति

922. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कन्हैया लाल)

(1) क्या यह सही है कि 5000 या अधिक आबादी वाले गांवों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है? क्या विधान सभा क्षेत्र बस्सी के 5000 से ज्यादा आबादी वाले कस्बे बस्सी, तूंगा, बांसखो एवं कोटखावदा की आधी से ज्यादा आबादी ढाणियों में निवास करती है जहां सरकार द्वारा मात्र 3 घंटे सिंगल फेस विद्युत दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मात्र 3 घंटे सिंगल फेस विद्युत देकर 24 घंटे की आपूर्ति का शुल्क विद्युत विभाग द्वारा वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जिन ग्रामों की आबादी 5000 से अधिक है तथा जिनमें कम से कम 300 घरेलू कनेक्शन चालू हों उन ग्रामों की मुख्य आबादी को निरन्तर विद्युत आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम बस्सी, बांसखो व कोटखावदा इस श्रेणी में आते हैं। ग्राम तूंगा की आबादी 5000 से कम है अत: इसको निरन्तर विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकती है। इन ग्रामों की ढाणियों में निरन्तर विद्युत आपूर्ति करना सम्भव नहीं है क्योंकि इन ढाणियों की लाइनों से कृषि कनेक्शन जुड़े हुए हैं। अत: ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) जी नहीं। जहां निरन्तर विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही है वहां शहरी क्षेत्र के हिसाब से व जहां ग्रामीण फीडर से विद्युत सप्लाई की जा रही है वहां ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से ही शुल्क वसूला जा रहा है।

विद्युत वितरण की कम्पनियों के प्रशासनिक व्यय में कमी

923. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार 5 कम्पनियों की प्रशासनिक व्यवस्था को सम्मिलित कर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने हेतु एक कम्पनी बनाने या विद्युत वितरण की 3 कम्पनियों को एक कम्पनी में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

पांच कम्पनियों का गठन विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत जनहित में किया गया है और इसका सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से सम्बन्ध नहीं है। कम्पनियों के विलय का विचार नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के विद्युत उपभोक्ताओं के काटे गए विद्युत कनेक्शन

924. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत जिस ग्राम द्वारा विद्युत बिल की राशि 50 प्रतिशत तक जमा करवा दी उस ग्राम की विद्युत आपूर्ति जारी रहेगी? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार समय पर बिल जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(3) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के कितने गांवों के विद्युत कनेक्शन काटे हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त क्षेत्र के गांवों के बिल जमा करवाने वाले लोगों को विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिस ग्राम में विद्युत बिल की 50 प्रतिशत राशि जमा होती है, उसकी विद्युत आपूर्ति चालू रखने के पहले से ही निर्देश जारी किए हुए हैं।

(2) जिन बस्तियों में आपूर्ति चालू है उनमें बिल जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति जारी रहती है परन्तु जिन गांवों की बकाया राशि के कारण विद्युत आपूर्ति बन्द कर दी गई है, उनमें 50 प्रतिशत राशि जमा होने पर विद्युत आपूर्ति चालू करने के आदेश हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के क्षेत्र में विद्युत बिलों की बकाया राशि जमा नहीं करवाने के कारण 22 गांवों की विद्युत आपूर्ति बन्द की गई है, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। इन गांवों में 90 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं में राशि बकाया है, अत: गांवों की विद्युत आपूर्ति चालू करना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

तहसील हिण्डौन के कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध जांच

925. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील हिण्डौन के ग्राम वरगमा एवं झारेड़ा में विद्युत विभाग द्वारा क्या कोई आर.ई.सी. कनेक्शन दिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कनिष्ठ अभियन्ता-II आर.ई.सी. द्वारा गलत वी.सी.आर. भरने व गलत कार्य करने की जांच हो रही है? यदि हां, तो कब तक?

(3) दोषी पाए जाने पर कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसील हिण्डौन के ग्राम वरगमा व झारेड़ा में विद्युत वितरण निगम द्वारा आर.सी. किये गये व आर.सी. हेतु विचाराधीन प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्काम कार्यालय द्वारा प्रेषित श्री काडूराम, विनोद कुमार की शिकायत की प्रारम्भिक जांच की जा रही है। श्री चन्द, सूसी मीणा ग्राम झारेड़ा के नाम से दिनांक 14.3.2002 को जो वी.सी.आर. संख्या 12504/40 दिनांक 14.3.2002 भरी गई थी, उस चैकिंग के समय श्री डी.सी. अग्रवाल, सहायक अभियन्ता (ग्रा.वि.), हिण्डौन सिटी, श्री प्रहलाद बैरवा, कनिष्ठ अभियन्ता-II (ग्रा.वि.) हिण्डौन, श्री मोहर सिंह सहायक द्वितीय, श्री राम प्रसाद सहायक द्वितीय एवं श्री राजेन्द्र वाहन चालक वहां पर उपस्थित थे। अत: इतने लोगों की उपस्थिति में ईर्ष्यावश की गई कार्यवाही प्रतीत नहीं होती। मामले की जांच प्रगति पर है।

(3) जांच निष्कर्ष में यदि कनिष्ठ अभियन्ता दोषी पाए जाएंगे, तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जयपुर स्थित आवासीय बस्तियों के मध्य से संचालित हाइटेंशन लाइनें

926. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी (पूर्व में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल) ने आवासीय बस्तियों के मध्य से गुजरने वाली बिजली की हाइटेंशन लाइनों को हटाने का फैसला किया था? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा किन किन कालोनियों में लाइनें हटाई जा चुकी हैं एवं किन-किन कालोनियों में अभी तक नहीं हटाई गई हैं? उक्त लाइनें अब तक नहीं हटाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण की तकनीकी रूप से स्वीकृत कालोनियों में उक्त विद्युत लाइनें हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आवासीय बस्तियों में मकानों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की लाइनें को हटाने के लिए तत्कालीन विद्युत मण्डल द्वारा आदेश वाणिज्य-170 दिनांक 23.5.1996 में लाइन हटाने की कुल लागत की 50 प्रतिशत राशि आवेदक से लेने का प्रावधान किया गया था, जो वर्तमान में भी लागू है। उपरोक्त आदेश के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक

(ऊर्जा मंत्री)

को 50 प्रतिशत राशि जमा कराने का मांग पत्र दिया जाता है और मांग पत्र की राशि जमा होने पर, लाइन हटाने की कार्यवाही की जाती है। जयपुर नगर वृत के अन्तर्गत क्षेत्र में लाइन हटाने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत कालोनियों में भी लाइन हटाने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कठूमर में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

927. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम जटवाड़ा खोड एवं झालटाला में 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के प्रस्ताव प्राप्त थे? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रिड सब स्टेशनों के लिए भूमि का प्रस्ताव एवं स्थापित स्थान का सर्वे हो चुका है? यदि हां, तो कब?

(2) अब उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले के विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम. जटवाड़ा खोह व झालाटाला में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने हेतु वर्ष 2001-2002 में प्रस्ताव तैयार किये गये थे। प्रस्ताव की जांच करने पर ग्राम जटवाड़ा खोह में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया है। ग्राम झालाटाला में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से आकलन किया जा रहा है।

(2) ग्राम जटवाड़ा खोह का प्रस्ताव निरस्त हो गया है. तथा झालाटाला में ग्रिड सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से साध्य पाए जाने पर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता अनुसार इस ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण की कार्यवाही की जावेगी।

नगरपालिका कुचामन सिटी में संचालित छात्रावास के कर्मियों का वेतनमान

928. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रशासन शहरों के संग अभियान 2002 में नगरपालिका क्षेत्र कुचामन व नावां में कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत क्या गाड़िया लुहारों को आवास हेतु इन्दिरा आवास की तरह राशि उपलब्ध कराने के

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

लिए कुचामन नगरपालिका क्षेत्र हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? क्या सरकार ऐसे लोगों को मकान बनाने के लिये राशि उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो आगामी बजट में कितनी राशि का आबंटन किया जावेगा?

(2) क्या नगरपालिका कुचामनसिटी क्षेत्र में संचालित छात्रावास में विद्यार्थियों की सीटों की बढ़ोतरी की जावेगी? क्या उक्त छात्रों के लिए पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

(3) क्या उक्त छात्रावास में चौकीदार एवं रसोई बनाने वाले व्यक्ति श्रमिक के रूप में होस्टल प्रारम्भ होने के समय से लगे हुये हैं? क्या इन्हें नियमित वेतन भत्ता नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इन्हें अब नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नगरपालिका कुचामनसिटी में विभाग द्वारा एक राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास संचालित है। इस छात्रावास में वर्ष 2001-2002 में स्वीकृत छात्र संख्या 25 में 10 बढ़ाकर 35 कर दी गई है। बढ़ाई गयी छात्र संख्या के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(3) छात्रावास में चौकीदार एवं रसोईये छात्रावास प्रारम्भ होने के समय से कार्य कर रहे हैं। राजकीय अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 1982 के अन्तर्गत अंशकालीन रसोईये को मैस भत्ते में से 600/- रुपए प्रतिमाह मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। अंशकालीन चौकीदार को छात्रावासों के बजट में से 600/- रुपए मानदेय पृथक से स्वीकृत कर भुगतान किया जाता है। वर्तमान में उन्हें नियमित वेतन भत्ता नहीं दिया जा रहा है। नियमित करने सम्बन्धी कार्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.3.1996 की अनुपालना में प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर एवं नियमित होने पर ही देय है।

(4) जी हां। नियमित करने सम्बन्धी कार्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.3.1996 की अनुपालना में नियमन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा में स्वीकृत विकलांग/वृद्धावस्था पेंशन

929. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संजीव कुमार)

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में ("प्रशासन गांवों के संग" और प्रशासन शहरों के संग) अभियान में वृद्धावस्था तथा विधवा व विकलांग पेंशन के कितने आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुए? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों में भादरा के ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र के कितने लोगों की वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन स्वीकृत हुई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में (प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग) अभियान में वृद्धावस्था तथा विधवा व विकलांग पेंशन के 335 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। पेंशन योजनावार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	अभियान	वृद्धावस्था पेंशन	विधवा पेंशन	विकलांग पेंशन	योग
1.	प्रशासन गांवों के संग	91	116	44	251
2.	प्रशासन शहरों के संग	22	32	30	84
	योग	113	148	74	335

(2) (क) उक्त मामलों में भादरा के ग्रामीण क्षेत्र के 131 लोगों को वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन स्वीकृत की गई। उनका पेंशन योजनावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वृद्धावस्था पेंशन	विधवा पेंशन	विकलांग पेंशन	योग
1.	56	75	-	131

(ख) उक्त मामलों में भादरा के शहरी क्षेत्र के लोगों के वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की पेंशन जारी करने से पूर्व जांच चल रही है। अतः इस संदर्भ में सूचना शून्य है।

विजयनगर (श्रीगंगानगर) के कन्या छात्रावास में रसोइये के पद पर नियमित नियुक्ति

930. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या जिला श्रीगंगानगर के कन्या छात्रावास, विजयनगर में अंशकालीन रसोइया के पद पर तथा-कथित रूप से कार्य करने वाली महिला को स्थायी कर दिया था? यदि हां, तो उसे नौकरी से बरखास्त करने के क्या कारण रहे?

(श्री मदन दिलावर)

(2) उक्त की वास्तविक जांच के बाद भी अभी तक उसे काम पर क्यों नहीं लिया जा रहा है?

(3) क्या सरकार श्रीमती गीता पत्नी श्री कान्हाराम जिसने वास्तव में अंशकालीन रसोइया के पद पर कार्य किया और बाद में नियमित कर दिया को न्याय देते हुए अपनी ड्यूटी पर जोइन करने के आदेश दे देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजकीय कन्या छात्रावास विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर में अंशकालीन रसोइया के पद पर कार्य करने वाली महिला श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री मुन्नालाल को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.3.1996 की अनुपालना में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के तहत विभागीय स्क्रिनिंग कमेटियों द्वारा पात्र पाये जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ.1 (4)() स्था./सकवि/98/49449 दिनांक 29.8.1998 द्वारा तृतीय चरण में 1.4.1998 से रसोइया के पद पर अस्थायी तौर पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया था, परन्तु श्रीमती गीता पत्नी श्री कानाराम द्वारा शिकायत किये जाने पर प्रकरण में जांच करायी गयी। शिकायत प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त जांच में श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री मुन्नालाल के विरुद्ध फर्जी नाम एवं फर्जी रिकार्ड के आधार पर नौकरी पाने का आरोप सिद्ध पाया जाने से उन्हें विभागीय आदेश क्रमांक प.1(5)(841)/ जांच/सकवि/01/611-17 जयपुर, दिनांक 19.5.2001 के द्वारा नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए राज्य सेवा से पदच्युत/बरखास्त किया गया।

(2) वास्तविक जांच में उक्त महिला के विरुद्ध फर्जी नाम व फर्जी रिकार्ड के आधार पर नौकरी पाने के आरोप सिद्ध होने पर बरखास्त कर दिया गया है। अत: उसे काम पर लिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी नहीं। श्रीमती गीता पत्नी कानाराम के वास्तव में रसोइया के पद पर कार्य करने और उसे नियमित करने के सम्बन्ध में अभी तक विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि उक्त मामले में पुलिस थाना, विजयनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के कारण कन्या छात्रावास विजयनगर का समस्त रिकार्ड पुलिस थाने में जब्त है। रिकार्ड वापस प्राप्त होने पर ही परीक्षण करने पर वस्तुस्थिति का पता चल सकेगा।

अजमेर नगर में संचालित अनुदानित संस्थाओं को वित्तीय सहायता

931. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर नगर में अनुदान द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं को कितनी संस्थाएं संचालित करती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाओं द्वारा उक्त योजनाएं कहां-कहां चलायी जाती हैं? क्या उक्त संस्थाएं पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त हैं? उक्त की वर्तमान कार्यकारिणी एवं संचालक मण्डल की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में इन्हें कितनी कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर नगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित दो संस्थाएं कार्यरत हैं :-

1. दयानन्द बाल सदन, अजमेर
2. राजस्थान विद्यापीठकुल, उदयपुर

(2) दयानन्द बाल सदन नामक संस्था द्वारा केसरगंज-अजमेर में निराश्रित बाल गृह एवं अनाथ आश्रम का संचालन किया जा रहा है तथा राजस्थान विद्यापीठकुल, उदयपुर संस्था द्वारा कस्तूरबा अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास एवं कस्तूरबा अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास, हटूण्डी (अजमेर) में संचालन किया जा रहा है।

उक्त संस्थाएं पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त हैं। वर्तमान कार्यकारिणी एवं संचालक मण्डल की सूची संलग्न है।

(3) इन संस्थाओं को गत 5 वर्षों में वित्तीय सहायता निम्नानुसार दी गयी है।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम संस्था	वर्ष	आव. बजट	व्यय	लाभान्वित
1.	कस्तूरबा	1997-98	2.56	2.56	75
	अनुसूचित	1998-99	3.10	3.10	75
	जनजाति कन्या	1999-00	4.75	4.75	75
	छात्रावास	2000-01	5.10	5.10	75
	हटूण्डी	2001-02	3.59	3.59	75
2.	कस्तूरबा	1997-98	0.86	0.86	25
	अनुसूचित	1998-99	1.25	1.25	25
	जाति कन्या	1999-00	1.54	1.54	25
	छात्रावास	2000-01	1.68	1.68	25
	हटूण्डी	2001-02	1.25	1.25	25
3.	दयानन्द	1997-98	2.29	2.29	92
	बाल सदन	1998-99	3.45	3.45	91
	अजमेर	1999-00	2.80	2.80	91
		2000-01	4.00	4.00	99
		2001-02	5.40	5.40	99

जिला सीकर में नवीन छात्रावासों की स्थापना

932. श्री अमराराम (धोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है? उक्त जिले में छात्रावासों व छात्रावासों में रह रहे छात्रों की संख्या कितनी है? उक्त में प्रति छात्र प्रति माह कितना खर्चा है?

(2) क्या उक्त जिले में सरकार और छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में 531 छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है। उक्त जिले में 12 राजकीय एवं 3 अनुदानित कुल 15 छात्रावास हैं व छात्रावासों में रह रहे छात्रों की संख्या 531 है। उक्त मद में प्रतिछात्र 675/- रुपया प्रतिमाह का खर्चा है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण और छात्रावास खोला जाना सम्भव नहीं है।

माध्यमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत हेतु राशि का आबंटन

933. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय भवन के मरम्मत हेतु राशि दी जा रही है?

(2) क्या सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु भी राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रतिवर्ष भवन मरम्मत हेतु राशि का प्रावधान रखा जाता है, जिसका आबंटन प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विद्यालयों को उपलब्ध वित्तीय प्रावधानानुसार किया जाता है।

पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद के मुखिया की मृत्यु पर देय सहायता

934. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि "राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना" राष्ट्रीय परिवार के मुखिया की मृत्यु पर दस हजार रुपयों की सहायता उसकी उम्र 18 वर्षों से चौसठ वर्षों की ही दी जाती है? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष

(श्री नन्दलाल मीणा)

2000-2001 व फरवरी, 2002 तक पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद के किन-किन लोगों को लाभान्वित किया गया? लाभान्वितों की नामवार/गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद में 2000-2001 एवं इस वर्ष फरवरी 2002 तक लाभान्वितों की नामवार गांववार सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

पंचायत समिति, सांगानेर (जयपुर) में पदस्थापित वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण

935. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला प्रमुख एवं पंचायत समिति प्रधान को कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने के अधिकार प्रदान किए गये हैं?

(2) यदि हां, तो पंचायत समिति, सांगानेर (जयपुर) में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक के स्थानान्तरण के आदेश जारी होने के पश्चात् कार्य मुक्त नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? स्थानान्तरण आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कार्य मुक्त नहीं किये जाने के पीछे क्षेत्रीय विधायक का हस्तक्षेप है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिषद् एवं पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति का अनुमोदन प्राप्त कर कर्मचारियों के स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशों के तहत किए जा सकते हैं।

(2) पंचायत समिति सांगानेर से जिला परिषद् जयपुर में वरिष्ठ लिपिक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जयपुर के आदेश क्रमांक 427-28 दिनांक 1.3.2002 के द्वारा स्थानान्तरण होने के पश्चात् इन्हें कार्यमुक्त किया जा चुका है।

(3) वरिष्ठ लिपिक को कार्यमुक्त किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र खारची की पंचायत समिति के विचाराधीन जांच प्रकरण

936. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र खारची की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, देसूरी व रानी की किन-किन ग्राम

(श्री केसाराम चौधरी)

पंचायतों के विरुद्ध अनियमितताएं सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों में से किन किन शिकायतों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कर रहा है तथा किन-किन की पंचायत समिति अधिकारी या अन्य अधिकारी जांच कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितनी जांच पूर्ण हो गई एवं कितनी जांच विचाराधीन है एवं दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, देसूरी व रानी की कुल 18 ग्राम पंचायतों के विरुद्ध अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायतें गत दो वर्षों के दौरान प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों का पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतवार विवरण संलग्न है।

(2) उक्त प्राप्त शिकायतों में से पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत आउवा के सन्दर्भ में प्राप्त शिकायत की जांच भ्रष्टाचार विभाग द्वारा की जा रही है तथा शेष प्राप्त शिकायतों की जांच पंचायत समिति के विकास अधिकारियों एवं सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारियों द्वारा की गई है/की जा रही है। विवरण संलग्न है।

(3) उक्त वर्णित प्राप्त शिकायतों में से 9 मामलों में जांच पूर्ण हो चुकी है एवं 9 प्रकरणों में जांच विचाराधीन है। प्रकरण जिनमें जांच पूर्ण हो चुकी है, अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के यहां विचाराधीन हैं। पूर्ण एवं विचाराधीन जांचों की सूची संलग्न है एवं पूर्ण जांच प्रतिवेदनों की प्रति संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर में राजीव गांधी पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को देय वेतन

937. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला श्रीगंगानगर में संचालित राजीव गांधी पाठशालाओं की सूची विधान सभा क्षेत्रवार व शिक्षा सहयोगियों के नाम तथा छात्र संख्या सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को नियमित शिक्षक के समान वेतनमान दिए जाने का

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में संचालित राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट ''क'' सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के प्रशिक्षित शिक्षा सहयोगियों को 4 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर तृतीय श्रेणी आवश्यक के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्कालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत कृष्णगंज (सिरोही) में पट्टा आबंटन में अनियमितता

938. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत कृष्णगंज (सिरोही) में वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में किन-किन व्यक्तियों को कब-कब भवन निर्माण की इजाजत दी है और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत क्षेत्र में कितने-कितने क्षेत्र में निर्माण की इजाजत दी गई?

(3) उक्त ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त अवधि में किन-किन व्यक्तियों ने आवासीय/वाणिज्यिक भवनों के पट्टे जारी करने के लिए आवेदन किया तथा किन-किन लोगों को उक्त आवेदनों पर पट्टे जारी किए गए? उक्त के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत कृष्णगंज (सिरोही) द्वारा वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में भवन निर्माण की जो स्वीकृतियां जारी की गई है, उसकी व्यक्तिवार सूची एवं अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) ग्राम पंचायत कृष्णगंज द्वारा जो निर्माण इजाजत दी गई है, उसकी क्षेत्रवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-2)

(3) ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त अवधि में जिन-जिन व्यक्तियों ने आवासीय/वाणिज्यिक भवनों के पट्टे जारी करने हेतु आवेदन किया है, उनकी सूची एवं पट्टे जारी करने में अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट-3)

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विद्यालय भवन का निर्माण

939. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कितने प्राथमिक विद्यालय बिना भवन के चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन विहीन उक्त विद्यालयों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में निम्न दो प्राथमिक विद्यालय बिना भवन के चल रहे हैं :-

1. रा.प्रा.वि., लीलक्या
2. रा.प्रा.वि., चक, लीलक्या

(2) राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं द्वारा राशि उपलब्ध होने पर निर्माण करवाया जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की पंचायतों की निजी आय

940. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की पंचायत समितियों में गत तीन वर्षों में निजी आय से कितनी आय हुई?

(2) निजी आय की राशि को किस किस मद में कितना-कितना खर्च किया गया? क्या खर्च की गई राशि वैधानिक नियमों के अन्तर्गत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) निजी आय की राशि कितनी कितनी शेष हैं तथा शेष राशि को किस किस मद में खर्च करने की योजना है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की पंचायत समितियों में गत तीन वर्षों में निजी आय निम्नप्रकार रही है :-

		1999-2000	2000-2001	2001-2002	योग
1.	किशनगंज	206071	264856	108119	579046
2.	शाहबाद	377362	347488	275480	1000330

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की पंचायत समिति, किशनगंज एवं शाहबाद में गत तीन वर्षों में निजी आय से व्यय निम्नप्रकार हुआ :-

		1999-2000	2000-2001	2001-2002	योग
1.	किशनगंज	279475	331619	240239	851333
2.	शाहबाद	170768	308308	230574	709650

(पंचायती राज मंत्री)

उक्त खर्च की गई राशि वैधानिक रूप से खर्च की गई है। उक्त व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की पंचायत समिति, किशनगंज एवं शाहबाद में दिनांक 1.3.2002 को निजी आय का शेष क्रमशः 1,51,831 एवं 2,89,031 है। शेष राशि साधारण सभा में पारित प्रस्तावों के आधार पर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला धौलपुर में प्राथमिक शालाओं में रिक्त पद

941. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर में वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक कितनी प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं और कितनी प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत किया गया? वर्षवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राथमिक शालाओं में कितने-कितने अध्यापक/अध्यापिकाएं कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी है? यदि हां, तो किन-किन प्राथमिक शालाओं में और उक्त कमी को कब तक पूरा कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक कोई भी प्राथमिक शालाएं नहीं खोली गई हैं। 30 प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत किया गया है जिनकी वर्षवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट ''क'' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त प्राथमिक विद्यालय कोई खोले ही नहीं गये हैं।

(3) लागू नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

पंचायत समिति कुचामन (नागौर) के अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं से छात्र निधि शुल्क की वसूली

942. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्र निधि शुल्क सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं से 50 प्रतिशत कम लेने का आदेश जारी कर रखा है?

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

(2) पंचायत समिति कुचामन (नागौर) में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं से सामान्य वर्ग के छात्रों से 50 प्रतिशत छात्र निधि शुल्क लेने के आदेशों की पालना किस-किस विद्यालय में नहीं हुई हैं तथा आदेश की अनुपालना न करने का दोषी कौन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 50 प्रतिशत छात्र निधि लेने के आदेश दिनांक 4.10.2001 को जारी किये गये थे जबकि छात्र निधि शुल्क माह जुलाई, 2001 से ही लिया जा चुका था अत: आदेश की अनुपालना न करने के लिए कोई दोषी नहीं है। परिवर्तित आदेश जुलाई, 2002 से प्रभावित हो जायेंगे।

प्रश्न संख्या-943

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-944

(स्थगित)

पंचायत समिति जवाजा (अजमेर) की ग्राम पंचायतों को देय अनुदान

945. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को सहयोग के लिए प्रतिवर्ष अनुदान राशि प्रदान की जाती है? यदि हां, तो पंचायत समिति जवाजा में अब तक कितने वर्षों का अनुदान ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जा चुका है? और अब कितने वर्षों का शेष है?

(2) उक्त शेष रहे भुगतान को राज्य सरकार कब तक करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति जवाजा में ग्राम पंचायतों को वर्ष 1997-98 से 2001-2002 के दौरान में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 को छोड़कर शेष वर्षों की अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 दो वर्षों का शेष रहा है।

(2) उक्त शेष रहे भुगतान को शीघ्र करने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम पंचायत भीमसर पंचायत समिति झुंझुनूं के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

946. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम पंचायत भीमसर पंचायत समिति झुंझुनूं के सरपंच द्वारा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

साण्ड शाला भवन को गिराकर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा उक्त भवन पर नाजायज कब्जा करने की शिकायत पर विकास अधिकारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से जांच कराई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरपंच के विरुद्ध चरागाह भूमि में पट्टे काटने साण्ड शाला पर कब्जा करने, वित्तीय अनियमितताओं की भीमसर निवासियों ने कोई शिकायत की थी? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई?

(3) क्या जिले के प्रभारी मंत्री विकास अधिकारी झुंझुनूं के निर्देशों तथा कार्यवाहक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झुंझुनूं द्वारा क्रमांक 4095 दिनांक 31.3.2000 को सरपंच के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के निर्देशों के बावजूद अब तक कार्यवाही नहीं की गई?

(4) क्या सरकार उक्त दोषी सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस सन्दर्भ में प्राप्त शिकायती प्रकरण की जांच करवाई गई थी एवं जांच में शिकायत में वर्णित तथ्य झूठे पाए गये।

(2) जी हां। चरागाह भूमि में पट्टे काटने एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायत की जांच विचाराधीन है। साण्ड शाला पर कब्जा करने की शिकायत जांच में झूठी पाई गई।

(3) विशिष्ट सहायक राज्य मंत्री, खनिज के पत्र दिनांक 5.2.2001 से ग्रामवासी भीमसर का एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर के मार्फत विकास अधिकारी, झुंझुनूं को प्राप्त होने पर विकास अधिकारी ने उनके पत्र क्रमांक 4095 दिनांक 31.3.2000 द्वारा जांच रिपोर्ट उप खण्ड अधिकारी, झुंझुनूं को भेजकर मार्गदर्शन चाहा था। उप खण्ड अधिकारी से ग्राम भीमसर की साण्ड शाला की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश प्राप्त होने पर विकास अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्र क्रमांक: 4163 दिनांक 22.4.2001 द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु लिखा गया लेकिन इसी सन्दर्भ में पुन: प्राप्त एक प्रकरण की जांच करने पर सरपंच के विरुद्ध की गयी शिकायत झूठी पायी गयी। अत: भेजी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रम में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(4) लम्बित अन्य जांच प्रकरण में दोषी पाये जाने पर सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्राम पंचायत धिनोई (जयपुर) की ग्राम सभाओं में कौरम का अभाव

947. श्री नाथूराम (किशनगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत धिनोई पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर में दिनांक 2.10.1999 को गणपूर्ति के अभाव में आयोजित की गई ग्राम सभा की कार्यवाही को पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ के आदेश क्रमांक 2181-83 दिनांक 19 नवम्बर, 1999 के तहत निरस्त किया जाकर प्रभाव शून्य घोषित की गई है? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्राम सभा की कार्यवाही को निरस्त करने के अधिकार उक्त अधिकारी को है? यदि हां, तो कौन से नियम के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त अधिकारी वर्तमान पंचायत समिति में कब से कार्यरत है? उक्त अधिकारी का नाम व पद एवं किस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर है का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आदेश जारी करके उक्त अधिकारी ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियमों की अवहेलना की है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त नियम विरुद्ध आदेश जारी करने एवं कौरम के अभाव में ग्राम सभा का आयोजन करने की विस्तृत जांच करवा कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या गणपूर्ति के अभाव में आयोजित ग्राम सभा को उच्च अधिकारियों को निरस्त करने के उपरान्त ग्राम सभा में मनोनीत पर्यवेक्षक एवं सचिव गणपूर्ति के अभाव में ग्राम सभा का आयोजन करके पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियमों की अवहेलना करने के दोषी नहीं है? यदि हां, तो कौन से नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त आदेश की प्रति ग्राम पंचायत धिनोई को भी दी गई है? यदि हां, तो ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या उक्त आदेश का उक्त ग्राम सभा की कार्यवाही पंजिका पर नोट लगाया जाना चाहिए था? क्या ग्राम

(श्री नाथूराम)

पंचायत द्वारा उक्त आदेश का उक्त ग्राम सभा की कार्यवाही पर नोट लगा दिया गया है? यदि हां, तो नोट लगाने वाले कर्मचारी का नाम व पद तथा नोट लगाने के दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या नोट नहीं लगाया गया है? यदि हां, तो क्यों और उक्त के लिये कौन कर्मचारी जिम्मेदार है? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि उक्त आदेश की प्रति जिला परिषद् जयपुर को भी दी गई है? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति जिला परिषद् जयपुर को किस दिनांक को प्राप्त हुई व उक्त पर जिला परिषद् द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या जनता एवं जन प्रतिनिधियों के दबाव में सचिव एवं पर्यवेक्षक, कौरम के अभाव में ग्राम सभा का आयोजन कर सकते हैं? यदि हां, तो कौन से नियम के तहत?

(10) क्या उक्त ग्राम सभा गणपूर्ति के अभाव में आम सभा का आयोजन करके सचिव एवं पर्यवेक्षक द्वारा अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया और साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की अवहेलना की गई है? यदि हां, तो सरकार ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 6 में यह व्यवस्था है कि यदि अपेक्षित गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जाती है तो वह किसी भी दशा में उस दिनांक को आयोजित नहीं होगी। चूंकि ग्राम सभा की बैठक पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता में होती है इसलिए उसका यह दायित्व है कि वह ऐसी बैठक जिसमें गणपूर्ति का अभाव है उसे स्थगित करे। सरपंच, ग्राम पंचायत घिनोई द्वारा कौरम के अभाव में बैठक स्थगित नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 334 (45) के अन्तर्गत ग्राम सभा और पंचायत बैठकों के रजिस्टरों का नियंत्रण अधिकारी होने के नाते उक्त ग्राम सभा की बैठक को निरस्त किये जाने के आदेश निकाले गये। नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। श्री राम किशोर खाती, विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में दिनांक 22.5.1999 से कार्यरत है, जो शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। ग्राम सभा में यदि अपेक्षित गणपूर्ति नहीं होती है तो ग्राम सभा की बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित किये जाने का एकमात्र विकल्प है। चूंकि कौरम के अभाव में ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिये गये थे जिसे विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ द्वारा निरस्त कर दिया गया। जो नियम विरुद्ध कर्तव्य की परिभाषा में नहीं आता है।

(5) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ को ग्राम पंचायत, घिनोई की ग्राम सभा में कौरम के अभाव में लिये गये निर्णयों की सूचना मनोनीत पर्यवेक्षक एवं सचिव द्वारा दी गई थी, ऐसी स्थिति में मनोनीत पर्यवेक्षक एवं सचिव दोषी नहीं है।

(6) जी हां। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ को निर्देशित किया जा रहा है कि वह गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई ग्राम सभा की बैठक को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 6 के अन्तर्गत बुलाने हेतु सरपंच को पाबन्द करें।

(7) जी हां। उक्त आदेश की प्रति ग्राम सभा की कार्यवाही पंजिका में तत्कालीन सचिव श्री बफाती खान द्वारा चिपका दिया गया है।

(8) जी हां। दिनांक 19.11.1999 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर को उक्त आदेश की प्रति प्रेषित की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 6 में की गई व्यवस्था अनुसार गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई ग्राम सभा की बैठक को पुनः कम से कम एक सप्ताह की कालावधि बीत जाने पर पुनः बुलाने हेतु ग्राम पंचायत घिनोई के सरपंच स्वयं अधिकृत है।

(9) जी नहीं।

(10) ग्राम पंचायत घिनोई की ग्राम सभा में कौरम का अभाव होते हुए भी उपस्थित जन समुदाय एवं जन प्रतिनिधियों के दबाव से ग्राम सभा की कार्यवाही विवरण लिखवा दिया गया। जिसे विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ द्वारा (प्रतिनियुक्त सचिव एवं पर्यवेक्षक द्वारा ध्यान में लाये जाने पर) दिनांक 19.11.1999 को निरस्त कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पर्यटन विभाग के मिडवे/रेस्टोरेंटों में हो रही अनियमितताओं की जांच

948. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शिवनाथ सिंह)

(1) पर्यटन विभाग द्वारा कौन-कौन से स्थानों पर मिडवे/रेस्टोरेंट या अन्य प्रकार के कोई से स्थान चलाये जा रहे हैं?

(2) वर्ष 2001-2002 में उक्त में से किस-किस में घाटा रहा तथा किस किस में नफा रहा और घाटे के क्या कारण रहे हैं?

(3) उक्त अवधि में उक्त संस्थाओं में प्रत्येक में कितना-कितना प्रशासनिक व्यय रहा?

(4) उक्त घाटे को कम करने के क्या कोई उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी मिडवे/रेस्टोरेंट का संचालन नहीं किया जाता है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित मिडवे, रेस्टोरेंट, होटल्स की सूची परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम में वर्ष 2001-2002 में लाभ व हानि में रहने वाली इकाइयों की सूची मय घाटे के कारणों के परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2001-2002 में प्रत्येक इकाई के प्रशासनिक व्यय का विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(4) निगम में घाटे पर चल रही इकाइयों के लिए किए जा रहे उपयों का विवरण परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है।

(सूची व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति, सैंदड़ा (पाली) की कार्यरत सहायिका को मानदेय भुगतान

949. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति सैंदड़ा (पाली) के राजस्व गांव झाड़ली मानपुरा में राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष में आंगनबाड़ी केन्द्र बन कर तैयार हुआ है तथा कितनी राशि व्यय की गई?

(2) उक्त नये भवन में आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन किस तिथि से किसके आदेश के बाद किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार एक आंगनबाड़ी केन्द्र को इसी झाड़ली मानपुरा छोटे राजस्व गांव में 15 दिन तक आंगनबाड़ी केन्द्र से दूर अन्य स्थान पर चलाने की व्यवस्था किस आधार पर की गई?

(4) क्या एक ही केन्द्र को एक गांव में 15 दिन सहकारी केन्द्र पर तथा 15 दिन किसी के निजी मकान पर चलाने

(श्री हीरासिंह चौहान)

से महिलाओं व बालक-बालिकाओं को प्रतिदिन दी जाने वाली सामग्री के रखरखाव में गड़बड़ी नहीं होगी? यदि हां, तो अन्य स्थान पर केन्द्र संचालित करने के आदेश रद्द कब तक किये जावेंगे?

(5) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र की कार्यरत सहायिका श्रीमती घीसी देवी को गत 7 माह से मानदेय नहीं दिया जा रहा है? उक्त के मानदेय का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) आंगनबाड़ी भवन का निर्माण वर्ष 1992-93 में किया गया तथा रुपये 54,376/- राशि व्यय की गई।

(2) दिनांक 25.7.2001 को बाल विकास परियोजना अधिकारी, रायपुर के आदेश से किया गया है।

(3) इस प्रकार की व्यवस्था परियोजना कार्यालय द्वारा नहीं की गई।

(4) जी नहीं। नये केन्द्र पर ही पोषाहार उपलब्ध एवं वितरण किया जाता है। ऐसे आदेश नहीं किए गए अतः रद्द करने का प्रश्न नहीं है।

(5) जी नहीं। उक्त केन्द्र पर श्रीमती घीसी देवी को सहायिका नहीं लगाया गया। पूर्व/वर्तमान में श्रीमती दाखू देवी, सहायिका का कार्य कर रही हैं।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल व्यवस्था

950. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या महिला विकास एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प कहां-कहां लगे हुए हैं अथवा क्या पेयजल सुविधा उपलब्ध है?

(2) क्या यह सही है कि अभी भी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है? क्या उक्त पेयजल सुविधा हेतु हैण्ड पम्प लगाने हेतु मानदण्ड/नीति बनी हुई है? यदि हां, तो उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बिन्दु संख्या 2 में अंकित स्थानों पर आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल सुविधा नहीं है वहां सरकार द्वारा समन्वय स्थापित करके उक्त समस्या का निवारण करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की परियोजना जहाजपुर में 21 व परियोजना कोटड़ी में 17 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हैण्ड पम्प/सरकारी नल से पेयजल सुविधा उपलब्ध है। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(महिला विकास एवं बाल विकास मंत्री)

(2) जी हां। परियोजना जहाजपुर के 82 आंगनबाडी केन्द्रों व परियोजना कोटड़ी के 21 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल के लिए हैण्ड पम्प उपलब्ध नहीं है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हैण्ड पम्प की स्थापना बजट की उपलब्धता के आधार पर कराई जाती है।

(3) जैसे-जैसे वित्तीय संसाधन होते है, वैसे-वैसे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हैण्ड पम्प स्थापित किये जाते हैं। अन्यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पास के अन्य स्रोतों से पेयजल प्राप्त करती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

जिला पाली में बाल विकास परियोजना में कार्यरत स्वयं सेविकाएं

951. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी): क्या महिला विकास एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में महिला एवं बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं? विधान सभा क्षेत्रवार आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाल विकास बाबत क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

(3) उक्त केन्द्रों पर कितनी स्वयं सेविकाएं/कार्यकर्ता कार्य कर रही हैं? उक्त को कितना मानदेय सरकार द्वारा दिया जा रहा है?

(4)उक्त स्वयं सेविका/कार्यकर्ताओं का चयन किस प्रक्रिया के अन्तर्गत होता है?

उत्तर

(1) पाली जिले में संचालित 11 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन स्वीकृत 1290 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विरुद्ध वर्तमान में 1266 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 0-6 वर्ष के बच्चों के कुपोषण की रोकथाम, बीमारियों से बचाने, स्वास्थ्य स्तर में सुधार तथा बौद्धिक विकास हेतु निम्न सेवाएं दी जा रही है :-

(1) पूरक पोषाहार (2) शाला पूर्व शिक्षा (3) पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा (4) टीकाकरण (5) स्वास्थ्य जांच (6) संदर्भ सेवाएं

क्रम संख्या 4 से 6 तक अंकित सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शाला पूर्व शिक्षा किट व मनोरंजन के लिए खिलौने आदि सामग्री दी जा रही है।

(महिला विकास एवं बाल विकास मंत्री)

(3) केन्द्रों पर 1250 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 1238 सहायिकाएं कार्य कर रही हैं। इसकी प्रतिमाह दिए जा रहे मानदेय की दरें निम्नप्रकार है :-

क्र.सं.	विवरण	मानदेय राशि
(अ)	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	
(i)	नान मैट्रिक	438/-
(ii)	नान मैट्रिक 5 वर्ष का कार्यानुभव	469/-
(iii)	नान मैट्रिक 10 वर्ष का कार्यानुभव	500/-
(iv)	मैट्रिक	500/-
(v)	मैट्रिक 5 वर्ष का कार्यानुभव	531/-
(vi)	मैट्रिक 10 वर्ष का कार्यानुभव	562/-
(ब)	आंगनबाड़ी सहायिका	260/-

(4) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का चयन आम सभा के माध्यम से होता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र टीब्बी में विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

952. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत वर्ष में विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में विकास कार्यों के लिये कितनी राशि आबंटित की गई है? क्या सीमांत क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु भी राशि आबंटति हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पंचायत मुख्यालय मोधूनगर को कलालावाली ढाणी, उत्तरादी ढाणी व पंचायत हैडक्वार्टर लखूवाली से बेहड़ा वाला चक आदि को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी (हनुमानगढ़) हेतु गत वर्ष विभिन्न कार्यों हेतु 136.09 लाख रुपये की राशि आबंटित/जारी की गई है। सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम हनुमानगढ़ जिले में क्रियान्वित नहीं किया जाता है। फलस्वरूप उक्त कार्यक्रम के तहत उक्त क्षेत्र हेतु राशि आबंटित नहीं की गई।

(2) पंचायत मुख्यालय मोधूनगर का कलालावाली ढाणी, उत्तरादी ढाणी व पंचायत मुख्यालय लखूवाली से बेहड़ा वाला चक आदि को सड़कों से जोड़ने के प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में विचाराधीन नहीं है।

राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती योजना अन्तर्गत निर्मित दुकानें

953. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री माधव सिंह दीवान)

(1) राज्य में गत तीन वर्षों में पंचायत समितिवार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती योजना के अन्तर्गत कुल कितनी दुकानों का निर्माण हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों में कितनी पूरी/अधूरी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दुकानों में कितनी आबंटित हो गई, कितनी चालू हो गई तथा कितनी अभी तक बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दुकानों के आबंटन की प्रक्रिया में क्या कुछ संशोधन करने का विचार है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) विभाग में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है। विभाग द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत राज्य में गत तीन वर्षों में पंचायत समितिवार कुल 24007 दुकानों का निर्माण किया गया है। सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त दुकानों में से 24007 दुकानें पूरी हो गयी हैं। 277 दुकानें अधूरी हैं। सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त दुकानों में से 23018 दुकानें आबंटित हो गयी हैं। 14994 दुकानें चालू हैं। 8024 दुकानें बन्द हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी हां। उक्त दुकानों के आबंटन की प्रक्रिया में विभागीय परिपत्र दिनांक 19.4.2001, पत्र दिनांक 25.4.2001 तथा 2.3.2002 से निम्न संशोधन/शिथिलता प्रदान की गयी है :-

1. निर्मित दुकानों के किराये के निर्धारण का निर्णय स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खण्ड स्तरीय स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा लिया जावे।
2. दुकानों का आबंटन उन ग्रामीण बीपीएल परिवारों को भी किया जा सकता है, जो योजनान्तर्गत व्यवसाय चलाने हेतु ऋण व अनुदान नहीं भी लेना चाहता हो।
3. जिन दुकानों को बीपीएल परिवारों के व्यक्ति लेने के इच्छुक नहीं है, तो ऐसी दुकानों को, अगर सम्बन्धित स्थानीय निकाय/पंचायत समिति लेना चाहे तो दुकानों के निर्माण की लागत अभिकरण में जमा कराकर उन्हें उपलब्ध करायी जा सकती है, ताकि इन निर्मित दुकानों का सदुपयोग हो सके।
4. आबंटन हेतु यथासम्भव सभी प्रयासों के उपरान्त आबंटन रहित दुकानों को पंचायतवार चिन्हित कर, उनको राजस्थान पंचायती राज नियम, 151

(ग्रामीण विकास मंत्री)

के तहत गठित स्टैंडिंग आक्शन कमेटी द्वारा नीलाम किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि में से एसजीएसवाई मद से इन दुकानों के निर्माण पर व्यय राशि को वापस सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में जमा करायी जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्राप्त राशि सम्बन्धित पंचायत की आय मानते हुए उसका नियमानुसार उपयोग किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(विवरण/सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम निराधनू (झुंझुनूं) में सरकारी भूमि पर निर्मित दुकानों में अनियमितता

954. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम निराधनू, जिला झुंझुनूं में सरकारी बीड़ भूमि में पांच दुकानों की (स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना) स्वीकृति के विरुद्ध आठ दुकानों का निर्माण उसी सामान व उसी मजदूरी से बनाई गई? यदि हां, तो उक्त में दोषी सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि मौजूदा सरपंच ने पूर्व सरपंच व इनके दो भाइयों सहित तीन दुकान अवैध निर्माण करवाई गई? यदि हां, तो सरपंच व पूर्व सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही सम्पादित हुई व हो रहा है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आदेश दुकानों की जांच तहसीलदार, मलसीसर, उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं ने की है? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहा है और जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। इन तीन दुकानों का निर्माण पूर्व सरपंच श्री जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कराया गया है, जिसके विरुद्ध तहसील मलसीसर में प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत विचाराधीन है।

(3) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझुनूं) में सांसद क्षेत्रीय विकास योजना में स्वीकृत राशि का उपयोग

955. श्री हनुमान प्रसाद (सूरजगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझुनूं) में सांसद एवं विधायक क्षेत्रीय

(श्री हनुमान प्रसाद)

विकास योजना के तहत वर्ष 1998-99 से मार्च, 2002 तक कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किए गए हैं? कार्यवार राशि दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों के लिये कितनी कितनी राशि स्वीकृत हुई थी तथा कितनी राशि व्यय हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों में जो राशि खर्च नहीं हुई उक्त बची हुई राशि को क्या विभागों ने जिला विकास अभिकरण झुंझुनूं को वापस लौटा दिया है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझुनूं) में वर्ष 1998-99 से मार्च, 2002 तक सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत रुपये 235.82 लाख की लागत राशि के 204 कार्य तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र योजनान्तर्गत रुपए 121.77 लाख के 320 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। उक्त कार्यों पर स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(2) उक्त कार्यों पर स्वीकृत राशि तथा व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(3) वर्तमान में किसी भी कार्यकारी एजेंसी के पास बिना उपयोग के राशि लम्बित नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

निजी महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड

956. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में निजी महाविद्यालय खोलने के बारे में सरकार की क्या नीति है? क्या उक्त सम्बन्ध में कोई निर्धारित नीति बनाई गई है और आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो उक्त की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या लड़कों व लड़कियों के लिये निजी कालेज खोलने के लिए अलग-अलग नीति निर्धारित की है? यदि हां, तो क्या-क्या?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र का सहयोग बढ़ाने हेतु निजी महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करने की नीति है।

वर्तमान में निजी क्षेत्र में महाविद्यालयों को खोले जाने के लिए मानदण्ड निर्धारित हैं, जो परिशिष्ट-1 पर है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) महिलाओं को उच्च शिक्षा में प्रेरित करने हेतु निजी क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने के मानदण्डों में महिला महाविद्यालय हेतु निम्नानुसार सुविधाएं दी गई है:-

1. महाविद्यालय खोलने के निर्धारित मानदण्डों में शिथिलता दी जा सकती है।

2. वित्तीय सुदृढ़ता की दृष्टि से महिला महाविद्यालय हेतु महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा 5 वर्षीय सावधि खाते में 10.00 लाख रुपये जमा कराने का प्रावधान है जबकि सहशिक्षा के महाविद्यालय में 25.00 लाख रुपये जमा कराये जाने का प्रावधान है।

(मानदण्ड के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

957. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति के विरुद्ध गत तीन वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उक्त शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान सरकार में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध समय समय पर चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट- 20 देखें)

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय

958. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में कितने उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं और उक्त में कौन-कौन से विषय हैं?

(2) क्या सरकार गौठान, बासनी, अणं, पौधिया व पौधियासी में विज्ञान व वाणिज्य विषय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में 08 उ.मा.वि. संचालित है, विद्यालयवार एवं इन विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विषय/संकाय खोलने के लिये बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतः

(शिक्षा मंत्री)

प्रस्तावित विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलना सम्भव नहीं है। बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ संकाय खोलने की मांग प्राप्त होने पर विचारार्थ रखा जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट- 21 देखें)

जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद के ग्रामों का सर्वे

959. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के बारानी क्षेत्र पर जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विकास के लिये मार्च, 1999 से दिसम्बर, 2001 तक जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति क्षेत्र प्रतापगढ़ एवं अरनोद के गांवों का सर्वेक्षण किया गया और राज्य सरकार को परियोजना बना कर प्रस्तुत की है? प्रस्तुत परियोजना एवं स्वीकृत कार्यों की वर्षवार एवं पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जलग्रहण एवं भू-संरक्षण के लिये प्रतापगढ़ में एक विभागीय इकाई थी जिसे अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आदिवासी पंचायत समिति क्षेत्र प्रतापगढ़ एवं अरनोद में जलग्रहण एवं भू-संरक्षण क्षेत्र में उपयुक्त नहीं है?

उत्तर

(1) जी हां। जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति, प्रतापगढ़ एवं अरनोद के बारानी क्षेत्र हेतु जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विकास के लिए मार्च, 1999 से दिसम्बर, 2001 तक मूलभूत सर्वेक्षण किया जाकर कुल 8 परियोजनाएं तैयार की गई, जिनमें से 7 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रस्तुत परियोजना एवं स्वीकृत कार्यों की वर्षवार एवं पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की प्रतापगढ़ इकाई का वर्ष 2001-2002 के लिए वार्षिक कार्यभार प्रति इकाई औसतन लक्ष्य रुपए 100.00-125.00 लाख के विरुद्ध केवल रु. 35.60 लाख ही था। अतः प्रतापगढ़ इकाई को अन्यत्र स्थानान्तरित कर इसका कार्यभार निम्बाहेड़ा इकाई को सौंपा गया, जिसका वर्ष 2001-2002 का कार्यभार कुल 116.20 लाख है।

(3) ये क्षेत्र जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण के लिए उपयुक्त है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

(स्थगित प्रश्न)

दिनांक 2 अप्रैल, 2002

अप्रशिक्षित अध्यापकों को चयनित वेतनमान के निर्णय की पालना

335. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अजमेर में वर्ष 1980 से पूर्व में अप्रशिक्षित अध्यापक कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन कौन तथा कब-कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान देने के विभिन्न न्यायालयों द्वारा आदेश/निर्णय दिए गए हैं? यदि हां, तो अब तक किस-किस न्यायालय एवं न्यायाधीशों द्वारा कब-कब एवं क्या क्या निर्णय/आदेश दिए गए हैं? उक्त निर्णयों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त निर्णयों/आदेशों के अध्यधीन उक्त अध्यापकों को नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से तथा कब तक दे दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त देय बकाया वेतन कैसे व कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

(4) क्या सरकार ने उक्त आदेशों/निर्णयों की पालना में कोई आदेश/परिपत्र जारी किये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा कब-कब जारी किये हैं? उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त न्यायालयों के निर्णयों/आदेशों को चुनौती देने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक अपील की जावेगी? उक्त अपील के मुद्दे क्या होंगे?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण का परिशिष्ट ''क'' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त में से 21 अध्यापकों के द्वारा न्यायालय/अधिकरण में रिट/अपील दायर की थी। माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट ''ख'' सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त निर्णय/आदेशों के तहत अध्यापकों चयनित वेतनमान देने सम्बन्धी पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''क'' में सम्मिलित है।

(4) जी हां। दिनांक 26.6.2001 तथा 19.7.2001 की आदेश प्रसारित किये गये है। आदेश की प्रति परिशिष्ट ''ग'' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री हरीशचन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से नावां विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(12.04 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राहत मंत्रीजी ने कहा था आज जवाब आएगा...

श्री उपाध्यक्ष : आएगा, आएगा (व्यवधान) आप बिराजो।

श्री अमराराम (धोद) : कार्य सूची में तो कहीं है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं....(व्यवधान) मैं बता रहा हूं आप बिराजो। माननीय राहत मंत्रीजी अभी आएंगे, चार बजे आपको स्टेटमैंट देंगे, चार बजे के आसपास। थोड़ा उनका स्वास्थ्य नरम था इसलिए देर से आए। चार बजे के करीब देंगे।

श्री रामस्वरूप : सदन की ओर से विद्युत मंत्रीजी को बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में कार्यरत अस्थायी शिक्षकों को नियमित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से नगरपालिका, डूंगरपुर के दैनिक वेतन सफाई कर्मचारियों के 54 पद स्थायी करने के सम्बन्ध में।

(3) मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से नगर व पहाड़ी तहसील के सभी गांवों में गर्मी के मौसम को देखते हुए पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर के स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री यशवन्त सिंह रामू, सदस्य की ओर से राज्य सरकार के हेलीकाप्टर के चालक अधिकारी की कथित भ्रष्ट कारगुजारियों के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री अमराराम चौधरी। (अनुपस्थित) श्री नाथूराम अहारी। (अनुपस्थित) मोहम्मद माहिर आजाद।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

नगर (भरतपुर) विधान सभा क्षेत्र में पेयजल सुविधा

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, नगर व पहाड़ी तहसील के सभी गांवों में गर्मी के मौसम को देखते हुए पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल सुलभ कराने हेतु राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री व सदन का ध्यान आकर्षित करने हेतु निवेदन है।

पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान के विगत तीन चार वर्षों से पड़ रहे भयंकर अकाल की छाया से पूर्वी राजस्थान का भरतपुर जिला भी अछूता नहीं रहा है और भरतपुर जिले की सम्पूर्ण नगर तहसील, जिसके नीम, सोमकी, धनभतपुरा, गिडगांवा, थून, फतेहपुर, समली, खखावली, सैमला, मानोता, मूंडिया, रसिया, पडलवास, उडकी दल्ला, गुलपाडा, बेरू जयश्री, ककराला, नांगल, सीकरी, झंझार, निहाम, बूडली, तजलालपुर, लाडमका, बेला न्यामतपुर, नीमखेड़ा, कुतकपुर, पैंडका तथा पहाड़ी तहसील के खण्डेवला, जारला, हुसेपुर, आलमपुर, खण्डेवला खुरानी का बांस, जोत गावेती, मालिकी, पिपरोली, छपरा आदि गांवों के साथ साथ खोहरी बुजां, धनोता, वगैरह गांवों में लोग बूंद-बूंद को तरस रहे हैं या खारा पानी-पाने को या दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। बिजारना, चिलावड़ा, पापड़ा व मनवासी, खटकरका बख्शूका के विद्यालयों में हैण्ड पम्प नहीं है। सीकरी का उच्च जलाशय अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। निहाम व झंझार की योजना स्वीकृत होने के लिए चीफ आफिस में पड़ी है। भरपुरा योजना में हुए घोटाले की जांच नहीं हो रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर व पहाड़ी की पेयजल योजनाओं को शीघ्र मंजूरी दी जाए तथा नगर विधान सभा क्षेत्र को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल सुलभ कराया जाए।

अब आश्वासन तो दो कि पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। कापी दी हुई है। तो अब हाउस में पढ़ा है, यह तो कहो कि पीने के पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। इतना तो कहो। माननीय जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी इतना तो कहो आप।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी जवाब दिलाया जाएगा क्या? मेरा भी दोगे क्या?

डा. जितेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) : उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने मुझे 295 की कापी भेज दी है और मैं अधिकारियों से विचार विमर्श करके अतिशीघ्र यह व्यवस्था कराने की...

मोहम्मद माहिर आजाद : पीने के पानी की व्यवस्था पर।

डा. जितेन्द्र सिंह : हां, पीने के पानी की।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक साहब।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर लाल अहारी... (व्यवधान) आप वहां बैठकर बात करो इनसे...(व्यवधान) आर्डिनेंस निकालो...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है आपसे। एक निवेदन है छोटा सा कि इन मंत्रियों को यहां चेम्बर दे रखे हैं इस विधान सभा में, इनको खतम कर दिया जाए और हाउस को चेम्बर बना दिया जाये। चेम्बर समाप्त कर दिये जाए इनके। इतना बिल्डिंग में, इनके कमरों में खर्च हो रहा है इसलिए चेम्बर यहीं बना दिया जाए हाउस में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : भिंडी बाजार बना रखा है, उपाध्यक्ष महोदय, देखो आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डूंगरपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय, भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किये हैं फलस्वरूप देश को आजादी मिली। इन्हीं में कुछ लोग भगवान की दया से जिन्दा हैं लेकिन उन्हें अभी भी स्वतंत्रता सेनानियों की सुविधाएं नहीं मिली हैं। डूंगरपूर में आजादी प्राप्त करने में कई लोग जो पालों गांवों में रहते हैं, कई लोगों ने पहले से फार्म पेश किये गये हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामलालजी, आप बैठ जाओ। बैठ जाओ न, यहां बैठकर बात करो न। इनके पास बैठ जाओ। कोई दिक्कत है?

श्री शंकर लाल अहारी : लेकिन अभी तक स्वतंत्रता सेनानी घोषित नहीं किये गये हैं। कई स्वतंत्रता सेनानी तो मर चुके हैं, उनमें से कुछ ही लोग जिन्दा हैं।

अत: मैं निवेदन करता हूं कि निम्न व्यक्तियों को, जिन्होंने फार्म पेश किये हैं, उनको स्वतंत्रता सेनानी में घोषित कराने की कृपा करावें :-

(श्री शंकरलाल अहारी)

1. श्री नन्दकिशोर धोबी, जिला डूंगरपुर।

2. श्री मगनलाल मानाजी, डामोर जलाई।

3. श्री कुरीचन्द पुत्र चुन्नीलाल।

4. श्रीमती रतनबाई बेवा-झोथरी।

5. श्रीमती रूप झोथरी।

6. श्रीमती गलाल बाई बेवा–नाथाजी।

7. श्रीमती लालीबाई देकणजी।

8. श्रीमती जमनाबाई बेवा–वकसी।

9. श्रीमती नानी बाई महेन्द्र जी।

10. श्रीमती खातरी बाई।

11. श्रीमती मंगली बाई।

12. श्रीलालजी पुत्र वेलजी पटेल हथाई।

13. श्री चिमनलालजी उपाध्याय।

14. श्री धर्मराज–सियालदारी।

15. श्री भाणजी भाई पटेल–फलोग।

16. श्री शिवलाल पुत्र कस्तूरचन्द कोटडिया।

17. श्री कृष्णगोपाल कलाटिया।

18. श्रीमती वजी ब्राई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उन्होंने बोल दिया, अब मेरा नम्बर है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या हुआ?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उन्होंने बोल दिया, अब मेरा नम्बर है।

श्री उपाध्यक्ष : तो आपको भी बुला देंगे। कहां जल्दी है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : तो पर्यटन मंत्री महोदया भाग जाएंगी तब तक।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नहीं भागे। आप चिन्ता मत करो। आप कहोगे कि रोकना है तो यहां रोक देंगे।

नगरपालिका डूंगरपुर में दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मियों का स्थायीकरण

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : नगर पालिका डूंगरपुर में दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों के 54 पदों को स्थायी कराने के बारे में 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

महोदय जी, नगरपालिका डूंगरपुर में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो कि 31.12.1995 को 240 दिन पूरे हो गये थे लेकिन सरकार से बजट नहीं मिलने के कारण इन्हें स्थाई नहीं किया गया। वर्ष 1998 में तत्कालीन चेयरमैन गुरुप्रसाद पटेल तथा अतिरिक्त कलक्टर, अबरार अहमद ने 1998 में 30-35 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय लिया था। लेकिन उस समय भी उन्हें स्थायी नहीं किया। इसके बाद भी कई

(श्री नाथूराम अहारी)

बार निदेशक तथा नगरपालिका ने भी बार-बार पत्र व्यवहार किया पर इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

बाद में इस केस को मण्डल बैठक में भी रखा गया। मण्डल बैठक में निर्णय लिया कि इस बारे में राज्य सरकार को लिखा जावे कि चुंगी भरण राशि 2.5 लाख रुपया वृद्धि कर भेजें तभी 54 सफाई कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला दी जा सकेगी।

श्रीमन् विगत 9 सालों में जो बी.जे.पी. का शासन था और अभी भी पालिका बी.जे.पी. की है। इन्होंने उक्त 54 सफाई कर्मचारियों का शोषण किया है। दिनांक 6.3.2002 को जब मुख्य मंत्रीजी डूंगरपुर पधारे थे तब भी दोवड़ा हवाई पट्टी पर इस सम्बन्ध में इन कर्मचारियों ने प्रार्थना की थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वस्त किया था कि आपको स्थायी कर दिया जाएगा।

इस सम्बन्ध में आज तक जो कार्यवाही की है उसके समस्त कागजात विभाग तथा सम्बन्धितों को पेश किए जा चुके हैं पर अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नगरपालिका डूंगरपुर में जो 54 अस्थायी सफाई कर्मचारी, जो विगत 15 सालों से स्थायी नहीं किए गये हैं उन्हें स्थायी करने की कृपा करें और आज ही यह आश्वासन दें कि कब तक इन्हें स्थायी करने की कृपा करें और आज ही यह आश्वासन दें कि कब तक इन्हें स्थायी करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंहजी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे सुनने वाला तो कोई धनी-धोरी हैं नहीं आपकी गवर्नमेंट में। पता नहीं, क्या व्यवस्थाएं हो रही है इसमें।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं जो मुद्दा उठाने जा रहा है, वह इतना गंभीर है...

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय उपाध्यक्षजी, मछली बाजार बना रखा है, देखिए आप उधर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, यह आपका मामला है सुनिए। हां, सुन रहे हैं ना वह।

राजकीय हेलीकाप्टर चालक अधिकारी की अवांछनीय कार गुजारियां

श्री यशवन्त सिंह (रामू)(नदबई) : प्रक्रिया व कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार में पदस्थापित भ्रष्ट अधिकारी की कारगुजारियों के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

मान्यवर महोदय, एम.सी. पोपली, जो राजकीय हेलीकाप्टर के चालक हैं वे सेना से सेवा निवृत्ति के पश्चात् राजकीय सेवा

(श्री यशवन्त सिंह (रामू))

में पदस्थापित हैं। उक्त अधिकारी सेना से पेंशन लेते हैं तथा राज्य सरकार से अपना पूरा वेतन भी लेते हैं लेकिन सेना से मिलने वाली पेंशन को अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के समय इसे छिपाकर राज्य सरकार से ली जाने वाली वेतन का ही उल्लेख करते हैं जो नियमों के विरुद्ध है। उक्त अधिकारी बिना वाहन उड़ाए उड़ान भत्ता भी ले रहे हैं, जो भी नियम विरुद्ध है। साथ ही राजकीय हेलीकाप्टर चलाने में स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में इन्हें चलाते हैं और सत्यता को छिपाते हैं। अत: इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट एवं लापरवाह अधिकारी के खिलाफ तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल। (व्यवधान) परची है।

पर्ची के माध्यम से उठाए गये मुद्दे

ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाए जा रहे वाहन (जुगाड़) का पंजीकरण

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले अमरीका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटनजी भारत आए और सवाई माधोपुर सैंक्चुअरी देखने गये। किसानों ने खेतों पर जानवरों और रोजड़ों से अपनी फसल बचाने के लिए कीकर के काटे बल्लियों के सहारे लगा रहे थे। यह देखकर श्रीमान् क्लिंटनली ने पूछा कि यह सूखे पेड़ क्यों लगा रखे हैं, पर्यटन मंत्री महोदया साथ में थी। उन्होंने उनको बताया कि यह देशी जुगाड़ हैं जिसको कि अंग्रेजी में वायर फेंसिंग कहा जाता है। वायरफेंसिंग....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काहे पर बोल रहे हो आप?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जुगाड़ के ऊपर बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जुगाड़ पर बोल रहा हूं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : जुगाड़ के ऊपर बोल रहे हैं। जुगाड़ पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप बैठो। आप काहे को बोल रहे हो? काहे पर बोल रहे हो आप?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जुगाड़ पर बोल रहा हूं। किसान बुग्गा, किसान गाड़ी...

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो खुद ही जुगाड़ हैं। जुगाड़ पर क्या बोलेंगे?

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे तो आप भी जुगाड़ ही लगते हो...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : वह नायला गए। उन्होंने बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा। बच्चों ने क्रिकेट स्टम्प की जगह बल्लियां गाड़ रखी थी। क्लिंटनजी ने पूछा कि यह स्टम्प्स की जगह क्या लगा

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

रखा है, तो पर्यटन मंत्री महोदया जो साथ में थी, इन्होंने यह बोला कि इनके पास खेलने के लिए सामान नहीं है इसलिए इन्होंने लकड़ियां गाड़ कर खेलने का जुगाड़ कर रखा है स्टम्प की जगह। जब माननीय क्लिंटनजी संसद को संबोधित करने गए तो उन्हें बताया गया।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद से पहले उन्होंने एक चीज और पूछी थी मुझसे, यह खड़े थे, कहीं रास्ते में तो क्लिंटन जी ने यह नहीं पूछा कि Who is he? यह पूछा Who is that? तो मैंने कहा कि यह भी जुगाड़ है हमारी असेम्बली का, यह क्यों भूल रहे हो? यह भी पूछा था मुझसे जुगाड़ का और एक और पास खड़ा था, तो उनके लिए भी पूछा Who is that? तो मैंने कहा कि वह श्री यशवन्त सिंह (रामू) दूसरे जुगाड़ हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : रामस्वरूप का नहीं कहा जुगाड़ उन्होंने...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : एक सवाल हमसे भी पूछा, हम दोनों से पूछा, उन्होंने पूछा कि यह कौन हैं तो हमने कहा कि यह जुगाड़ों की बुआ है, डबल जुगाड़ है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप असली जुगाड़ को तो भूल ही गए...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय don't allow it. Such things are not desirable.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय पर्यटन मंत्रीजी, आप असली जुगाड़ को भूल गई, असली जुगाड़ तो मेरे पीछे बैठा है... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप बैठें, किसी देश का राष्ट्रपति है उसके सम्बन्ध में हम चर्चा हाउस में करें...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : भूमिका बना रहे हैं भूमिका।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय मंत्रीजी, पहले भूमिका तो बना लूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, एक मिनट। (व्यवधान) वापस बोल लूंगा। ऐसा है इसको अलग अलग जगह, अलग-अलग नाम से बोलते हैं...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : लेकिन क्लिंटन के नाम से जो किसी देश के प्रेसीडेंट रहे हैं और उस पर सदन में चर्चा (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह पर्यटन राज्य मंत्रीजी स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि क्लिंटनजी ने इनको जुगाड़ बताया, उस पर तो आपको आपत्ति नहीं हुई है और अब माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उस पर आप आपत्ति कर रहे हैं। यह गलत है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए आपत्ति है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह माननीय सदस्यों को जुगाड़ कह रहे हैं और आप उनके ऊपर आपत्ति कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपको देखकर आपत्ति कर रहा हूं...(व्यवधान) आप बैठे हुए हैं समझना चाहिए। किस देश के राष्ट्रपति रहे है...(व्यवधान) उस पर हम चर्चा करें। यह हाउस में सही नहीं है...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पहले आप सुने तो सही...(व्यवधान) आप सुनें तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम दोनों इनका सम्मान करते हैं। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : आप भी जुगाड़ करके यहां पर आए हैं। आप बगैर जुगाड़ के यहां तक नहीं पहुंचे हैं। कुछ जुगाड़ करके ही जीतकर आए हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपकी मेहरबानी से तो नहीं आए हैं, आपकी मेहरबानी से तो नहीं आए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यशवन्त सिंह जी, बिराजें। माननीय सदस्य आप मूल बात पर आ जाएं न...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आ रहा हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सीधी बात कहें यह किसानों का मामला है। इसको किसी न किसी तरह से रेगुलराइज करें, बात तो सीधी यह है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको बहुत गम्भीरता से बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई आपके यहां ही थोड़े चल रहे हैं, सारे राजस्थान में, सारे हिन्दुस्तान में चल रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पूरे हिन्दुस्तान में चल रहे हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सुनिए तो सही...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गरीब किसान का गरीब साधन है यह।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जब क्लिंटन जी संसद को सम्बोधित करने गए तो उनको बताया कि भारत में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानि की एन.डी.ए.

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

की सरकार है, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि यहां तो बी.जे.पी. की सरकार है, एन.डी.ए. की कैसे है? यह बताएं तो उनको बताया गया कि एन.डी.ए. कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह सत्ता हथियाने का जुगाड़ है। बार-बार जुगाड़ की बात आने पर वह जुगाड़ के मामले में बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अमेरिका जा करके जुगाड़ पर रिसर्च करने के आदेश दिए। उदाहरण के रूप में कहा कि पूरा हिन्दुस्तान जुगाड़ पर चल रहा है, केन्द्र में भी आज जुगाड़ की राजनीति चल रही है और श्रीमती सोनिया गांधी आजकल सरकार बनाने की जुगाड़ में हैं। क्लिंटनजी नायला गए तो उन्होंने देखा कि ट्रेक्टर नुमा वाहन में किसान लकड़िया भरकर ले जा रहा है, तो उन्होंने पूछा कि What is this? तो उनको बताया गया कि यह किसान बुग्गा है यानि इसको जुगाड़ कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यातायात मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसानों...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सदस्य सही कह रहे हैं, किसानों से जुड़ी हुई समस्या है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : किसानों के मामले में तो यह सरकार सुनना ही नहीं चाहती है, गम्भीर ही नहीं है। चाहे ओलावृष्टि का मामला है, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे किसान से जुड़ा कोई भी मामला हो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप कहेंगे तो भी जुगाड़ जिनका आप वर्णन कर रहे हैं उनका हम...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात को समझ गए, अब अपनी बात कह दो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के वाहन जुगाड़ की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं और माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब यूं कहो कि इसका कुछ जुगाड़ करो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : किसानों के वाहन जुगाड़ की तरफ ध्यान देवें और सभी आर.टी.ओ. को आदेश देवें कि किसान बुग्गा यानि जुगाड़ जिसको राजस्थान में जुगाड़ कहते हैं, उत्तर प्रदेश में मारूता कहते हैं और हरियाणा में इसे किसान बुग्गा कहते हैं।

एक माननीय सदस्य : पंजाब में क्या कहते हैं? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसको बनाने पर 45 हजार रुपए की लागत आती है और ट्रेक्टर के बराबर

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

काम करता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको पंजीकृत करें और 500 रुपए वार्षिक इन पर शुल्क लगाएं। जिस दिन से यह सरकार सत्ता में आई है तब से कह रही है कि हमारे पास फण्डस नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है तो इस भूखी, नंगी सरकार को कम से कम थोड़ी-बहुत आय होगी। इस पर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आपको कुछ कहना है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इसका कुछ जुगाड़ तो करवाएं, अब तो जुगाड़ करवाएं इसका।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। माननीय सदस्य। वह बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह किसान गाड़ी है और इसमें जो डीजल पम्प लगता है उसका आलरेडी रजिस्ट्रेशन नम्बर होता है इसलिए इसको रेगुलराइज किया जाता है, तो किसानों के हित में रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें। यह जनरल प्रोब्लम है। (व्यवधान) इस पर तो कितने ही बोल सकते हैं। यह तो बहुत जनरल प्रोब्लम है सभी माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैंने तो इनको पहले ही कह दिया कि अगर आप कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं कि जुगाड़ के बारे में, यह जो किसान इंजन लगाकर के चलाता है उनके बारे में हम विशेष रूप से एक्शन लेंगे ताकि यह जुगाड़... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : पंजीयन करेंगे क्या?

श्री छोगाराम बाकोलिया : इनको तो मैं यह कह रहा हूं कि अगर आपकी शादी नहीं हुई और कोई जुगाड़ करना हो तो...(व्यवधान) माननीय सदस्य, सारे सदन में...(व्यवधान) कोई जुगाड़ कर देगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) यशवन्त सिंहजी, बिराजें। माननीय मंत्रीजी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रजिस्ट्रेशन कराओ न रजिस्ट्रेशन। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, उनको शादी की चिन्ता है, हजारों की संख्या में जो जुगाड़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, यह बहुत ही गम्भीर मामला है, किसानों से सम्बन्धित है। यह सारे हिन्दुस्तान में चल रहे हैं। इसमें हम आपकी स्वयं की प्रोब्लम को भी समझते हैं। लेकिन इसका कोई न कोई रास्ता निकालने की चेष्टा करें। नहीं, तो समय-समय पर किसानों को

(श्री उपाध्यक्ष)

परेशानी होती है। इनको चैक करते हैं, लेकिन उनके पास कोई कागज पत्र नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। इसलिए कोई रास्ता निकाल करके इनको रेगुलराइज करने की व्यवस्था करें ताकि किसानों को परेशानी नहीं हो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस इश्यू को, जो कि गम्भीर इश्यू है, इन्होंने बहुत लाइटली रेफरेंस कहां से देकर के कहां किया है। मसले को लाइटली रखा और आपने इस चीज की गम्भीरता को माना है तो वास्तव में जो इंजन के बेस पर जो प्रोटोटाइप उसक पास नहीं है, कहीं से मैन्युफैक्चर्ड हुआ नहीं है। ऐसे जुगाड़ का न तो कोई रेगुलराइज किया जा सकता है और न कोई बात है। जब तक कि मैन्युफैक्चर्ड बाई किसी कम्पनी के प्रोटोटाइप के आता है तभी उस पर लाइसेंस दिया जा सकता है। अन्यथा सारे के सारे अवैध हैं उन पर एक्शन होगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हलके इसलिए हैं कि ईमानदारी का खा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न बात।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : वह कह रहे हैं कि बड़ा हलका लिया।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह हलके इसलिए हैं क्योंकि वह वैसा खा रहे हैं, गवर्नमेंट के मारे हुए हैं, यह भारे इसलिए हैं कि गवर्नमेंट का खा रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसी मंत्री से अपेक्षा नहीं की जा सकती है...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपका ऐसा जवाब...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गवर्नमेंट ऐसी बात करे कि इसको हलका लिया जा रहा है, लाइटली लिया जा रहा है...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही शर्म की बात है...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपने अगर क्लिंटन जैसे महान नेता के साथ में जोड़कर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : कमजोर करके बताया तो उसमें ऐसी क्या बात है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हम हलके यह भारी हैं। अगली बार यह हलके हो जाएंगे, यह भारी हो जाएंगे। इससे वजन में ज्यादा...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी, रजिस्ट्रेशन का जुगाड़ बैठा दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामूजी बिराजें। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने तो बहुत हलकेपन से कह दिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जो डीजल पम्प आता है वह तो कम्पनी का है, आई.एस.आई. मार्का का आता है। उसके आधार पर भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : उस बात को सभी समझ रहे हैं। अब इतना कह दिया माननीय मंत्रीजी को कि इसका कोई न कोई रास्ता निकाल करके व्यवस्था करें ताकि काश्तकारों को परेशानी नहीं हो। निकालेंगे रास्ता, बात खतम हो गई और क्या है? रामस्वरूप जी।

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की ओर दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस समय राजस्थान में थी उस समय विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कालेज खोलने का मुद्दा मैंने इसी सदन में उठाया था और उस समय जब मैं यह मुद्दा उठा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरी मांग को गम्भीरता से नहीं लिया। यहां तक नौबत आई थी, इसी विधान सभा में पचासवां धरना मैंने कालेज के लिए दिया था। जब मैं विपक्ष में था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी तो मुझे उस समय धरने का सहारा लेना पड़ा और धरने पर जब मैं बैठा तो बाद में अध्यक्ष महोदय वहां विराजमान थे। अध्यक्ष महोदय ने मुझे यह आश्वासन दिलाया था कि माननीय सदस्य आप धरने से उठ जाएं अपके टोडाभीम में कालेज खोल दिया जाएगा और मैं आश्वासन के बाद में अपने स्थान पर आ कर के बैठ गया था। लेकिन वह सरकार चली गयी और उसने हमारे टोडाभीम में कालेज नहीं खोला। असत्य घोषणा की उसने उसका परिणाम टोडाभीम और नादौती की जनता ने दिखा दिया और टोडाभीम में इनकी जमानत जब्त हो गयी। 39700 वोटों से हमको जिताया, कांग्रेस को भारी बहुमत दिया। टोडाभीम और नादौती की जनता ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, वह हमेशा शिक्षा के प्रति जागरुक रहे हैं, बड़े-बड़े निर्णय उन्होंने लिए हैं, राजस्थान के अन्दर, मेरा आपके माध्यम

(श्री रामस्वरूप)

से उनसे विनम्र निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे इसलिए कालेज नहीं दिया कि वह इस बात को जानते थे कि टोडाभीम और नादौती में अगर कालेज खोल दिया जाएगा, तो वहां की जनता कांग्रेस को वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने वहां पर कालेज नहीं खोला था। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी कांग्रेस की सरकार, लोकप्रिय सरकार, जनहितकारी सरकार, जवाबदेह सरकार, शिक्षा के प्रति समर्पित सरकार और उसमें भी हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, जो सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि में 11 बजे तक भी सचिवालय में बैठे रहते हैं, गम्भीरता से विचार करते हैं। हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, जहां एस.सी., एस.टी. के लोग रहते हैं, उनका विशेष कल्याण करने की सोचते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले भी कई बार आपसे निवेदन किया है, जब-जब भी हमारे क्षेत्र में कोई मंत्री महोदय पधारे, उनसे भी मैंने करबद्ध निवेदन किया है, मेरे क्षेत्र की जनता यह मांग करती है कि टोडाभीम में कालेज होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहां के बच्चे और बच्चियों को शिक्षा अध्ययन के लिये, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये या तो जयपुर आना पड़ता है या करौली जाना पड़ता है या गंगापुर जाना पड़ता है, बड़े दुःख की बात है कि लड़के तो चले जाते हैं लेकिन लड़कियां बहुत तकलीफ पाती हैं।

आजकल यह हालत हो गयी है कि हमारी बहनों के रिश्ते करने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि बी.ए. पास किया कि नहीं किया लड़की ने। पहला यह सवाल आता है कि बी.ए. पास किया कि नहीं किया आपकी बहन ने। हम कहते हैं कि भैया कालेज तो है नहीं, अब कालेज नहीं है, तो हम तो बी.ए. नहीं करा सके, बाहर लड़की को हम भेज नहीं सकते इसलिए बड़ी हालत खराब हो रही है अभिभावकों के सामने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महिलाओं का मामला, बहनों का मामला है, हमारे कांग्रेस के हित का मामला, हमारी सरकार के कल्याण का मामला मैं इस सदन में उठा रहा हूं, जिसके लिए मुझे धरने की जरूरत पड़ी थी लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए, सीधी बात कहे।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, गम्भीर मसला है, आपने जब जुगाड़ के लिए इतना समय दिया तो मेरे कालेज को तो टाइम दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : कालेज ही तो खुलवाना है, बोल दो कालेज खुलवाना है।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि हमारे तीन सैकण्डरी स्कूल हैं और 29 सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, मिडल स्कूल हैं, सारी स्कूलें हमारे क्षेत्र के अन्दर ही मौजूद हैं। दूसरे कालेज हमारे यहां से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कृपया थोड़ा गम्भीरता से लें इस मसले को। आपके कालेज के लिए 65 बीघा जमीन भी आरक्षित हो गयी है, 65 बीघा पक्की जमीन आरक्षित हो गयी है। वहां की जनता हर तरह का सहयोग देने के लिए आपको तैयार बैठी है। यह क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ है, यह गढ़ जहां बी.जे.पी. की जमानत जब्त होती हो, ऐसे गढ़ में आप मेहरबानी करके कालेज अवश्य खोलें, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अभी बजट में आपने इस मसले को नहीं रखा था। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, नादौती और टोडाभीम की जनता की ओर से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आपने शिक्षा को महत्व दिया है, आपने राजस्थान में शिक्षा में विशेष तौर से नये-नये कार्यक्रम दिए हैं, आपने राजस्थान में शिक्षा की गंगा बहायी है, तो मेहरबानी करके इस टोडाभीम को आप पीछे क्यों छोड़ते हो? कर्जा करो या कुछ भी करो, पर करो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इनका बैकलांग भी नहीं भरा जा रहा है और भी कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम एक कालेज ही खोल दो, यह मेहरबानी आप अवश्य करें। अगर आपने टोडाभीम में कालेज खोल दिया, सारे एस.सी., एस.टी. के लोग सारा जिला अनुसूचित जनजाति का संसदीय क्षेत्र है, आपकी जयजयकार होगी। मैं वादा करता हूं कि अगर आपने टोडाभीम में कालेज खोला तो टोडाभीम और नादौती की जनता दुबारा भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा देगी। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं खोला तो इनकी हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं खोला तो क्या होगा?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं खोला तो इनकी जब्त हो जाएगी। (व्यवधान) वह इनका इक्यानवां धरना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की रिक्तियां

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और माननीय कार्मिक मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज नयी सरकार आने के बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के आर.ए.एस. की जो वैकेंसीज लास्ट में, 1998 में निकली थी, जिसको रिवाइज करके 1999 में आपने 677 पद थे उन पर चयन किया था। उसके बाद से आज तक राजस्थान के अन्दर आपने आर.ए.एस. सर्विसेज की वैकेंसीज नहीं निकाली है। आप जरा एक तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि इन वर्षों में 1999 में उत्तर प्रदेश ने 388 वैकेंसीज निकाली, बिहार ने 202, मध्यप्रदेश ने 72 और फिर सन् 2000 में उत्तर प्रदेश ने 416, बिहार ने 153 और मध्य प्रदेश ने 200 और वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश ने 1057, बिहार ने 312 और मध्य प्रदेश ने 86, इस वर्तमान सत्र में 2002 में भी उत्तर प्रदेश ने 360, बिहार ने 288 और मध्य प्रदेश ने 108 वैकेंसीज निकाली। लेकिन राजस्थान की स्थिति देखें कि जो पूर्व सरकार थी, उसने 1994 में 202, 1995-96 में 450, 1997 में 220 और 1998 में 416, इन दोनों को मिलाकर रिवाइज कर लिया था। आपके सत्ता में आने के बाद, चौथा साल आपका चल रहा है, राजस्थान के उन तमाम नवयुवकों जिन्होंने एम.ए., पी.एच.डी. और दूसरी शिक्षा अर्जित कर रखी है और इन प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिये कोचिंग कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ी निराशा आपके इस कदम से हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं स्वयं कार्मिक मंत्रीजी का एक स्टेटमैंट मैं उद्त करना चाहता हूं। आपसे जब यह पूछा गया इस सन्दर्भ में एक श्रोता ने कि आप राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों को विज्ञापित करने में देरी क्यों कर रहे है? माननीय कार्मिक मंत्रीजी ने कहा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदों का पुन: निर्धारण किया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद कार्मिक सचिव श्री अशोक सम्पतरामजी ने भी इसका खुलासा करते हुये कहा कि इस संवर्ग के पदों का पिछले चार साल से निर्धारण नहीं हुआ है और उन्होंने कहा कि हम अगले दो माह में यह कार्य पूरा कर रिक्त पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे।

इतना ही नहीं उसके बाद राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, आर.ए.एस. के विद्यार्थी जब माननीय कार्मिक मंत्रीजी से मिले और ज्ञापन दिया माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी ज्ञापन दिया तो आपने उनको यह आश्वासन दिया कि हम राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक कैलेण्डर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बनाने का विचार कर रहे हैं ताकि हर साल इसकी रिक्तियां निकलती रहे। वह कैलेण्डर आपने आज तक नहीं बनाया। चार साल से आप वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं। राजस्थान के वे हजारों विद्यार्थी आपसे आस लगाए बैठे हैं जो आज यह अध्ययन कर रहे हैं, उनमें से कई ओवरएज होने चले जाएंगे।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय कार्मिक मंत्रीजी से निवेदन है कि राजस्थान की यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेवा है और इसकी तैयारी में जो लगे हुए हैं उनको बड़ी निराशा हो रही है। कृपया सदन को आप यह आश्वस्त करें और सदन के माध्यम से, क्योंकि आज सदन का आखरी दिन है, उन तमाम छात्रों को आपका यह मैसेज जाना चाहिए कि सरकार उनके प्रति चिंतित है और सरकार अपना नवीनतम कार्यक्रम, कब तक आप इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करके वैकेंसी निकाल देंगे, कब जाकर राजस्थान के उन छात्रों के साथ न्याय होगा। कृपया आप सदन को और सदन के जरिए उन छात्रों को आश्वासन देंने और विश्वास दिलाने का काम करें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्मिक मंत्रीजी कहना चाह रहे हैं क्योंकि इनका खुद का बयान है। (व्यवधान) कार्मिक मंत्रीजी, आपका खुद का बयान है। (व्यवधान) तो आसन मना थोड़े ही कर रहा है आपको। आप कुछ तो कहिए, आपने कहा था हम कैलेण्डर बनाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह। अंकित नहीं हो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य। बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं मना कर रहा हूं क्या? मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है इस सम्बन्ध में पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही पूरी होगी आगे कार्यवाही की जाएगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री बुलाकीदास कल्ला : पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया जैसे ही पूरा होगी आगे कार्यवाही कर ली जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंहजी।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पेंशनर्स सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्या की तरफ दिलाना चाहूंगा। जिन्दगी भर नौकरी करते हुए अपनी तनख्वाह में से हर महीने कटौती कराते हुए जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो सरकार की तरफ देखता है कि उसे आने वाली वृद्धावस्था के दिनों में चिकित्सा की पूर्ण सुविधाएं मिलें। इसके लिए रिटायर्ड आदमी को एक मेडिकल बुक जारी की जाती है। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो मेडिकल बुक 10 रुपए में मिलती थी उसकी फीस आज 50 रुपए कर दी। 50 रुपए भी मैं अधिक नहीं मानता। जो वार्षिक शुल्क 40 रुपए होता था उसको 400 रुपये कर दिया और जो आजीवन शुल्क 400 रुपये हुआ करता था उसको चार हजार रुपए कर दिया। यह लगभग 10 गुना वृद्धि की गई है पेंशनर्स के साथ में, जिससे सारे पेंशनर्स इस बात से व्यथित हैं कि यह लोक कल्याणकारी सरकार जिसमें वृद्धों, नि:सहायों और पेंशनर्स के लिए जो योजनाएं बननी चाहिए उसमें इस तरह से अचानक 10 गुना वृद्धि करना जायज नहीं है। सिर्फ यही नहीं, सेवानिवृत्त लोगों से, जिनके परिवार में जुड़ा हुआ है सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी दवाइयां लाने के लिए कुछ चुनिन्दा पेंशन की दुकानों पर जाना पड़ता है। मैं चूंकि सवाई मानसिंह अस्पताल में रहा हूं और मैंने देखा है, थोड़ा-बहुत अपने कार्यकाल में प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बहुत बड़ी तकलीफ है। सुबह आकर अपनी डायरियां जमा कराते हैं और शाम तक धूप में बैठे रहते हैं, यह उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है।

यही नहीं, डाक्टर होने के नाते मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में वृद्धावस्था में हृदय और हृदय रोग से जुड़ी अनेक बीमारियां हो जाती हैं, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे एंजाइना हो, चाहे लकवे की बीमारी हो,

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. करण सिंह यादव)

डाइबिटीज हो, ये सारे के सारे रोग हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि आने वाले दिनों के अन्दर यह एक एपिडेमिक की तरह से होगा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आज जब पेंशनर सवाई मानसिंह अस्पताल में बाइपास सर्जरी करावे तो उसको पूरी बाइपास सर्जरी की सुविधा है, 50 हजार रुपये के लगभग इसकी कीमत आती है, पूरा सरकार देती है। आज एंजियोग्राफी कराता है, तो उसमें सात हजार के आसपास कीमत आती है। सरकार उसका पूरा पुनर्भरण करती है। आज कोई एंजियोप्लास्टी करवाता है तो उसका 60-70 हजार रुपया सरकार पुनर्भरण करती है, पेंशन डिपार्टमेंट पुनर्भरण करता है। मैं जिस मुद्दे की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अस्पताल में बढ़ते हुए काम और दबाव के कारण से आज ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं, सवाई मानसिंह अस्पताल की अच्छी सुविधाओं के बावजूद बहुत सारे लोगों का मन सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए, अपना बाइपास आपरेशन करवाने के लिए उनके परिजन नहीं मानते। ऐसी स्थिति में अगर वो पेंशनर दिल्ली जाना चाहे और एस्कोर्ट में अपना आपरेशन कराए, तो राज्य सरकार के नियम हैं कि अगर राज्य सरकार जो सवाई मानसिंह अस्पताल में 50 हजार रुपए खर्च होने वाले हैं वो 50 हजार रुपया उसको दे देगी, बाकी का खर्चा वह अपनी जेब से दे, वह चाहे दिल्ली में करा ले, आल इण्डिया इंस्टीटयूट में करा ले और चाहे एस्कोर्ट अस्पताल में करवा ले।

मेरा निवेदन यह है कि आप एस्कोर्ट अस्पताल में करवाने के लिए तो 50 हजार रुपये दे देते हैं, यह बहुत खुशी की बात है कि आज जयपुर के दो अस्पतालों में, संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल और टोंग्या हार्ट एंड जनरल अस्पताल, ये दो ऐसे अस्पताल है जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाइपास सर्जरी अच्छी और सफल होती हैं।

पिछले दिनों में बहुत सारे पेंशनर्स इस तरह के मेरे पास में आए, क्योंकि मैं इस विषय से जुड़ा हुआ हूं, लोग यह चाहते हैं कि जो पैसा हम दिल्ली जाएं तब हमें सरकार 50 हजार रुपया रिएम्बर्स करे वो 50 हजार रुपए का रिएम्बर्समेंट अगर हम दुर्लभजी अस्पताल में आपरेशन करवाना चाहे, टोंग्या अस्पताल में आपरेशन करवाना चाहें, या कल यहां पर एस्कोर्ट खुलने वाला है, अपोलो अस्पताल खुलने वाला है, यहां वित्त मंत्रीजी मौजूद नहीं हैं, सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, पेंशनर्स की इस बात को देखते हुए कि जहां आदमी अपनी सुविधानुसार बाहर नहीं जाना चाहता, सरकारी अस्पताल में सब सुविधाएं होते हुए भी उसको विश्वास नहीं है, कई बार [illegible]

(डा. करण सिंह यादव)

हुए भी सरकारी अस्पताल में काम का इतना दबाव है, डाक्टर चाहे तो भी उस आपरेशन को महीने भर नहीं कर सकता। आज राजस्थान सरकार की अच्छी नीतियों से, जीवन रक्षा कोष और मुख्य मंत्री सहायता कोष से गांवों का गरीब तबका, एक ऐसा वर्ग आ गया जिससे अस्पतालों पर काम का बहुत बड़ा दबाव है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पेंशनर्स की इस जरूरत को देखते हुए इस बात की उनको छूट दी जाए कि वो जयपुर के जिस अस्पताल में और जयपुर ही नहीं, दिल्ली, मुम्बई के जिस अस्पताल में उसकी सुविधा हो, उसका मन हो, उसकी इच्छा हो, जिस डाक्टर पर उसका विश्वास हो वहां अपना आपरेशन करवाए। सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़े, उसको उतना ही रिएम्बर्स करिए जितना कि आप आम कर्मचारी की या आम पेंशनर के ऊपर एस.एम.एस. में जो लागत आती है, इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। उल्टा सरकार की मदद यह होगी कि कुछ तबका, जो सरकारी अस्पताल में आपरेट नहीं करवाना चाहता, प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहता है, 50 हजार सरकार के खाते के पैसे अपनी जेब से खर्च करेगा और सरकार को उसका बैनेफिट यह होगा कि जो लोग बहुत लम्बा इन्तजार कर रहे हैं एस.एम.एस. अस्पताल में जीवन रक्षा कोष वाले, गरीबी की रेखा के नीचे वाले, अन्य लोगबाग, अन्य सरकारी कर्मचारी या अन्य ग्रामीण और शहर के लोग, उनको उतना लम्बा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

इसलिए मैं इस पर्ची के माध्यम से सरकार का, माननीय मंत्री महोदय का यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह सुविधा पेंशनर्स को जो बाहर के अस्पतालों के लिए उपलब्ध है, वो जयपुर के अस्पतालों के लिए उपलब्ध हो। यह उनकी इच्छा पर छोड़ दीजिए कि वो अपना आपरेशन कहां कराना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मुझे पर्ची पर बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो खिलवाड़ा हो रहा है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत हो, तो एक मुद्दा उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : काहे का मुद्दा?

श्री अमराराम (धोद) : राष्ट्रीय सम्मान के साथ जिस तरह की घटना...

श्री उपाध्यक्ष : मेरी इजाजत नहीं है, विराजिए

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालालजी इन्दौरा।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनें तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : आप सुनने के बाद...

श्री उपाध्यक्ष : सुनने का सवाल ही नहीं है। बिराजिए आप।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

गृह विभाग

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार खनिज विभाग की 13 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या एफ.14(4) खान/ग्रुप-II/86 दिनांक 11 सितम्बर, 2000 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 3(1)(V) में संशोधन किये गये हैं;
2. अधिसूचना संख्या एप.15(5) खान/ग्रुप-2/96 दिनांक 26 फरवरी, 2001 जिसके द्वारा रायल्टी दरों में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या एफ. 14(4) खान/ग्रुप-2/86 पार्ट दिनांक 25 जून, 2001 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 7,26,27 व 27 ''क'' में संशोधन किये गये हैं;
4. अधिसूचना संख्या एफ. 15(30) खान/ग्रुप-2/90 दिनांक 8 जून, 2001 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के अध्याय-II में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या प. 14(13) खान/ग्रुप-2/95 दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65 ''क'' में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या प. 15(5) खान/ग्रुप-2/96 दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 की अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या एफ. 15(20) खान/ग्रुप-II/94 दिनांक 1 मार्च, 2002 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65 ''क'' के अन्तर्गत मारबल पालिसी की प्रक्रिया निर्धारित की गई है;
8. अधिसूचना संख्या 15(20) खान/ग्रुप-II/94 एस.ओ. 378, दिनांक 18 मार्च, 2002, अधिसूचना संख्या

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

एफ.12(78)खान/ग्रुप-ii एस.ओ. 379 दिनांक 18 मार्च, 2002 एवं अधिसूचना संख्या 15 (20) खान/ग्रुप-II/94 एस.ओ. 380 दिनांक 18 मार्च, 2002 जिनके द्वारा माइनिंग प्लान के अधिकार विहित किये गये है;

9. अधिसूचना संख्या एफ. 12(78)खान/ग्रुप-2/91 दिनांक 2 मार्च, 2002 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65 ''क'' के अन्तर्गत ग्रेनाइट पालिसी की प्रक्रिया तथा ग्रेनाइट पालिसी के तहत माइनिंग प्लान के अधिकार विहित किये गये हैं एवं

10. अधिसूचना संख्या प. 14(2)खान/ ग्रुप-2/85 एस.ओ. 341 एवं अधिसूचना संख्या प.14(2)खान/ग्रुप-2/85 एस.ओ. 342 दिनांक 2 फरवरी, 2002 जिसके द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को कतिपय शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरेन्द्रजी मिर्धा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या एफ.8(50) पी.डब्ल्यू./2001/पार्ट-I दिनांक 20 फरवरी, 2002 जिसके द्वारा राजस्थान रोड डवलपमेंट नियम, 2002 विरचित किये गये हैं एवं

2. अधिसूचना संख्या एफ. 8(50) पी.डब्ल्यू./2001/पार्ट-I दिनांक 20 फरवरी, 2002 जिसके द्वारा राजस्थान सड़क विकास अध्यादेश, 2002 की उप धारा (1) के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित या मरम्मत की गई सड़कों/स्थायी पुलों का उपयोग कर रहे यानों के प्रभारी उन व्यक्तियों से अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस उद्ग्रहित की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : वार्षिक प्रतिवेदन। श्री छोगारामजी बाकोलिया।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री [illegible] गुरड़क।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

ग्राम फिरवाली, लाडनूं (नागौर) में पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ग्राम फिरवाली, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में माननीय आयुर्वेद राज्य मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं, ग्राम फिरवाली, तहसील लाडनूं जिला नागौर में वर्ष 1976 से एक होम्योपैथिक औषधालय संचालित है। इस औषधालय में पूर्व में होम्योपैथिक चिकित्सक के पद पर डा. रघुनाथ सिंह, डा. राजबहादुर सिंह, डा. चन्द्रमोहन माथुर एवं डा. नरेन्द्र सिंह राठौड़ पदस्थापित व कार्यरत रहे हैं। राज्यादेश क्रमांक सं. 1379/98, दिनांक 31.3.1999 के द्वारा डा. नरेन्द्र सिंह राठौड़ का स्थानान्तरण इस औषधालय से होम्योपैथिक औषधालय बरसलपुर, जिला बीकानेर किया गया था। तब से ही फिरवाली (नागौर) के होम्योपैथिक औषधालय में चिकित्सक का पद रिक्त है। यह सही है कि पद रिक्त है। इस औषधालय में पूर्व में पदस्थापित होम्योपैथिक चिकित्सक डा. नरेन्द्र सिंह राठौड़ के डयूटी अनुपस्थित रहने तथा बाद में आकर उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने की शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य सरकार के कार्मिक विभाग, जयपुर दिनांक 23.5.2002 द्वारा सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 में आरोप पत्र जारी किया हुआ है। डा. राठौड़ पर दिनांक 18.2.1999 से 25.2.1999 तक एवं दिनांक 7.3.1999 से 26.3.1999 तक स्वैच्छापूर्वक बिना किसी सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का आरोप है। प्रकरण की जांच कार्मिक विभाग के स्तर पर विचाराधीन है। इस औषधालय में नर्स कम्पाउण्डर का पद 26.7.1999 से पदस्थापित कम्पाउण्डर श्री बाबूलाल के निलम्बन के कारण रिक्त था। हाल ही में आदेश 9337 दिनांक 19.3.2001 द्वारा नवीन नियुक्ति के इस पद पर पदस्थापन किया जा चुका है।

मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि उन्होंने जो यह कहा है कि वहां पर रिक्त है, पिछले दिनों से, यह बिलकुल सही है। आपका लिखित में जैसा आपने कहा है, ऐसा कोई हमारे यहां पर प्रार्थना पत्र नहीं है कि इस औषधालय को होम्योपैथिक से आयुर्वेद कर दिया जाए। लेकिन इन्होंने इसकी चर्चा की है और यह कहा है कि वहां पर कोई होम्योपैथी का डाक्टर रहता नहीं है, जो भी आप बदली करते हैं वहां से वह वापस आ जाता है। ग्रामीण क्षेत्र

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

है इसलिए यह चाहते हैं कि उसको वहां से बदलकर आयुर्वेद कर दिया जाए। मैंने इनको यह विश्वास दिलाया है कि आयुर्वेद औषधालय का जैसे ही हमारे पास बजट मंजूर होगा, हम आपके इस औषधालय को बदल देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदया ने उत्तर दिया उससे स्पष्ट है कि इतने लम्बे कार्यकाल में कितने डाक्टर वहां रहे हैं और डाक्टर और कम्पाउण्डर दोनों को ही सस्पैंड करके वहां से हटाया। इसलिए साफ है कि वहां कोई रहना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है, चाहे आप आयुर्वेद रखें या होम्योपैथी रखें, आप एक निश्चित तिथि बता दें कि उस तक डाक्टर या वैद्य पहुंच जाएगा। बस, मेरा सीधा सा, इतना सा ही सवाल है पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं चाहे नहीं रखना चाहती, जो आप चाहते हैं, जो आपने मुझे बताया है कि यहां पर होम्योपैथी का डाक्टर नहीं रहता है इसलिए आयुर्वेद आप चाहते हैं। इसलिए मेरे चाहने न चाहने का प्रश्न नहीं है, आपके चाहने का प्रश्न है। जहां तक आपने कहा है कि वहां डाक्टर भेजने का प्रश्न है, तो होम्योपैथी के डाक्टर के लिए हमने जैसा इसमें लिखा है, मैंने बताया न आपको कि 7 पदों पर हम अभी नियुक्ति करने वाले हैं और जैसे ही नियुक्ति होगी हम आपके यहां भेजे देंगे। आयुर्वेद का डाक्टर हम होम्योपैथी की जगह नहीं भेज सकते हैं। जैसा उसको बदलने की कह रहे हैं, हम आयुर्वेद का अस्पताल बना देंगे तो हम तुरन्त ही वहां पर एक महीने, दो महीने में जैसे ही आयुर्वेद अस्पताल बनेगा, तो यहां अस्पताल में वैद्य लगा देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरा सीधा सा सवाल है कि जब तक आप आयुर्वेद में नहीं बदलें तब तक किसी भी होम्योपैथिक डाक्टर को वहां पोस्ट कर दें और वह वहां चला जाए। बस इतनी सी ही बात है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हम बिलकुल कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके यहां डाक्टर लगाने की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिए।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन का आखिरी दिन है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ तो?

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के सम्मान को कलंकित करने की घटना जो गुजरात में घटी है। गुजरात में महिलाओं और बच्चों को जिस तरह से जलाया गया है, उनकी सम्पतियों को जलाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : गोधरा से लेकर गुजरात मक आज पूरे राष्ट्र के सम्मान को...

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या करें?

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बच्चों के क्या आज राष्ट्रीय कांग्रेस के...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कोई प्रस्ताव नहीं लिया।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें प्लीज। तो आप लाते न प्रस्ताव किसी तरह से।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप लाते न किसी तरह से, कानून से, नियम से लाते न इस प्रश्न को।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी। आप बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री सी. पी. जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय से मिल लीजिए जाकर।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री सी. पी. जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न को इतना लाइटली इस पर नहीं उठाया जा सकता, आप माननीय अध्यक्ष महोदय से जाकर मिलकर इस प्रश्न को कोई रास्ता निकालकर उठाइए, मिल लीजिए अध्यक्ष महोदय से।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, इतना जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा, जो बात नियम से होगी वह नियम से होगी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है यह मामला बहुत गंभीर है, आप जाकर माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करिए। प्रस्ताव आप लाओगे यह एग्री करेंगे। आपके प्रस्ताव से पास हो जाएगा क्या प्रस्ताव?

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी।

श्री जनार्दन गहलोत : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। माननीय सदस्य, आप मुख्य सचेतकजी से बात कर लीजिए, सर्वानुमति प्रस्ताव लाना चाहो, तो मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रस्ताव तो आप लाओगे उससे क्या होगा? यह एग्री करेंगे जब लाओगे न?

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 2002 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रदान किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्रीजी पुरःस्थापित करेंगे।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करती हूं।

××× अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2002

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करता हूं।

(13.00 बजे)

कोटा खुला विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2002

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटा खुला विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कोटा खुला विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए? (स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटा खुला विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002 माननीय वित्त मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस वर्ष का लेखा-जोखा हमारे सामने पेश किया। जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति इस प्रांत की और देश की है उसके अनुरूप उसको ध्यान में रखते हुए आपने यह बजट पेश किया है। बजट में काफी घाटा

(श्री शिवनाथ सिंह)

दिखलाया गया है और उसके पूर्ति के साधन भी आपने बतलाये हैं। इस बजट में कई बहुत अच्छे प्रावधान भी खर्चे के आपने रखे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें, बिजली, बिजली का विस्तार, बिजली का उत्पादन, इन पर काफी ध्यान देने की चेष्टा की गयी है। उद्योगों को भी राहत दी गयी है, स्कूल खोलने की तरफ भी ध्यान दिया गया है। ये सब बातें जो आपने बजट में खर्चे के प्रावधान रखे हैं वे काफी इस हाउस में डिस्कश हो चुके हैं और उन पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाउंगा। इतना जरूर कहूंगा कि आपने अपनी सब परिस्थितियों को देखते हुए, आर्थिक साधनों को देखते हुए एक संतुलित बजट पेश करने की चेष्टा की है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। पहला मेरा सुझाव यह है कि जो भी बजट पेश किया जाए उसमें हमें जनता में आस्था पैदा करनी पड़ेगी। पिछले 2-3 साल के बजट हमने पेश किये, उससे जनता की आस्था हमारे बजट प्रावधानों से हटी है और जहां बजट के प्रति या बजट के प्रावधानों के प्रति जनता की आस्था डिग जाती है, तो बहुत सोचने का विषय हमारे सामने आ जाता है। बजट एक पवित्र डाकुमेंट है और मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी बजट में प्रावधान किए जाएं, सोच समझकर किए जाते हैं। हमारी कितनी आमदनी होने वाली है, उस आमदनी को ध्यान में रखते हुए किन-किन मदों पर हम खर्चा करेंगे वह रखा जाता है। इस बिल के माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी इस सदन से 27353 करोड़ 2 लाख 89 हजार, इतनी बड़ी राशि ख़र्च करने की अनुमति चाही है।

(13.03 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

कहां-कहां विभिन्न मदों में आप खर्च करेंगे, यह भी आपने विभिन्न डिमांड्स के माध्यम से हमको बतलाया है। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सालों में कुछ हुआ सो हुआ, क्या माननीय वित्त मंत्रीजी, हमको, इस हाउस को आश्वस्त कर सकते हैं, प्रान्त की जनता को आश्वस्त कर सकते हैं कि जो भी बजट प्रावधान मैंने इस साल रखे हैं उन सब को पूरा किया जाएगा। यदि आपके सामने कोई कठिनाई है, तो आज भी आपके सामने अवसर है, कहीं आपने आमदनी के स्त्रोत जुटाने के लिए प्रावधान किये हैं, 15-20 रोज का समय हो गया, आपके पास इस तरह के कोई आंकड़े आए होंगे, इन्फार्मेशन आयी होगी, सूचना आई होगी कि आपने जो आमदनी के स्त्रोत बतलाये हैं उन स्त्रोतों में यह कमी होने वाली है। यह सदन खुश होगा यदि आप यह घोषणा करते हैं कि मैंने बजट प्रावधानों में ये-ये खर्चे सम्मिलित

(श्री शिवनाथ सिंह)

किये थे लेकिन हमारी आमदनी इससे कम होने वाली है इसलिए इन खर्चों को मैं काटता हूं। हमें कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन एक बार जो आप प्रावधान रख देते हैं उनको स्टिक करना चाहिए, उसके आधार पर हमको चलना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, जो आपने बजट प्रावधान किये हैं आमदनी के, मैं पहले उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। 1334 करोड़ का आपने बजट घटाया बताया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपका एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि उसकी कार्यप्रणाली पर यदि ध्यान दे लिया जाए, सुधार किया जाए तो यह घाटा उससे ही पूरा हो सकता है। आपके जो विभिन्न टैक्स हैं, आबकारी के हिसाब से है, दूसरे टैक्सेज हैं उनमें वसूली का प्रतिशत बराबर गिर रहा है। वह टैक्सेज आप यदि वसूली कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल से घाटा पूर्ति ही नहीं होगा, हम सरप्लस भी जाएंगे। लेकिन आपका विभाग इस मामले में सक्रिय नहीं है और बहुत से मामले जो आप आंतरिक कार्यप्रणाली को सुधारने से ठीक कर सकते हो वह आपका विभाग नहीं कर रहा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपने परिपत्र हमको दिया है, एक अप्रैल, 1990 से 1991 एवं 2000-2001 तक के आंकड़े दिये हैं। अप्रैल को कितने मामले पैंडिंग थे, कितने मामले नये साल में दायर हुए और कितनों का आपने निस्तारण किया। माननीय सभापतिज़ी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर साल यह फिगर बढ़ रही है और जहां मैं 2000-2001 की बात कहता हूं, साल में 236709 मामले शेष थे कर निर्धारण के, 166548 नये मामले दर्ज हुए लेकिन आपने निस्तारण कम किया है। यदि इनका समय रहते निस्तारण कर देते हैं, तो अगली पार्टी जिससे आपको रुपया लेना है उसको रुपया चुकाना पड़ेगा। यही मामला आपके यहां अपीलों का है। अपील साल में दायर ज्यादा होती है और निस्तारण कम होता है। यह आपके अधिकारी जो वहां लगे हुए हैं उनकी सक्रियता को दिखलाते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इस मामले में थोड़ी सतर्कता बरतें और आपके विभाग में जिनको कर वसूली का जिम्मा दे रखा है, वे सक्रियता से भाग लें तो मेरे ख्याल से ये वसूलियां हो सकती हैं और वसूलियां होंगी, तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। इस सम्बन्ध में इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

एक और निवेदन माननीय मंत्री महोदय से करना चाहूंगा कि पिछले कुल साल पहले यह पंजीयन शुल्क में छूट दी गयी थी। मेरे ख्याल से 10 प्रतिशत से 7 प्रतिशत किया गया था और उसके रिजल्टस उत्साहवर्द्धक रहे। पंजीयन शुल्क जितना कम किया जाएगा, लोगों की

(श्री शिवनाथ सिंह)

रजिस्ट्री के लिए डाकुमेंट ज्यादा पेश होंगे, ज्यादा टर्नओवर होगा और उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। आपने एक बार एक्सपेरिमेंट कर के देख लिया, चाहे पहली गवर्नमेंट ने किया हो, चाहे आपने किया हो, उसके अच्छे रिजल्ट आये और उन रिजल्टस को ध्यान में रखते हुए आपको यह संशोधन करना चाहिए और एक रीजनेबल हिसाब से इसमें करोगे तो मेरे ख्याल से फायदा होगा। माननीय सभापतिजी, आपने कुछ लेखे हमको दिये हैं, डाकुमेंटस दिये हैं। उन सब पर मैं विवेचन नहीं करना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह जो आर्थिक समीक्षा आपकी पेश हुई है, चाहे उसको लीजिए, चाहे ए.जी. का जो डाकुमेंट हमारे सामने पेश आया है उसको लीजिए सभी जगह विभाग का कार्य क्षमताओं पर प्रश्न चिह्न लगाये गये हैं। यह ऊर्जा का मामला है, इसमें मैं आगे भी कहूंगा लेकिन ऊर्जा की जो प्रति व्यक्ति औसत यूनिट खर्च हो रही है उसमें गिरावट आ रही है और यह एक बहुत बड़ा संकेत है क्योंकि ऊर्जा आज के दिन उत्पादन का मुख्य साधन है। यदि ऊर्जा की खपत घटती है, तो हमारा उत्पादन भी घटेगा, कृषि पर भी उसका उसर पड़ेगा और उद्योगों पर भी असर पड़ेगा। यह इसलिए हो रहा है कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस ओर बहुत ही कंजूसी बरती है, सिर्फ 200 करोड़ रुपया आपने सब्सिडी के रूप में रखा। आप कहेंगे हम सब्सिडी नहीं दे सकते लेकिन सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी। यदि आपको देश का उत्पादन बढ़ाना है, प्रान्त का उत्पादन बढ़ाना है, किसान को बचाना है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको देनी पडेगी। यह किसान पर कोई मेहरबानी नहीं है, उसको दान नहीं है, उसको भीख नहीं है, यह किसान का अधिकार है कि उसको सब्सिडी मिले और आज उसको सब्सिडी मिल रही है लेकिन जो बिजली कम्पनियों को सब्सिडी के पेटे कंजुमर्स को कम कीमत पर बिजली सप्लाई करने के कारण से जो राज्य सरकार का भार आना चाहिए उस भार की आप आपूर्ति नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप कह किस को रहे हो, ऊर्जा मंत्रीजी तो यहां हैं ही नहीं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं वित्त मंत्रीजी को कह रहा हूं, आप छोटी सी बात भी नहीं समझती हो। वही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। इसलिए, सभापतिजी, वित्त मंत्रीजी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम यह होगा कि बिजली की कम्पनियां हमेशा घाटे में रहते हुए कंजुमर्स को बिजली नहीं दे पाएगी और यदि उसकी घाटा पूर्ति करना सरकार का कर्तव्य है सरकार उनको एडजेस्टमेंट नहीं देती है तो वह कंजुमर्स को, और खास तौर से किसान वर्ग को बिजली कम देंगे, कनेक्शन कम देंगे

(श्री शिवनाथ सिंह)

क्योंकि बराबर कनेक्शन देते जाएंगे और आप उसका भरण-पोषण नहीं करोगे, तो कनेक्शन कम दिये जाएंगे। कनेक्शन कम देने से जो किसान प्रभावित होंगे उससे आपकी खेती भी प्रभावित होगी। इसलिए माननीय वित्त मंत्रीजी मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी बिजली कम्पनियां का आपके जिम्मे रुपया है उस रुपए का पुनर्भरण करने के लिये आपको इस बजट से प्रावधान करने चाहिए।

माननीय सभापतिजी, इसी तरह से एक बात मैं और कहना चाहूंगा। कल हमने शिक्षा मंत्रीजी की व्यथा को सदन में देखा। पिछले तीन साल से शिक्षा के मामले में उपेक्षापूर्ण रवैया अख्तियार किया जा रहा है। दो साल पहले स्कूलें खुली थीं और स्कूल खुलने के बाद उनमें कितने अध्यापक होंगे, कितना नया रिक्रुटमेंट होगा, किस शाला में कितना खर्चा होगा, इस सबका अन्दाज लगाकर आपने अपने प्रथम बजट में प्रोविजन किया था और उसका जब मैंने खर्चा पूछा अपने प्रश्न के द्वारा, तो एक भी रुपया नई स्कूलों में अध्यापक लगाने के लिये आपने खर्च नहीं किया। कल शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे बजट होना दूसरी बात है और फाइनेंस मिलना दूसरी बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपने 400 स्कूल खोलने की बात की है, दूसरे माननीय सदस्य इस बात से सहमत नहीं होंगे आज आप भी घोषणा कर सकते हो कि 400 स्कूल खोलने का मैंने प्रावधान किया है मैं इसको विदड्रा करता हूं, हम खुश होंगे। लेकिन यदि एक स्कूल खुलता है उस स्कूल में कोई अध्यापक जो आपके मापदण्ड के अनुसार आते हैं, वे देने चाहिए। मैं इसलिए पीड़ा से कह रहा हूं कि यह सब अन्याय ग्रामीण जनता के साथ हो रहा है। बड़े-बड़े शहर हैं, कस्बे हैं उनमें प्राइवेट स्कूलें हैं और वह प्राइवेट स्कूलें चाहे कितना भी शोषण करें लेकिन बच्चों को शिक्षा देती हैं। हमारी ग्रामीण स्कूल किसी से कम नहीं है।

माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरी कांस्टीटयुएंसी में एक सरकारी स्कूल है जिसने पिछले साल जिले में प्रथम स्थान पाया, इस साल उन्होंने राज्य में प्रथम स्थान पाया है। ग्रामीण' क्षेत्र की स्कूल है, वहां हमारे अध्यापकों की गुणवत्ता में, उनके कार्य करने की क्षमता में कोई कमी नहीं है लेकिन यदि स्कूल में अध्यापक नहीं होगा उसके बाद हम क्या रिजल्ट उनसे प्राप्त करना चाहते हैं। एक आदेश दे दिया कि मिडल स्कूल में 3 अध्यापक होंगे, 3 से कम नहीं होंगे, प्राइमरी स्कूल में 2 से कम नहीं होंगे, हाई स्कूल में 5 से कम नहीं होंगे। माननीय सभापतिजी, जितने सब्जैक्टस हैं उनके अनुसार मिडल स्कूल में कम से कम 8 अध्यापक होने

(श्री शिवनाथ सिंह)

चाहिए। 8 के हिसाब से आप बजट में प्रोविजन करते हो लेकिन उसको खर्च करने के लिये आप रिलीज नहीं करते हो, यह पीडा वाली बात है और यह ग्रामीण क्षेत्र में इससे भयंकर पीड़ित है। इसलिए कृपा करके इस साल में बजट में भी आपने जो प्रावधान किया है वह पूरा का पूरा खर्च करवाइए। आप कह सकते हैं कि हमारे वित्तीय साधन सालभर में सीमित हैं। हमारी आमदनियां जो हम आज सोच कर चलना चाहते हैं वह आमदनी नहीं होती है तो हमें खर्च कम करना पड़ता है। माननीय वित्त मंत्रीजी, इस खर्च को आप अलग-अलग बांटिए, अकेली ग्रामीण जनता की शिक्षा के ऊपर इसकी मार मत डालिए। आप आज देखते हैं कि चाहे प्राइवेट स्कूल कितनी भी संख्या में बढ़े लेकिन सरकारी स्कूलों की जो गुणवत्ता है वह इन प्राइवेट स्कूलों से बढ़ी है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कोई 800 रुपए का, कोई 1200 रुपए का अनट्रेंड टीचर मिलते हैं और हमारी स्कूलों में बिलकुल ट्रेंड टीचर देते हैं, नये-नये लोग आते हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए वहां स्थान होना चाहिए।

मैं आपसे इसलिए फिर निवेदन कर रहा हूं कि यह जो शिक्षा के मामले में आपने बजट प्रावधान किये हैं उनको इस साल में पूरा कीजिए और पिछला जो बैकलाग अध्यापकों का है उसे भरिए। अभी करीब 23000 अध्यापकों के पद खाली बताए थे। कल ही हमने शिक्षा मंत्रीजी की व्यथा को महसूस किया, अब तक हमारा गुस्सा शिक्षा मंत्रीजी के ऊपर आता था कि वह स्कूल में मास्टर नहीं दे रहे हैं, स्कूल का प्रबन्ध ठीक नहीं कर रहे हैं लेकिन कल उन्होंने साफ अपनी बात कह दी कि मैं तो करने को तैयार हूं, मुझे फाइनेंस मिले तब मैं करूं। इसलिए माननीय वित्त मंत्रीजी उनकी पीड़ा को समझिए, हमारी पीड़ा को समझिए और खास तौर से स्कूलों में जो अध्यापक की बात है, उसको आप पूरा कीजिए।

माननीय सभापतिजी, यह बात नहीं है कि हमारे पास रुपया नहीं है, रुपया है लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। हमारा प्रान्त गर्व करता है कि हमने 61 परसेंट साक्षरता को अचीव कर लिया है। सभापतिजी, इस दिशा में अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षाकर्मी योजना, लोक जुम्बिश, डी.पी.ई.पी., साक्षरता अभियान, पूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता अभियान और आंगनबाडी जैसी कई योजनाएं हैं। यदि इन अलग-अलग कार्यक्रमों की आप फिगर्स कलैक्ट करोगे, तो 61 परसेंट नहीं 200 परसेंट आपको साक्षर मिलेंगे। क्योंकि आंगनबाडी वाले अपनी फिगर देते हैं, प्रौढ़ शिक्षा वालों ने अपनी फिगर्स दी हैं। आपने यह जो आंकलन किया है वह उसके हिसाब से किया है

(श्री शिवनाथ सिंह)

कि आज कितने जने साक्षर हैं। लेकिन यह कितने सालों से काम करते आ रहे हैं, इनमें कितने लोगों को साक्षर किया, 5 करोड़ की आबादी है 10 करोड़ को इन्होंने साक्षर कर दिया। यह इस प्रकार का अपव्यय और मिसमैनेजमेंट हमको खा रहा है। इसलिए वित्त मंत्रीजी इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। विभागों का कोलेबोरेशन हो...(व्यवधान)

श्री सभापति : शिक्षा मंत्रीजी ने कल ही वित्त मंत्रीजी पर डाल दिया था।

श्री शिवनाथ सिंह : लेकिन उनको रुपया नहीं मिलता है। यह तो वैद्य लगाने को तैयार हैं लेकिन हमारे वित्त मंत्रीजी वैद्यों को तनख्वाह ही नहीं देते हैं, यहां कहां लगाएंगी। (व्यवधान) वह सक्षम है। माननीय सभापतिजी, मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो वसूली करने का बताया है कि इस से रिसीटस हमारी होगी और उससे बजट के प्रोविजन को पूरा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह मैं वित्त मंत्रीजी की जानकारी के लिए 2-3 फिर्गस देना चाहूंगा। आपका आबकारी का मुख्य स्त्रोत है और जितने भी बजट प्रोविजन आप करते हैं, हमेशा उसमें कमी आती है। पिछली बार आपका रिवाइज बजट 1125 करोड़ था, संशोधित अनुमान आपने घटा दिया 1075 करोड़ रुपए का, इस साल आपने 1240 करोड़ का रखा है। यह लगातार यह घट रहा है तो इस साल वाले प्रोविजन आप कहां से पूर्ति करोगे? इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, यह बिक्री कर का है और यह संघीय आय का है, वह आपके बस में नहीं है, वह दूसरी बात है लेकिन जो आपने फिगर्स रिसीट के दिए हैं, वह फिगर्स के हिसाब से शंका पैदा होती है कि आप बजट के अनुसार अपने साधन कैसे जुटा पाओगे और नहीं जुटा पाने के कारण आपके बजट के प्रति लोगों में आस्था नहीं रह गई।

माननीय सभापतिजी, मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि आपको आस्था पैदा करनी पड़ेगी बजट के प्रोविजन के प्रति और जो भी बजट प्रावधान आपने इस साल किये हैं, खास तौर से शिक्षा के मामले में, उनको आप पूरा कीजिए और जितने भी अध्यापक पिछले साल में नहीं दे पाये स्कूलों को, तीन अध्यापकों के भरोसे हम मिडिल स्कूल नहीं चला सकते, पांच अध्यापकों से हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल नहीं चला सकते और दो अध्यापकों से हम प्राइमरी स्कूल नहीं चला सकते, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए और यह ग्रामीण जनता के साथ जो भेदभाव होता जा रहा है, उसको दुरस्त कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने प्रावधान किये वह तो स्वागत योग्य है लेकिन इन

(श्री शिवनाथ सिंह)

प्रावधानों की क्रियान्विति करें तब हम आपको धन्यवाद देंगे वरना पिछले साल की तरह से आप कमी रखोगे कार्य की पूर्ति करने में तो फिर हमारी पीड़ा बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी और जनता की समस्या ज्यादा बढ़ेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री जुगल काबरा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक के ऊपर अपनी बात कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। राजस्थान सरकार पिछले लम्बे समय से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है और यह कोशिश करती रही है कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रदेशवासियों को समुचित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, नगरीय प्रबन्ध हो, कृषि, सिंचाई या अन्य कोई मामला हो, इसके साथ ही साथ सरकार ने कर राजस्व के माध्यम से यह प्रयास किया है कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत बने ताकि हम देश के अन्य राज्यों के मुकाबले अपने संसाधन बढ़ाकर प्रगति को और अधिक तेज कर सके।

मान्यवर, जो बजट में प्रोविजन किया जाता है, जैसा कि अभी माननीय सदस्य शिवनाथ सिंह जी बता रहे थे कि हमारा कर संग्रह उससे कम रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि जो आमदनी की हम अपेक्षा करते हैं, उसे पूरा करने के लिए समुचित उपाय किया जाना चाहिए। राज्य की आमदनी में मुख्य हिस्सा विक्रय कर, आबकारी कर, खनन से होने वाली आय, इन मदों में करों के रिसाव की बहुत बड़ी शिकायत रही है इसलिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि जहां भी इन करों में रिसाव की बात होती है, उसे मुस्तैदी से रोका जाये।

मैं वित्त मंत्रीजी को यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की लीक से हटकर यह प्रावधान किया कि बाहर से आने वाला माल चैक पोस्ट पर चैक होगा। पूर्ववर्ती सरकार ने यह कहा था कि हम इंस्पेक्टर राज को खतम कर रहे हैं और इसलिए चैक पोस्ट को समाप्त कर रहे है। किन्तु उससे अनुभव यह रहा है कि बाहर से बगैर कर चुकाए माल बहुत बड़ी तादाद में प्रदेश में आने लगा और बगैर कर चुकाए बिकने लगा, जिससे राज्य सरकार की आमदनी में बहुत कमी आई है। किन्तु इस बार वित्त मंत्रीजी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ में यह प्रयास किया है कि आने वाला माल चैक पोस्ट

(श्री जुगल काबरा)

से गुजरेगा। और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन चैक पोस्टों को आप कम्प्यूटराइज कीजिए ताकि तत्काल पता चल सके कि किस विक्रेता द्वारा माल भेजा गया है, किस क्रेता ने यह माल खरीदा है और वह दोनों, विक्रेता और क्रेता वास्तव में सही है या नहीं, इस बात की भी तत्काल जानकारी हो सके। और जो अन्य मार्गों से वाहन माल लेकर आते हैं उनके वह ऊपर आप यह पाबन्दी लगाइए कि वह वाहन अगर अन्य मार्गों से माल लेकर आता है, तो इसका तात्पर्य यही समझा जाएगा कि वह कर चोरी करना चाहता है। ऐसे वाहनों पर लदे हुए माल पर कोई शास्ति या पैनल्टी लगाई जानी चाहिए ताकि इस तरह से गलत तरीके से प्रदेश के अन्दर जो अन्तरराज्यीय बिक्रीकर की बचत करके लोग माल लाने का प्रयास करते हैं, उसको रोका जा सके। साथ ही साथ प्रदेश के अन्दर भी हमें करों के सरलीकरण के बारे में भी सोचना चाहिए। राजस्थान के चारों तरफ जो प्रदेश हैं, वहां बिक्रीकर की दरों को हमें देखना चाहिए और उसके अनुसार हमें अपने करों को सुसंगत बनाने का प्रयास करना चाहिए।

जिन जिंसों की बाहर के प्रदेश से, हमारे पड़ौसी प्रदेश में बिक्री कर कम है [illegible] उन जिंसों में हमें भी उनके मुकाबले अपना बिक्री कर कम करना चाहिए। ताकि जिन लोगों की प्रवृति बाहर से माल लाने की है, उपभोक्ताओं की प्रवृति बाहर से माल खरीदने की है, औद्योगिक इकाइयों की प्रवृति बाहर से माल लाने की है, वह प्रवृति की जा सके। हमारे अपने यहां पर विक्रेता, उपभोक्ताओं को और उद्योगों को रा-मैटेरियल खरीदकर राजस्थान से उपलब्ध करवा सके। इससे राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी और राज्य को लाभ भी मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, राज्य में औद्यागिक विकास का वातावरण बना है। प्रदेश में नये-नये उद्योग स्थापित होने की प्रक्रिया में है। देश में जैसा वातावरण है, जिस तरह से अराजकता की घटनाएं घटित हो रही हैं, आम आदमी का जीवन असुरक्षित हो रहा है, ऐसे समय में बाहर के लोग राजस्थान जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में, जहां किसी तरह की अराजक स्थिति नहीं है, उस प्रदेश में अपने उद्योग-धंधे और व्यापार करना चाहते हैं ताकि वह यहां आराम से रह सके, सकून से रह सके, चैन से रह सके। आज गुजरात के जो हालात हैं, जिस तरह से साम्प्रदायिकता की आग वहां फैल रही है, आम व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो गया है। कोई भी व्यक्ति सुबह घर से निकलकर यह सोच नहीं [illegible] कि सकुशल वापस घर पहुंच [illegible] से बाहर जाने वाला

(श्री जुगल काबरा)

व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि वापस घर पहुंचूंगा तो मेरा घर सुरक्षित मिलेगा, मेरे बीवी-बच्चे सुरक्षित मिलेंगे। इस तरह के हालात में आज गुजरात के लोग रह रहे हैं। ऐसी अराजक स्थिति में कोई भी उद्यमी अपना उद्योग वहां पर जाकर नहीं लगाना चाहेगा, कोई भी व्यापार वहां जाकर प्रारम्भ नहीं करना चाहेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थितियां भी जिस तरह से शांतिप्रिय होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं है। अयोध्या में बार-बार राजनीतिक कारणों से बाबेला मचाया जाता है उसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश पर होता है, वहां भी अशांति होती है। इसलिए बाहर के लोग यह चाहते हैं कि राजस्थान जैसे शांतिप्रिय प्रदेश के अन्दर आकर हम अपना उद्योग स्थापित करें, व्यापार करें, कामकाज करें। किन्तु जो बाहर से आने के लिए लालायित हैं ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जिन उद्योगों के अन्दर हम रियायत दे सकते हैं उनकी स्थापना में, उन्हें रियायत देनी चाहिए। उनकी स्थापना के लिए भूमि, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन यह फोरमलिटीज शीघ्रातिशीघ्र पूरी करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो उत्पादन हमारे उद्योगों द्वारा किया जाता है राज्य में, उसके विक्रय का बाजार भी उपलब्ध कराने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए और यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा विक्रय कर सुसंगत हो ताकि राजस्थान में जो उत्पाद पैदा होते हैं उन्हें अन्तरराज्यीय बिक्री के लिए हम अवसर प्रदान कर सकें, बाजार प्रदान कर सकें और यहां का माल बाहर के प्रदेशों में भी जाकर के बिक सके।

आज जमाना उदारीकरण के बाद में जहां अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का है उसके साथ-साथ अन्तरराज्यीय प्रतिस्पर्द्धा का भी जमाना है। दूसरे प्रदेशों में जो उत्पाद पैदा होता है वह भी कुछ मार्केटस में जाकर बिकता है, हमारे अपने प्रदेश का उत्पाद भी उन्हीं मार्केटस में जाकर बिकता है, और कई जगह तो हमारी दूरी ज्यादा लम्बी होती है, किराया-भाड़ा ज्यादा लगता है इसलिए हमारे यहां के उत्पाद के लिए समस्या होती है कि हम दूसरे राज्यों के मुकाबले अपने माल को कैसे बचें। ऐसे माल के लिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि बाहरी प्रदेशों से हम अपने यहां विक्रय कर को सुसंगत बनाएं।

मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जोधपुर में स्टेनलेस स्टील एक पुराना उद्योग रहा है। दो दशक से यह उद्योग निरन्तर पनपता रहा है, फलता-फूलता रहा है और राज्य सरकार की आय भी भरपूर होती रही है। किन्तु पिछले कुछ सालों से केन्द्र सरकार की नीति के कारण यह उद्योग पिछड़ता जा रहा है। आज कई कारखाने

(श्री जुगल काबरा)

बन्द हो गये हैं, राज्य सरकार को विक्रय कर की कमी आ रही है, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह उद्योग अपेक्षा करते हैं राजस्थान सरकार से कि वह हमें सहारा देगी ताकि इन उद्योगों को खड़ा रखा जा सके। जो गरीब मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं उन्हें हम रोजगार का पुनः साधन उपलब्ध करा सकें, हजारों की संख्या के अन्दर आज लोग जिस तरीके से बेकारी के शिकार हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस उद्योग को पहले भी राजस्थान की सरकार ने संरक्षण दिया, आज पुनः संरक्षण की आवश्यकता है। अभी इसके ऊपर आधा प्रतिशत सेल्स टैक्स लगा रखा है जबकि दूसरे प्रदेशों के अन्दर किसी तरह का सेल्स टैक्स नहीं है और साथ ही साथ केन्द्र सरकार ने अभी सी फार्म की अनिवार्यता और लगा दी है, इससे भी इन उद्योगों को समस्या पैदा हो रही है। सी फार्म की फोरमलिटी करने में, समय पर माल भेजने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सेल्स टैक्स की बजाए, राज्य सरकार को घाटा नहीं हो, उनका जो रा मेटेरियल है, जो माल खरीदते हैं, बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि अधिकांश स्टेनलेस स्टील का पाटा बाहरी प्रदेशों से बनकर राजस्थान में आता है, जोधपुर में आता है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स के बजाय आप आधा प्रतिशत एन्ट्री टैक्स लगा दें ताकि राज्य सरकार को नुकसान भी नहीं हो और प्रोसेस किए हुए माल का वजन कम होता है, आप रा मेटेरियल के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो आपको पूरे माल के ऊपर एन्ट्री टैक्स मिलेगा, प्रोसेस माल के ऊपर, कम माल के ऊपर आपको सेल्स टैक्स मिलता है तो इससे राज्य सरकार का घाटा भी कम होगा, राज्य सरकार को अधिक आमदनी होगी और जो हमारे उद्योग हैं वे भी इस समस्या से बच जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सेल्स टैक्स को हटाकर इसकी केटेगिरी बदल करके इन उद्योगों को अगर राहत प्रदान करेंगे उससे इस तरह के उद्योग पनप सकेंगे।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा इसी तरह से चाहे हमारा टैक्सटाइल उद्योग हो, ग्वार गम का उद्योग हो, चूना उद्योग हो, इनके अन्दर भी राज्य सरकार द्वारा इन उद्योगों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि इनके बारे में भी आप विचार करें और इन उद्योगों को भी पूरी तरह से सहायता प्रदान करें ताकि यह उद्योग भी खडे रह सकें। मान्यवर,आपने रुग्ण उद्योगों के लिए नीति बनाई है कि उन्हें आप राहत प्रदान करेंगे, उन लोगों को सेल्स टैक्स का एक्जम्प्शन देने की बात कही है नये उद्योगों को भी आपने सेल्स टैक्स का एक्जम्प्शन देने की बात कही है किन्तु

(श्री जुगल काबरा)

रूग्ण उद्योगों के मामले में जो आर.एफ.सी. या रीको फाइनेंस उद्योग हैं उन्हीं उद्योगों को यह सेल्स टैक्स की एक्जम्प्शन की, रियायत की आपने सहूलियत दी है। जो उद्योग स्वपोषित हैं, स्ववित्त पोषित हैं और किसी कारण से पिछले आठ साल से, दस साल से, पांच साल से बन्द हो गये हैं, बाजार नहीं मिलने के कारण, रा-मेटेरियल नहीं मिलने के कारण, मजदूरों की क्राइसेस के कारण, ऐसे उद्योगों को भी अगर पुनः चालू करना कोई चाहे, तो उन्हें भी मैं चाहूंगा, वित्त मंत्री महोदय कि आप इसी तरह की नीति के अन्तर्गत उन्हें भी राहत प्रदान करें कि जो रुग्ण उद्योग हो गये हैं किसी कारण से, बन्द हो गये हैं किसी कारण से, उन उद्योगों को भी अगर कोई उद्यमी पुनः प्रारम्भ करना चाहता है, तो पांच साल से ज्यादा बन्द पड़े उद्योगों को प्रारम्भ करने के ऊपर भी आप सेल्स टैक्स की रियायत प्रदान करेंगे तो मैं सोचता हूं कि इससे भी हमारे यहां जो बन्द पड़े हुए उद्योग हैं वे पुनः प्रारम्भ हो सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसके साथ ही... अभी तो मैंने चालू ही किया है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : बोलने वालों को ध्यान कम रहता है। जो वक्ता है उसको ध्यान कम रहता है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): किसी एक वस्तु पर राजस्थान में बार-बार टैक्स लगता है क्या?

श्री जुगल काबरा : नहीं लगता है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : नहीं लगता है न। नहीं लगता है तो ठीक है।

श्री जुगल काबरा : इसी तरह से आपने कम्पोजिट स्कीम सेल्स टैक्स में चालू की है उसका भी अच्छा प्रभाव रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस तरह से विक्रय कर को सरलीकृत करके हम अपने कर राजस्व को बढ़ा सकते हैं और इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और आम लोगों को तकलीफें भी कम होगी। मान्यवर, हमारी राज्य सरकार ने माननीय वित्त मंत्री महोदय के माध्यम से हर क्षेत्र के अन्दर काफी कुछ इन्वेस्टमैंट किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी जैसा कि बताया गया, हमने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, हमारी साक्षरता बहुत अधिक बढ़ी है, हमारा आकार भी बढ़ा है, शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर हमने विद्यालय खोले हैं, मिडल स्कूलें भी पिछले सालों में खोली गई हैं। किन्तु जो शिक्षा की आवश्यकता है उसको देखते हुए माननीय वित्त मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप शिक्षा के मद में कुछ अधिक धनराशि दें ताकि अधिक मिडल स्कूलें और प्रारम्भ की जा सकें और ग्रामीण [illegible] में ग्राम

(श्री जुगल काबरा)

तौर पर जहां दूर-दराज से लोग आते हैं, जहां शिक्षा की आवश्यकता है, उन इलाकों के अन्दर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चा मिडल स्कूल के लिए 5 किलोमीटर, दस किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाता है, यह उसके लिए सम्भव नहीं है तो इसलिए ऐसे क्षेत्रों के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ मिडल स्कूलों की संख्या बढ़ाएं। आपने सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलें घोषित की हैं उसके लिए मैं आपको हार्दिक आभार ज्ञापित करना चाहूंगा किन्तु उसमें भी आम सदस्यों की यह भावना है कि राज्य की सरकार शिक्षा के प्रति खास तौर पर संवेदनशील है, विशेष ध्यान दे रही है तो हम अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी के बारे में भी कुछ विचार करेंगे और घोषित करेंगे कि इस क्षेत्र में भी आपकी तरफ से कुछ मदद मिले।

श्री परसादी लाल : बताओ तो सही, कितनी।

श्री जुगल काबरा : वह तो वित्त मंत्रीजी सब समझते हैं, सारे सदस्य इनसे मिल चुकें हैं और व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध कर चुके हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी कह चुके हैं।

श्री रामस्वरूप : ईश्वर ने भी जोड़ा [illegible] है मनुष्य का, इसलिए [illegible]

दो तो कम से कम कर दो, दो तो होनी चाहिए साहब। दो सैकण्डरी, दो हायर सैकण्डरी।

श्री जुगल काबरा : मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से उम्मीद करता हूं कि सदस्यों की भावनाओं का वे ध्यान रखेंगे और यह प्रयास करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर...

श्री सोहन नायक : माननीय सभापति महोदय, सभी सदस्यों की भावना है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि चाहे कितनी भी बढ़ाओ, जितना आपकी जेब में पैसा है उतनी बढ़ाना। यह नहीं हो कि आप स्कूलों को क्रमोन्नत कर दो और साल भर निकल जाय और अध्यापक वहां पहुंचे ही नहीं तो परीक्षा किस बात की होगी।

श्री नाथूराम अहारी : हम राज करने बैठे हैं, कर्जा लेना पड़े तो लेना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हो, कहां की, पण्डितजी, बात कर रहे हो। हम राज करने बैठे हैं, हम साफ होने के लिए नहीं बैठे हैं। क्या बात कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : सब पहुंचाए जाएंगे। अध्यापक भी आएंगे, सारा काम होगा, आप करने तो दो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : नहीं [illegible] आप...।

श्री जुगल काबरा : पण्डित जी तो ये कह रहे हैं कि चाहे कर्जा लो पर कम से कम कर्ज लेकर के भी मास्टर लगाएं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मास्टर तो लगाना चाहिए।

श्री जुगल काबरा : यह नहीं कह रहे हैं कि आप मास्टर मत लगाओ और स्कूल खोल दो।

श्री नाथूराम अहारी : नहीं, जेब से, अभी जो काम चला रहे हो वो अपनी जेब से चला रहे हो। अपने पास पैसा है वो सारा।

श्री रामस्वरूप : खोलो आप तो। राजस्थान की जनता मांग कर रही है। खोलिए आप तो। वो भी काम हो जाएगा। आगे चुनाव आ रहे हैं आप तो खोलिये।

श्री जुगल काबरा : पण्डित जी बिलकुल सही कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : एक मिनट। पिछले साल आपने जितनी सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलें खोली, वहां सब जगह क्या हमने अध्यापकों की व्यवस्था कर दी? वो नहीं की तो उसका नुकसान छात्रों को हुआ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, शिक्षा मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पूर्व में भी शिक्षा विभाग की चर्चा में यह बात आयी थी। मैं यहां पर इस बात को निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री जी से पूछ करके सैकण्डरी सैक्शन और सीनियर सैकण्डरी स्कूल के लिए अध्यापकों का प्रावधान किया गया, बजट प्रावधान किया, नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी। जैसा कल शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं कहा कि अदालतों के स्थगन आदेश की वजह से वो भर्ती पूर्ण नहीं हो सकी। वो भर्ती पूर्ण नहीं हो सकी, मैं आपसे जो कह रहा हूं उनकी संतुष्टि के आधार पर। उन्होंने कहा कि मैं इतने से काम चला लूंगा। मेरी शिक्षा मंत्रीजी से विस्तार से बातचीत हुई थी तो मैं भी कुछ समझता हूं। मैं कोई राजनीति में नया आदमी नहीं हूं, सार्वजनिक जीवन भी मेरा पुराना है। मैंने उनसे बात करके और उनको संतुष्ट करते हुए फाइल पर स्वीकृति दी थी लेकिन अब अदालतों के आदेश और स्थगन आदेश के ऊपर तो मेरा पण्डित जी बस नहीं है।

एक माननीय सदस्य : चलो अब की बार खोल दो।

श्री जुगल काबरा : सभापति महोदय, हम आभारी हैं वित्त मंत्रीजी के कि उन्होंने सदस्यों की भावना को समझा और यह प्रयास कर रहे हैं कि अधिकाधिक शिक्षा

(श्री जुगल काबरा)

के क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कल जो अपने अभिभाषण में अपनी बात कही थी, अपने उद्बोधन में जो बात कही थी उसको भी आपने काफी गम्भीरता से लिया और इस बात की अवश्य व्यवस्था करेंगे कि जो विद्यालय क्रमोन्नत किए जा रहे हैं उन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाए ताकि उन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को किसी तरह की परेशानी अथवा कठिनाई नहीं हो।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, शिक्षा के साथ-साथ राजस्थान की सरकार ने चिकित्सा को भी पूरी तरह से तबज्जोह दी है और यह? प्रयास किया है कि राजस्थान के गरीब, असहाय और पीड़ित लोगों को पूरी तरह से चिकित्सा के दायरे में लाया जाए। जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं ऐसे सभी लोगों को चिकित्सा के दायरे में लाकर राजस्थान की सरकार ने यह प्रयास किया है कि उनकी पूर्ण चिकित्सा राज्य सरकार द्वारा करायी जाए

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

और साथ-साथ उन्होंने यह भी व्यवस्था की है कि ऐसे लोगों को चाहे कितनी भी जरूरत हो मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष तथा मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से इन लोगों के इलाज की व्यवस्था की जाए। चिकित्सा के विस्तार के लिए भी राजस्थान की सरकार ने योजना बनायी और हम अपेक्षा करते हैं कि जहां बड़े चिकित्सा केन्द्र हैं वहां पर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे मेडिकल कालेजज हैं उनके अन्दर स्पेशल टीट्रमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो लोग प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जयपुर की तरफ भागते हैं या बड़े शहरों की तरफ दिल्ली, बाम्बे, मद्रास या अहमदाबाद जाते हैं उन लोगों को ज्यादा दूरी की दौड़ नहीं लगानी पड़े और उनका इलाज इन क्षेत्रों में ही हो सके।

सम्भागीय मुख्यालयों पर जो मेडिकल कालेज स्थापित हैं उनके अन्दर कम से कम हार्ट सर्जरी की व्यवस्था या एंजीयोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करने की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए ताकि जो दूसरे क्षेत्रों से लोग इधर-उधर भटकते हैं, आज हृदय की बीमारी एक साधारण बीमारी आम बीमारी हो गयी है, माननीय सभापति महोदय, आम लोगों को इलाज के लिए काफी दूर जाना पड़ता है बहुत समस्या होती है। सरकार द्वारा उनके इलाज का पैसा तो दे दिया जाता है किन्तु आने-जाने का, उनके रहने का, उनक अटेडेंट का खर्चा राज्य सरकार नहीं देती है, तो ऐसे लोगों के लिए दूसरी जगह जा करके इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए भी उन्हें कर्ज लेना

(श्री जुगल काबरा)

पड़ता है। इलाज-इलाज का पैसा केवल राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के सम्भागीय मुख्यालय पर प्राथमिकता के आधार पर अगर हम एंजीयोग्राफी, एंजीयोप्लास्टी तथा हार्ट सर्जरी की कोई व्यवस्था कर सकें, तो उसके लिए अभी से ही प्रयास करना चाहिए। एक साल के अन्दर अगर बिल्डिंग बनाने की बात की जाए दूसरे साल के अन्दर इक्विपमैंट की बात की जाए इस तरह से हम आने वाले दो सालों के अन्दर ये प्रयास कर सकते हैं।

चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर हमने काफी कुछ कीर्तिमान हासिल किया है और प्रदेश में जो लोगों की भावना है उसके अनुरूप हमने काम किया है। जिला मुख्यालय के ऊपर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर भी इलाज की विशेष सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि जिला मुख्यालयों पर ही आकर के आदमी अपना इलाज करा सके। सर्जरी और अन्य बीमारियों के इलाज की आवश्यकता होती है उसके लिए भी उन्हें बड़े शहरों में जाना पड़ता है वे कम से कम जिला मुख्यालयों के ऊपर आकर के अपना इलाज करा सकें। इस तरह का प्रावधान भी राज्य सरकार को करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अन्य क्षेत्रों में भी राजस्थान सरकार ने बराबर प्रयास किया है चाहे ग्रामीण विकास हो या नगरीय विकास हो। इन क्षेत्रों के अन्दर सरकार ने यह कोशिश की है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और प्रदेश के रहने वाले हर क्षेत्र के लोगों को मौलिक सुविधाएं और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रावधान किया जा सके। इसके लिए भी राज्य सरकार बधाई की पात्र हैं कि उसने जो अभियान चलाये हैं उनके माध्यम से आम लोगों को राहत देने की कोशिश की है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। चाहे सड़क बनाने का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, जो आधारभूत ढांचागत विकास की बात है वो करने के लिए राज्य सरकार ने प्रावधान किया है। इसके लिए भी मैं वित्त मंत्री जी को तथा राज्य सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इनके प्रयासों से पूरे प्रदेश के अन्दर एक विकास का माहौल बना है। अकाल को भी हमने विकास में बदलने का प्रयास किया है।

राज्य सरकार ने पेयजल की समस्या के निदान के लिए ठोस कदम उठाए हैं और आज स्थिति बहुत अधिक संकटपूर्ण होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने सब जगह पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। हालांकि हमारा भू-जल बहुत नीचे स्तर पर गिरता जा

(श्री जुगल काबरा)

रहा है, किन्तु राज्य सरकार ने नलकूप खोद करके, हैण्डपम्प खोद करके उन कमी वाले इलाकों के अन्दर पानी मुहैया कराने का प्रावधान किया है। चाहे रेल से पानी पहुंचाने की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ी, तो पिछले साल राज्य सरकार ने रेलों द्वारा भी कई इलाकों के अन्दर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। टैंकरों से उन ग्रामीण इलाकों के अन्दर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की और इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि गर्मी प्रारम्भ हुई है पेयजल का संकट हो सकता है। इसमें भी राज्य सरकार किसी तरह की कोई कमी और कोताही नहीं आने देगी ताकि यहां के लोगों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

इस तरह से हम अपेक्षा करते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान की सरकार आम जनता की सुख-सुविधाओं का ध्यान रख रही है, आम लोगों के विकास की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रही है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपेक्षा करते हैं कि राजस्थान की सरकार सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठा करके जनता को राहत प्रदान करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक बार पुनः माननीय मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी और राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : आपको भी धन्यवाद। श्री हीरालाल जी विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए इस वर्ष का जो बजट प्रावधान मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व व प्रेरणा से माननीय वित्त मंत्रीजी ने 2002-2003 के लिए दिये हैं वे निश्चित ही राज्य के तत्काल विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा राज्य में डाली गयी वित्तीय अनुशासन की परम्परा का ही परिणाम है। एक ओर केन्द्र सरकार व कई राज्यों की जहां मंदी की भयंकर स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से यहां विकास की गति को बढ़ाने के लिए और खास करके सिक इण्डस्ट्रीज उद्योगों को जिस तरीके से कार्यप्रणाली आपने कर बढ़ाने के लिए चेष्टा की है, वो धन्यवाद के पात्र हैं।

विकास के लिए जिस तरीके से सभी विभागों की जो मांगे यहां रखी गई हैं उन मांगों के तहत खास कर वो हमारी पीड़ा थी कि गांवों के अन्दर, शिक्षा के अन्दर जिस तरीके से मुख्य मंत्रीजी ने और वित्त मंत्रीजी ने विभाग द्वारा काफी बजट देने कोशिश भी की। पिछले 2-3 सालों के बजट में भी [illegible]

(श्री हीरालाल विश्नोई)

को क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा गया, उन सभी में भी खासकर ग्रामीण इलाकों के अन्दर जिस तरीके के अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण हमें जो असुविधाएं होती हैं, गांवों और ढाणियों के अन्दर दूर-दराज के स्कूलों के अन्दर हमें मुश्किलें झेलनी पड़ती है। हमारे वित्त मंत्रीजी ने इस बजट प्रावधान में जो दो-दो स्कूलों की घोषणा की है यह बहुत बड़े गांवों के लिए सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी का अच्छा प्रावधान है, मगर जहां दूर-दराज के अन्दर प्राइमरी स्कूल हैं उनको भी मिडल में क्रमोन्नत करना चाहिए ताकि गांव के आम लोग उसके विकास के साथ जुड़ सके। शिक्षा के साथ जुड़ सके।

आज जिस तरीके से हम उदारीकरण की ओर जा रहे हैं, पूरा देश, उसी को देखते हुए आज शिक्षा के ऊपर हम प्राइमरी, मिडल और सीनियर तक भी कोशिश करते हैं। मेरा वित्त मंत्रीजी से निवेदन है जिस तरीके से आप महाविद्यालय, महाविद्यालय दानदाता भी खोलने की कोशिश करते हैं। दानदाता आपको भवन बनाकर देने की भी कोशिश करते हैं मगर आपकी तरफ से उसकी व्यवस्था नहीं करने के कारण कई बार मैंने इस सदन में भी कहा कि मेरे क्षेत्र सांचोर में कई दानदाता ऐसे हैं जो महाविद्यालय के लिए 1-2 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो भी वह महाविद्यालय बनाने के लिए तैयार हैं। यह बात मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन की क्योंकि पिछले एक ही बजट में, सरकार आने के बाद पहली बार महाविद्यालय थोड़े बहुत दिए थे, उसके बाद एक भी नहीं दिया। इसी तरह गांवों के दूर-दराज के क्षेत्र में बच्चे बैठकर सीनियर सैकण्डरी स्कूल तक पढ़ते हैं मगर वहां पर महाविद्यालय नहीं होने के कारण वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। खास कर हमारे गांवों की बालिकाएं सबसे ज्यादा वंचित रह जाती हैं। इसलिए हमारे वित्त मंत्रीजी को महाविद्यालय पर भी ध्यान देना चाहिए।

कर का जो माध्यम है, कर के माध्यम से हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था चलती है। कर वसूल करना बहुत जरूरी है आज इस उदारीकरण के अन्दर कर के लिए सरलीकरण करना भी बहुत जरूरी है। मेरे साथी विधायक ने जैसा कहा कि हमारे जोधपुर, राजस्थान में जैसे स्टील के उद्योग हैं वह काफी सालों से ठीक-ठाक चल रहे थे मगर मन्दी आने के कारण और अड़ौस-पड़ौस के दूसरे प्रदेशों के अन्दर जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए हमको आज इनका सरलीकरण करना चाहिए। जहां भी ज्यादा सेल्स टैक्स है, सी.एस.टी. है यह सब फार्म लगाने से हमारे उद्योगपतियों को इंस्पेक्टर राज की तरह बार बार इनको

(श्री हीरालाल विश्नोई)

इस बारे में तकलीफें आती हैं। यह सब देखते हुए, उदारीकरण को देखते हुए, इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हमको एन्ट्री टैक्स के माध्यम से, जैसे कि हमारा कपड़े का उद्योग है, उसमें एक्साइज के माध्यम से एक बार ही एक्साइज ली जाती है और उसके बाद उसमें कोई टैक्स नहीं होता। उसी तरीके से इनका जो कच्चा रा-मैटेरियल हैं, जैसा कि सेल्स टैक्स, हमारे स्टील के उद्योग से मेरे अन्दाज से दो-तीन करोड़ रुपए की आमदनी राज्य सरकार को हो रही है। उसी को हम रियायत देकर, सी फार्म के अन्दर नहीं उलझाकर आधा परसेन्ट एन्ट्री टैक्स लगाएंगे, तो राज्य सरकार की आमदनी कर के माध्यम से मेरे ख्याल में कम से कम 5 करोड़ रुपए की आमदनी खाली स्टील उद्योग से होगी। हमारे स्टील उद्योग में कम से कम 18 से 20,000 टन कच्चा रा-मैटेरियल बाहर से और हमारे प्रदेश में उत्पादन होता है। उसके ऊपर अगर आधा परसेन्ट भी एन्ट्री टैक्स लगता है, तो कम से कम 4-5 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। उससे हमारा इंस्पेक्टर राज भी बचेगा। कागजों की इन सब फारमेलिटीज से बचकर हमारे राज्य की आमदनी बढ़ेगी। वित्त मंत्रीजी पधारे हैं, वित्त मंत्रीजी को इसमें प्रावधान करना चाहिए।

इसी तरीके से हमारे होटल उद्योग हैं। होटल उद्योग को हमने उद्योग का दर्जा दे रखा है। उद्योग का दर्जा देते हुए भी आज दिन तक होटल के अन्दर उससे हमारी रेवेन्यू इकट्ठी होती है, सेल्स टैक्स से हमारी रेवेन्यू इकट्ठी होती है, लग्जरी टैक्स से हमें आमदनी होती है, सब टैक्स के होते हुए भी उद्योगों को जो हम राहत देते हैं वह राहत होटल इण्डस्ट्रीज को अभी तक नहीं मिली है। हम एक तरफ तो उद्योग का दर्जा देने की बात करते हैं, उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो साधन हमें देने चाहिए, जो साधन जुटाने चाहिए वह हम नहीं देते हैं।

आज भी बिजली के अन्दर हमारे उद्योग और होटल के अन्दर कामर्शिलाइज में कम से कम 70 से 80 पैसे का फर्क है। आज जो भी होटल के अन्दर बिजली का कनेक्शन होता है सीजन, जो हमारी स्लैक सीजन चलती है उसमें मिनिमम चार्ज भी हमारा लगता है, यह सब बातें हैं, इन बातों पर भी हमें विचार करना चाहिए।

हम उदारीकरण की ओर जा रहे हैं। उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं, यह सब करने के लिए हमको यह सारी बातें करना जरूरी है। हम चाहे कितने भी बाहर के प्रदेशों के, बाहर के देशों के व्यवसाइयों का यहां सम्मेलन कर लें मगर व्यापारी यहां आते हैं और पूछते

(श्री हीरालाल विश्नोई)

है कि यहां इण्डस्ट्रीज में क्या सुविधा है? आज यहां किस तरीके से हमको राहत मिलती है। हम "सिंगल विन्डो" की भी बात करते हैं। जिस तरीके से होटल इण्डस्ट्रीज में कम से कम जितने भी राज्य सरकार के महकमें हैं उनका सबका इंस्पेक्टर राज वहां पर चलता है। हरेक महकमे की अनुमति वहां पर लेनी पड़ती है। हम जब तक सरलीकरण नहीं करेंगे तो जिस तरीके के उदारीकरण की ओर जाना चाहते हैं, जिस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रदेश तब ही आगे बढ़ सकेगा जब हम उदारीकरण की ओर चलें। जो भी उद्योगपति हमारे यहां आए, चाहे होटल इण्डस्ट्रीज हो, चाहे इण्डस्ट्रीज हो, चाहे कृषि उत्पादन की कोई इण्डस्ट्रीज हो ऐसी सभी बातों के अन्दर हमें पूरी राहत उनको देनी चाहिए और इंस्पेक्टर राज को कम करना चाहिए। हालांकि वित्तीय स्थिति को देखते हुए भी जितनी भी फारमेलिटीज हैं अगर हम उनको एक करने की कोशिश करेंगे तो हमारी रेवेन्यू भी बढ़ेगी और हमारा विकास भी होगा। वित्त मंत्रीजी यह सब बातें देखते हुए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।

दूसरी ओर आपने मेरे इलाके में नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में इस साल 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया वह बहुत ही सराहनीय कदम आपने उठाया है। मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी को और आपको धन्यवाद देता हूं। उससे हमारे इलाके में सिंचाई भी बढ़ेगी और बाड़मेर तथा जालौर में कम से कम 200 गांवों को पीने का पानी भी मिलेगा, हालांकि हमारे इलाके में पानी की भयंकर समस्या है, इतनी बड़ी समस्या को देखते हुए आपने बजट में प्रावधान दिया है, मैं वित्त मंत्रीजी आपको और सरकार को मेरी जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं।

इसी तरीके से अब आपको शिक्षा के अन्दर भी बढ़ाना चाहिए। सड़कों के बारे में आपने प्रावधान किया है वह भी आपने एक सराहनीय कदम उठाया है। हमारी सड़के अच्छी होगी, आवागमन अच्छा होगा, तो इससे जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं वह इस प्रदेश की हमेशा सराहना करेंगे कि वाकई प्रदेश के अन्दर बहुत अच्छी कार्य प्रणाली चल रही है तो यह सब बातें देखते हुए इस देश को सरलीकरण के ऊपर ले जाने के लिए और खासकर इंस्पेक्टर राज को कम करने के लिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

(14.00 बजे)

श्री सभापति : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, यह सदन राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002 पर यहां चर्चा कर रहा है। मैं भी आपके माध्यम से अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी को, जिन्होंने राजस्थान को साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने और राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में गिनवाने के लिये जो देश के स्तर पर राजस्थान का गौरव बढ़ाया उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को, जो जीवन रक्षा कोष और गरीब लोगों के लिये जो मुफ्त इलाज का प्रावधान इस सरकार ने किया है, गरीब और बीमार के माई-बाप के रूप में जो काम कर रही है उसके लिये मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को, जिन्होंने इस जयपुर शहर को काफी साफ सुन्दर और विकसित करने का काम किया है उनको भी धन्यवाद देता हूं और राजस्थान के खाद्य मंत्री महोदय जिन्होंने शुद्ध के लिये अशुद्ध अभियान चलाया और उसमें...(व्यवधान) युद्ध अभियान जो भी शुद्ध के लिये अभियान चलाया और जो खाद्य सामग्री में मिलावट के जो मामले पकड़े गये उसको सख्ती से निपटाकर प्रदेश के लोगों को स्वच्छ और शुद्ध चीज खाने के लिये जो उपलब्ध कराने का अवसर दिया उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन इन सबसे ज्यादा आज अगर राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र है, तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि जब राजस्थान के पड़ोस का गुजरात राज्य साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा था, चाहे साबरमती आश्रम का मामला हो और चाहे उसके बाद गुजरात में जो नरसंहार हुआ जिस तरीके से पुलिस के संरक्षण में कत्ले आम हुआ, अरबों रुपए की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।

(14.02 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं इसको एक्शन का रिएक्शन भी नहीं कहता हूं। क्योंकि अगर साबरमती एक्सप्रेस के एक्शन का रिएक्शन होता, तो एक दिन में यह घटना होकर खतम हो जाती लेकिन आज तक लगातार गुजरात के कोने-कोने में जिस तरीके से एक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ, जिस तरीके का सलूक वहां की मोदी सरकार कर रही है, मैं उसकी निन्दा करता हूं और राजस्थान को उस आगजनी से बचाने का काम किया, साम्प्रदायिक शक्तियों को जितनी जोर से दबाने और कुचलने का काम किया, चाहे किशनगढ़

(मोहम्मद माहिर आजाद)

में सिर उठाया हो, चाहे गंगापुर में उठाया हो, चाहे राजस्थान के दूसरे हिस्सों में इन्होंने जो कोशिश की उसको दबाकर अल्पसंख्यकों को महफूज, अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की जो भावना पैदा की है जो विश्वास पैदा किया है, इतना ही नहीं कि राजस्थान के लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया हो, परन्तु सीमावर्ती गुजरात से भी जो लोग पीड़ित होकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में आ करके शरण ली, राजस्थान सरकार ने उनको भी पर्याप्त कानून व्यवस्था और रोजगार, जरूरत की चीजें मुहैय्या करायी हैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी यहां विराजमान हैं।

डा. के. सी. चौधरी : कल माउंट आबू में विजय विद्रोही के साथ शिवसेना वालों ने बहुत अत्याचार किया, उसकी बात कर लो आप। माउंट आबू में कल ही हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, सही बात है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ पत्रकारिता, जिसको हम कहते हैं, कल माउंट आबू में आज तक के हमारे प्रतिनिधि श्री विजय विद्रोही के साथ साम्प्रदायिक शक्तियों ने उनके चैनल पर जो समाचार प्रसारण की [illegible] है एक तरफ तो हम प्रसार भारती विधेयक लाकर इसको स्वायत्ता देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसके साथ इसलिए हरेसमेंट किया गया, अपमानित किया गया, इसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया कि आज तक चैनल जो साम्प्रदायिकता विरोधी कार्यक्रम दिखा रहा है या गुजरात सरकार की जो पोल खोल रहा है उसकी भी मैं यहां निन्दा करता हूं कि एक पत्रकार के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्रीजी, मैंने अपने बजट भाषण पर भी आपसे निवेदन किया था और आज चूंकि विधान सभा के इस सत्र का अन्तिम दिन है और एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल भी आप आज ही पास कराने जा रहे हैं, जो कुछ गलती बजट पेश करते हुए अगर रह जाती है, तो उसका सुधार भी आज के दिन किया जाता है। इसलिए मैं आपसे एक तो निवेदन यह कर रहा हूं कि आपने इस पूरे बजट में उन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिन्होंने आपको इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचाने का काम किया है और आज आपका पूरे दिल के साथ समर्थन करते आए हैं, इस बजट में आपने उनको निराश किया है। आपने न तो वक्फ बोर्ड को कोई अनुदान देने का इसमें एलान किया, आज वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

को 6 महीने से तनखाह नहीं मिली है। देश के करीब 19 राज्य वक्फ बोर्डों को अनुदान देने का काम करते हैं। आपसे फिर मैं अनुरोध कर रहा हूं, मेहरबानी करके आप इस वक्फ जायदादों के सही रख-रखाव के लिए इसके सही सर्वे के लिए, इसके रिकार्ड की दुरुस्ती के लिए और वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिये इस वक्फ बोर्ड को राज्य सरकार की तरफ से अनुदान दें। आपने अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को भी राज्य सरकार की तरफ से गारंटी देने का विश्वास तो दिलाया है लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि उसमें आप प्रावधान करें कि जितना केन्द्र सरकार पैसा अल्पसंख्यक वित्त आयोग को देगी उतनी मेचिंग ग्रांट कम से कम आप राजस्थान की तरफ से दे दें। यह मैसेज नहीं जाए कि दिल्ली की राजद सरकार, बी.जे.पी. की सरकार है वह तो अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को पैसा दे रही है और राजस्थान की सरकार नहीं दे रही है। यह काम आप करें।

मैंने पहले भी मांग की थी कि देश के 5-6 राज्यों में अल्पसंख्यकों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने, उनकी साक्षरता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए राजस्थान में मदरसा बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश की तरह से करने की बात कही थी, शिक्षा मंत्रीजी ने विश्वास भी दिलाया था। मैं समझता हूं कि आप इस सम्बन्ध में भी आज कुछ घोषणा यहां करेंगे।

आपने मेवात विकास बोर्ड जो राजस्थान के अलवर, भरतपुर पिछड़े हुए इलाके के अन्दर मेवात क्षेत्र में मेवात की संस्कृति, सभ्यता को और मेवात के विकास के लिए जो काम करता है उसका बजट भी आपने नहीं बढ़ाया है। मेहरबानी करके आप उसमें भी बजट बढ़ाने का काम करें।

एक निवेदन आपसे यह भी करना चाहता हूं कि जब से आप सत्ता में आए हो, आप माननीय विधायकों को, खजाना खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है, चाहे गुड़गांव कैनाल का मामला हो, आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने में मरम्मत करायी जाएगी। चाहे शहरों में अध्यापक लगाने का सवाल हो, कल माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां कह रहे थे कि हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं है, वित्त मंत्रीजी की तरफ देख रहे थे। चाहे सड़कों की मरम्मत का सवाल हो, चाहे चिकित्सालय खोलने का सवाल हो, आपने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय खोल दिए। उनमें 3 साल होने को आए आज तक एक भी वैद्य और कम्पाउण्डर नहीं लगाए। आप जब से आये हैं तब से आर्थिक स्थिति खराब और खजाना खाली होने का यहां

(मोहम्मद माहिर आजाद)

पर ढिंढ़ोरा पीटते आए हैं और यह बात कहते आए हैं। हम जैसे लोगों के पास केवल मात्र एक साधन आपने जो देख रखा है वह विधायक स्थानीय विकास कोष दे रखा है। उस कोष के माध्यम से चाहे पशुओं के लिए पोखरों की खुदाई का काम हो, चाहे स्कूलों में बच्चों के लिए कमरे बनाने का काम हो, चाहे पेयजल के स्रोत डवलप करने का काम हो, चाहे अस्पतालों में उपकरण उपलब्ध कराएं, चाहे अस्पतालों में कमरे बनाने का या दूसरा काम हो, चिकित्सालय भवनों की मरम्मत का काम हो, चाहे गांवों को कीचड़ से मुक्ति दिलाने के लिए ग्रेवल सड़क का काम है, ईंट खंरजे का काम, अन्य जो भी जनउपयोगी काम हैं वे हम इस विधायक कोष से करवाते हैं।

आपको माननीय वित्त मंत्रीजी जानकारी होगी कि दिल्ली जैसे प्रदेश में विधायक स्थानीय विकास कोष की राशि एक करोड़ 30 लाख रुपए वार्षिक है। दिल्ली में, जो एक पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, 70 सदस्यों की विधान सभा है जिसके आधे अधिकार केन्द्र सरकार के पास हैं, आधे विभाग उसके पास हैं उसको एक करोड़ 30 लाख रुपए और दूसरे राज्यों में आप उदाहरण देख लो। बिहार का देख लो, महाराष्ट्र का देख लो और राजस्थान में आपने बड़ी मुश्किल से पिछले साल 60 लाख रुपए किये थे।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप और कुछ करो या मत करो। टेलीफोन की दर बढ़ गयी, हम आपसे टेलीफोन भत्ता बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं। आज स्टेशनरी की दर बढ़ गयी, बुक पोस्ट की दर 3 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए कर दी। हम आपसे स्टेशनरी और पत्राचार का भत्ता बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं। आज रेलवे का किराया बढ़ गया, हम आपसे रेल कूपन बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। हम अपनी दूसरी सुविधाओं की आपसे मांग नहीं कर रहे। संसदीय कार्य मंत्रीजी आज यहां नहीं है। आपने सुविधा दे दी कि माननीय विधायकों को जिला पुल से जीप मिलेगी, इतने माननीय सदस्य बैठे हैं। जरा इनकी छाती पर हाथ रखकर पूछो कि कितने लोगों को महीने में कितने दिन जीप मिलती है। हम जब जीप मांगते हैं तो कहते हैं कि साधन उपलब्ध नहीं है। आज "प्रशासन शहरों की ओर" जा रहा है, आज "प्रशासन गांवों की ओर" जा रहा है। हमारे अधिकारियों के पास वाहन वहां लगे हुए हैं और हमको वाहन नहीं मिलता है। आज कितने लोगों ने पी.ए. लिए हुए हैं? आज हमको तो आज तक तीन साल हो जाने के बाद भी पी.ए. नहीं मिला इसलिए हम उन चीजों को भी आपकी तरफ नहीं कर रहे हैं। पी.डब्ल्यू.डी. से जो फर्नीचर आप हमको देते हो वह

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जितनी पचास हजार की सीमा कर रखी है उससे ज्यादा का हमको किराए का रोज नोटिस पी.डब्ल्यू.डी. पकड़ाती है। हम वह रोना भी आपके सामने नहीं रो रहे हैं।

लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं तमाम माननीय सदस्यों की तरफ से आपसे यह पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि कम से कम आप और कुछ नहीं दें, इस अकाल के समय में पेयजल का संकट है, अस्पतालों की मरम्मत के लिए आपके पास बजट नहीं है, पशुओं के लिए पोखर खुदाई का काम हम अपने पैसों से कराते हैं और दूसरे इतने सारे जनोपयोगी काम के लिए केवल हमारे पास अगर कोई एक रास्ता है, तो वह विधायक स्थानीय विकास कोष है। इसलिए मेहरबानी कर इसको तो आप बढ़ाकर आज कम से कम एक करोड़ रुपया करने की घोषणा करो, इतना तो कम से आप करो। इतने निर्दयी मत बनो। आप कोई सुविधा मत दो और किसी भी बजट से, विकास तो कराते हो, तो अपने क्षेत्र की इतनी जिम्मेदारी तो हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं, हमको अगले साल फिर चुनाव के लिए जाना है तो यह सुविधा तो कम से कम आप हमको दो। मैं यही निवेदन आपसे करना चाहता हूं।

अन्त में, माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात आपसे कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके ही फायदे की बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपसे ही नहीं और इसमें तो आपका भी फायदा है। इसमें सबका है, सबकी चीजें हैं इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस आर्थिक मंदी के दौर में, आपके इस आर्थिक विषमता के दौर के अन्दर केवल इस विकास के अन्दर यह पैसा काम आएगा। आप उसमें यह सुविधा दें। आप लेटेस्ट इंफोर्मेशन टैक्नालाजी की बात करते हैं। आज माननीय विधायक के पास कम से कम अपने क्षेत्र की पूरी सूचना तो होनी चाहिए। एक कम्प्यूटर भी आप हमको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इस विधान सभा से ही हमको पहले कहा गया कि आप कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करें। शायद प्रशिक्षण भी कई माननीय सदस्यों ने प्राप्त कर लिया है। हमको इसी में से अगर आप कहें तो हम कम्प्यूटर, जैसे और फर्नीचर होता है, कम्प्यूटर लेकर उसमें सारी जानकारी रख लें, सारा काम हो और जब जमा कराना हो, तो जैसे और फर्नीचर जमा कराना होता है वह और करा दें। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी, आपसे, और तमाम माननीय सदस्यों से करना चाहता हूं, लोकतंत्र के अन्दर जनमत और जब तक जनमत का दबाव नहीं होता आप लोग जब तक इनके सामने दुम हिलाते रहोगे यह वित्त मंत्रीजी इतने मोटे हैं कि

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आपसे हां कर लेंगे लेकिन देने वाले कुछ नहीं हैं, इसलिए पुरजोर शब्दों में इनसे मांग करके और कम से कम आज यह विधायक स्थानीय विकास कोष तो बढ़ाने का आप काम करें। इतना ही, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विधायक कोष के लिए कहो। कम्प्यूटर के लिए कहो।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलाल बलाई।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, कहा न कि विधायक कोष से ही कम्प्यूटर कम से कम हम ले लें, इतना कम से कम उसमें प्रावधान कर लें। आपने सांसद को तो छूट दे रखी है कि वह चाहे तो निजी एजेंसी से काम करा लें। जैसे हमारे भरतपुर में लूपिन बहुत अच्छी संस्था है। चाहे जिससे काम करा लें। विधायकों पर आपने बंदिश लगा रखी है कि न आप निर्माण कमेटी बनाएंगे, न आप किसी दूसरी एजेंसी से काम कराएंगे, केवल पंचायत, नगरपालिका और सरकारी एजेंसी से ही होता है काम, पैसे का सदुपयोग हो रहा है, विकास के लिए इसलिए कृपया इसको आप बढ़ाकर एक करोड़ रुपया आज करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवर बलाई। (अनुपस्थित)

माननीय श्री मोहन लाल चौहान।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002 पर आज सदन में चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में साम्प्रदायिक और देश का वातावरण गंदा है और कानून व्यवस्था ठीक ढंग से बनाई रखी है, जिसके लिए गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जो राजस्थान का बजट पेश किया गया है और वित्त मंत्रीजी ने जनता के हित में विकास की दृष्टि से पेश किया है, मैं वित्त मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत लोकप्रिय मुख्य मंत्री हैं। सत्ता सम्भालने के बाद जो जनता के हित में कड़े निर्णय लिये, सबसे पहले राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की। असाध्य बीमारियां, जो एक मानव हित में काम किया है बहुत ही अच्छा और बड़ा निर्णय लिया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान सरकार ने, तीनों साल अकाल पड़े और अकाल

(श्री मोहन लाल चौहान)

राहत कार्य चलाएं। सबसे पहले नाड़ी तालाब खुदवाएं, अच्छे काम हुए। दूसरी तरफ सड़कों का काम, सड़कें बनवाई, काम भी अच्छा हुआ, मजदूरी भी अच्छी मिली और भुगतान भी समय पर हुआ। कहीं पर भी फर्जीवाड़ा घोटाला नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत तंत्र का जोरो से राजस्थान में सुधार हो रहा है। मैं ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह जो विद्युत तंत्र का सुधार जो जिस तरह से कर रहे हैं, 132, 33, 220, 400 के.वी. के जो ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं, ऊर्जा मंत्रीजी ने किसानों के हित में काम किया। मेरे क्षेत्र में भी दो 132 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण चालू है, नागौर जिले में 400 के.वी. ग्रिड स्टेशन का शिलान्यास हो चुका है और यह एक नागौर जिले के किसानों को जीवनदान दिया है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के सम्बन्ध में मेरी मांग है कि किसानों के कुओं के पानी का जलस्तर नीचे चला गया है। कई किसानों के कुएं सूख गए हैं। 700-700 फीट कुओं में टयूबवैल खुद चुके हैं। कुएं सूख रहे हैं, हैण्ड पम्प सूख रहे हैं। किसानों की मोटरें दो घंटा, ढाई घंटा, एक घंटा चलती हैं और फसल भी पैदा नहीं होती है। किसान को बिल भरने में दिक्कत आती है। मेरी मांग है कि किसानों पर जो मिनिमम चार्ज लगाया जा रहा है, वह मिनिमम चार्ज माफ किया जाना चाहिए ताकि किसानों को बिल भरने में दिक्कत नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, किसान वास्तव में दु:खी है। किसी किसान के कुएं सूख गये हैं और वह कनेक्शन डी.सी. कराना चाहते हैं, वह डी.सी. नहीं करा सकते इसलिए मेरी मांग है कि किसानों को छह महीने के लिए डी.सी. कराने की छूट होनी चाहिए, यह प्रावधान नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बाकापट्टी एक योजना है। 80 ग्रामों की स्कीम है और पानी सप्लाई होता है और आजकल कृषि के कुएं भी काफी हैं। गच्छीपुरा में 132 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की मेरी मांग है। यह गच्छीपुरा में 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन की स्वीकृति होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा जगत में एक क्रांति राजस्थान सरकार लाई है। ढाणियों में, दूरदराज के गांवों में जो राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं और वास्तव में ढाणियों के बच्चों को 8-9 साल का होता था जब पढ़ना शुरू होता था, प्रापर गांव का बच्चा चार साल का और

(श्री मोहन लाल चौहान)

पांच साल का पढ़ना शुरू हो जाता है। यह राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो राजीव गांधी पाठशालाएं खोलकर और शिक्षा जगत में क्रांति लाई है।

माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा की होड़ चली हुई है। स्कूलें क्रमोन्नत कराने के लिए हमारे क्षेत्र में जोरो से मांग उठती है। बालिका विद्यालय को भी क्रमोन्नत करने की मांग उठती है और मिडल, प्राइमरी से मिडल, सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी, मिडल से सैकण्डरी की बहुत मांग उठती है। हरेक क्षेत्र में पांच-पांच, दस-दस स्कूलों की मांग चल रही है। मैं, माननीय वित्त मंत्रीजी, वास्तव में शिक्षा को आप बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा की दृष्टि से प्राइमरी से मिडल 1000 स्कूल राजस्थान में खोली जाए और सैकण्डरी दो-दो, एक-एक विधायक को दी जाए और सीनियर सैकण्डरी दो-दो दी जाए, यह मेरी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, राजस्थान सरकार ने 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और सड़क नीति यह है कि एक हजार की जनसंख्या जो 1991 में है, उन्हीं गांवों को जोड़ा जाएगा और उसके अगले वर्ष में सन् 2003 में जिन गांवों की संख्या, पांच सौ से हजार तक की है, उनको सड़कों से जोड़ा जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि जो सड़क नीति बनी हुई है और बड़े-बड़े गांवों में जो बसें चलती हैं, बीच की जो मिसिंग रोड है, वह आपकी अपूर्ण रह जाएगी। मिसिंग रोडें नहीं जुड़ रही हैं छोटे-छोटे गांवों में बसें नहीं चलती हैं, उन गांवों को वह जोड़ रहे हैं और बड़े-बड़े गांवों के बीच में बसें चलती हैं और मिसिंग रोडें हैं, वह रोडें नहीं बनाने से सड़कों का सुदृढ़ीकरण करवाया जा रहा है, मेरी मांग है कि सड़क नीति में मिसिंग रोडों को भी शामिल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा क्षेत्र में आज गांवों में तरह-तरह की बीमारियां फैली हुई हैं। बीमारियों के इलाज के लिए पांच-छह पंचायतों के बीच में एक सब सेंटर है और सब सेंटरों पर एक ए.एन.एम. बैठती है। बजट में सिर्फ एडपोस्ट क्रमोन्नत करने का जो प्रावधान रखा है, मेरी मांग है कि पंचायत मुख्यालय पर, हर पंचायत मुख्यालय पर एक सब सेंटर खोलने का प्रावधान होना चाहिए। आजकल लोग बहुत सी बीमारियों से दु:खी हैं। तरह-तरह के इलाज हैं लेकिन गांवों में सुई लगाने वाला नहीं है। इसलिए सब सेंटर का बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।

(श्री मोहन लाल चौहान)

माननीय सभापति महोदय, गत तीन साल में न तो प्राथमिक चिकित्सालय खुले हैं, न कोई सामुदायिक चिकित्सालय खोले हैं, न कोई डिस्पेंसरी खोली है। यह आज महती आवश्यकता है। इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधा केन्द्र, डिस्पेंसरी, सामुदायिक केन्द्र हैं, यह खोलने जरूरी हैं। इलाज के लिए अजमेर या जयपुर आना पड़ता है। आज इलाज कितना महंगा है इसलिए जनता को स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और डिस्पेंसरी, सामुदायिक केन्द्र भी खोलने चाहिए। यह जनहित के लिये बहुत जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन विभाग, जो 200 उप केन्द्र दिये हैं एक एम.एल.ए. को एक-एक सब सेंटर दिया है। अब आप बताइए मारवाड़ में पशुधन एक खेती है और पशुओं की बीमारी भी ज्यादा रहती है। उनके लिए एक-एक सब सेंटर, एक-एक सब सेंटर से बताइए हमारे क्षेत्र में हर जगह मांग है। पूरे मारवाड़ में, राजस्थान में मांग है पशुओं के लिये, इसलिए एक सब सेंटर के बजाए दो सब सेंटर का और प्रावधान किया जाए, यह भी मैं वित्त मंत्रीजी से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बछड़ों की निकासी पर छूट थी मेलों में जाने के लिए। तीन साल का बछड़ा मेले में बेच नहीं सकते। राजस्थान सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन भी लिया और महामहिम राष्ट्रपतिजी के पास फाइल भेजी हुई है उसमें आब्जेक्शन लगा है। यह अध्यादेश जारी नहीं हुआ। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि बछड़ों पर जो छूट दी जाने वाली है, इसका अध्यादेश शीघ्र जारी किया जाए ताकि मेलों में किसानों को दिक्कत नहीं हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, पेयजल समस्या वास्तव में है। कुएं सूख रहे हैं। हैण्ड पम्प सूख रहे हैं। टयूबवैल भी सूख रहे हैं। पानी की वास्तव में बहुत गम्भीर समस्या होने वाली है। नागौर जिले में भी पानी की बहुत गम्भीर समस्या है। फ्लोराइडयुक्त गांव सैकड़ों की तादाद में हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से, वित्त मंत्रीजी से और राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि नागौर जिले को नहर का पानी, लिफ्ट परियोजना द्वारा बीकानेर से शीघ्र जोड़ने के लिए जो शिलान्यास करने की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है मेड़ता में, उसको शीघ्र लागू किया जाए ताकि नागौर जिले की जनता को पानी मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, नागौर में मेरा परबतसर क्षेत्र है और लिफ्ट कैनाल

(श्री मोहन लाल चौहान)

की स्कीम में यह आता नहीं है। मेरा किशनगढ़ से जोइंट क्षेत्र है और किशनगढ़ में बीसलपुर परियोजना का पानी है और किशनगढ़ योजना से हमारे परबतसर क्षेत्र को जोड़ दिया जाए। बांका पट्टी का भी खारे पानी का गांव है। परबतसर में कुएं सूख रहे हैं। पानी की बड़ी गम्भीर समस्या है। मैं मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर को, जो योजना किशनगढ़ तक आयी हुई है, उससे जोड़ने के लिये मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, ''प्रशासन गांवों के संग'' में अच्छे काम हुए। ''प्रशासन शहर के संग'' में अच्छे काम हुए। गरीबों को पट्टे मिले हैं। शहरों में और गांवों में बहुत अच्छे काम हुए हैं। सभी ने सार्वजनिक तौर से प्रशंसा की है। गांवों में हमने खुद मौके पर तमाम कैम्प अटैण्ड किए हैं। जो शिविर लगे हैं उनमें काम भी अच्छे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्व सम्बन्धी सदन में जानकारी देना चाहता हूं कि कदीमी से सैंकड़ों से रास्ता चलता है काश्तकारों के खेतों में और वह कटान नहीं है। एस.डी.ओ. को भी रास्ता कटान करने का, राजस्व रेकार्ड में कटान करने का अधिकार नहीं है। मैं सदन के माध्यम से आपसे मांग करता हूं, राजस्व मंत्रीजी से मांग करता हूं कि एस.डी.ओ. और ए.सी.एम. को बरसों से कदीमी से रास्ता चलता है, उनको कटान करने का अधिकार दिया जाए। यह मैंने 295 के तहत भी मामला उठाया था। माननीय सभापति महोदय, यह स्टाम्प डयूटी... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : दो मिनट का ही और है। सभापति महोदय, एक स्टाम्प डयूटी जो 11 प्रतिशत लगा रखी है, गांवों में आज एक लाख की जमीन पचास हजार में लेने के लिये तैयार नहीं है। चाहे शहर में हों, चाहे गांव में हो एक लाख की जमीन है और वह पचास हजार में लेना नहीं चाहते। 11 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी लगा रखी है। स्टाम्प डयूटी लगाने से डी.एल.सी. की मीटिंग में हमने कलक्टर से मिलकर 25 प्रतिशत कम किया और डी.एल.सी. मीटिंग का मतलब क्या है? डी.एल.सी. मीटिंग को नहीं मानते हैं और वापस यह वह की वह स्टाम्प डयूटी कर दी। 11 प्रतिशत जो स्टाम्प डयूटी लगायी है उससे जमीन की दरें कम हो गयी हैं। जमीन खरीदने वाला नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि स्टाम्प डयूटी इसकी कम की जाये।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने मानवाधिकार आयोग का गठन किया, अल्पसंख्यक आयोग का

(श्री मोहन लाल चौहान)

गठन किया और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया। मैं सदन में यह भी मांग करता हूं कि जो लोक सभा में आरक्षण सम्बन्धी बिल पास हुआ है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, वह राजस्थान में शीघ्र लागू किया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में रोष है, कर्मचारियों में रोष है और पदोन्नति का जो मामला अटका हुआ है, उसको शीघ्र चालू किया जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए।

श्री मोहनलाल चौहान : माननीय सभापति महोदय, अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि विधायक स्थानीय कोष की राशि 60 लाख है, इसको बढ़ाकर एक करोड़ की जाए, ताकि विधायक अपने क्षेत्र में विकास का काम पूरा करा सकें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द। जयभारत।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर सम्मानीय सदस्यों ने यहां अपने विचार प्रकट किए, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। श्रीमन्, गुढ़ा से आने वाले सम्मानीय सदस्य ने यहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि बजट के अन्दर आस्था पैदा की जावे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहां पर कही। लेकिन मैं बजट की तैयारी के बारे में आपसे संक्षिप्त, और स्वयं जब वह बोल रहे थे तो उन्होंने खुद कहा था कि रेवेन्यू एस्टीमेट गड़बड़ा जाते हैं। जितनी आप आमदनी की बात करते हैं, जब वह आमदनी नहीं आती है, तो जो आपकी योजना है, या जो आपके कार्य आप हाथ में लेने की बात करते हैं, उसके अन्दर आपको कटौती करनी पड़ती है, यह बात सही है। मैं आय-व्यय का जो ब्यौरा यहां प्रस्तुत करता हूं वह रेवेन्यू एस्टीमेट और हमारे एक्सपेंडीचर एस्टीमेट्स वह मैं आपके समक्ष पेश करता हूं और मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि नवम्बर, दिसम्बर के महीने के अन्दर रिवाइज्ड एस्टिमेटस भी बनाए जाते हैं अगर आमदनी अधिक होती है, कुछ नये कार्य जो कि सीमित समय में पूरे हो सकते हैं, उनको हाथ में लिया जाता है। जब आमदनी कम होती नजर आती है, तो थोड़ा हाथ खींच कर खर्च करने की प्रवृत्ति होती है।

आप स्वयं जानते हैं कि यह परेशानी खाली राजस्थान की ही नहीं है, यह परेशानी भारत सरकार की भी है, अन्य राज्यों की भी है। क्योंकि रिवाइज्ड एस्टिमेट का सिस्टम बड़ा पुराना है और लम्बे समय से यह बजट का एक भाग बन चुका है। सभापति महोदय, तो हमारी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चेष्टा रहती है कि हम जो कुछ बजट के अन्दर अपनी बात कहें उसको पूरा करने की पूरी चेष्टा, पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसे कारण हो जाते हैं, आपको स्वयं मालूम है कि राजस्थान में, खास तौर से पिछले तीन साल से अकाल था और खाली जो पैसा और धन हम को सी.आर.एफ. के तहत मिला उससे हमारा काम नहीं चला, श्रीमन्। हमको अपने संसाधनों से भी अकाल से जूझने के लिए पैसे की, धन की व्यवस्था करनी पड़ी, खर्च करना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं उस स्थिति के अन्दर।

(14.31 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने बजट भाषण के अन्दर कहा था कि जो हमने रेवेन्यू एस्टिमेंट्स लगाए थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि देश और प्रदेश दोनों आर्थिक मंदी के दौर से उभरेंगे और हमारे रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल हमको करीब 500 करोड़ रुपया, जैसा मैंने पूर्व में कहा था, उस बात को मैं दोहरा रहा हूं, केन्द्रीय करों के रूप में कम प्राप्त हुआ और इस साल जो करंट ईयर है उसमें जो इलेवंथ फाइनेंस कमीशन ने आंकड़े प्रस्तुत किये थे, या जो उनके एस्टिमेट्स थे फाइनेंस कमीशन के उसके अनुसार भी हमको 680 करोड़ रुपए इस साल कम मिलेंगे। लेकिन इस सबके बावजूद भी मैंने थोड़ा जो नये करों के माध्यम से राजस्व उगाने की चेष्टा की और उस साल अपने बजट भाषण के अन्दर कुछ नये कार्यों को हाथ में लेने की मैंने बात कही।

यह बात सही है कि अधिकांश माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के अन्दर विभिन्न कार्य, खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर और अधिक स्कूलों की मांग यहां पर की जा रही है, चिकित्सालयों की मांग की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर तरह-तरह की मांग की जा रही है लेकिन मेरे लिए सभी मांगों को पूर्ण करने की सम्भावना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यहां पर और निवेदन करना चाहता हूं। जैसा गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हमारी चेष्टा रहेगी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को, सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो भी बजट एस्टिमेट्स दिए हैं, चाहे वे रेवेन्यू साइड के हों, चाहे एक्सपेंडीचर साइड के हों, हम आप सबके सहयोग से उनको पूरा करने की चेष्टा करेंगे जिससे राजस्थान विकास के मार्ग पर निरन्तर आगे बढ़ता रहे। ऐसी बात मैं यहां कह कर चलता हूं।

श्रीमन् एक पाइंट, जब बजट पर चर्चा हो रही थी तब प्रतिपक्ष के नेता

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

महोदय ने एक बात यहां पर कही थी। मैं इसलिए उस बात का यहां पर जवाब देना मुनासिब समझता हूं, हालांकि वो यहां पर उपस्थित नहीं है लेकिन यह रिकार्ड के ऊपर एक चीज आ जाए। मैं कोई आलोचना के हिसाब से नहीं कह रहा, रिकार्ड के हिसाब से वह चीज यहां पर आ जाए इसलिए मैं यहां पर कहता हूं। उन्होंने राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाने के बारे में यहां पर एतराज पेश किया था अगर सदन के सम्माननीय सदस्यों को याद हो, कहा था कि हम अपने आपको इतना कमजोर नहीं समझे, इतना हीन न समझे कि हम राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाने की यहां पर बात कहें। अभी यहां पर वो है नहीं, मैं उनको याद दिलाता हूं कि शायद वो भूल गये, उन्होंने भी विभिन्न मंचों पर कई बार राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी, गहलोत साहब ने अगर इस मांग को उठाया है, तो कोई अनुचित नहीं किया। क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि अगर राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा प्राप्त होता है, तो यह राजस्थान के हित के अन्दर बात है। क्योंकि जिन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगिरी का दर्जा मिला हुआ है उनको 10 परसेंट सेंट्रल प्लान के तहत प्लानिंग कमीशन के द्वारा सिर्फ 10 परसेंट उनका लोन कम्पोनेंट है और 90 परसेंट उनकी ग्रांट है, एड है उनकी। अगर यह स्थिति राजस्थान की होती, तो राजस्थान भी विकास की गति के अन्दर काफी आगे दौड़ रहा होता, हम काफी और आगे पहुंच गये होते। लेकिन आज राजस्थान की स्थिति इसके विपरीत है, तो राजस्थान के रेगिस्तान को देखते हुए, राजस्थान के हिली एरिया को देखते हुए यह बात हमारे सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी ने कही थी। मैं इस रिकार्ड को सही करने के लिए यहां पर यह बात कह रहा हूं। भैरोंसिंहजी का यह भाषण मेरे पास है जो कि उन्होंने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में टेन्थ फाइनेंस कमीशन के सामने उन्होंने दिया था। 27 अगस्त, 1992 को। उन्होंने भी उसके अन्दर राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाने की मांग पुरजोर शब्दों में अपने तथ्यों के साथ की थी। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर उन बातों की दो-तीन लाइन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, विस्तार में नहीं जाउंगा–"We have been pressing the Planning Commission to accord the status of a special category state for the Central Plan Assistance to Rajasthan." यह प्रारम्भ की दो लाइनें मैंने आपके सामने यहां पर पढ़ कर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सुनायी है। "Address by Shri Bhairon Singh Shekhawat, Chief Minister Rajasthan, National Development Council (December 23-24, 1991)." शायद उन्होंने सोचा कि दस साल, ग्यारह साल पुरानी बात है, बात आयी गयी हो गयी, किसको ध्यान होगा लेकिन रिकार्ड समाप्त नहीं होता। पेज 9 का जो उनका भाषण है उसमें उन्होंने कहा– "Rajasthan To Be Included As A Special Category State." यहां भी उन्होंने इसके अन्दर कहा है, मैं उसके ब्योरे में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह मेरे पास उपलब्ध है। फिर उनका एक पत्र जो उन्होंने एज लेट एज 1998 के अन्दर प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, श्री जसवंत सिंहजी को लिखा, मेरे पास उसकी फोटो स्टेट कापी है, इसके अन्दर भी, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाने की मांग की थी। फिर मेरी समझ में नहीं आया कि सम्माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने किस आधार के ऊपर यहां पर उस मांग को, जो हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने मांग की है, उसके बारे में यहां पर उन्होंने कैसे अपनी नाराजगी या अपनी असहमति, यहां पर डिस-एग्रीमेंट की बात कही। यह मेरे समझ के परे बात है।

श्रीमन् एक बात और उन्होंने बार-बार यहां पर कही कि राजस्थान को जो सी.एस.एस. स्कीम के तहत धन प्राप्ति होती है और सरकार अपना जो हिस्सा है 25 परसेंट हिस्सा, वह भी देने में असमर्थ रहती है। और उस दिन उन्होंने मुझे यहां पर बोलने नहीं दिया, उन्होंने यहां पर टोका-टाकी की। मैंने अपनी बात शुरू ही की थी, उन्होंने बीच में ही टोकना शुरू कर दिया। मेरे पास आंकड़े हैं, श्रीमन् और फिर मुझे मजबूरी में यह कहना पड़ा था उस रोज कि अगर मैं इस सदन के अन्दर असत्य बोल रहा हूं तो आप मेरे खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन ले आइए। ए.जी. की रिपोर्ट आती है। ए.जी. की रिपोर्ट के अन्दर कहीं इस बात का मेंशन नहीं है, कोई इस बात का जिक्र नही है कि Rajasthan has failed to provide its matching share for these C.S.S Schemes.

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैं ये बातें उनकी गैर हाजिरी में नहीं कहना चाहता था लेकिन मुझे मजबूरी में, यह सदन का रिकार्ड यहां पर है, आज तो यह कागज मेरे पास है। सदन की कार्यवाही का विवरण हमेशा उपलब्ध रहेगा। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने, अपना जो शेयर था, जो हमको उन योजनाओं के तहत देना था, उसके अन्दर हमने कोई

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कमी नहीं की। उसका बजट प्रावधान किया और जब से कांग्रेस पार्टी का शासन आया है, बराबर हम अपना मैचिंग शेयर देते आए हैं। अलबत्ता यह बात जरूर है कि पिछले तीन सालों से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत राज्य को यह धन प्राप्त हुआ। श्रीमन्, इन योजनाओं के तहत जो पैसा मिलता है उसके अन्दर निरन्तर कमी आ रही है। हर साल सी.एस.एस. के तहत केन्द्र से जिन योजनाओं का पैसा हमको मिलता था उसके अन्दर कमी आ रही है। उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। सदन के बाहर, सदन के भीतर और प्रेस के जरिए बी.जे.पी. का हर नेता इस बात को कहने की कोशिश करता है कि राज्य सरकार केन्द्र के पैसे के ऊपर चल रही है, उनकी दया के ऊपर जीवित है। मैं इस बात का खण्डन बार बार करता रहा हूं। मैंने अजमेर के उप चुनाव के अन्दर भी यह बात बहुत जोरो से कही थी कि हमारे ऊपर यह आरोप...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, यह अलग बात है। प्रश्न सिर्फ यह है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का जो पैसा आपको केन्द्र सरकार से मिलता है उसको आप जगलरी आफ फिगर्स में मिक्स-अप करके राजस्थान सरकार की तरफ से खर्चा बताते हैं। एतराज इस बात का नहीं है कि आप अगर अपने अधिकार के लिए कहते हैं कि केन्द्र सरकार आपको पूरा पैसा नही देती है, तो हम आपके साथ हैं। हमारी आपत्ति इस बात के लिए है कि मंत्रीजी, आप अपने रिसोर्सेज मोबेलाइज नहीं करते हैं। राजस्थान के डवलपमेंट के लिए राजस्थान सरकार का अपना पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, आप फेमिन तक हैण्डल नहीं करते, अपना पैसा कुछ लगाते नहीं है। आपत्ति यह है इसलिए आप उस फिगर्स को जबरदस्ती क्यों बार-बार कहते हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मालपुरा से आने वाले सम्माननीय विधायक से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी उनकी बातों के प्रभाव में आकर इस बात को कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाक्टर साहब, आप बिराजें तो मैं कहूं या मैं बैठ जाऊं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, आप जरूर-जरूर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : थोड़ा रेस्पाइट मिल जाएगा आपको कुछ कहने में। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं कि उनका पैसा मिलता है, वह हम अपने संसाधनों में इस्तेमाल कर लेते हैं, खर्चा नहीं करते। एक बात आपको निवेदन करूं कि जितना पैसा राजस्थान के अन्दर आता है पब्लिक अकाउंट्स के फण्ड को छोड़कर, सारा पैसा एक दफा, ऐसा तो कोई है नहीं कि अलमारियां अलग-अलग बनी हुई हो। खाते जरूर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अलग हैं लेकिन सारा पैसा कंसोलिडेटेड फण्ड के अन्दर आता है, राज्य के कंसोलिडेटेड फण्ड के अन्दर तो पैसा सब एक जगह इकट्ठा होगा फिर डिफरेंट स्कीम्स के लिए, जिनके लिए कि बजट प्रावधान है जिस योजना के तहत पैसा मिलता है उसके ऊपर खर्च किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जब कंसोलिडेटेड फण्ड के अन्दर आएगा तो कोई हमारी अलमारी और तिजोरी अलग रखी नहीं गयी है कि यह पैसा आया इसमें रख दिया और वह पैसा आया उसमें रख दिया। कैश इन हैण्ड तो कुछ होता नहीं है। सारा पैसा बैंक्स से ट्रेजरीज की मार्फत आता है। मेरा आपसे खाली निवेदन यह है कि यह मिथ्या आरोप...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, ऐसा नहीं है। कंसोलिडेटेड फण्ड कुछ नहीं होता है अलग-अलग हैड से पैसा मिलता है। एडमिटेड पोजिशन यह है कि फेमिन के पैसे से आपने राजीव गांधी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण कराया। आप इसको नकार नहीं सकते। इसलिए आप अनावश्यक ...(व्यवधान) आप क्यों खड़े हो रहे हैं? ये बता रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : यह कैसे कह दिया? इसका क्या मतलब है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप क्यों खड़े हो रहे हो?

श्री सी. पी. जोशी : क्यों नहीं बोले? आप क्यों बोल रहे हैं? राजीव गांधी पाठशालाओं का पैसा, आप क्लियर कर लें। (व्यवधान) नहीं, नहीं, Why are you confusing it? राजीव गांधी पाठशालाओं का पैसा जो टैन्थ फाइनेंस कमीशन का पैसा पंचायतों को ट्रांसफर होना है, उस टैन्थ फाइनेंस कमीशन की जो गाइड लाइंस है उनको पूरा करके राज्य सरकार ने किया है। कहां कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप कंसोलिडेटेड फण्ड से कर रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चलिए आज यह सवाल यहां पर उठाकर खड़ा किया। यह भी प्रतिपक्ष इस बात को प्रचारित करता रहा कि अकाल के पैसे से राज्य सरकार ने बारह हजार राजीव गांधी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण कर दिया। अकाल में उस पैसे को खर्च नहीं किया। क्योंकि राजीव गांधी पाठशालाएं प्रतिपक्ष की आंख की किरकिरी बनी हुई है। मैं आज आरोप लगाता हूं कि वे इससे प्रसन्न नहीं है। डाक्टर साहब, आपसे व्यक्तिगत कुछ नहीं। नथिंग पर्सनल। मैं आ रहा हूं, पूरी बात कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले मेरी एक मिनट।

श्री प्रद्युम्न सिंह : I will convince you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, एक प्रार्थना करूं कि यह डिबेट का इश्यू नहीं है। मंत्रीजी, अब की बार इस बात पर डिबेट नहीं हुई। यह विगत वर्ष हुई थी। विगत वर्ष आंकड़ों से आप खुद इस बात से संतुष्ट हो गये थे, यह मानना पड़ेगा। क्योंकि ये फिगर्स जो हैं मंत्रीजी, वह न आप मेनिप्युलेट कर सकते हैं, न मैं मेनिप्युलेट कर सकता हूं और न प्रतिपक्ष कर सकता है। बजट के फिगर्स तो आप खुद देते हैं। उसी से सब निकलते हैं तो इसलिए जो डिबेट हुई नहीं उसका क्यों जवाब देते हैं आप मंत्रीजी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है कि आपने अभी एक प्रश्न यहां खड़ा कर दिया कि आपने अकाल के पैसे से राजीव गांधी पाठशालाएं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह दृष्टान्त के रूप में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : गलत दृष्टान्त क्यों दिया? सही दृष्टान्त तो देते आप। आपने गलत दृष्टान्त दिया। यह बी.एफ.सी. का वर्सन फाइनेंस कमीशन से यहां पैसा आया, माननीय शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे।

श्री सी. पी. जोशी : As a Panchayat Raj Minister I am mentioning it. It is our right. It is not from the Consolidated यह टैन्थ फाइनेंस कमीशन का पैसा पंचायत को मिलता है। इसमें कहां तकलीफ है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने खुद रे रिसोंसेज मोबेलाइज करके क्या कन्ट्रीब्युशन किया, यह बताइए आप। प्रधानमंत्रीजी की सड़क योजना में सड़कें बना दी आपने। यानी सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आपका कन्ट्रीब्यूशन क्या है? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : यह भी तो जनता की आवश्यकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह फाइनेंस की बात है जनार्दनजी, बैठे जाओ आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है श्रीमन्, प्लान की चर्चा यहां पर पहले बड़े जोरों से हुई। मैं प्लान के बारे में बार-बार कह चुका हूं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर आपका क्या कन्ट्रीब्युशन है? मैंने उस दिन भी कहा था कि एडथ प्लान जो कि इन्होंने फाइनलाइज किया था उसके अन्दर भी श्रीमन्, 75 प्रतिशत से ज्यादा लोन फैक्टर था जबकि पे कमीशन का इम्पेक्ट नहीं था उस वक्त जबकि पेंशन का इम्पेक्ट नहीं था उस वक्त और जब हमने नाइन्थ

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्लान, ये बनाकर चले गये, उसके बाद नाइन्थ प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हमारे वक्त में हुआ। इनका तो पहला साल था। बढ़ा-चढ़ाकर 27550 करोड़ का प्लान बनाकर चले गये, नाइन्थ प्लान। उसके रिसोर्सेज की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं उस बात को दो दफा कह चुका हूं। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यही राज्य सरकार नहीं, अन्य सरकारें भी...

श्री सुरेन्द्र व्यास : Hon'ble Minister, this was the thrust of your criticism. लेकिन आपने प्लान का आकार पहले छोटा नहीं किया, एन्युअल प्लान का आकार जाकर बड़ा रखा और बाद के अन्दर प्लान में आप पैसे खर्च नहीं कर सके और आपने प्लान का आकार घटाया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे निवेदन किया आकार...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आकार कैसे घट गया जब पैसा खर्च नहीं हुआ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन करूं कि हमने प्लान को रियालिस्टिक करने की चेष्टा की। जिस हिसाब से वे प्लान बनाकर गये थे, जो आंकड़े उस दिन दिए थे उस हिसाब से तो प्लान जो था नाइन्थ प्लान 16 हजार करोड़ रुपये से ऊपर जाता ही नहीं था। जो फिगर्स मैंने उस रोज दिए थे। मैं सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हुं उन फिगर्स को रिपीट करके यहां पर I don't want to respect those figures.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप ज्ञानी हैं और मैं वित्त में ज्यादा समझता नहीं हूं। लेकिन Why are you wasting your time referring to them eachtime? आप सीधे अपने पाइन्ट पर पधारिए क्योंकि उनके पद चिन्हों पर आप कम्पेरीजन भी करोगे तो भी You will be hurting yourself.

श्री प्रद्युम्न सिंह : Thank you very much.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : क्योंकि उनके तो रटे रटाए भाषण होते हैं। आप उसको छोड़िए न। सीधे पधारो अपने पर।

श्री जनार्दन गहलोत : वह तो रटे रटाए दे गये लेकिन प्रेस को कैसे मालूम पड़ेगा वह कितना गलत बोल गये इसलिए माननीय वित्त मंत्रीजी बता रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जनार्दनजी, प्रेस को आपसे और मेरे से ज्यादा पता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रतिपक्ष की एबसेंस से इनकोग्निटो नहीं हो सकता... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Don't try to provoke our Finance Minister. वह फिर उलझ जाएंगे आपसे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा था। मैं सम्माननीय भाटीजी का आभारी हूं लेकिन... (व्यवधान) सम्भव नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यहां पर एक बात और कही गयी कि आपसे टैक्स रेवेन्यू के जो पैण्डिंग अमाउंट्स हैं उसकी वसूली की दिशा के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अगर आप उसकी वसूली की कार्यवाही करें, तो आपको यह नये टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने बहुत सारे खर्चों को मीट आउट कर लेंगे।

यहां पर सेल्स टैक्स और एक्साइज को लेकर दो बातें खास तौर से कही गयी। यह बात निश्चित है कि एक्साइज की आमदनी लास्ट ईयर का जो हमारा सैटलमैंट था वह पहली दफा ऐसा सैटलमैंट हुआ जिसमें कि 31 मार्च, को सैटलमैंट समाप्त हुआ है, एक पैसा बाकी नहीं रहा उन ठेकों के पेटे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने अपना पूरा पैसा उसके अन्दर वसूल किया है। यह बात सही है कि 1999-2001 का सैटलमैंट हमारा प्राब्लम में आया था और उसके अन्दर बहुत बड़ी राशि टूटी थी जिसके आज आपको ड्यूज दिख रहे हैं इस साल। इससे बचने के लिए पूर्व में क्या था, उपाध्यक्ष महोदय, प्रोपर्टीज की हम एक तरह की श्योरिटी के रूप में उन प्रोपर्टीज को मोरगेज कराते थे, ले-मैन की भाषा में आपको निवेदन कर रहा हूं लेकिन इस साल हमने वह सिस्टम भी खतम कर दिया। कारण कि वह प्रोपर्टी हमेशा लिटिगेशन में पड़ती थी। फेमेली का कोई भी मैम्बर जाकर के उसके ऊपर स्टे ले आता था और कई मर्तबा तो नीलाम करने जाते थे, उपाध्यक्ष महोदय, और उस नीलामी के अन्दर लेने वाले पैदा नहीं होते थे। कोई बोली लगाने वाला नहीं होता था। इस तरह का मेनिप्यूलेशन कोई झगड़े की प्रोपर्टी में पड़ना नहीं चाहता था।

हमने लास्ट ईयर से और इस साल से तय कर दिया कि प्रोपर्टी को मोरगेज के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। श्योरिटी और गारण्टी के रूप में हमने सिर्फ बैंक गारंटी लेना शुरू कर दिया जो कि एज-गुड एज कैश है और जिससे कि अगर हमारे पैसे की कोई कमी रह जाती है, तो हम उस बैंक गारंटी को कैश करवाकर अपनी भरपाई कर सकते हैं। एक तो हमने यह कदम उठाया। दूसरा, मैंने जैसा अपने बजट भाषण के अन्दर कहा कि यह बात सही है कि आज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सैल्स टैक्स के पेटे करीब-करीब 1300 करोड़ रुपये की बकाया चली आ रही है कि उसके अन्दर अधिकतर जो है वह अदालतों के पेटे, अदालतों के आदेश से ही उनके ऊपर सेक लगी हुई है। कुछ मामले आज 25-30-40 साल पुराने ऐसे हैं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : सी.ए.जी. ने किया है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं खुद बिलकुल उसी बात को कह रहा हूं। मैं सी.ए.जी. की रिपोर्ट के ऊपर यहां पर इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकता कि जैसी प्रैक्टिस है, आपको पता है कि that will go to the Public Accounts Committee.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसको आप मानें या न मानें पी.ए.सी. की फाइन्डिंग को आप मानें या न मानें (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आपका कहना, मैं इससे सहमत नहीं हूं। पी.ए.सी. की अपनी सैंक्टिटी है। हाउस की कमेटी है, सी.ए.जी. की रिपोर्ट की अपनी सैंक्टिटी है लेकिन रिपोर्ट आने के बाद से निश्चित रूप से उसके ऊपर, क्योंकि पूरा पक्ष रखने के बाद पब्लिक अकाउंटस कमेटी को कभी-कभी वहां तो जो आडिटर्स होते हैं, वह पक्ष आपका सुनने को तैयार नहीं होते हैं कि क्या कारण रहे। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अन्दर डिटेल से जब बात एग्जामिन होती है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सम्माननीय सदस्य उसको एप्रीशिएट करने की स्थिति के अन्दर रहते हैं और यह डेमोक्रेटिक कंट्रीज की एक परम्परा है। उस परम्परा का पालन करते हुए वह आएगा, उसके बारे में मुझे यहां कमेंट नहीं करना है।

लेकिन मैंने उससे बचने के लिए अब सैटलमैंट बोर्ड की बात यहां पर की। हम इन्कम टैक्स का जो सेटलमैंट कमीशन है उसकी तर्ज के ऊपर हम राजस्थान के अन्दर एक सेटलमैंट बोर्ड की स्थापना करेंगे, उस सेटलमैंट बोर्ड की स्थापना से जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अधीन होगा और उसके दो मैम्बर्स और अलग होंगे। इसलिए मैंने जैसा बजट के अन्दर कहा विदिन ए मंथ टाइम हम इसके कान्सटीटयूशन, रूल्स जो भी होंगे इसके बना देंगे और इसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि सेटलमैंट कमीशन के अन्दर आने के बाद जो हमारे पैण्डिंग मैटर्स हैं या कोर्ट के अन्दर लिटिगेशन जिन मामलों का चल रहा है उनके निपटारे के अन्दर आसानी होगी और निश्चित रूप से जो रकम है उसमें से हमें कुछ न कुछ रकम

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्राप्त होगी और इससे रिकवरी का जो अमाउंट है उसमें कमी आएगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं।

यहां पर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने गुजरात की घटनाओं की बात की। मुझे ज्यादा उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं करना है बल्कि उन्होंने राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से ला–एण्ड–आर्डर को यहां पर मेंटेन किया...

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह इर्रेलेवेंट है...

श्री जुगल काबरा : इर्रेलेवेंट नहीं है, वित्त मंत्रीजी अगर यहां पर शांति रहेगी तो इन्वेस्टमैंट आएगा। वह आपसे रिलेटेड है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यहां पर सभी जो भी माननीय सदस्य बोले, मैं उन सम्माननीय सदस्यों का आभारी हूं। चूंकि हकीकत है यह, इस हकीकत से जो मुंह मोड़े, मेरे साथी हैं गृह मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी की सरकार में मैं मंत्री हूं और मैं अपने मुंह से इन दोनों की तारीफ करूं, मेरे लिए मुनासिब और उचित दोनों नहीं है लेकिन एक सेटिफिकेशन तो है अन्दर से, एक सन्तोष तो है हमको कि हमारी सरकार ने कम से कम जिस हिसाब से जिस मुस्तैदी के साथ राजस्थान के अन्दर कम्युनल हारमनी को बनाए रखा, जब नगर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे लेकिन हमको एतराज होता नहीं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो समझदार आदमी हैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री के. सी. चौधरी : शिव सेना वालों ने अटेक किया उस पर टी.बी. वाले पर...

श्री प्रद्युम्न सिंह : (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह बात कहना भूल गए यहां पर सभी लोग, जब राजस्थान के अन्दर राजस्थान फाउन्डेशन की मीटिंग हुई थी, मैं उन उद्योगपति का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं सिन्सियरली यहां पर सदन के अन्दर कह रहा हूं उन्होंने कहा आप तैयारी कीजिए यहां पर राजस्थान के अन्दर गुजरात से उद्योग उखड़कर आएंगे, आपकी तैयारी है क्या? यह उन्होंने हमसे सवाल किया था। हमने कहा हम तैयार हैं इसके लिए क्योंकि वहां जो हालात हैं, व्यापार और उद्योग हमेशा शांति के अन्दर पनपते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्री जी एक मिनट, गुजरात की खराब स्थिति से स्वत: उद्योग आपके यहां पर नहीं आएंगे, जब तक कि आप औद्योगिक वातावरण नहीं बनाएंगे। आपको अपना वातावरण ठीक करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एटमोसफियर बनाना पड़ेगा। आप इस उम्मीद में चल रहे हैं कि आप तो कुछ करेंगे ही नहीं, आप खुद अपना वातावरण ठीक कीजिए। आपका है ही नहीं औद्योगिक वातावरण।

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाक्टर साहब, मैं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को एक योग्य पार्लियामेंटेरियन मानकर चलता हूं। आज लगता है कि जैसे वह लोग मुझे बीच में टोका-टोकी दो मिनट में करते हैं, कृपया आप वह ना करें आज।

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह जो कहना है कि चूंकि वहां हालात खराब हैं इसलिए वह आएंगे, यह नहीं अगर इस स्टेट के भी हालात खराब होते तो वह कतई नहीं आते। इस स्टेट के हालात बेहतर हैं, इस स्टेट का इण्डस्ट्रियल माहौल बेहतर है, ला-एण्ड आर्डर की सिचुएशन बैटर है यहां पर आना चाहते हैं। इण्डस्ट्रियल माहौल भी बेहतर है इस स्टेट का। निश्चित रूप से इण्डस्ट्रियल माहौल यहां खराब होता तो महाराष्ट्र जाने की बात करते, आन्ध्र प्रदेश जाने की बात, वह राजस्थान आने की बात नहीं करते।

यहां पर मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि राजस्थान के अन्दर जो एक पिक्चर इण्डस्ट्रियलिस्ट के बारे में में पेंट की गयी, ला-एण्ड-आर्डर का व्यापार और उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, मैं टोकना तो नहीं चाहता आपको लेकिन जब आप वातावरण की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाह रहा हूं, जो आप अभी बोल रहे थे उसी सन्दर्भ में, यह जो सत्ता पक्ष के विधायक लोग बैठें हैं इनकी जो दुर्गति ब्यूरोक्रेसी करती है हरेक जिले में और जो इनमें मायूसी है आती है, तो आप भले ही वन विंडो प्लान बता दें, अल्टीमेटली आपकी मशीनरी तो वही है। ब्यूरोक्रेसी और जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे, जब तक वह बिजनस कांशियस नहीं होंगे और आप बिजनस कल्चर उनमें नहीं लाओगे तो माफ करना आप भले ही कितनी योजना बना लें, मुख्य मंत्रीजी खूब प्रयास कर रहे हैं, आप भी खूब प्रयास कर रहे हैं लेकिन वह इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने जो सुझाव दिया है, आपका सुझाव स्वागत योग्य है लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं। हमने समय-समय पर इस बारे में काफी इफैक्टिव कदम उठाकर एक माहौल बनाने की चेष्टा की है और माहौल बना भी है।

अब मेरे पास कुछ प्रस्ताव दो प्रकार के हैं। एक तो यहां पर जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ करों की बात की थी, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने की थी। वह मैं फाइनेंस बिल के वक्त उन बातों का जब फाइनेंस बिल पारित होने की स्टेज में आएगा तो, क्योंकि टैक्सैशन मैटर्स के मामले में ज्यादा यहां पर एप्रोप्रियेशन बिल के माध्यम से कोई चर्चा नहीं हुई है, इस वक्त इनके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बारे में जिक्र करना मेरे लिए मुनासिब नहीं रहेगा। फिर भी, श्रीमन्, मेरे जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल, माननीय सदस्य मेरे संग सहयोग करेंगे और मेरे ऊपर कृपा करेंगे, तो मैं शिक्षा मंत्रीजी से बात करके, क्योंकि बीच में रतनगढ़ से आने वाले आदरणीय पंडितजी ने यहां पर एक बात कही थी। हमारे बुजुर्ग सदस्य हैं, तो मैंने उस स्थिति को तब साफ किया था।

मैं पुन: दोहराना चाहता हूं कि यह बात सही है कि स्कूलों के अन्दर अध्यापकों की कमी है। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, क्योंकि जो स्थिति अकाल के कारण बनी थी और उसमें कई-कई विभागों में रही लेकिन उसके बावजूद भी पिछले साल जैसा मैंने यहां सदन के अन्दर कहा, शिक्षा मंत्रीजी स्वयं कृपा पूर्वक मेरे साथ बैठे, मेरे विभाग के अधिकारी बैठे, उनके विभाग के अधिकारी बैठे और हमने एक एग्री किया। उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्रीजी, इतने से में काम चला सकता हूं और जैसा उन्होंने कहा, उसी अनुरूप मैंने पदों की वित्तीय और प्रशासनिक, दोनों स्वीकृतियां जारी कर दीं। अब उन्होंने उसके तहत विज्ञापन भी निकाला। उस विज्ञापन के तहत कुछ अध्यापकों की पी.एस.सी. में वक्त लगता है। पी.एस.सी. के परव्यू के जो थे वह पी.एस.सी. के अन्दर गये और पी.एस.सी. के अन्दर रिक्रूटमेंट की अपनी एक प्रक्रिया है, उसके अन्दर समय लगता है। उसके बाद जो कोर्ट के स्टे इत्यादि आए वह आपके समक्ष है। मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी इसके ऊपर कोर्ट के स्टे जल्दी खारिज, वेकेट होंगे और भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूरी होगी, ऐसी मैं आशा करके चलता हूं और इसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूं।

कल उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा था, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने जो रेशनलाइजेशन की स्कीम निकाली। किसी स्कूल में अन्दर, शहर के स्कूलों में छात्रों की संख्या कम, सड़क के सहारे छात्रों की संख्या कम और स्टाफ पूरा है। जरा इंटीरियर में जाइए लेकिन स्टाफ आपको मिले नहीं वहां पर...(व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिए। खास तौर से उधर के लड़के, पूर्वी राजस्थान के लड़के अध्यापकों के अन्दर उनकी संख्या ज्यादा, नौकरी उधर प्राप्त करें, लौटकर सब आए, तो हमारे जिलों के अन्दर इतनी अध्यापकों की कमी नहीं है। कमी हो सकती है लेकिन पूर्वी राजस्थान के जिलों के अन्दर और जोधपुर संभाग के अन्दर कमी है। इतनी अध्यापकों की कमी नहीं है जितनी कि उदयपुर संभाग के अन्दर उसका कारण क्या है। लड़के इधर से ज्यादा, हमने उनकी पैरोकारी की, किसी सम्माननीय सदस्य ने पैरोकारी की, शिक्षा मंत्रीजी की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अपनी खुद की सीमा है और वह लोग इधर आ गए। वह भी एक समस्या होती है। रोज छाती पर खड़े रहते हैं आकर उनके घर वाले और स्वयं कि कराइए, कराइए। कब तक उनको दें और यह सभी विभागों की कमी है। यह प्राब्लम आती है कि लोग उधर ज्वाइन करते हैं जाकर, 6, 8 महीने, सालभर बाद वह तबादले की कोशिश करते हैं। खैर, मैं जानता हूं कि इस समस्या का निदान होगा।

सदन के सम्माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए अपने सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यहां पर मिडल स्कूल्स की मांग बहुत बड़ी संख्या के अन्दर की गयी। श्रीमन, मुख्य मंत्रीजी की अनुमति से मैंने उनसे निवेदन किया था और उन्होंने मंजूरी दी। मैं करंट ईयर के अन्दर एक हजार नये मिडल स्कूल्स को अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं।

श्रीमन्, पूर्व में इसमें से पांच प्रतिशत स्कूल संस्कृत शिक्षा के लिए जाएंगी।

श्रीमन्, पूर्व में मैंने दो सौ सैकण्डरी को अपग्रेड करने की बात की थी। मिडल से सैकण्डरी और दो सौ स्कूलों को सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी में अपग्रेड करने की बात की थी यहां पर। कुछ सम्माननीय सदस्यों ने इनकी संख्या बढ़ाने की मांग की है...(व्यवधान) श्रीमन, भावना हो सकती है लेकिन जिन लोगों ने कहा मैं उनकी भावना का आदर करता हूं। मैंने मुख्य मंत्रीजी से चर्चा की है। क्योंकि स्त्री शिक्षा की भी बात रही है, यहां पर स्त्री शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी कुछ स्कूल अलग से क्रमोन्नत किए जाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं नम्बर अभी कह नहीं रहा हूं लेकिन जो पूर्व में दे चुका हूं दो, दो सौ, उनके अलावा कुछ अधिक सीनियर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल निश्चित रूप से खोले जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं निश्चित वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं निश्चित कह रहा हूं आपसे। इसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को अधिकृत करता हूं, वह जितनी कहेंगे उतने मैं खोलने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं और इसके अन्दर जो पूर्व में दो सौ स्कूल सीनियर सैकण्डरी और सैकण्डरी खोले थे उनमें से मैं पांच प्रतिशत संस्कृत शिक्षा के लिए रिजर्व करता हूं लेकिन एम.एल.एज. की डिमांड को माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्रीजी ध्यान में रखेंगी।

श्रीमन्, यहां पर विकास के लिए, शिक्षा की भले ही नहीं हो, लेकिन शिक्षा की तो है। मैं पांच सौ मदरसों के अन्दर राजीव गांधी विद्यालयों की तर्ज के ऊपर पेराटीचर्स प्रोवाइड करने की बात यहां आपके समक्ष घोषणा करता हूं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

राजीव गांधी विद्यालय जो हमने खोले थे उनकी सफलता को देखते हुए कई स्कूलों के अन्दर छात्रों की संख्या सौ सौ पहुंच गयी और अधिकतर लोगों से अगर आप बात करें, तो सारे लोग कहते हैं कि हमारे राजीव गांधी विद्यालय बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि यहां पर यह कहा गया कि इनीशियल स्टेज पर 100, 50 अध्यापकों की तो मैं कहता नहीं हूं, टीचर्स अनक्वालीफाइड लग गए होंगे लेकिन बाद में, उस वक्त भी जब कोर्ट के आदेश नहीं थे, उस वक्त भी क्वालीफाइड अध्यापक बहुत बड़ी संख्या के अन्दर, तादाद के अन्दर लगे थे। इस बात को हमारे सारे सम्माननीय विधायक निश्चित रूप से जानते हैं। उसके बाद कोर्ट का आदेश आ गया और क्वालीफाइड टीचर लगे और इनकी सफलता का द्योतक मैं उस कागज को तो लाना भूल गया, इनके पैटर्न के ऊपर जो इनकी हाइस्ट कौंसिल है एलीमेंटरी एजुकेशन की, मिनिस्टर आफ एजुकेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया की, उन्होंने रिकमंड किया है कि इस प्रकार के स्कूल सारे देश के अन्दर खोले जाने चाहिए। अगर आपको ध्यान होगा यहां पर वित्त मंत्रीजी ने भी शायद, मुख्य मंत्रीजी, आपको ध्यान होगा, वित्त मंत्रीजी ने भी अपने भाषण के अन्दर कहा था जिसके अन्दर मध्य प्रदेश के स्कूलों का जिक्र किया था। आज हमारे स्कूल तो मध्य प्रदेश से थोड़ी बैटर स्थिति के अन्दर हैं। आप कल्पना करें माननीय सदस्य कि बारह हजार पक्के भवन बनकर जहां तैयार हो गये और इतने बढ़िया और मजबूत भवन बने हैं राजीव गांधी पाठशालाओं के, कि देखने दिखाने लायक हैं।

श्रीमन्, इस साल इस करंट ईयर के अन्दर मैं 11,500 नये पेराटीचर्स राजीव गांधी विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए देने का प्रस्ताव करता हूं। यहां इलेवन थाउजेंड फाइव हंडरेड, श्रीमन, चाहे वूमेन एमपावरमैंट में चेतना और जाग्रति पैदा करने के लिए महिलाओं के अन्दर साथियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रदेश में जो महिला संगठन हैं वह बराबर इस बात की मांग कर रहे हैं कि इनको और मजबूत किया जाए। राजस्थान में स्त्री शिक्षा, पिछड़ापन और जो सामाजिक कुरीतियां यहां पर विद्यमान हैं अगर हम इन साथिनों को, क्योंकि अभी 12 जिलों के अन्दर साथिन योजना चल रही है। अगर हम इसका और विस्तार करते हैं, यदि हम शेष बच रहे 20 जिलों में इस योजना का विस्तार करते हैं, तो निश्चित रूप से महिलाओं के शक्तिकरण, उनमें जाग्रति पैदा करने और नई चेतना पैदा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि 500 नई साथिनों की भर्ती इस साल के अन्दर की जाएगी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

श्रीमन्, यहां पर नए कालेजों की मांग काफी बड़ी तादाद में उठी है, मैंने इस मामले में शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया। कालेजों का रैकरिंग एक्सपैंडीचर व अन्य खर्चे देखते हुए यह भार बहुत अधिक हो जाएगा। क्योंकि मेरे खुद के इलाके से मांग है, मेरे जिले से दो कालेजों की मांग है। अब तहसील स्तर से कालेजों की मांग उठने लगी और इतनी बड़ी मांग है कि उसमें आपके सहयोग के बिना, विधायकों के सहयोग के बिना, जन-सहभागिता के बिना सरकार अपने बूते पर इतने सारे कालेज खोलने में असमर्थ है। इसलिए मैंने शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया कि एम.एल.ए. फंड और जन-सहभागिता का किस प्रकार से उपयोग हो सकता है। आज सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहां के दानदाता...।

श्री हीरालाल विश्नोई : हमारे यहां के दानदाता बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बिराजें कृपया। लेकिन अब सवाल आता है रैकरिंग खर्चे का कि उसको कैसे मीट आउट किया जाए, इनिसियल ईयर के अन्दर, इसके लिए एक फार्मूला या इसकी नीति ज्यादा से ज्यादा एक महीने के अन्दर माननीय शिक्षा मंत्री जी बनाकर के घोषित करेंगे और जहां भी कालेज खोलने की उस नीति में जो आ जाएंगे और विधायक महोदय अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, तो निश्चित रूप से उस नीति के अन्दर कालेज खोले जाएंगे।

श्रीमन, बीकानेर की तरह कोटा के अन्दर भी विश्वविद्यालय खोलने की मांग आई है, चूंकि अब तय यह हुआ है कि कोटा संभाग बाकी रह गया था, क्योंकि हमने बीकानेर के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वैसे ही एक करोड़ का प्रावधान कोटा में नया विश्वविद्यालय खोलने के लिए करने की यहां बात कहता हूं और साथ ही साथ एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर म्युनिसिपल कारपोरेशन, म्युनिसिपल कान्सिल, यू.आई.टी. और बीएडी इनका भी सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। तभी हम नया विश्वविद्यालय सफलतापूर्वक संचालन कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा...।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो घर का ही काम है, इसमें क्या है? यू.आई.टी. म्युनिसिपलिटी तो इनकी ही हैं, वह तो कर लेंगे इसमें क्या है? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम कालेज का क्या हुआ, टोडाभीम कालेज का?

श्री उपाध्यक्ष : आप देर से आए, देर से।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, जैसा कल सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी से सीनियर सिटीजन, वैलफेयर बोर्ड की और यूथ बोर्ड की मांग की थी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ओसवाल वाद चल रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पूर्वी राजस्थान को भूल रहे हो। आपको पूर्वी राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान, मैं राजस्थान के अन्दर मदरसा बोर्ड की स्थापना की घोषणा करता हूं और इन तीनों बोर्ड के लिए यूथ बोर्ड के लिए, सीनियर सिटीजन वैलफेयर बोर्ड के लिए और मदरसा बोर्ड के लिए 50-50 लाख रुपये देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं, वित्तीय प्रावधान करता हूं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में यहां पर कहा था कि 200 चिकित्सा सब सैन्टर्स को अपग्रेड करूंगा। सब सैन्टर्स को जहां पर एक नर्स थी, वहां पर एक सैकण्ड ग्रेड का कम्पाउंडर उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन माननीय सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए अब मैं इसके स्थान पर 200 नये चिकित्सालय, डिस्पेंसरी का प्रावधान कर रहा हूं। मैंने एक प्रश्न के उत्तर में यहां कहा था कि राज्य के अन्दर 2000-2001 में बजट के अन्दर चूंकि प्लान साइज कट हुआ था और आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय जो खोले गए थे, लेकिन वैद्य और हकीमों की व्यवस्था हम नहीं कर पाए थे। मैंने एक प्रश्न के उत्तर में यहां सदन के अन्दर कहा था कि इस साल सरकार कराएगी। मैं उस बात को पुनः दोहराता हूं कि जो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय खोले थे उनके अन्दर वैद्यों और हकीमों की बहुत शीघ्र ही, उनकी फाइल मूव हो गई है और मैं उनकी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति जारी करूंगा।

श्रीमन्, पशु चिकित्सालयों में कमी को देखते हुए 150 (वीएएस) वेटेनरी एसिस्टेंट सर्जन की भर्ती के भी शीघ्र आदेश प्रसारित कराएंगे। यह मुझे नई घोषणाएं करनी हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको, विनियोग बिल...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आपने यह कहा था कि सीनियर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूलों में माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ फरमाएंगे, तो अभी फरमाएंगे कि बाद में फरमाएंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बाद में फरमाएंगे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मूड तो अभी ठीक है, अभी नहीं कल पार्टी मीटिंग के बाद...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : काल करे सो आज कर।

मोहम्मद माहिर आजाद : विधायक स्थानीय विकास कोष का क्या हुआ? उसको तो बढ़ाने का काम कर दो। कम से कम वही तो एक जरिया है हमारे पास में कि गांवों में कुछ विकास की गंगा बहाने का, उसके अन्दर तो कुछ बढ़ोतरी करें। अब तो मुख्य मंत्रीजी भी विराजमान हैं यहां पर, आप कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी आएंगे उनसे बात करके करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज की इस स्थिति में संभव नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वह तो विकास के ही काम हैं, आर्थिक स्थिति क्या करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002 पारित किया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2002 माननीय मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2002

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2002 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, डा. किरोड़ीलाल। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2002 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए? वह अनुपस्थित हैं इसलिए इसको।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2002 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में जो मैंने कर प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया था उनके बारे में अपनी तरफ से जो खण्डशः विचार करेंगे, सारी...

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो खण्डशः विचार।

खण्डशः विचार

खण्डशः विचार।

खण्ड-2

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3

खण्ड-3, श्री मानिक चन्द सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री गुलाब चन्द कटारिया

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4

खण्ड-4, श्री मानिक चन्द सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री गुलाब चन्द कटारिया

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 स्वीकार किया गया।

खण्ड-5

खण्ड-5, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 स्वीकार किया गया।

खण्ड-6

खण्ड-6, श्री मानिक चन्द सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-6 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-7

खण्ड-7, श्री मानिक चन्द सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-7 स्वीकार किया गया।

खण्ड-8 से 11

खण्ड-8 से 11 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 से 11 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-8 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-12

खण्ड-12, श्री मानिक चन्द सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-12 स्वीकार किया गया।

खण्ड-13

खण्ड-13, श्री मानिक चन्द सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री गुलाब चन्द कटारिया। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड-13 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-13 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1

खण्ड-1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियम, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियम, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्रीजी, प्रस्ताव करेंगे कि वित्त विधेयक को पारित किया जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पारित करने से पूर्व कुछ निवेदन करना चाहता हूं फाइनेंस बिल के बारे में (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, किसी को बोलना है, तो बोल ले। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह करे, अच्छी बात है लेकिन मेरे खयाल से यह नियमों के अधीन नहीं हो रहा है। जिस वक्त डिस्कशन हो रहा था

(श्री शिवनाथ सिंह)

क्लाज बाइ क्लाज, उस वक्त माननीय मंत्री महोदय ने इसमें कुछ संशोधन या अपनी बात कहनी चाही थी। आप करों के बारे में कोई संशोधन पेश करना चाहते हो...

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां।

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है, तो इसलिए करों के बारे में संशोधन पेश करना क्लासेज में जब आता था, उस वक्त करना चाहिए था। या तो आप नियमों में रिलैक्स कर दीजिए या यह थर्ड स्टेज है मेरे खयाल से इसमें यह हो नहीं सकता, थोड़ी गलती रह जाएगी इसलिए रूल्स को आप रिलैक्स कर दीजिए। कर दीजिए आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है कि फाइनेंस बिल के अन्दर नोटिफिकेशन के जरिए यह कुछ पुराने कर हैं, कुछ मैं नये प्रस्ताव कर रहा हूं, जिनका कि फाइनेंस बिल के अन्दर जिक्र नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : मेरा एतराज नहीं है, रूल्स का पालन हो जाए, इतना ही मेरा कहना है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने कहा था।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं तो प्रोसीजर की बात कर रहा था कि प्रोसीजर जो है वह अच्छा होगा। मैं एतराज नहीं कर रहा हूं आप जो कर रहे हैं उसको मैं बिलकुल स्वीकार कर रहा हूं लेकिन प्रोसीजरल मिस्टेक न रहे इसलिए मेरा निवेदन है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड स्टेज के लिए इन्होंने प्रस्ताव नहीं किया है। अभी सैकण्ड स्टेज ही चल रही है।

श्री शिवनाथ सिंह : कर दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : थर्ड स्टेज के लिए प्रस्ताव कर देते तब थर्ड स्टेज आती।

श्री शिवनाथ सिंह : हो गया, यह हो गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य, इन्होंने प्रस्ताव नहीं किया है अभी। इन्होंने यह नहीं कहा है, इन्होंने कहा है कि पारित होने से पहले वह कुछ बात रखना चाहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन आसन सर्वोपरि है, आसन रूल्स में रिलैक्सेशन करके इसको कर सकता है। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एतराज किया है, वह ठीक किया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह बिलकुल सैकण्ड स्टैज ही चल रही है माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : सैकण्ड स्टेज कैसे हो गयी?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी तक इन्होंने कोई प्रस्ताव ही पेश नहीं किया।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज कह दी इन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : थर्ड स्टेज हो गयी थर्ड।

श्री बुलाकीदास कल्ला : थर्ड स्टेज आने वाली थी, इन्होंने प्रस्ताव नहीं किया अभी तक।

श्री शिवनाथ सिंह : आ गयी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रूल्स का देख लें तो ठीक हो जाएगा। मुझे एतराज नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बिलकुल ठीक कहते हो, सैकण्ड है या थर्ड है आप तो हमेशा से थर्ड डिविजनर हैं, आपको क्या पता कि सैकण्ड क्या होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर-आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया है, पारित होने से पूर्व मैं करों में कोई अमेंडमेंट, क्योंकि अभी विचारार्थ की स्टेज पर चल रहा है, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, यह विचारार्थ की स्टेज चल रही है और विचारार्थ की स्टेज पर कोई भी सम्मानित सदस्य इस डिबेट में पार्टिशिपेट कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : यही तो पूछा है मैंने, कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे, तो बोल लेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : और मंत्रीजी को अपनी बात उसमें कहने का अधिकार होता है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे आपकी आज्ञा से अगर कोई चाहे, रूल्स की वैसे इसमें कोई कमी नहीं है, मेरे हिसाब से अगर 1.1 प्रतिशत रूल्स में कोई कमी है, तो आपको रिलैक्स करने का पूरा अधिकार नियमों के तहत है और आपकी अनुमति से...।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी अभी तो आप प्रस्ताव करेंगे कि पारित किया जाए, उसके बाद कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे तो बोलने देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जैसा आप चाहे। मैं पारित की स्टेजपर कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हो, तो ले आओ। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अमेंडमेंट नहीं, सर्टेन अनाउंसमेंटस टैक्सेशन के बारे में कहना चाहता हूं वह मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : फाइनेंस बिल का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। टैक्सेशन जो हैं उसमें रिलैक्सेशन की बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसीलिए आपकी अनुमति से श्रीमन्, वैसे मैं आपकी अनुमति ले लेता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में साबुन उद्योग में व्याप्त रोजगार के अवसरों को देखते हुए, इसको बढ़ावा देने की दृष्टि से इसके कच्चे माल पर पर्चेज टैक्स व सरचार्ज है, उसको मैं सैटआफ के विरुद्ध उसके अन्दर पूरा पर्चेज टैक्स और सरचार्ज की छूट जो है, उससे मैं इसको एक्जैम्पट करता हूं, मैं छूट दे रहा हूं।

हल्दी, मिर्च, धनिया, मेथी, अमचूर आदि मसालों, अमिश्रित मिक्स नहीं, अमिश्रित रूप में पोलीथिन पैक कर विक्रय किए जाने पर उन पर देय 16 प्रतिशत विक्रय कर को घटा कर 4 प्रतिशत कर रहा हूं। पूर्व में क्या था कि लास्ट ईयर, हल्दी और इन सबको तो 4 प्रतिशत में ले आए मगर कोई पीस कर पोलीथिन में भरकर बेचता है तो आप 16 प्रतिशत अट्रैक्ट करते हैं, उससे विसंगति थी, लोगों को परेशानी थी, उसको दूर करने के हिसाब से मैंने उसको कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने बजट भाषण के अन्दर 100 रुपए तक के जूतों पर जो वापस लिया था, चूंकि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और मध्यप्रदेश, इन प्रांतों के अन्दर, हालांकि मैं वैल्यू बेस्ड एक्जम्प्शन के सिद्धान्ततः खिलाफ था लेकिन यहां पर मेरे पास बहुत बड़ी संख्या के अन्दर इन व्यवसायों से जुड़े हुए लोग मुझसे मिले आकर और काफी जिलों के लोग मिले, बस भर-भर कर आए, मुझसे मिले, उद्योग मंत्रीजी से मिले, उसके अन्दर उसके बारे में 75 रुपए कीमत तक के बच्चों के एवं प्लास्टिक के जूतों को बिक्री कर से मुक्त किया जा रहा है। हवाई चप्पलों के प्रशमन की योजना, कम्पोजिशन स्कीम यथावत रहेगी। राज्य से बाहर से आने वाले जूतों, चप्पलों पर फार्म एच-18-ए, अनिवार्य होगा।

श्रीमन्, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के प्रसार हेतु राजस्थानी संगीत के आडियो, म्यूजिक कैसेट, राज्य में व अन्तरराज्यीय बिक्री कर पर पूर्ण रूप से छूट दी जाती है, राजस्थानी म्यूजिक के जो कैसेट बनते हैं। श्रीमन् डाई एवं डाइस्टफ के विनिर्माताओं को उनके द्वारा कच्चे माल पर चुकाए जा रहे प्रवेश कर की छूट सैटआफ के रूप में देय होगी। साथ ही डाई एवं डाइस्टफ की परिभाषा को और विस्तृत किया जा रहा है। इससे प्रदेश में डाई एवं डाइस्टफ के निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

कुछ वर्षों में ढेंचा का उपयोग गम उत्पादन में बढ़ रहा है। वर्तमान में ढेंचा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पर 10 प्रतिशत कर देय है। प्रदेश में ढेंचा के उत्पादन एवं उद्योगों में उपयोग को बढ़ावा देने के लिये ढेंचा पर देय कर 10 प्रतिशत से घटाकर ग्वार के समान 2 प्रतिशत किया जाता है। (व्यवधान) ढेंचा होता है...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : किसान जानते हैं। ढेंचा आपकी तरफ होता है क्या? हमारी तरफ होता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सुनो, ढेंचू क्या होता है? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्ताव में खाद्य तेलों पर एक प्रतिशत प्रवेश कर प्रस्तावित किया था। वनस्पति घी, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल आयल का विनिर्माण करने वाली प्रदेश के अन्दर स्थापित ईकाइयों को अन्तरराज्यीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है। अत: इनके उत्पादन की बिक्री पर देय कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के विरुद्ध प्रवेश कर का सैटआफ दिया जाना प्रस्तावित करता हूं। साथ ही केन्द्रीय बिक्री कर की दरों को 2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत किया जा रहा है।

इसी तरह हाईड्रोलिक एक्सीवेटर इत्यादि को अंतरराज्यीय बिक्री की स्थिति में प्रवेश कर की छूट की घोषणा करता हूं।

श्रीमन् एक और समस्या है। 204 आइटमों की फ्लोर रेट आल इंडिसयाबेसिस पट फिक्स हो गयी है कि राज्य इससे कम फ्लोर रेट अपने सेल टैक्स की नहीं रखेंगे लेकिन करीब-करीब 199, 200, 201 मामलों के अन्दर फ्लोर रेट का पालन हिन्दुस्तान में आम सहमति के आधार पर सारे राज्य कर रहे हैं लेकिन कुछ राज्यों ने दो-तीन मामलों के अन्दर फ्लोर रेट का वायलेशन शुरू कर दिया है। हमारे यहां एक योजना थी, खास तौर से सोने की योजना जिसमें हमने कम्पोजिशन स्कीम दी थी। जिसके अन्दर राजस्थान की पड़ौसी राज्यों ने बहुत आलोचना की थी कि राजस्थान फ्लोर रेट का वायलेशन कर रहा है तो हमने उस भावना के अनुरूप अपनी रेवेन्यू को खोते हुए 31 मार्च से अपने यहां प्रशमन योजना समाप्त कर दी। सोने के ऊपर आल इण्डिया लेबल पर फ्लोर रेट एक पर्सेंट है। लेकिन अभी गुजरात और महाराष्ट्र ने उसको आधा पर्सेंट कर दिया जो कि फ्लोर रेट वायलेशन है। आज दिल्ली के अन्दर वित्त मंत्रियों की बैठक हो रही है। चूंकि यहां वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक था इसलिए मैं उस मीटिंग के अन्दर जा नहीं सका, हमने अपना प्रोटेस्ट लैटर वहां वित्त सचिव जी की मार्फत भिजवा दिया है दो-तीन आइटम्स के ऊपर।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दिल्ली ने अभी अपने बजट के अन्दर अंडर गारमेंटस के ऊपर 100 रुपए तक के अंडर गारमेंटस को सैल्स टैक्स से एगजम्प्ट कर दिया है, जो कि अनुचित है, जो नहीं कर सकते। क्योंकि हम जब बंगाल की शिकायत करते थे, तमिलनाडु की शिकायत करते थे, बंगाल ने उसको समाप्त कर दिया, तमिलनाडु ने उसको समाप्त कर दिया, लेकिन अब दिल्ली ने नये सिरे से फिर शुरू कर दिया, तो हमने इसका प्रोटेक्ट वहां दाखिल किया है।

इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अन्दर चुनाव हो रहे थे, उन्होंने वेजिटेबल घी के ऊपर, कहीं खल के ऊपर किया। हमने इन सारी चीजों के ऊपर अपना प्रोटेस्ट वहां दाखिल कर दिया है और उसका फैसला देखें क्या होता है। अगर उसका फैसला जल्द नहीं हुआ, तो मैं सदन को एक निवेदन करना चाहता हूं, इन कई आइटम्स के ऊपर राजस्थान भी बाध्य होगा कि वो अपने व्यापार के हित को ध्यान में रखते हुए, अपने राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए, यहां के व्यापारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हमको जो भी आवश्यक कदम भविष्य में उठाने पड़ेंगे मैं इसके बारे में निश्चित रूप से उठाऊंगा, मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्यों और सांचोर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने यहां पर स्टेनलैस स्टील की, जोधपुर के उद्योग की समस्या का जिक्र किया। यह बात सही है कि जोधपुर के अन्दर यह बड़ी फ्लेशिंग इण्डस्ट्री है वहां की, बहुत बड़ी तादाद के अन्दर वहां पर पाटे और पाटी, इनकी वहां पर स्टेनलैस स्टील का रोलिंग होता है और उस रा-मैटेरियल को इस्तेमाल करते हुए वहां पर बहुत बड़ी संख्या के अन्दर, आपको जानकर प्रसन्नता होगी, पिछले दो साल में स्टेनलैस स्टील के बर्तन बनाने के कारखाने वहां पर काफी बड़ी संख्या के अन्दर जोधपुर में लगे। लेकिन वो इंडस्ट्री एकाएक भारत सरकार की नीतियों के कारण, सी.एस.टी. के कारण वहां की इंडस्ट्री इस वक्त स्ट्रेस के अन्दर आ गई, परेशानी के अन्दर आ गई है। मुझसे वहां के लोग मिले भी थे, लेकिन क्योंकि वह बड़ा कांप्लीकेटेड मैटर है, इस मामले को मैं यहां पर सदन के अन्दर, उसकी क्या रूपरेखा होगी उसकी घोषणा करने में असमर्थ हूं, लेकिन मैं उन माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जोधपुर की इंडस्ट्री को सरकार पूरा बचाने की चेष्टा करेगी, वहां के मजदूर बेरोजगार न हो जाएं, क्योंकि हजारों मजदूर इस इंडस्ट्री के अन्दर वहां पर लगे हुए हैं। इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाएगा और इसके लिए जो भी आवश्यक नोटिफिकेशन इत्यादि होंगे वो शीघ्र हम इस बारे में जारी करेंगे।

विधेयक का पारण

मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि फाइनेंस बिल को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2002 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2002 पारित किया गया।

माननीय निर्माण मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002 विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक का जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा यह प्रस्ताव है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाए। उपाध्यक्षजी, बिल की भावना स्वागत योग्य है और हमारे यहां सड़कों का जो विकास हो रहा है उसमें यह बिल हमें साधन मुहैया कराने में मदद देगा इस हिसाब से इस बिल की भावना तो स्वागत योग्य है, लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो स्पष्ट भी नहीं हैं और मेरे ख्याल से उन पर विचार करना आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें क्लाज दो है उसमें यह बिल कहां-कहां लागू होगा, ये सब प्रोविजंस दिए हुए हैं, लेकिन- "But does not include a National Highway." नेशनल हाईवेज ही ऐसे स्थान हैं जहां से बी.ओ.टी. के माध्यम से सड़कें बनना, बाईपास बनना, पुलिया बनना और उस हिसाब से वहां इसकी ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन नेशनल हाईवेज को इस बिल में से अलग क्यों किया गया है यह समझने की आवश्यकता है, मेरे तो समझ में आया नहीं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर ही इस बी.ओ.टी. के माध्यम से निर्माण कार्य जो आवश्यक हैं वो हो सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, क्लाज चार है वो बहुत खतरनाक है :-

"The State Government may, by notification in the official Gazette, levy fees, at such rates as may be prescribed, for services or benefits rendered in relation to the use of roads or any section there of developed after the commencement of this Act,"

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय उपाध्यक्षजी, दो तरह से रोडस का डवलपमैंट होगा। एक बी.ओ.टी. के माध्यम से और दूसरा होगा सरकार के रेगुलर बजट से। इसमें जो डपवलपमैंट की डेफिनेशन दी गई है उसको और इसको साथ पढ़ने से यह बड़ा कंफ्यूजन है कि ये जितनी भी रोडस बी.ओ.टी. के माध्यम से बनाएंगे उसमें तो आप टैक्स उसका यूज करने के लिए लगाओगे, लेकिन क्या इस बिल की मंशा यह है कि सरकारी पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से अलग सोर्स से बनने वाली जो सड़कें हैं उन पर भी यह टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। यदि उन पर यह टैक्स लगता है, तो बहुत बड़ी हार्डशिप होगी। पहले ही हम रोड टैक्स ले रहे हैं और इस तरह से पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से जो सड़कें बनेंगी बी.ओ.टी. का उसमें कोई लेन–देन नहीं है। उन सड़कों को मेरे ख्याल से इसमें एक्सक्लूड करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय का मन क्या है और वो इसमें क्या सोचते हैं, यदि पूरी सड़कें जो भी बनेंगी सब पर टैक्स लेने का उनका मन है, तो मैं इसका विरोध करता हूं और यदि इसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो फिर इसके अकोर्डिंगली इनको अमेडमेंट उसमें लाना पड़ेगा। इसलिए यह बात भी माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि इसमें वो क्या प्रावधान रखते हैं।

इसके बाद में एक प्रोविजन, माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें दिया है कि सरकार कोई इन्वाइट करे कि इसमें बी.ओ.टी. में कौन–कौन आना चाहते हैं, कौन काम करना चाहते हैं, कौन सड़क बनाना चाहते हैं वो एक प्रोविजन है। इन्होंने प्रोविजन यह रख दिया कि अपनी तरफ से भी कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं बी.ओ.टी. के माध्यम से सड़क बनाना चाहता हूं उसके हिसाब से भी सरकार ने इन्वाइट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके केस को कंसीडर किया जाएगा, ओपन टेण्डर इन्वाइट होंगे, लेकिन कंसीडरेशन के वक्त पर उस आदमी को प्रिफरेंस दिया जाएगा। पहले जो सरकार इन्वाइट करती है तो उसमें सब पावर रहते हैं, लेकिन इस प्रोसिजर में जो भी गवर्नमेंट के ध्यान में लाया है कि मैं करना चाहता हूं, उस व्यक्ति को विशेष प्रिफरेंस दिया जाएगा, यह इसमें प्रावधान है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, तीसरा इसमें पैनल्टी रखी है और पैनल्टी का जो क्लाज है उसमें है कि कोई भी वायलेशन करता है, अवाइड करता है टैक्स अवोइड के रास्ते अपनाता है, तो उसको कम से कम एक हजार रुपया जुर्माना देना पड़ेगा और कम से कम तीन महीने की उसको सजा होगी। मेरे ख्याल से यह प्रोविजन बहुत हार्ड है। यह सब गांवों में चलेंगे, गाड़ी वाला उस पर निकल जाएगा, वहां कोई टैक्स की चौकी नहीं है और निकल गया

(श्री शिवनाथ सिंह)

तो उसको यह कह दिया, इल्जाम लग जाएगा कि इसमें तो आपने अवोइड किया है, टैक्स को अवोइड करने की चेष्टा की है, इसलिए आपके ऊपर कम से कम एक हजार रुपया फाइन और तीन महीने की सजा आपको होगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, ये कुछ ही प्रोविजंस हैं जिनकी तरफ ध्यान दिलाने का मेरा मकसद था। अब माननीय मंत्री महोदय इन बातों का किस तरह से खुलासा करते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क (अनुपस्थित) श्री मोहन मोदी (अनुपस्थित) श्री मांगीलाल डागा।

श्री मांगीलाल डागा (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का राजस्थान की सड़कों के विकास में वाणिज्यिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर और वैधानिक आधार पर एक अलग से महत्व है। वैसे हमारी सड़कों के विकास में निजी विनियोग आए, सहभागिता बढ़े और विकास में योगदान मिले इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तो मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु जिस तरह से विधेयक को पेश किया गया है और इसके प्रावधानों पर हम नजर डालें, तो राज्य में कोई भी कानून बने वह जनहित में हो, जनता की विश्वसनीयता का हो, जनता की भावनाओं के अनुकूल हो और उसके जो प्रावधान हैं विस्तृत और आधारभूत बिन्दु उसमें समाहित हों, इस विधेयक में इन बातों का समावेश नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस विधेयक की परिभाषाओं पर हम विचार करें, तो सबसे पहले जहां विकास के लिए विकास शब्द को परिभाषित किया गया है वहां यह संदेहजनक है कि राजस्थान में सड़कों का विकास सरकार के द्वारा भी किया जाएगा, कारपोरेशन, कम्पनीज और व्यक्तियों की सहभागिता इस अधिनियम के माध्यम से बनाकर भी करने की सरकार मंशा रखती है, तो इसमें कहीं यह विस्तृत नहीं किया गया है कि जो कर वसूल किए जाएंगे, सिर्फ इस तरह की बी.ओ.टी. रोड्स पर ही वसूल किए जाएंगे। यह मुझे भी संशय है वास्तव में कि क्या सरकार आने वाले समय में जो आज हमारे योजनागत मद में जो सड़कें विकास करके बनायी जा रही हैं वहां भी क्या सरकार कर वसूल करने की मंशा रखती है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय जब अपना उत्तर प्रस्तुत करें तो इसकी विस्तृत हमें जानकारी कराएं।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्ति का स्वरूप दो रूप से होता है। एक तो वह

(श्री मांगीलाल डागा)

व्यक्ति जो जन्म लेकर व्यक्ति है। दूसरा वैधानिक व्यक्ति जो किसी न किसी अधिनियम के माध्यम से उसके रजिस्ट्रेशन से उसको व्यक्ति का स्वरूप मिलता है, निकाय का रूप मिलता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यहां मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विधेयक में जो व्यक्ति की परिभाषा दी है, फर्म के लिए चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या व्यक्तियों का कोई संगम चाहे वह निगमित हो या नहीं हो, तात्पर्य यह है कि 10 व्यक्ति मिलकर कम्पनी बना लेंगे तो उसको कम्पनी की वैधानिकता इस एक्ट से मिल जाएगी, इस विधेयक के पास होने से जो कानून बनेगा उसको वैधानिकता मिल जाएगी। कम्पनी अधिनियम के अधीन परिभाषित कम्पनी एक तरफ तो उसकी वैधानिकता उसकी परिभाषा पूरे देश में ही नहीं, विश्व में परिभाषित है, उन साबित परिभाषाओं को यह अधिनियम विलोपित करेगा और उनसे यह बिलकुल विरोधाभास रहेगा तो यह भ्रांति पैदा होगी, इससे नये-नये विवाद पैदा हो जाएंगे और दूसरा कि एक वैधानिक प्रक्रिया है उसमें भी यह विधेयक आगे आकर दिक्कत पैदा करेगा।

महोदय, जिस तरह से विधेयक को लाने का उद्देश्य है कि राज्य में बी.ओ.टी. के माध्यम से सड़कों का विकास हो, साथ-साथ ही इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विनियोजन का जहां प्रश्न आता है, उसमें सबसे पहले विनियोजन करने वाले विनियोजकों का और साथ ही जनता की विश्वसनीयता पैदा होना अत्यन्त आवश्यक है। जिस तरह से इस सरकार द्वारा सड़कों के विकास के लिए करार करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार आज किसी भी व्यक्ति के साथ करार कर सकती है, एक एग्रीमेंट कर सकती है, शर्तें निर्धारित कर सकती है फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस विधेयक को लाने का क्या औचित्य है और इस विधेयक को लाकर किस तरह की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। एक तरफ ऐसे व्यक्ति इसमें आएंगे जिनका कोई भी विधिक समूह के रूप में व्यक्ति का रूप लेकर आएंगे, कोई भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से उनको अलग कर दिया जाएगा। आगे दूसरी कोई भी ऐसी कम्पनियां जो कि विधिक स्वरूप को बिना प्राप्त किए हुए आएंगी, तो मैं समझता हूं उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा इसलिए इसके ऊपर अंकुश लगाया जाना नितान्त आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिन्दु पर भी मुझे जो भ्रांतियां हैं, स्पष्ट करना चाहूंगा कि सड़कें जो भी बनेंगी, वह राज्य में निहित होंगी, राज्य को उसका मालिकाना अधिकार होगा और बी.ओ.टी. की जो सड़कों का निर्माण

(श्री मांगीलाल डागा)

होगा, वह सड़कें जब राज्य को वापस हस्तान्तरित करेंगे उस दिन उन सड़कों की क्या स्थिति रहेगी, किस रूप में सड़कें वापस राज्य को सौंपी जाएंगी, क्या इसमें ऐसे चतुर और चालाक व्यक्ति आ जाएंगे और अपना पैसा वसूल करने और जनता से भारी राशि वसूल करने के बाद राज्य को सड़कें उस रूप में सौंपें कि उन सड़कों को हम देखें, तो उनका सड़कों के रूप में रूप ही नहीं हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरफ इसमें बी.ओ.टी. की सड़कों का क्या मापदण्ड होगा, किस आधार पर इससे टैक्सेस वसूल किए जाएंगे। इस तरह का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही जब स्वयं व्यक्ति या कम्पनी प्रस्ताव लेकर आएगी तो उसकी प्राथमिकता रहेगी। जब सरकार ही यदि किसी प्रस्ताव को इन्वाइट करती है, उस पर तो समान दर रहेगी और कम्पनी जिसका प्रस्ताव लेकर आएगी तो उसको प्राथमिकता देगी। इसके पीछे क्या आधार है? इन बातों का भी इस विधेयक में समावेश होना बहुत ही आवश्यक है।

दूसरा, यह सड़कें, नेशनल हाई-वे को तो अलग कर दिया गया है, छोटे-छोटे गांवों में बी.ओ.टी. की सड़कें बनेंगी। उन सड़कों पर चलने वाले, उन सड़कों का उपयोग करने वाले हमारे गरीब, ग्रामीण, किसान रहेंगे और वह इस कानून के इतने अनभिज्ञ रहेंगे। तीन साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना का जो प्रावधान किया है, यह ग्रामीण जनता के लिए बहुत ही बड़ा आगे जाकर व्यवधान का विषय बन जाएगा।

दूसरा, इसमें जो कम्पनी और फर्मों के बारे में जो विस्तृत परिभाषाएं दी हैं वह बड़ी भ्रामक हैं और साथ ही जब कम्पनी के लिए एक तरफ तो यह इसमें प्रावधान कर दिया कि एक फर्म हो, कम्पनी हो, किसी के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं। दूसरा, कम्पनी के लिए यह इसमें व्यवस्था की गई है कि कम्पनी यदि किसी भी आरोप या उसकी किसी भी गलती के लिए, किसी प्रकार की उसकी वैधानिक कार्यवाही करनी होगी, तो कम्पनी जिसको अधिकृत करेगी वह व्यक्ति जिम्मेदार होगा। हां, यह प्रावधान ठीक है, परन्तु जब आपने दूसरी तरफ कम्पनी के रूप को ही इस विधेयक के मार्फत बदल दिया, तो उस वैधानिक जो परिभाषा कम्पनी की है उसके लिए क्या उसका औचित्य रहेगा। अतः मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिए तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान राज्य देश का सबसे बड़ा प्रान्त है और यहां पर करीब 85 हजार सड़कें बी.ओ.टी. की हैं। इसमें नेशनल हाई–वे भी है, स्टेट हाई–वे भी हैं, एम.डी.आर. भी हैं और राष्ट्रीय औसत से जितनी सड़कें राजस्थान में होनी चाहिए, राष्ट्रीय औसत से कम से कम आज एक लाख सड़कें राजस्थान में कम पड़ रही हैं। किसी भी सरकार के लिए अब संभव नहीं है कि सरकार के भरोसे पूरे के पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम गवर्नमेंट खुद कर सके, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इस बात की इम्पोर्टेंस अपन सब जानते हैं कि जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमैंट इन्फ्रास्ट्रक्चर में नहीं आएगा तब तक जिस अनुपात में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहते हैं, कर नहीं सकेंगे।

यह बी.ओ.टी. के सम्बन्ध में जो आज चर्चा हो रही है और बिल लेकर आए है इसका बैक ग्राउंड ऐसा है। उपाध्यक्ष महोदय, 1994 के अन्दर एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के तहत उस वक्त एक आर्डर निकला था और उस वक्त करीब 6-7 साल के अन्दर 6 प्रोजेक्ट टोटली राजस्थान सरकार के माध्यम से आए थे और आज मुझे यह कहते हुए खुशी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि 12 प्रतिशत प्रोजेक्टस तो ऐसे हैं अपने राजस्थान के अन्दर जिन पर काम चल रहा है वह करीब 105 करोड़ रुपए के हैं, 10 प्रोजेक्टस उपाध्यक्ष महोदय, 62 करोड़ के ऐसे हैं जिन पर काम पूरा हो गया है, 18 प्रोजेक्टस ऐसे हैं जिनकी एन.आई.टीज. इश्यू हो चुकी हैं और इनकी लागत करीब 750 करोड़ रुपए है।

इससे यह साबित होता है कि राजस्थान के अन्दर जो इन्वेस्टमेंट का वातावरण है यह बहुत ही अच्छा है। बहुत से लोग बाहर से आकर यहां पैसा लगाना चाहते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्दर राजस्थान के विकास के अन्दर भागीदारी लेना चाहते हैं और जो मुख्य बिन्दु, पिछली पालिसी में जो कमियां थीं वे इस बिल के माध्यम से दूर करने का प्रयास और कोशिश की गयी है। सबसे बड़ी कमी जो पिछली 1994 में पालिसी में आयी थी उसकी यह थी कि उस पालिसी को न तो कैबिनेट ने एप्रूव किया था और न ही विधानसभा से एप्रूवल था। इसलिए जो भी इन्वेस्टर्स यहां आते हैं उनको इस चीज का हमेशा भय लगा रहता है कि अपनी मनमर्जी से काम शुरू होने के बाद भी जब चाहे गवर्नमेंट उसके अन्दर संशोधन ला सकती है और इस भय के वातावरण से वे यहां पैसा लगाने में हिचकते हैं। इसलिए इस एक्ट के फोरम में आज विधान सभा के एप्रूवल के लिए यहां पर लाए हैं ताकि यहां पर जो पैसा लगाना चाहते हैं उन लोगों के सामने एक बहुत ही क्लियरकट पालिसी डाकुमेंट हो और क्या हो सकता है, कैसे होगा उस सब का मामला एक सही ढंग से लोगों के सामने जा सके।

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

दूसरा मामला टैक्स लेने का अधिकार सिर्फ ओवरीन साबरीन अथोरिटी का है। टोल टैक्स का यह जो मामला है इसलिए इस वर्ड टैक्स को चैंज करके हम लोगों ने यूजर फीस का नाम यूज किया है और यूजर फीस बी.ओ.टी. पद्धति के तहत जो भी एंटरप्रिन्योर पैसा लगाएगा उसको यूजर फीस लेने का पूरा अधिकार होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो ट्रेफिक सेंसस निकलता है। पिछली पालिसी थी उसके अन्दर नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर और एम.डी.आर. पर एक ही तरह का ट्रेफिक सेंसस था और एक ही तरह का ट्रेफिक का इन्क्रीज हर साल् बताते थे। हम लोगों ने नेशनल हाईवे जो पूरे देश में ट्रेफिक का सेंसस किया है। उस सेंसस को अलग-अलग रोड का अलग-अलग ट्रेफिक सेंसस निकालकर के नेशनल हाईवे पर 7.5 प्रतिशत, स्टेट हाईवे पर 6 प्रतिशत और एम.डी.आर. पर 5 प्रतिशत ट्रेफिक सेंसस हर साल इंक्रीज किया है। उपाध्यक्ष महोदय, पुराने जो भी एक्ट रहे हैं इस बी.ओ.टी. के अन्दर, किसी भी एंटरप्रिन्योर के लिए उसका प्रोफिट के लिए कोई स्कोप नहीं था। जो पुरानी पालिसीज हैं उनके अन्दर जो एंटरप्रिन्योर पैसा लगाता है चाहे वह सड़क हो या पुल हो, वह सिर्फ उसके ऊपर पैसे का जो ब्याज है वह ही ले सकता है, प्रोफिट का एलीमेंट उसके अन्दर पोसिबल नहीं था और हम पहली बार इस बिल के माध्यम से एक प्रोफिट का एलीमेंट भी इसके अन्दर लेकर के आए हैं ताकि जो कानूनी डेफिनेशन है टैक्स की उसको चैंज करके यूजर फी के रूप में लेकर आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो इस बी.ओ.टी. के अन्दर पुल और सड़कें बनती हैं उनका रेगुलर मेंटिनेंस करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस बिल के माध्यम से पांच साल के अन्दर कम से कम डेढ़ पर्सेंट जो लागत है पूरे प्रोजेक्ट के कोस्ट की उसको मेंटीनेंस के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। 6 से 10 साल तक के जो प्रोजेक्टस हैं उन पर कम से कम दो प्रतिशत जो पूरा कंस्ट्रक्शन कोस्ट है उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा और 11 साल से ज्यादा के प्रोजेक्ट हैं उनको ढाई प्रतिशत कोस्ट का करना पड़ेगा, जो पहले के रूल्स में नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, कई बार यह भी देखने में आता है कि प्रोजेक्ट लेने के बाद में उसके अन्दर काफी चैंजेज करने पड़ते हैं और जो चैंजेज करने पड़ते हैं उनको बदलने के लिए पिछली पालिसी में कोई प्रावधान नहीं था और अब यह तय किया कि अगर पूरे प्रोजेक्ट के 10 प्रतिशत तक अगर उसमें कोई चैंज होता है, जो उसी एंटरप्रिन्योर से बात करके, नेगोशिएट करके...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : एम.एल.एज. को तो माफ करोगे इसमें?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : वह तो बाद में है, जरा एक्ट की मूल बात तो बता दूं। अगर 10 प्रतिशत तक चैंज है तो एंटरप्रिन्योर से बात करके उसके कंसेशन पीरियड में ऊंचा-नीचा करके उसको सैट कर सकते हैं। अगर 10 से 50 प्रतिशत में अगर चैंज होता है, तो उसके अन्दर शार्ट-टर्म टैण्डर बुलाकर के आपस में नेगोशिएट करके उनको सैट कर सकते हैं और 50 प्रतिशत से ज्यादा अगर उसमें चैंज होता है, तो उसको कैन्सिल करके नये ढंग से वापस करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो टोल टैक्स हम वसूल करते हैं उसका गजट नोटिफिकेशन पहले से हुआ हुआ है। 2007 के बाद हर दो साल के बाद 10 प्रतिशत टोल इंक्रीज होगा, ये सब प्रावधान पहले जो पालिसी थी, उसके अन्दर कुछ भी नहीं था और जो भी इन्वेस्टर्स अपने यहां पर आते थे उनको हमेशा उनके सामने एक बहुत ही कन्फ्यूजन सा रहता था। इस वजह से हमने सोचा कि इसके अन्दर हम लोग नया एक्ट लाकर सारे प्रावधान उसके अन्दर आएं ताकि जो भी लोग राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना चाहते हैं उनके सामने एक पिक्चर साफ हो...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता लेकिन जितना आप फरमा रहे हैं उसका एक प्रतिशत भी इसमें तो है नहीं।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : किसमें नहीं है?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इस बिल में जो आप फरमा रहे हैं वह नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उससे आप सहमत नहीं होते यदि यह जो बता रहे हैं वह सारी बातें बिल में होती तो। आप सब लोग सहमत नहीं होते।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : वह किताब अलग छपवाई गई है इन वाली।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनाथ सिंहजी, मांगीलाल जी डागा ने कुछ मुद्दे आपके माध्यम से यहां पर रखे हैं। पहली बात तो मैं शिवनाथ सिंहजी को यह पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि टोल सिर्फ उन्हीं रोडस पर लगेगा जो बी.ओ.टी. के माध्यम से आएंगी। जो गवर्नमेंट के प्लान से, पैसे से सड़कें बनेंगी उनके ऊपर टोल लगाने का प्रावधान इस वक्त नहीं है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : एम.एल.एज. से हरियाणा वाले नहीं ले रहे हैं और हमारे राजस्थान में टोल टैक्स लिया जा रहा है एम.एल.एज. से।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : उसकी बात करेंगे न।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्रीजी, यह जो क्लाज 4 है वह आज के दिन जैसा है वैसा रहे तो सब सड़कों पर लगेगा चाहे कोई प्राइवेट करो चाहे, विधायक कोष से बनो और चाहे गवर्नमेंट से बनो।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : नहीं-नहीं।

श्री शिवनाथ सिंह : क्लाज 4 इटसैल्फ है न, यदि आप इसको सिर्फ उन पर लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक-दो लाइन का या 2-3 सेंटेंस कि इसमें लागू नहीं होगा, संशोधन कर दें आप। कोई दिक्कत नहीं है वरना तो यह लागू होगा।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : ठीक है। इसमें जैसा सुझाव आपने दिया उस हिसाब से प्रावधान कर देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मांगीलाल जी डागा ने, शिवनाथ सिंहजी ने, दोनों ने एक बात जो सदन में रखी, मैंने आपसे निवेदन किया कि इसमें सिर्फ जो बी.ओ.टी. के तहत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से सड़कें और पुल बनेंगे उन पर ही टोल लगेगा। जो प्लान से...

श्री शिवनाथ सिंह : यह इतना ही एक लाइन जोड़ दीजिए कि यह प्रावधान है वह बी.ओ.टी. के रोडस पर ही लगेंगे, सब मामला साफ हो जाएगा इसमें दिक्कत नहीं होगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रधान मंत्री सड़क योजना के अलावा आपके पास पैसा ही कहां है? 600 करोड़ रुपया प्रधान मंत्री सड़क योजना से आया है। आपके पास पैसा कहां है जो आप सड़क बनाएंगे?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : नहीं, सब पर नहीं लगेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जिस पर नहीं लगे वह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कामन बात आयी थी कि इसमें भी एंटरप्रिन्योर डिपार्टमेंट के सामने विचाराधीन नहीं है या जिसको नालेज डिपार्टमेंट को नहीं है, अगर कोई प्रोजेक्ट ढूंढकर लाता है, तो उस प्रोजेक्ट को उसको मिलने में प्रायोरिटी मिलेगी। इसका बैक ग्राउंड ऐसा है कि टैण्डर से तो सब जाएंगे, प्रोजेक्ट के अन्दर टैण्डर भी होंगे और उसमें जो लोएस्ट टैण्डर होगा उसके ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी जो प्रोजक्ट लेकर आएगा उसको मिलेगी। तो मैं समझता हूं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम तो यह बात तो समझ गये, हम तो आपसे यह पूछ रहे हैं कि आप यह हमें बता दीजिए...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपको बोलने देंगे। आप बोलेंगे तो पहले जवाब आने दो।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : एम.एल.एज. की जीप का टैक्स ले रहे हैं। 10-10 रुपए लेते हैं यह देख लो। टोल टैक्स ले रहे हैं ये...

श्री संजीव कुमार : ...ये एम.एल.एज. से टोल टैक्स लेने की बात कर रहे हैं, एम.एल.एज. से टोल टैक्स ले रहे हैं उसकी बात करते हैं इनको तो करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीलाल जी। बोलने की बात नहीं है। माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री देवीलाल बैरवा : सड़कों का सब काम तो आप समझ रहे हैं पर मेरी एक बात और है कि सड़कों के ऊपर नाजायज कब्जे करके पत्थर गाढ़कर कर रखे हैं और पत्थर की दीवार बना रहे हैं जिससे आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत है। इधर से गाड़ी आती है और उधर से गाड़ी आ जाए, तो दो गाड़ी निकल नहीं सकती। इसलिए सड़कों पर जो अतिक्रमण हैं उनको हटाने की कार्यवाही भी करो और एम.एल.एज. से टोल टैक्स माफ करो।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, स्विस एप्रोच में भी जिसको प्रोजेक्ट मिलेगा उसको भी ओपन टैण्डर से जो सबसे लोएस्ट आएगा उसी में सब में लोएस्ट रेट पर प्रायोरिटी दी जाएगी और उसको अगर वह लेना चाहते हैं, तो उसको दे पाएंगे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मांगीलालजी ने यह कहा कि जब उसका कांट्रेक्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद जब वह सड़क वापस गवर्नमेंट को हैण्डओवर करेगा तो उस रोड की उस वक्त कंडीशन क्या होगी, इन सब प्रोजेक्ट की मानीटरिंग करने के लिए एक स्टेयरिंग कमेटी बनायी है जिसके अन्दर कलक्टर का भी प्रतिनिधि होगा, डिपार्टमेंट का भी प्रतिनिधि होगा और उस एंटरप्रिन्योर का भी होगा। 6 महीने पहले पूरी रोड को इन्स्पैक्ट करेंगे और जो भी कमियां हैं डिपार्टमेंट उस एंटरप्रिन्योर को बताएगा और वह एंटरप्रिन्योर हैंडओवर करने से पहले वह ठीक कराएगा अगर वह ठीक नहीं कराता है

(16.00 बजे)

तो उसके पास, सरकार के पास परफोर्मेंस गारंटी या अर्नेस्ट मनी पड़ी है उससे ठीक कराया जाएगा और नहीं तो किसी प्राइवेट पार्टी से कराकर उसकी कोस्ट पर कराया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि उसके अन्दर कोई समस्या आने वाली नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बी.ओ.टी. के प्रोजेक्टस तो सिर्फ वहीं हो सकते हैं जहां पर हैवी ट्रेफिक हो। जैसा मांगीलाल जी ने कहा, छोटे गांवों के माध्यम से रोड्स जाएगी और वहां गांव वालों को टैक्स देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वहां पर बी.ओ.टी. प्रोजेक्टस वाइबल नहीं होंगे। बी.ओ.टी. प्रोजेक्टस वाइबल वहां है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर हैवी ट्रेफिक है। इसलिए मैं समझता

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

हूं कि गांव वाले को, हर गांव तक रोड जहां टैक्स लगे, पहुंचना आवश्यक नहीं होगा। यही सब बातें थीं, उपाध्यक्ष महोदय, जो आपके समक्ष मैंने पेश की हैं और मुझे आपके माध्यम से...

श्री जनार्दन गहलोत : मंत्री महोदय, ऐसा है, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य और बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह तो आप कम से कम एम.एल.ए. और एम.पीज. से, उन लोगों से तो वसूल नहीं हो। एम.एल.ए. के पास तो कार्ड होता है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय सदस्य, बोलने देंगे आपको। यह तो संशोधन था। आप बिराजिए। आपको बोलने देंगे। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, जरा सुन तो लीजिए। ये जबरदस्ती रसीद काट रहे हैं, ये देखिए आप।

श्री जनार्दन गहलोत : एम.एल.ए. का तो आप कुछ करो। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : यह पाबन्द कराओ साहब। साहब, जगह-जगह रोक लेते हैं। हर जगह खड़े हो जाते हैं टोल टैक्स वाले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। (व्यवधान) माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी, श्री मांगीलाल डागा, अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : बिलकुल न ले रहे हैं, साहब हमारी बात सुनकर।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वापस लेना पड़ेगा, वह ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सब्जैक्ट नहीं है। आप संशोधन वापस ले रहे हैं क्या? बिराजो न तो।

श्री मांगीलाल डागा : ले रहे हैं न साहब।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं संशोधन वापस लेने के लिए इजाजत चाह रहा हूं आपसे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के सम्बन्ध में जो संशोधन शिवनाथ सिंहजी, श्री मांगीलाल जी डागा ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री मांगीलाल डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002 को पारित किया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप यह बताएं कि इसमें एम.एल.ए. एगजम्टेड होंगे या नहीं? आज हमारा कितना समय बर्बाद हो रहा है, पूरे राजस्थान में घूमते हैं, हर जगह रोक-रोक कर हमसे वहां पर पैसा लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। बिराजिए प्लीज। माननीय माहिर आजादजी, बिराजिए न।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय मंत्रीजी, आप बोलें, उसका जवाब तो दीजिए। वह एम.एल.ए. का क्या करोगे? (व्यवधान) एम.एल.ए. की आप घोषणा कर दो यहां पर। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए. के लिए कुछ तो बोलने दो। (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसी माननीय सदस्यों की भावना है, उसके अनुकूल मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, एम.एल.एज. को यूजर्स फीस से मुक्त रखा जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यूजर्स...

मोहम्मद माहिर आजाद : यूजर्स फीस से।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (पशुपालन राज्य मंत्री) : विचारार्थ का प्रस्ताव कहां आया उपाध्यक्ष महोदय? विचारार्थ का प्रस्ताव ही नहीं आया आपके सामने।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। विचारार्थ का प्रस्ताव आ गया। प्रस्ताव आ गया न।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पारित का आया है प्रस्ताव तो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पारित करने के लिए कहा है। मंत्रीजी ने तो सीधा पारित करने के लिए प्रस्ताव किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। प्रस्ताव आ गया। बिराजें थोड़ा।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले विचारार्थ रखा जाए। पास करने का बाद में।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव किया ही नहीं। पास कराया जा रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : न न न, सीधा पारित करने का रखा है उन्होंने तो।

श्री हरेन्द्र सिंह मिर्धा : वह तो कर दिया था मैंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, पहले विचारार्थ का किया है।

खण्डश: विचार

श्री उपाध्यक्ष : खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 10, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 तक स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 10 स्वीकार किए गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नामादि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकृत किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किए गए।

श्री हरेन्द्रजी मिर्धा प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सड़क विकास विधेयक को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री हरेन्द्र मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सड़क विकास विधेयक, 2002 को पारित करने के लिए मंत्री महोदय ने प्रस्ताव किया है और मंत्री महोदय ने जिस तरह से अभी स्पष्टीकरण दिया है, इस सड़क को यूज करेगा। बी.ओ.टी. की बात तो अलग है, जो उस सड़क को यूज करेगा उनसे यूजर्स चार्ज लेंगे। राजस्थान सरकार पीने के लिए पानी होगा, उसका यूजर्स चार्ज लेगी। हर चीज, मेडिकल फेसेलिटी को कोई यूज करेगा, तो उसका यूजर्स चार्ज होगा। तो तमाम, क्या सरकार इस पर भी आ रही है कि जो हवा का यूज करेगा, उसको भी चार्ज देना पड़ेगा?

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार के पास जहां सड़क की मरम्मत करने के लिए यह जो अभी सड़क सुधार का 600 करोड़ रुपया रखा है, उसके बाद भी तीन चौथाई सड़कें आज भी राजस्थान में चलने लायक नहीं हैं। आज हम केवल यह कह दें कि वह पैसे वाले आएंगे और पहली बार होगा यह

(श्री अमराराम)

विधेयक राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में, शायद पूरे के पूरे इतिहास में, वह जो पूरे के पूरे कांट्रेक्टर्स हैं, कम्पनीज हैं, उनके लिए बहुत बड़े लाभ का इसमें प्रोविजन किया गया है। क्या सरकार केवल प्रमोटर कम्पनी को मुनाफा के लिए बनी है? क्या सरकार की पांच करोड़ की जनता की सुविधाओं के लिए सरकार बनी या जो कम्पनीज हैं, उनके मुनाफे के लिए सरकार बनी है?

उपाध्यक्ष महोदय, आलरेडी जो प्रोजेक्ट बनाकर देंगे, ''पहले आओ पहले पाओ'', खान भी कोई खोजकर आएगा इस सरकार में पहले पा लेगा। कोई प्रोजेक्ट लेकर आएगा सड़क का वह भी इसमें पहले पा लेगा। मतलब जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वह राजस्थान की जनता को लूटने के लिए इस सड़क विकास विधेयक के माध्यम से, राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता से विकास का नाम लेकर आई है। खड़कों के खड्डों को भरने का भाषण देकर आई हैं। सवा तीन साल होने के बाद में भी वह खड्डे आज तक नहीं बूरे गये। आज राजस्थान में उन डामर की सड़कों पर जो मंत्री जी कह रहे हैं, उनसे कच्चे पर चलना ज्यादा पसन्द करते हैं। आज राजस्थान की सड़कें, सिवाय नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को छोड़ दीजिए चाहे एम.डी.आर. हो, चाहे ग्रामीण सम्पर्क सड़कें हो, तमाम की हालत इतनी दयनीय है कि उन सड़कों की बजाय कच्चे पर चलना ज्यादा पसन्द करते हैं।

इसलिए मेरा तो इस विधेयक के माध्यम से यही कहना है कि राजस्थान की सरकार जो जनता के साथ वादा करके आई है, उससे वादा खिलाफी का काम इस विधेयक के माध्यम से करना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्रा जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, सवा तीन साल तक तो राजस्थान की सड़कें ऐसी हालत में रही जैसा धोद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कच्चे पर चलना ज्यादा बेहतर था और आपने हमको तो 50 किलोमीटर ही दी है, हालांकि कांग्रेस वालों को 60 किलोमीटर दी है, मुझे तो 50 ही दी है एक साल में...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत बात है। ऐसा है, आपको 50 मिली है, हमको तो 40 किलोमीटर ही मिली है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमें 70 दी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या बात हुई, मैं अपनी बात कह रही हूं। (व्यवधान) मैं सही कह रही हूं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : वह 40 ही मिली नहीं है अभी तक, अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं। (व्यवधान) 40 में से एक सड़क का काम नहीं हुआ है, आधा किलोमीटर सड़क का भी काम नहीं हुआ।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : आप कांग्रेस में आ जाओ वापस। आप वापस कांग्रेस में आ जाओ, आपको सब सड़कें मिल जाएंगी।

श्री जनार्दन गहलोत : आप गलत कह रहे हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : डूबती नैया में कौन सवारी करे भैया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज, बोलने दीजिए इनको, बोलने दीजिए, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ कह रही हूं, मुझे एक साल के लिए 50 किलोमीटर की फर्स्ट फेज में और सैकण्ड फेज में फिर 50 किलोमीटर दी गई है...रुपए का सवाल नहीं है। (व्यवधान) रुपया तो एक किलोमीटर में समान ही लगता है।

एक माननीय सदस्य : लेंथ का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री जनार्दन गहलोत : यह तो ज्यादा मिल गई, हमको तो 40 ही मिली है। आपको ज्यादा मिल गई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 50 किलोमीटर ही दी है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : 50 आई है, किसी को 60 आई है। निर्धारित राशि है...

श्री हरेन्द्र मिर्धा : सुमित्राजी, उसमें 50 किलोमीटर दी होगी तो कोई डेढ़ करोड़ से ज्यादा कांस्टीटयूएंसी में खर्चा नहीं होता। जहां पर सड़क पर खर्चा ज्यादा होगा, तो उसमें कुछ किलोमीटर कम भी हो सकती है, सड़क कम भी हो सकती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलने दो न। आप बोलने दो न। ये बोल रहे हैं, उसके बाद में बोल लेना न। यह समाप्त नहीं हुआ न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बोल तो दूं, मैं मेरी बात समाप्त तो कर दूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको टोका टोकी कर रहे हैं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : टोका टोकी आप भी कर रहे हैं, दोनों बराबर कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर रही थी, हमें तो 50 किलोमीटर का ही कहा गया है और अब तक उनमें से दो सड़क बनी है। खैर ठीक है, मंत्रीजी खुद

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

स्वयं आपने जो कुछ यहां पर अपना वक्तव्य दिया या भाषण दिया, मैं स्वयं उससे दिग्भ्रमित हूं। मतलब मेरे दिमाग में स्पष्ट नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ कि आपने केवल बी.ओ.टी. के आधार पर सड़कें बनाने का काम प्रारम्भ करने का फैसला किया है...

श्री हरेन्द्र मिर्धा : सारी सड़कें नहीं मैडम, कुछ सड़कें जो बी.ओ.टी. के तहत आ सकती हैं, सिर्फ उनको ही लेंगे। सारी सड़क थोड़े बनाएंगे बी.ओ.टी. में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सारी, तो ऐसा है, जो 600 करोड़ रुपया पी.एम.जी. एस.वाई. में आया है, वह तो आप दे नहीं सकते किसी को, वह तो आपको बनानी पड़ेगी और यदि आपने यही फैसला किया है, आपको सारी सड़कें बी.ओ.टी. के आधार पर बनानी है, तो फिर इस विभाग में मितव्ययता के नाम पर, वैसे भी फाइनेंस स्क्रिपजेंसी चल रही है, तब इस विभाग का कर्मचारी को कम करिए न। इस विभाग को बन्द करिए क्योंकि फिर ये क्या करेंगे? यह क्या बात हुई? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप बिराजिए, बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन लोगों को क्या मतलब है? हम लोगों को बोलने भी नहीं देना चाहते हैं। सारा विपक्ष तो वैसे ही सदन की कार्यवाही का बष्किार करे बैठा है। हम जो 2-4 बचे हैं यहां पर हमें अपनी बात तो कह लेने दीजिए आप। कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है बीच में।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : 50 किलोमीटर आपके जैसे बन रही है? आप कह रही हैं कि सारी सड़कें बी.ओ.टी. में दे रहे हैं। यह गलत बयान क्यों कर रही हैं आप? यही तो कह रहे हैं आपसे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, प्लीज। आप बिराजों न। इनको बोलने दो। आपको तकलीफ हो रही है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तकलीफ ही है इन लोगों को।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो इनको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो मैं निवेदन कर रही थी कि एक तो बिजली ही काफी थी, इसलिए कि मैं आपकी शुभचिंतक हूं, आपको यह मानना चाहिए। बहुत लम्बे समय तक कांग्रेस में रही हूं। मैं कांग्रेस की शुभचितंक हूं। यह बिजली ही आपको काफी अलोकप्रिय बना रही थी और अब आप यह नया

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

काम करके क्या चाहते हो, लोग यह कहेंगे कि हर चीज का पैसा देना पड़ता है, पानी का पैसा, बिजली का पैसा सड़क पर चलने का भी पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि यूजर्स फीस आपने जो लगा दी है वह तो देना पड़ेगा। एक तो आप स्वयं इस बारे में स्पष्ट नहीं हो। एक तो हमें यह बताएं कि यह आखिर, क्योंकि आपके तो कोई एक छोटा सा नाला भी बना देगा उस पर यूजर्स, जिस पर कहना चाहिए आप टैक्स लेने लग जाओगे और वह बीच-बीच में जहां कहीं भी इस तरह के आते हैं नाले भी बनेंगे, छोटे-छोटे काज वे भी बनेंगे।

मैं निवेदन यह कह रही थी आपसे यह तो आप हाबड़ तोड के अन्दर बिल लाए हो जिसे अभी पास कराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आर्डिनेंस के मार्फत लाए हो इसलिए आप सोचते हो कि लैप्स हो जाएगा यदि पास नहीं हुआ तो। कभी आपको ऐसी आवश्यकता महसूस हो आज कोई बहुत आवश्यकता है क्या आपको कि कोई सड़कें बी.ओ.टी. पर देनी है तो इस तरह आप आर्निडेंस पास करवा रहे हैं। अभी तो आप वह काम करिए जो छह सौ करोड़ रुपया आपको मिला है वह या फिर थोड़ा बहुत आपके पास भी तो होगा उससे अपना काम करिए। उसके बाद फिर आपको आवश्यकता हो, तो फिर आर्निडेंस निकाल दीजिएगा। लेकिन यह एक ऐसा मामला है कि जिस मामले को आपको इतनी जल्दी के अन्दर पास करने को मैं समझती हूं आवश्यकता नहीं है। ठंडे दिल से विचार कीजिए इस पर। थोड़े दिनों बाद भी ला सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूं कि आप स्वयं स्पष्ट नहीं है कि आप कहां-कहां यूजर्स टैक्स लगाएंगे, कौन कौनसी सड़कों पर लगाएंगे, कौन-कौन सी सड़कों को आप देंगे बी.ओ.टी. के लिए। अभी स्टेट हाई-वे को भी देने के लिए आपने कहा है। केवल प्रधान मंत्री वाले को नहीं दे पाओगे बाकी तो किसी को भी दे सकते हो आप। सम्पर्क सड़कें भी गांव की सड़कें भी यदि इसमें आ गई तो मैं समझती हूं यह आपकी छवि को बहुत बिगाड़ देगी। इसलिए इस पर पुन: विचार करिए ठंडे दिल से और इस विधेयक को अस्वीकार करिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो पहले। श्री यशवन्त सिंहजी। बिराजिए आप। बुला देंगे, सबको बुलाएंगे। चिंता मत करो आप।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा था कि एक साल में एक एम.एल.ए. के क्षेत्र में 60 किलोमीटर सड़क बनेगी। माननीय उपाध्यक्ष

(श्री यशवन्त सिंह)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पहले तो ये ही पूछना चाह रहा हूं कि तीन साल आपके निकल गये। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आपको रिपेयर के नाम पर 50 करोड़, कभी 45 करोड़, कभी 55 करोड़ इतने पैसे हर साल में स्वीकृत होते हैं। शायद आपके डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। उनको आप खा जाते हैं या वित्त मंत्रीजी खा जाते हैं यह तो मैं नहीं जानता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी अगर खड़े होकर यह कह दें कि तीन साल में सड़कों की रिपेयर पर एक भी रुपया इन्होंने लगाया हो जो बजट में प्रावधान हुआ है। अगर विभाग में पैसा गया हो, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय अगर मैं असत्य कह रहा हूं, तो माननीय मंत्रीजी खड़े होकर कह दें कि हमारे डिपार्टमेंट में जो बजट में पैसा गया है वह दिया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पूरे राजस्थान में, हमारे वहां हुआ है पेच रिपेयरिंग का काम। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारा काम संयम जी की कांस्टीयूएंसी में हुआ है। हमारे यहां तो एक भी हुआ नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय काबरा साहब, बिराजें। माननीय सदस्य आगे की बात करो। पिछला तो खतम हुआ। आगे की बात करो न। आगे की कर रहे हैं वह तो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया जो हो गया। अब क्या है?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आगे की बात नहीं पता। मुझे खूब पता है महुवा कहां होकर जाना पड़ता है और कितनी हालत बढ़िया है आपकी सड़कों की। अगर यही हालत रही न आपकी सड़कों की, तो जनता आपको बता देगी कि आपकी हालत क्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने घोषणा की थी कि प्रति वर्ष 60 किलोमीटर रिपेयर करवाएंगे एक साल में लेकिन आज तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सड़क पर कार्य चालू नहीं हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से ये ही माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि दो-चार गांव और हैं जिन पर नई सड़कें बनाने का प्रावधान रखें अगर आपके पास पैसा हो तो। बेकार की बातों में क्या रखा है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनारामजी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय मेरा इसमें यही निवेदन है कि पी.डब्ल्यू.डी. सड़कें बनाती है वह पहले मेटल बिछा करके कम्पलीट कर देती है फिर दो तीन साल के बाद में डामर की बारी आती है यदि नहीं आती है तो दो-तीन साल में जो मेटल बिछाया हुआ था वह मेटल उखड़ जाता है इसलिए पहले यह मानस बना लें सड़कें बनाने से पहले कि मेटल बिछाना है, तो दो-चार महीने के अन्दर-अन्दर डामर कर देना चाहिए नही, तो डामर करने के वक्त दुबारा फिर से मेटल कढ़ाई का काम होता है। इससे सरकार के दुगुने पैसे खर्च होते हैं, पैसे बरबाद होते हैं। यह मेरा आपसे अनुरोध है कि मेटल और डामर साथ-साथ में महीने-दो महीने के अन्तराल में पूरे कर देने चाहिए जिससे पी.डब्ल्यू.डी. के पैसों की बरबादी नहीं हो। दूसरा जनता भी परेशान नहीं हो। सही बात है। भा.ज.पा. के शासनकाल में 8 साल तक डामर की कोई सुध नहीं ली गयी। बहुत बड़े-बड़े खडडे हो गये। अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर मिर्धाजी हैं, आठ साल तक उन्होंने सुध नहीं ली लेकिन अब आपने इन रोडस के सुधार करने का मानस बिलकुल बना चुके हो। आपका मानस बिलकुल बन गया है कि राजस्थान में और पूरे पश्चिम राजस्थान को... (व्यवधान) राजस्थान में ही आ गया। राजस्थान का नाम ले लिया बाबा। पश्चिम राजस्थान का भी कहेंगे, मेरे क्षेत्र का भी कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंहजी। बिराजो, बिराजो। रतनारामजी। बिराजो, बिराजो, प्लीज। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : 8 साल में जो रिपेयरिंग नहीं हुई है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जो सड़कें छूट गई हैं, अपने स्टेट के बजट से कम से कम खड्डे ठीक करवा दो या नवीनीकरण करवा दो।

दूसरा मेरा यह सुझाव है कि आपने ठेकेदारों के लिए दो साल की अवधि का इकरारनामा रखा है यह भी मैं गलत मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह पी.डब्ल्यू.डी. पर बहस नहीं हो रही है।

श्री रतनाराम चौधरी : ठीक तरह से ठेकेदार काम कर दे...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य रतनारामजी यह पी.डब्ल्यू.डी. पर बहस नहीं हो रही है। यह तो बी.ओ.टी. का जो अमेंडमेंट है उस पर हो रही है। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : बैठ जाता हूं। पांच साल तक उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। पांच साल की अवधि बढ़ाओ, दो साल की अवधि ठेकेदार को

(श्री रतनलाल चौधरी)

मत दो नहीं तो ठेकेदार कच्चे काम करेंगे, गलत काम करेंगे। इसलिए पांच साल की अवधि बढ़ाओ। पांच साल में अगर सड़क खराब हो जाती है तो उस ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वापस रिपयेरिंग वही ठेकेदार करेगा ऐसा इकरारनामा उससे पहले लिखवा करके लो। आपने समय दिया और टोल टैक्स का जैसा मंत्रीजी ने कहा कि विधायकों से गाड़ी का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा वह तो पहले से ही है। पहले से हम लोगों को... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : पर्ची है हमारे खुद के पास। टोल टैक्स की पर्ची है।

श्री रतनाराम चौधरी : (व्यवधान) नहीं लेंगे, तो अच्छी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंहजी। बिराजिए, बिराजिए रतनारामजी, प्लीज बिराजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए टोल टैक्स में जो किसानों की बैलगाड़ी और ट्रेक्टर जाते हैं उन पर टोल टैक्स की कुछ राहत दें, यही हमारी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए प्लीज।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, काफी महत्वपूर्ण आर्डिनेंस यह लाया जा रहा है जैसा कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात के लिए चिंतित हैं कि पिछले तीन सालों में कोई सड़क का काम नहीं हुआ। यही तो गम्भीरता की बात थी इसलिए राजस्थान सरकार ने और मंत्री महोदय ने इस बात का निर्णय इसलिए लिया कि कम से कम सी.आर.एफ. की सड़कें, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की सड़कें, नेशनल हाईवे की सड़कें और इन सड़कों पर कहां पुल बन रहे हैं और कहां सड़क बन रही है, मैं समझता हूं कि यह तो योजना अलग है, यह उन योजनाओं को लिए जाने की बात की जा रही है जहां पर बनने के कोई साधन उपलब्ध नहीं है, किसी योजना में कवर्ड नहीं हो रही, राजस्थान सरकार की फाइनेंशियल स्थिति जहां पैसा लगाने की नहीं हैं वहां उन पार्टियों से इसके माध्यम से सड़कें और पुल बनाए जाएंगे जिसके माध्यम से वह सड़कें बन सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि दिल्ली आप जाते थे, पांच-साढ़े पांच घंटे लग जाते थे...

श्री उपाध्यक्ष : मेरे से नहीं, मंत्रीजी से पूछें।

श्री जनार्दन गहलोत : पांच-साढ़े पांच घंटे लग जाते थे। आज अगर यह डबल लेन बनी, अगर हमको चालीस रुपए लगते हैं तो कम से कम इस बात की चिंता नहीं है, हम साढ़े तीन घंटे में दिल्ली पहुंचने लग गये। आज आवश्यकता इस

(श्री जनार्दन गहलोत)

बात की है। विदेशों के अन्दर और जो भी डवलप्ड कंट्रीज हैं उन सब के अन्दर यह परम्परा चल रही है, आज उनकी हालत है कि प्लेन को सड़क पर उतार लीजिए। इतनी बढ़िया सड़कें बन रही हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं, यह बिल बहुत आवश्यक है राजस्थान के विकास की दृष्टि से, क्योंकि इसके अन्दर 75 लाख की सड़क पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टोल टैक्स लगेगा नहीं, पचास लाख के पुल तक के ऊपर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, चिंता किस बात की हो रही है। मैं सोचता हूं कि जो काम, जहां किसी योजना में चीज कवर्ड नहीं हो रही है वह अगर इसके माध्यम से आती है, तो राजस्थान का विकास होने वाला है और हम उस गति को तेजी से बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है, काफी महत्वपूर्ण है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहते हुए बात समाप्त करूंगा, मुख्य मंत्रीजी ने और मंत्री महोदय ने कहा था उन इलाकों में सड़कें ज्यादा दी जाएंगी जो पहाड़ी इलाके हैं, जिन इलाकों के अन्दर...(व्यवधान) डाकुओं की बात तो मैं नहीं कहता, होम मिनिस्टर साहब, आप चिंतित हो। जहां ट्राइबल एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में कम से कम दस-दस, बीस-बीस किलोमीटर सड़क ज्यादा दें। हमारे झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने...(व्यवधान) बोडर एरिया की बात खास तौर से कही थी, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर इलाका है, इनके बारे में विशेष तौर से कहा गया था। इन क्षेत्रों की कम से कम बीस-बीस किलोमीटर सड़कें ज्यादा दें।

जहां तक झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा, मैं एक बात उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इसमें जो तीन करोड़ के कार्य हर विधायक को हर क्षेत्र में दिये। अब प्रश्न इस बात का है, कोई सड़क 80 किलोमीटर बन रही है तो डेढ़ करोड़ से बन रही है तो 80 किलोमीटर मिल गई। मुझे यह भी मालूम है, विरोधी बैंच पर कई लोग नहीं बैठे हैं, उनके यहां पर 80-80 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, कहीं 75 किलोमीटर बन रही है। मेरे इलाके में, भरोसीजी के इलाके में 38 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बन रही है, सुमित्राजी के इलाके में 50 किलोमीटर बन रही है लेकिन यह समझ लेना चाहिए हर विधायक को कि किसी सड़क पर ज्यादा खर्चा है, तो सड़क के किलोमीटर कम होंगे। यही आधार है। माननीय सदस्य यह समझ लें, आधार यह है कि इस तीन करोड़ के अन्दर दो साल के अन्दर उतनी राशि मिलेगी। आपकी सड़क पर चाहे आप उससे दस किलोमीटर पर अच्छी सड़क बना लो या उसको 80 किलोमीटर

(श्री जनार्दन गहलोत)

बना लो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल निश्चित तौर से पास किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछले कुछ सालों में राजस्थान की सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय बनी हुई थी। माननीय कृषि मंत्रीजी यहां बैठे हैं और कठूमर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, जयपुर से जब मैं नगर जाता हूं तो महुवा तक का, खेड़ली मोड़ तक का 128 किलोमीटर का सफर डेढ़ घंटे में हो जाती है और वहां से नगर तक का वाया खेड़ली और कठूमर का सफर 40 किलोमीटर में भी डेढ़ घंटा लग जाता है। इसलिए राजस्थान का किसान, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि केवल हम विरोध में हैं तो विरोध करने के लिए विरोध करें। मेरी स्पष्ट राय यह है कि राजस्थान का आम आदमी चाहे वह काश्तकार हो, चाहे वह ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, वह यह चाहता है कि सड़क अच्छी हो। क्योंकि जो टायर अच्छी सड़क पर साल भर चलते हैं वह खराब सड़क के ऊपर छह महीने में खराब हो जाते हैं, गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है, उनमें बैठने वालों की भी दचके में हालत खराब हो जाती है और स्थिति यह रहती है कि गाड़ी के कलपुर्जे भी ढीले हो जाते हैं।

इसलिए मैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय यातायात मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो सड़कें आप प्रधानमंत्री रोजगार योजना में या सड़क योजना में बन रही है उसमें बनाएं, जो एम.एल.ए. कोटे, और जिस कोटे में बन रही है उसमें बनाएं और जो दूसरी सड़कें ऐसी हैं जो फिर भी किसी योजना में नहीं आ रही है, तो आप बी.ओ.टी. स्कीम में भले ही बनाएं, उसमें टोल टैक्स देने में जनता को कतई गुरेज नहीं होगा, सड़क अच्छी होनी चाहिए ताकि आसानी से और कम समय में आदमी वहां पहुंच सके।

मैं तो आपकी इस योजना का स्वागत करता हूं और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं कि जैसे पहले हमने कहा था कि जो हमारे नान फेमिन डिस्ट्रिक्टस हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, हमने यह मांग की थी कि यहां बाढ़ रहती है, यहां सड़क ज्यादा दिन चल नहीं पाती, अकाल का पैसा भी यहां लग नहीं पाता है, इसलिए दूसरी जगह की वनिस्पत हमको आप दस-बीस किलोमीटर की सड़क ज्यादा दें ताकि ज्यादा बाढ़ के कारण, पानी ज्यादा होने के कारण जो सड़क खराब हो जाती हैं उनको हम सही करा सकें। आपने पिछली बार हमको यह विश्वास दिलाया था और वित्त मंत्रीजी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हमारे भरतपुर के प्रभारी मंत्री थे, करौली से आने वाले सदस्य भी यहां बैठे हैं, दस किलोमीटर की सड़क एकस्ट्रा देने की बात कही थी, अब दूसरे फेज में हमको बीस किलोमीटर आप सड़क दे दें और यह आप चाहे टोल टैक्स वाली प्राइवेट कम्पनियां कोई, वह तो उन्हीं जगह पर आएंगी जो कामर्शियल जगह होगी, जहां उनको ज्यादा कमाई होगी, इसलिए आम आदमी पर उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, सड़क अच्छी हो ताकि फराटे से गाड़ी वहां निकल जाए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) अब क्या रहा फिर, यह कोई सड़क पर डिस्कसन थोड़े ही हो रहा है, आप लोग पता नहीं कहां पहुंच गये। माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अमेण्डमेंट केवल बी.ओ.टी. का है। (व्यवधान) कोई तो भरतपुर की सड़क बता रहा है, कोई... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय मंत्रीजी, पचास-पचास करोड़ मिले क्या?

श्री दिग्विजय सिंह : थर्ड रीडिंग पर तो बोल सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हफीज मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं, एक मिनट।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल मंत्री महोदय का ध्यान इस पर दिलाना चाहूंगा कि जो आपके बिल का कंसेप्ट है वह बहुत बढ़िया है और आज की दृष्टि से राजस्थान के अन्दर इसकी आवश्यकता भी है। मैं तो आपको यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप बी.ओ.टी. वाली जो ले रहे हैं, यह बहुत बढ़िया है।

इसके साथ-साथ मेरा सुझाव है कि आपका डिपार्टमेंट सड़कों को आइडेंटिफाई कराएं और उनको प्रोजेक्ट करे बी.ओ.टी. के लिए पहले तो और फिर उसके ऊपर अगर बी.ओ.टी.आकर वह लेती है तो उनको दी जाए। उसके बाद में फिर उनका आप्शन जो है वह कौन सी सड़क लेना चाहते हैं, वह उसके ऊपर दें ताकि आपका जो प्लान है और स्टेट के प्लान की जो रोडस हैं उनको प्रायोरिटी अपने आप मिल जाएगी। बजाय इसके कि हम उनको ओपन कर दें, वह पहले वही चूज करेंगे कि जो उनके रेमुनरेटिव हों, तो आपके इलाके जहां आप डवलप करना चाहते हैं, जहां सड़क और बिछाना चाहते हैं, वह भी पीछे रह जाएंगे।

(श्री दिग्विजय सिंह)

मेरा सुझाव है कि डिपार्टमेंट आपका आइडेंटिफाई करे, उन रोडस को पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाए बी.ओ.टी. में, जो कि आपका डिपार्टमेंट प्रायोरिटी फिक्स करे, उसके बाद में उनको ओपन करें।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि बी.ओ.टी. वाले आ गए और उसने आपरेट कर दिया, उसने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसका जो टोल टैक्स वसूल होगा उसकी अवधि क्या होगी, कितने वर्ष तक वह करेगा, 15 वर्ष करेगा या 5 वर्ष करेगा, उसकी कांस्टिंग के हिसाब से करेगा? इसमें कुछ न कुछ ऐसा मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज आज भी आपकी कई जगह टोल टैक्स लगे हुए हैं ब्रिजेज बने हुए हैं, उनकी मेरे ख्याल से कास्ट वसूल हो गई होगी, पर वह टोल टैक्स चालू है। इसलिए यह इसमें परिभाषित हो जाना चाहिए, यह मेरा सुझाव है माननीय मंत्री महोदय, इसके ऊपर ध्यान देंगे।

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा मंत्रीजी से कि अभी जो सड़कों का काम चल रहा है, वह जहां-जहां भी कस्बे और गांव आए हैं वहां छोड़ दी और आगे-पीछे बना रहे हैं, गांव में बना ही नहीं रहे, फिर उन गांवों में सड़क का क्या होगा जबकि टेण्डर पूरे के पूरे गांव की सड़कों के हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय हफीज साहब, यह बी.ओ.टी. की बात हो रही है, आप तो अभी कौन सी सड़कों की बात कर रहे हैं।

श्री हफीज मोहम्मद : नहीं-नहीं, लेकिन मैं इस बारे में, चूंकि बी.ओ.टी. की बात हो रही है, अभी जो सड़कें बन रही हैं उनके बारे में मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि गांव के बीच में तो सड़कें बन नहीं रही हैं। (व्यवधान) आखिर सभी जगह की यह बात है साहब। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि आपने बीच की सड़कें क्यो छोड़ी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जानना चाह रहे हैं कि बीच में जो आपने टुकड़े छोड़ दिये, उनको क्या बी.ओ.टी. में लेने की योजना है? वह यह पूछना चाह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, अभी बताएंगे। यह बताएंगे अभी।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हफीज मोहम्मद ने अभी बात कही कि कस्बों के बीच में से सड़कें जो बन रही थी उनको रोक दिया गया

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सड़क तो पूरी सेंक्शन हुई है, कस्बों के बीच में से जब तक क्रास ड्रेनेज नहीं बनेगा और पानी के निकालने की कोई व्यवस्था नहीं बैठेगी तब तक सड़क वहां पर टिकेंगी नहीं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को सब को एक लैटर लिख रहा हूं और उसमें उनसे अनुरोध यह कर रहा हूं कि आप एम.एल.ए. फंड से उस पर्टीकुलर पोर्शन का जो कि कस्बे के बीच में से निकलता है के लिए दे दें रोड्स हम बना देंगे। (व्यवधान) इसलिए वो सैंक्शन तो रहेगी सिर्फ नाली के लिए रोड के लिए नहीं आप सुनिए तो सही सिर्फ नाली के लिए ताकि पानी की, जो पानी इकट्ठा होता है उसको बाहर निकालने की कोई व्यवस्था हो जाए और उसके अलावा सरकार पूरी रोड आपकी तैयार करवाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बी.ओ.टी. के सम्बन्ध में यह बात कही कि विभाग को पहले प्रोजेक्टस आईडेंटीफाई करने चाहिए। मेरा सब्मिशन यह है कि डिपार्टमेंट ही सर्वे करता है और इस सर्वे के आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, फिर एन.आई.टीज. इश्यू होती हैं, तो जो भी एन्टरप्रिन्योर्स आते हैं वो अपने-अपने क्षेत्र में जहां पर काम करना चाहते हैं उसके बेसिक फिगर्स हम लोग दे देते हैं उसके बाद ही टेण्डरिंग होती है। अब कितने साल के लिए उनको देंगे वो डिपेन्ड करेगा कि कितनी कोस्ट है और कितने साल में उसके पैसे की रिकवरी वापस होती है। यह सामान्य प्रक्रिया है, उपाध्यक्ष महोदय, इस हिसाब से चलता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002 पारित किया गया।

डा. (श्रीमती) कमला, प्रभारी मंत्री राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2002 प्रस्तुत करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या हुआ मुख्य सचेतकजी? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आएगा, आएगा प्रस्ताव चिन्ता मत करो। आएगा आएगा चिन्ता मत करो। सब आएंगे। सब आएंगे आप चिन्ता मत करो। आएंगे, आएंगे, बैठिए इसके बाद वो।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2002

डा. (श्रीमती) कमला : क्या समस्या हो गयी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2002 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्रजी व्यास।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) **:** उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सवा तीन वर्ष में कांग्रेस के शासन सम्भालने के बाद जयपुर शहर का और अन्य शहरों का उल्लेखनीय विकास हुआ है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता और बहुत वृहद पैमाने पर डवलपमेंट एक्टीविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टीविटीज, मल्टीप्लैक्स कामर्शियल काम्पैक्सेज, फ्लाई ओवर्स...।

श्री शिवनाथ सिंह : कंस्ट्रक्शन भी तो हुआ है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कंस्ट्रक्शन का मैंने उस रोज भी निवेदन किया था कि कंस्ट्रक्शन का नेसेसरी इंप्लीकेशन 20% है और यह इश्यू इस वक्त दूसरा यह है कि इसका क्रेडिट मैं नगरीय विकास मंत्री शांतिधारीवाल को नहीं देता हूं। माननीय धारीवालजी का अपना योगदान हो सकता है लेकिन यह पूरा क्रेडिट माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री अशोक गहलोत को जाता है। उन्होंने राजस्थान प्रदेश के लिए एक दिव्य दृष्टा होने के नाते स्वप्न देखा कि किस प्रकार से राजस्थान का विकास कराया जाए, किस प्रकार से विकास के अन्दर यह कंस्ट्रक्शन कराया जाए और किस प्रकार से डवलपमेंट कराया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, उनके नेतृत्व में राजस्व विभाग का पूर्ण सहयोग जयपुर और अन्य नगरों के विकास में शुरू से रहा है। इस डवलपमेंटल और कंस्ट्रक्शन एक्टीविटी को सपोर्ट करने के लिए ये आपका 90 बी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्दर 99 के अन्दर इन्सर्ट किया गया और इन्सर्ट करके यह प्रोवाइड फोर किया गया, इसका प्रावधान किया गया कि काश्तकार एग्रीकल्चर लैण्ड के ऊपर यदि नान एग्रीकल्चर परपज के लिए उसका उपयोग किया है, गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग किया है, पार्ट का किया है या पूरे का किया है या करना चाहता है, तो वो उसको सरेण्डर कर सकता है और वो लैण्ड स्टेट के अन्दर वेस्ट करेगी और स्टेट में वेस्ट करके लोकल बाडी में चली जाएगी, नगर निगम या नगरपालिका, जो भी होगी। उसमें राइडर यह है कि वो जमीन उसको पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी डवलपमेंट के लिए

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कंस्ट्रक्शन एक्टीविटीज के लिए, कामर्शियल परपज के लिए, मल्टीप्लैक्स के लिए जिसके लिए भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं संक्षिप्त रूप से कि यह लैण्ड यूज का मसला है जिसके लैण्ड यूज को बदलने का प्रावधान कृषि भूमि के लैण्ड यूज को बदलने का प्रावधान आपने 90 बी के माध्यम से किया। अब आज आप राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल, 2002 लेकर आ रही हैं मंत्री महोदया। अपेरेन्टली यह बड़ा इनोकुअस बिल है। इसको, उपाध्यक्ष महोदय, बात सिर्फ इतनी सी है कि म्युनिसिपल लिमिटस के अन्दर नगरपालिका के क्षेत्र के अन्दर, परिधि के अन्दर यदि कोई कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि में कोई अकृषि कार्य के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है और करना प्रस्तावित है, तो उसमें आपने शामिल किया पेरीफेरल, मुख्य उद्देश्य अपेरेन्टली आप इसको पढ़ो। लेकिन इस बिल की असल मंशा कहां है, असल मिसचीफ इस बिल की कहां है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, 90 बी को अमेंड करने के लिए जो यह बिल माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है। उसके पहले मैं सदन का ध्यान 90 बी यानी 90 ख की उप धारा–11 की ओर दिलाना चाहूंगा।

''इस धारा की कोई भी बात देवता देवस्थान विभाग, किसी भी लोक न्यास या किसी भी धार्मिक या पूर्त संस्था या किसी वक्फ की किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी।'' यह उन्होंने एक्सेप्शन किया हुआ है 90 बी के अन्दर।

अब उपाध्यक्ष महोदय, बिल के सब प्रावधानों के ऊपर कुछ निवेदन करने की अपेक्षा मैं यह उचित समझता हूं कि जो रेलवेंट बात है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाए। यह जो आपके विधेयक की धारा–2 की उप धारा–4 अन्त में आये विराम चिन्ह ''1'' के स्थान पर विराम चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाएगा, और इस प्रकार प्रतिस्थापित विराम चिन्ह के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :-''परन्तु जहां राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी लोक न्यास या कोई भी रजिस्ट्रीकृत पूर्त संस्था अपनी भूमि या जोत या उसके भाग का उपयोग अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए करने का आशय रखती हो, वह ऐसी भूमि या जोत या उसके भाग में के अपने अधिकारों को अभ्यर्पित करने के लिए उप-धारा (3) के अधीन कोई आवेदन कर सकेगी और उस दशा में इस धारा के उपबन्ध इस उपान्तरण के साथ लागू होंगे कि ऐसे प्रयोजन उप धारा (3) के और उप-धारा (6) के परन्तुक के लिए उपबन्धित किए हुए समझे जाएंगे।''

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यानी देवस्थान के लिए और वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ की जो प्रोपर्टी है, चैरीटेबल इंस्टिटयूशन की है और मन्दिरों की जो सम्पत्ति है उसको आपने इसमें शामिल कर लिया। मंत्री महोदया, आप स्पष्टीकरण पढ़ेंगी।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं स्पष्टीकरण नहीं पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, बताएंगी उसके पहले मुझे बताने दीजिए आप उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं बीच में नहीं बोलूंगी। आप बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, बिलकुल ठीक है। बहुत मेहरबानी आपकी। ''स्पष्टीकरण इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, ''भूमि या जोत'' के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मुफ्त या नाममात्र की रकम पर आबंटित भूमि नहीं है।''

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ड्राफ्टेड बिल है, बहुत चालाकी से बनाया हुआ बिल है। बड़ी इसमें क्वालिफिकेशन रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहकर के सदन को संतुष्ट किए जाने का प्रयास किया जाएगा कि जो स्टेट की तरफ से ग्रान्ट फ्री आफ कोस्ट या टोकन के ऊपर अलाट हुई है उसको इसके अन्दर शामिल नहीं किया गया। 13 फरवरी के यह आर्निडेंस बना, 14 फरवरी, 2002 को प्रकाशित किया गया। पहले आपकी अनुमति से मैं एक इकरारनामा बताना चाहूंगा। इसी भूमि से सम्बन्धित 25 बीघा का, जयपुर में भोजपुरा जो पूरी कंट्रावर्सी को पैदा करता है और संभवत: यह कंट्रावर्सी पैदा होने से पहले मैं भी नहीं जानता था कि भोजपुरा क्या चीज है और जयपुर के अधिकांश लोग शायद आज भी नहीं जानते होंगे। हम भी भोजपुरा में ही बैठे हुए हैं, उस भोजपुरा की बात करते हो, तो आप भी भोजपुरा में बैठे हैं और यह तमाम सैक्रेटरिएट भोजपुरा में बना हुआ है, यह एम.आई. रोड भोजपुरा में बनी हुई हैं। 7000 बीघा जमीन थी भोजपुरा की।

उपाध्यक्ष महोदय, संवत 1833, 1949 का रेवेन्यू बोर्ड का फैसला है। उसमें 330 बीघा जमीन पहले इन्होंने मन्दिर में सैटल करी, वह 330 बीघा जमीन उनके पास रखी है 7 मन्दिरों के लिए और बाकी जमीन रिज्यूम करी, कुछ हिजहाइनेस की पर्सनल प्रापर्टी में चली गई। जयपुर के लेट हिजाइनेस स्वर्गीय सवाई मानसिंह जी एक बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी आदमी थे। रिकार्ड में अधिकांश लोगों ने क्या किया कि जो राजा-महाराजा इतने समझदार नहीं थे वह समझते थे कि स्टेट और पर्सनल प्रापर्टी एक ही चीज है, हमारे जो हिजहाइनेस थे। (व्यवधान) जयपुर स्टेट का मैं भी वाशिंदा था खेतसिंह जी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हमारे ही हिजहाइनेस

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

थे वो तो हमारे जो दरबार थे। वह बहुत दूरदृष्टि थे। उन्होंने सब प्रापर्टी अपनी पर्सनल प्रोपर्टी में लिखवा दी। उस प्रापर्टी के सम्बन्ध में मैं महेश शर्मा महन्त, रामनारायण शर्मा एक महन्त थे, उनका लड़का है महेश शर्मा। उसने एग्रीमेंट किया है, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर और एग्रीमेंट की तारीख 17.7.2001। मैं महेश शर्मा महन्त, पुत्र स्वर्गीय श्री रामनारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी काले हनुमान जी का मन्दिर, आमेर रोड, जिला जयपुर (राज.) का हूं जो कि मेरा जमीन खसरा नम्बर 5, 6, 7, 92, 124, 139, 141 और 138 स्थित ग्राम भोजपुरा, पटवार हल्का रामपुरारूपा, तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान में है जिसकी कुल रकबा लगभग 25 बीघा है। उक्त जमीन न तो मैंने कोई मुआवजा लिया है और न ही अपनी उक्त जमीन को बिचौती हस्तान्तरण कर किसी व्यक्ति अथवा संस्था को दिया है और न ही दूंगा। चूंकि मुझे अपने मन्दिर के जीर्णोद्धार व रख-रखाव तथा मरम्मत इत्यादि के लिए तथा मन्दिर की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपयों की जरूरत है इसलिए मैं उपरोक्त खसरा नम्बर की अपनी जमीन कुल 8 रकबा, लगभग 25 बीघा की मिल्कियत बेचान करने हेतु एक इकरारनामा मैसर्स ग्लोबल डवलपर्स जरिए पार्टनर श्री भीमसेन गर्ग, सदन को इस बात का बहुत गम्भीरता से नाम नोट करना चाहिए, भीमसेन गर्ग, गंगा टावर, खासाकोठी चौराहा, जयपुर (राज.) से किया है। जिसके तहत मेरी उपरोक्त खसरा नम्बरान की जमीन मौके पर जितनी उपलब्ध होगी उसकी नाप के अनुसार 400 रुपये प्रतिवर्ग गज की दर से क्रेता मोहन डवलपर्स, जरिए पार्टनर श्री भीमसेन गर्ग को दे दूंगा तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त कर के काश्त की रजिस्ट्री क्रेता को अथवा क्रेता के प्रतिनिधि को करा दूंगा। इस इकरारनामा पेटे 5 लाख 51 हजार रुपए बतौर एडवांस जरिए बैंक चैक संख्या..., पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सरोजिनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर द्वारा आज प्राप्त कर लिया है। जिसकी प्राप्ति स्वीकार करता हूं तथा शेष रकम मुताबिक तयशुदा शर्त प्राप्त कर लूंगा। अत: यह इकरारनामा रसीद वाहक क्रेता मैं मोहन डवलपर्स जरिए पार्टनर श्री भीमसेन गर्ग, गंगा टावर, खासाकोटी चौराहा, जयपुर के पक्ष में पूर्ण होशोहवास एवं राजीखुशी 100 रुपए के एक नान ज्यूडिशियली स्टाम्प पेपर पर, ग्रीन पेपर पर लिख पढ़कर, समझकर रू-ब-रू गवाहान अपना हस्ताक्षर कर दिया है तथा रकम प्राप्ति की तस्दीक करता हूं जो कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। दिनांक 17.7.2000।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान खतौनी जमा मर्जिश 2055 की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसमें यह खसरा नम्बर 5, 6, 7, 92, 124, 131, 138, 141

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह सब खसरा नम्बर मौजूद हैं। एक विशेष महत्वपूर्ण बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा महाराजा श्री भवानी सिंहजी पर्सनल प्रापर्टी, उपाध्यक्ष महोदय, वह स्टेट की ग्रांट तो नहीं हुई, फ्री आफ कास्ट तो नहीं हुई। इस बिल में क्या लिखा हुआ है... "Explanation-For the purposes of this proviso, 'land or holding' does not include the land allotted by the State Government free of cost or on taken amount." यह तो 6 जून, 1987, हिजाइनेस श्री भावानी सिंहजी, तो खैर कभी हैड आफ द स्टेट रहे ही नहीं, हिजाइनेस श्री मानसिंहजी जरूर हैड आफ द स्टेट थे लेकिन वह रियायतों में विलय के बाद... he ceased to be the State.

उपाध्यक्ष महोदय, यह पर्सनल प्रापर्टी में से इन्होंने इनको जमीन दी है, रामनारायण शर्मा को। दरख्वास्त श्री रामनारायण शर्मा, माफीदार मन्दिर भोजपुरा बाबत..., आदेश उप जिलाधीश, दिनांक 6.1.1987 तरमीम की जाती है, यह नोट डला हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, जो बाकी जमीने हैं उनका भी सबका एग्रीमेंट हो चुका है। दूसरा, यह 2051 का है, महाराजाधिराज श्रीमान मानसिंह, राजस्थान पर्सनल प्रापर्टी, यह भी पर्सनल प्रापर्टी है, यह लेट हिजाइनेस की है और यह दूसरा एग्रीमेंट है, यह 21.4.2001 में 3 बीघा 15 बिस्वा जमीन का इन्होंने इकरारनामा किया है और किस से किया है, वही भीमसेन गर्ग से। उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्डिनेंस प्रोमलगेट हो इसके पहले भीमसेन गर्ग को पता चल गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका संशोधन क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : संशोधन नहीं है, मैंने तो जनमत जानने के परिचालित किया है।

श्री उपाध्यक्ष : तो जनमत जानने के लिये कहो, कम टू इट Kindly look at it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Becuse I say that this is a malafide piece of legislation. Therefore, it should be circulated for eliciting public opinion. उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसको आप जनमत जानने के लिए परिचालित करें ताकि जनता को एजुकेट करने का मुझे मौका मिल सके कि यह कैसा मिस्चीविअस लेजिसलेशन है, कैसा मेलाफाइड पीस आफ लेजिसलेशन है। यह वही भीमसेन गर्ग है, सिरोही से आने वाले मेरे मित्र अभी यहां नहीं है, यू.डी.एच. के डिपार्टमेंट के वक्त में भी कहा कि डेढ़ लाख वर्ग गज जमीन इन्होंने केबिनेट के फैसले के पहले खरीद ली।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब यह जो हिजाइनेस की जमीन का इन्होंने एग्रीमेंट किया है महेश शर्मा से यह है 10 लाख 30 हजार वर्ग गज यानि पूरे जयपुर की जमीनें यह आदमी अकेला खरीद कर बैठा हुआ है। केबिनेट में गुलाब सिंहजी, प्रद्युम्न सिंहजी, चन्द्रभान जी, स्वायत्त शासन मंत्रीजी जैसे वरिष्ठ नेता हैं, खेतसिंहजी नहीं है उसमें, गलत करते हैं, तो वह हां भर लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं है, मैं आपसे निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि जिस वक्त इस कैबिनेट ने इसको रेगुलराइज करने का फैसला किया और डेड लाइन उनको दे रखी थी, आज तक जो हो गया मैं वापस उस विवाद में नहीं जाना चाहता लेकिन वह फैसला इनको पता नहीं था कि क्या डिसाइड करना है उसके पहले भीमसेन गर्ग को पता था। मंत्रीजी, आपको पता नहीं था कि आपको यह आर्डिनेंस प्रोमलगेट करना है, उसके पहले भीमसेन गर्ग को पता था। यह ऐसी कौनसी अदृश्य शक्ति है। इतने सारे सीनियर मिनिस्टर्स, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई चार्ज नहीं लगा रहा लेकिन यह रिजनेबल है। मेरे लिए निष्कर्ष निकालना बिलकुल वाजिब है, मुख्य मंत्री के अलावा कोई ऐसा सक्षम व्यक्तित्व नहीं हो सकता जिससे पूरे मंत्रिमण्डल की कमेटियां हिल जाए, इस प्रकार का लेजिस्लेशन विधान सभा में लाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिल है, एक दफा आपकी इजाजत से दुबारा मैं इसका मूल पाठ पढ़ लेता हूं:–"Provided that where any public trust registered under the Rajasthan Public Trusts Act, 1959 or any registered charitable institution intends to use its land or holding or part thereof for the purposes of fulfilment of its aims and objectives, it may make an application under sub-section (3) to surrender its rights in such land or holding or part thereof and in that case provisions of this section shall apply with the modification that such purposes shall be deemed to have been provided for in sub-section (3) and provise to sub-section (6)."

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एग्रीमेंट है, मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया। यह एग्रीमेंट क्या होता है? एक्स ने वाई से रिश्वत ली, उसको पेमेंट और काम का कंसीड्रेशन जिसके लिए पास हुआ है, उसको इंश्योर करने के लिए प्रोमीसरी नोट लिखा जाता है। काम नहीं करेगा तो पैसे वापस देगा, दूसरे के नाम लिखवा देंगे।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह प्रामिसरि नोट के संग एग्रीमेंट है, बाकायदा पेमेंट हुआ है और इसको यह जानते हुए कि इस प्रकार का प्रोविजन आएगा। यह सब रिलिजस एंडोमेंटस की जो जमीनें पड़ी हुई हैं, 319 बीघा जमीन तो वह है जो माफी मन्दिर में सैंटल हुई है और उसके अलावा 400 बीघा जमीन ऐसी है ज़ो सीलिंग से बचने के लिए भवानी सिंहजी ने रामनारायण शर्मा को ट्रांसफर की है। उन जमीनों का यह ट्रांजेक्शन है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा घपला हो, पूरा का पूरा भोजपुरा यानि जयपुर की सब वैकेन्ट लैण्ड एक आदमी खा जाए, इससे बड़ा लैण्ड माफिया कौन हो सकता है और इसको किसका आशीर्वाद प्राप्त है, यह सदन खुद अनुमान लगाए। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी के अलावा न तो किसी के पास इतनी शक्ति है और न ही किसी के पास इतनी ताकत है। यह मैं जरूर समझता हूं, थोड़ा सा हैरानी में पड़ जाता हूं कि अकेले आदमी को इतना करने की क्या जरूरत थी। जिस प्रकार से आपने बुद्धिमतापूर्ण और चालाकी से यह बनाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, नहीं (व्यवधान) आप इस तरह की भाषा और इस तरह का मोटिस इम्प्यूट कर रहे हैं वह आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान) या तो आप इसके बाबत कोई ठोस सबूत पेश करिए जिससे कि आप इस तरह की बात कह सकें। आप किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का, पैसे खाने का और इस तरह के घपले करने का, कुछ भी आप बोल जाएं, हाउस में खड़े हैं इसलिए क्योंकि आपको प्रोटेक्शन है। यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : No, I am concluding.

श्री उपाध्यक्ष : You have concluded.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me conclude. मैं दो बात कहकर कंक्ल्यूड करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से यह कहना चाहता हूं, आप बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं लेकिन मुझे आपसे भाषा का ज्ञान...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट रीडिंग में बोल लेना। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन मुझे आपसे भाषा का ज्ञान... (व्यवधान) मुझे आपसे भाषा का ज्ञान नहीं लेना, भाषा का ज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : मुझे भाषा का ज्ञान देना भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको भाषा का ज्ञान तो...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : मैं आपको सदन की सीमाओं से, मर्यादाओं से अवगत करना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : दौलतमल के केस में आपको सुप्रीम कोर्ट ने इंडिक्ट किया है आपके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास हुए हैं। यह आपको सुप्रीम कोट ने किया है। आप लोकायुक्त इंडिक्ट है। मंत्रीजी आपने... (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : कौनसा दौलतमलजी का केस? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह केस है, मैं पढ़कर सुनाता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं पढ़कर सुनाता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : "It would be appropriate to extract from the inquiry report dated November 12, 1992 of the Lokayukta & Up-Lokayukta Act, 1973.

In view of what has been stated above, it is prima facie established that Smt. Kamala, the then Hon'ble Minister Urban Development & Housing Department, Govt. of Rajasthan cum chairman, JDA, Jaipur, Shri M.D. Korani, IAS, the then Commissioner, Jaipur Development Authority and Shri..., the then Zonal officer, lal Kothi Scheme, JDA, Jaipur have blatantly misuscal their official position to favour a few influential and highly placed individuals and have also thereby caused wrongful gain to them and wrongful loss to the Jaipur Development Authority and the public at large.

'Smt. Kamala, the then Hen'ble Minister, Urban Development & Housing Department-cum-Chairman, JDA is not now a public servant as defined in section 2 sub-section (1) of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayukta Act, 1973 (For short 'the Act') because she has ceased to be a minister. So investigation is not being commenced against here but the investigation deserves to be

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

commenced against Shri M.D. Korani, I.A.S.,..."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य... (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : अभी मैं आपको इसका भी जवाब दूंगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : टाइम बढ़ा रहे हैं, बिराजिए। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य कंक्ल्यूड कीजिए प्लीज। (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, साहब बिलकुल। यह तो लोकायुक्त की फाइन्डिंग थी साहब। अब सुप्रीम कोर्ट की सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस बिल से इसका कोई नहीं है, आप बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई नहीं (व्यवधान) यह तो मर्जी का प्रोवोक हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसका क्या रिलेवेन्स है? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मर्जी की प्रोवोक हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : What is the relevance of this?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो यह कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : यह बिल पर बोल रहे हैं या काहे पर बोल रहे हैं? (व्यवधान) कोई वकालत कर रहे हैं या बिल के ऊपर बोल रहे हैं? हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, काहे पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : "...to legalise the ultra vires actions of minister and predecessor bureaucrats."

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह सुप्रीम कोर्ट कहता है, लोकायुक्त नहीं कहता और आपने इसको कहीं एक्सपंज नहीं कराया। (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट की अपील भी नहीं होती है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी को जानकारी का अभाव हो सकता है, मैं उसका लाभ इनको देने के लिए तैयार हूं। इनको कानून की जानकारी का अभाव हो सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभाव है कि नहीं, यह तो जवाब देंगे तब पता पड़ेगा। (व्यवधान).

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं उसका लाभ देने के लिए तैयार हूं। मैं तो खुद यह बात कहता हूं कि आर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ है मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर, भीमसेन गर्ग के फायदे के लिए। भीमसेन गर्ग इस स्टेट का सबसे बड़ा लैण्ड माफिया है। +++ *** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, Highly objectionable. उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह विधायक होने का गलत लाभ उठा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : यह कार्यवाही से निकाल दीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हाउस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं कृपया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : कृपया इनको सदन की कार्यवाही से निकालिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है वह सदन की कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान) या तो सदस्य कोई ठोस सबूत पेश करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान)

*** अभिव्यक्ति माननीय सदस्य द्वारा वापस ली गयी।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जुगल काबरा : अपनी मर्जी से चाहे जिस तरीके से बात कह दें, इन्हें कुछ पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। बिराजिए। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : यह बिना किसी अधिकार के इस तरह की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। प्लीज, आप बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जो व्यक्ति सदन में आकर अपनी सफाई नहीं दे सकता हो उस व्यक्ति का अकारण यहां पर नाम लिया जाना कतई उचित नहीं है। (व्यवधान) यह पूरी की पूरी वार्ता जो इन्होंने की है, मुख्य मंत्रीजी के बारे में जो कुछ भी कहा है, इसको पूरे को कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जो व्यक्ति सदन में अपनी सफाई नहीं दे सकता, उस आदमी के बारे में बार-बार इस सदन में जिक्र करना, यह कतई उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय मुख्य मंत्रीजी पर सीधा आरोप लगाया है। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह सीधा आरोप है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान) माननीय धारीवाल साहब, बिराजिए। पहले आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : एलिगेशन किस तरीके से लगाया गया है यह पाइंट आफ आर्डर रेज करके मैं एतराज करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : यह कोई ठोस सबूत पेश करें अगर ऐसा है तो। (व्यवधान) रोज-रोज इस तरह की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजेंगे तब मैं बोलूंगा ना। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : इस तरह की बात सुनने के लिए है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। प्लीज, आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : इतनी बड़ी बात हो गई। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : इतनी बड़ी बात हो गई, यह इस तरीके से कह रहे हैं। (व्यवधान) हाउस में कह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार इस तरह की बात करते हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : चेयर फैसला देना चाह रही है वह सुनिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री जुगल काबरा : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री जुगल काबरा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अंकित ही नहीं होगा, आप बोले जा रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री जुगल काबरा : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सुरेन्द्रजी व्यास ने मुख्य मंत्री के खिलाफ जो बात कही है उसको एक्सपंज किया जाता है।

श्री जुगल काबरा : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) एक्सपंज कर दिया।

श्री शांति कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : साहब, बोलने तो दीजिए अपनी बात तो कहने दीजिए, यह क्या बात हुई है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं न अब क्या बोलना है? (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने मूव किया है, रिलेटेड मेरे डिपार्टमेंट से भी है मामला। (व्यवधान) आप कम से कम मुझे इजाजत तो दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग पर बोल लेना न। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप इजाजत तो दीजिए साहब...(व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने देंगे। अभी तो इन्होंने जनमत जानने के लिए अमेंडमेंट किया है, पेश किया है उस पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : जो बात आई है उसी के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद आप बोल लेना। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं रिलेवेन्ट बात बोल रहा हूं। (व्यवधान) उसी के संदर्भ में बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं उसी के संदर्भ में बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसी के संदर्भ में आपको बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप बिराजिए। (व्यवधान) यह जवाब दे दें उसके बाद आपको बोलने देंगे। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपसे पूरे सदन की तरफ से निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरह से हल्के ढंग से, असम्मानित तरीके से और बिना किसी ठोस आधार के माननीय मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ माननीय सदस्य ने इतना बड़ा आरोप लगाया है उसको आप कार्यवाही से एक्सपंज करें, यह मेरा आपसे सदन की तरफ से निवेदन है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या आरोप लगाया है? (व्यवधान) नहीं, नहीं आरोप क्या लगाया है? (व्यवधान) फैक्टस है। (व्यवधान) आपने आरोप लगाया, सीधा, सीधा आरोप लगाया। (व्यवधान) सीधा आरोप लगाया आपने।

श्री संजीव कुमार : नहीं, आप बोल चुके...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं *** वाला से लिया मैंनें। (व्यवधान) उसको तो मैंने ही विदड्रा कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो उत्तर दीजिए।

डा. (श्रीमती) कमला : दूसरा, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार ने अपने विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजस्थान नगरीय क्षेत्रों में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु डिस्कशन किया, चर्चा की और यह तय पाया कि शहरों के अन्दर बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर लैण्ड है और जिनके ऊपर आज की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कोई दूसरी एक्टिविटीज, जो आज कस्बों और शहरों के विकास के लिये आवश्यक हैं,

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

*** शब्द माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।

(डा. (श्रीमती) कमला)

उनकी कार्यवाही सम्पादित नहीं हो सकती। इसलिए यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मांग पर, उनके सुझावों पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार यह तय हुआ कि इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं की जाएं जिससे कि डवलपमेंट तेजी के साथ भी हो सके। तो एक तरफ जो भूमि धारी थे उनको यह मौका दिया गया कि वे अपनी भूमि पर प्रथम अवस्था में जो हुआ सन् 1999 में वह यह हुआ कि वह अकृषि कार्यों हेतु भी उसका उपयोग कर सकेंगे और प्रथमत: उसके अन्दर हाउसिंग और कामर्शियल परपजेज के लिये उसमें इजाजत दी गयी। अब उसके बाद में इन पिछले सालों में चर्चा के दौरान यह तय पाया गया कि सिर्फ हाउसिंग और कामर्शियल परपजेज के लिए ही नहीं, नगरीय क्षेत्रों में और भी बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके तहत कार्यवाही गैर कानूनी ढंग से हो जाती है, अवैध रूप से हो जाती है, तो वह अवैध रूप से न हो, कायदे-कानून के अन्तर्गत हो। इसके लिए उसमें इंस्टीटयूशनल, सेमी-कार्मिशयल, इण्डस्ट्रियल, सिनेमा, पेट्रोल पम्प, इन परपजेज के साथ-साथ मल्टी-प्लेक्स यूनिट्रस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस, टूरिज्म प्रोजेक्टस और ऐसे कोई और प्रोजेक्टस जिनको गवर्नमेंट समय-समय पर नोटिफाई करे इनके लिए भी यह सुविधा उपलब्ध करायी जाए। एक तो इस दृष्टि से किया गया।

दूसरा, यह है कि मौजूदा जो प्रावधान सन 1999 में किया गया था वह भूमिधारी के लिए था उसमें एरिया को, उसके जोन आफ कंसीडरेशन, जो व्यक्तियों का या संस्थाओं का था, उसको भी उसमें शामिल किया गया। अभी जो आप पढ़ रहे थे मन्दिर भूमि और यह भूमि, पूर्व में जिनको एक्सक्लूड किया गया था उसमें रजिस्टर्ड ट्रस्ट भी है, चेरिटेबल ट्रस्ट भी है, मन्दिर भी है, देवस्थान की भूमि भी है और वक्फ भी है। अभी जो इसमें हमने इन्क्लूड किया है वह न मन्दिर की भूमि की है, न देवस्थान की भूमि की है, न वक्फ की भूमि की है, सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रस्ट और चेरिटेबल इंस्टीटयूशन की जमीन ही इसके अन्दर शामिल की है और वह भी इस तरह से शामिल की है कि वे संस्थाएं जो अपने कार्यों के लिये, अपनी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपनी उस जमीन पर कोई इस तरह का कामर्शियल या और कोई काम्पलेक्स भी खड़ा करके अपनी आमदनी का स्त्रोत बनाना चाहती है, उनको भी यह इजाजत दी जाए।

साथ में अभी एक मैंने छोटा अमेण्डमेंट करके आपको दिया है उसमें यह भी किया है कि उस स्त्रोत से जो पैसा आएगा वह उस संस्था के अपने कामकाज के अन्दर ही उपयोग होगा वह किसी और उपयोग में नहीं किया जा सकेगा। ये दो मुख्य इसके अन्दर चीजें हैं। एक तो यह कि सिर्फ भूमिधारी के अलावा इन दो

(डा. (श्रीमती) कमला)

केटेगिरीज की संस्थाओं को भी इजाजत दे दी और एक जो आइटम्स हैं, उन आइटम्स में यह बढ़ोतरी की गयी है। मुख्य रूप से इसके लोन का उद्देश्य यही है कि किसी भी शहर और कस्बे के अन्दर इसका किस प्रकार से डवलपमेंट में उपयोग किया जा सकता हो और अवैध रूप से कोई कार्यवाही करने की किसी भूमिधारी को आवश्यकता नहीं पड़े।

अब इसको इस ढंग से कुछ बड़ा भारी रहस्यमय और बड़ा भारी अण्डर ग्राउण्ड और न मालूम क्या-क्या मोटिव और यह सारा करके आपने जो केस पढ़े हैं, एक तो मन्दिर की भूमि का केस पढ़ा है। अगर किसी पुजारी के व्यक्तिगत नाम पर वह खातेदारी हैं, जो वह जरूर बेच सकता है लेकिन अगर उसके साथ में मन्दिर फलां-फलां जुड़ा है, तो वह चाहे रजिस्ट्रेशन हो गया तो भी वह बोइड है, वह नहीं कर सकता है। दूसरा, किसी की अगर पर्सनल प्रोपर्टी है और वह बेच रहा है, तो वह उसको अधिकार है बेचने का। अगर किसी को पहले भनक पड़ गयी, या आप समझते हैं कि किसी ने परपजली बता दिया, परपलजी नहीं बताएं तो भी पहले अरबन डवलपमेंट की जो बैठकें हुई उनके अन्दर जो फैसले हुए उसके बाद में हमें निर्देश मिला कि इसके अनुसार जो फैसला किया गया है इसके अनुसार आप अपने राजस्व एक्ट में भी संशोधन करो। इतना समय जो चर्चाओं में लगा, उसके आदान-प्रदान में लगा, वह तो किसी को भी इत्तिला हो सकती है उसमें कोई बहुत गुप्तबात तो कुछ है नहीं। और जो आपने उदाहरण दिए हैं वह तो दोनों का इससे ताल्लुक नहीं बैठता है।

तीसरी, जो बात आपने व्यक्तिगत मेरे ऊपर कही है। यह मेरे को मालूम है। मुझे इसका नोटिस आया हुआ है और मैंने इसमें कहा है कि जो कार्यवाही उस समय लालकोठी एरिया की की गयी, जो कि पहले अवाप्त भूमि थी उसके फैसले हो चुके थे उन फैसलों को मात्र मैंने तो एक्जीक्यूट किया। अपने वक्त में कोई नया फैसला लिया नहीं। इसलिए वह उन्होंने जो आशंकावश मेरे पर इस तरह की टिप्पणी की है उसका वस्तुत: कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप जो यह समझ रहे हैं कमलाजी जाने कितनी जमीन खा गयी, कितनी खिला दी, कितना पैसा ले लिया और कितना क्या कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया। (व्यवधान) मैंने कुछ भी नहीं किया, न मैंने एक प्लाट लिया...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने कहा ही नहीं। (व्यवधान) मैंने कहा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप बोले तब वे बिलकुल एक मिनट नहीं बोली।

डा. (श्रीमती) कमला : एक मिनट, सुनिए, आप शान्ति से।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने कहा ही नहीं।

डा. (श्रीमती) कमला : आपने तो नहीं कहा लेकिन उसको यहां उद्धत करने का, इर्रेलेवेंट बात को यहां उद्धत करने का तात्पर्य क्या हुआ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुप्रीम कोर्ट कहता है।

डा. (श्रीमती) कमला : कहता है, तो वही तो मैं कह रही हूं न। सुप्रीम कोर्ट को जो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में जो प्लीड किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे तो पार्टी नहीं बनाया। अगर मुझे पार्टी बनाते, मैं अपनी बात कहती तो वे शायद और दूसरी बात कहते। इसी तरह से लोकायुक्त महोदय ने मेरे से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा। अगर मांगते तो मैं बताती कि वस्तु स्थिति क्या है। इसलिए मेरा कोई लेना-देना नहीं है उसमें। जब मेरे से पूछा तक नहीं गया, मेरे को मौका नहीं दिया गया, मुझे पार्टी नहीं बनाया गया और वह अपनी मर्जी से लिखा तो मैंने क्या अपराध किया, या मैंने क्या गैर-कानूनी हरकत की है तो उसके लिए लाओ मुझे सजा दो, साहब, क्या देना चाहते हो।

इसलिए ऐसी बातें गलत तरीके से, गलत समय पर और गलत संदर्भ में पेश करना अपने आप में उपयुक्त नहीं है। आप इसमें और भी कोई बात कहेंगे तो मैं फिर वही बात कहूंगी कि जो भी मन्दिर की जमीन है, मन्दिर मूर्ति की, मन्दिर रघुनाथजी हो, मन्दिर माताजी हो, मन्दिर हनुमानजी हो, कोई भी मन्दिर का नाम जहां लगा है वह जमीन कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, मन्दिर मूर्ति के ऊपर परपीचुअल माइनर के नाते वह यह कुछ भी काम नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई कर रहा है, तो गैर कानूनी कर रहा है और कोई गवर्नमेंट के नोटिस में लाएगा, अदालत में जाएगा तो एक सैकिण्ड में वह खारिज होगा। पर्सनल प्रापर्टी कोई भी बेच सकता है, उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे में कहीं न तो कोई साजिश है, न कोई बहुत गहन घपला है और न कोई कुचक्र है जिसकी माननीय सदस्य को आशंका है। इसलिए इसे आगे प्रोसीड किया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) मैं एक स्पष्टीकरण... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2002 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए? (व्यवधान)

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। (व्यवधान) आपको बोलने दूंगा, नहीं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। नहीं, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2002 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। (व्यवधान)

खण्ड-2, माननीय मंत्रीजी संशोधन पेश करेंगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए, बहुत हो गया। आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, नहीं, एक स्पष्टीकरण...

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने दूंगा, I will allow you. बिराजें आप।

खण्डशः विचार

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत बिल के क्लाज दो के अन्दर संशोधन प्रस्तुत किए हैं वह तो इसमें पेश किए ही गये हैं, साथ में एक संशोधन मैं और इसमें एड करना चाह रही हूं कि अबरनाइजेबल लिमिटस के बाद में जो पैरा, क्लाज 2 का सब क्लाज 4, उसका जो प्रोविजो है, उसमें यह जोड़ा जाए– 'and return/proceeds received there from' be inserted" इसी पैरा में जो एक्सप्लेनेशन है उसमें– "...after the expression 'on taken amount and before the punctuation mark, 'the expression or on lease, unless the State Government permits otherwise' be inserted."

यह और मैंने इसके अन्दर संशोधन आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दुबारा बोलिए कि अमेंडमेंट क्या किया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 क्या हुआ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह समझना पड़ेगा न, यह अमेंडमेंट क्या हुआ है, यह समझना पड़ेगा न।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो क्या हुआ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह अमेंडमेंट क्या मूव किया है, यह समझना तो पड़ेगा न। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना यही तो कर रहा हूं कि इसको जरा दुबारा पढ़ लीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना, थर्ड रीडिंग में बुलाएंगे आपको।

डा. (श्रीमती) कमला : हां, लीजिए, दुबारा और पढ़ देती हूं मैं। दुबारा और पढ़ देती हूं, आप नोट करें।

क्लाज 2 के सब क्लाज 4, उसको प्रोविजो, उसमें यह संशोधन है कि–

"After the expression holding or part thereof' and before the expression 'for the purpose of' the expression 'and return/proceeds received therefrom' be inserted."

यह तो उसमें प्रोविजो में है और एक्सप्लेनेशन है नीचे उसमें यह है कि–

"...after the expression 'on taken amount' and before the punctuation mark 'the expression or on lease, unless the State Government permits otherwise' be inserted."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं संशोधन पर बोलना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग में बुला देंगे आपको, बिराजो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आगे नहीं, इस संशोधन पर बोलना चाहता हूं मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

डा. (श्रीमती) कमला : यह पहले संशोधन होना चाहिए न, ऐसे क्या बोलोगे?

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड-3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको क्या इण्ट्रेस्ट है कि इसको जल्दी पास कराएंगे आप?

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये। माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बुला देंगे आपको।

विधेयक का पारण

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) बिल, 2002 संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शांति धारीवालजी, आप बोलना चाहते हैं?

श्री शांति कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य की प्रतिभा से हम बहुत अरसे से वाकिफ हैं लेकिन आज पहली बार मुझे यह पता लगा कि आप अन्तरयामी भी हैं। लालकोठी का फैसला पिछले 40 सालों से जितनी भी सरकारें आई उन्होंने रोक कर रखा और मैंने मंत्री ही हैसियत से आज के दो साल पहले यह अनाउंसमेंट किया था कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसको तो कई दफे कह दिया न आपने।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कुछ बोलने की इजाजत तो दें साहब, ऐसा है मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा, क्योंकि यह ज्वलन्त प्रश्न है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए इसके बाबत। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जानकारी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्रीजी चाहते हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अब मुझे थोड़ा सा बोलने तो दें आप। आप बोले तो मैं बीच में तो बोला नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दे रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय मंत्रीजी, आप जब तैयारी कर रहे थे तो शाम को डाक्टर साहब ने तो आपको ब्रीफ किया या नहीं किया?

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा। पिछले दो सालों में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लालकोठी का ऐसा कोई परिवार नहीं है जो वहां पर निवास करता हो और जिसके दिमाग में, उसको मानसिक पीड़ा इस बात की नहीं होती हो कि आखिर इस लालकोठी का होगा तो क्या होगा? बराबर हर तरफ से जो है...(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यहां पर वह तो हमने वेलकम किया है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : साहब, मुझे बोल तो लेने दो आप। मुझे बोल तो लेने दें आप, आपने वेलकम किया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : लालकोठी योजना का स्वागत करने के बाद फिर बचता क्या है, फिर रोज उसको क्या उठाते हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वेलकम किया है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मुझे बोल तो लेने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : भीमसेन गर्ग को क्यों मालूम पड़ा? डेढ़ लाख वर्ग गज जमीन...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह भी मैं बता देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह भी सयंम लोढ़ा से पुछिए आप। (व्यवधान) डेढ़ लाख वर्ग गज जमीन उसने खरीदी।(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह भी मैं बता दूंगा, आप मुझे सुनो पहले। मुझे सुनो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : गुलाब सिंहजी ने और आपने डिसाइड किया उससे पहले। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप मुझे सुनें। आप मुझे सुने तो सही। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पालिसी भीमसेन गर्ग ने बनाई है, ड्राफ्ट बिल का भीमसेन गर्ग ने बनाया है, यह एलीगेशन है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप मुझे सुनें। भीमसेन गर्ग कौन है, कौन नहीं है, मेरा खयाल है कि मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो नहीं जानता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हां, तो आप मुझे सुन लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इस मामले में करीब-करीब 100 से ऊपर ज्यादा डेलीगेशन से मुलाकात की और डेलीगेशन से मुलाकात की, वे क्या चाहते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट उनको रिलीफ दे सकती है, इस मानसिक पीड़ा से उनको किस प्रकार से मुक्त कर सकती है, इस बाबत लगातार दो सालों से विचार चल रहा था। यह अचानक एक ही रात को फैसला नहीं हुआ है। केन्द्रीय बजट आता है और केन्द्रीय बजट में जो दूसरे रोज एकदम डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। उस पेट्रोल पम्प वाले को जो है, उसको लाख-दो लाख रुपए, जितना डीजल उसके पास होता है उसको अचानक फायदा होता है। पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, एकदम फायदा होता है। यह उस तरीके का फैसला नहीं

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

था। यह फैसला बिलकुल प्रचारित था और प्रचारित ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता के घर पर गया और प्रतिपक्ष के नेता से पूछा कि लालकोठी में क्या फैसला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए, मैंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। एग्री करता हूं और यह लगातार दो साल से प्रेक्टिस होती रही। आज अगर कोई आदमी चाहे वह भीमसेन गर्ग हो या... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय मंत्री महोदय, उनसे सर्टिफिकेट लेते हैं आप?

श्री शांति कुमार धारीवाल : सर्टिफिकेट नहीं, विचार-विमर्श किया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप ही तो फरमा रहे हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : विचार-विमर्श किया है मैंने। भाटी साहब।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कमाल है। आप मंत्री हो तो फिर उनके यहां पर जाने की क्या जरूरत है आपको?

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरे लिए आपका सर्टिफिकेट ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री हीरालाल विश्नोई : क्या जरूरत थी वहां पर जाने की?

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह इस दृष्टि से... (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : बिराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आपकी... (व्यवधान) इधर जाऊं या उधर जाऊं, इधर से भी मुश्किल और उधर से भी मुश्किल है। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं इस सदन से... (व्यवधान) मेरी बात सुनिए आप।

श्री जुगल काबरा : माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेताजी को इन्होंने सब बता दिया था तो सुरेन्द्रजी, पता चल होगा कि बात कहां से लीक हुई है?

श्री शांति कुमार धारीवाल : और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं इस सदन के कम से कम भी 25 विधायक, उनसे मैंने चर्चाएं की हैं। उन्होंने मुझे लिखकर दिया है कि लालकोठी का इस तरीके का फैसला होना चाहिए और मैं आपसे अर्ज करता हुआ पूरी राजस्थान की जनता को भी यह जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो मालपुरा से पधारते हैं, मैंने इनसे भी विचार-विमर्श किया। फैसला करवाने के लिए पहले आपसे भी विचार-विमर्श किया। अब अगर भीमसेन गर्ग हो, चाहे धनश्याम दास बिड़ला हो, चाहे

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

माहिर आजाद हो, चाहे वह क्या कहते हैं आप रिलायंस वाला हो और चाहे कोई हो वह आकर अगर वहां पर कोई जमीन खरीद लेता तो आप यह बताइए कि किसका कसूर है इसमें?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : या धर्मीचन्द जैन हो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कोई हो, धर्मीचन्द जैन हो, कोई भी हो और यह बता दें आप, आप लालकोठी के लिए, आपका आरोप है कि +++ आप यह साबित कर दें कि मुख्य मंत्रीजी ने कहां पर हस्तक्षेप किया। मुख्य मंत्रीजी ने किसको क्या निर्देश दिया हम... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तो सरकमस्टाशंस एविडेंस है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : सरकमस्टाशंस एडिवेंस से कुछ नहीं होता, आप डाकुमेंटरी एविडेंस पेश करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वहीं होता है। कन्विक्शन होता है। सरकमस्टांशल एविडेंस है। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप यह सरकंमस्टांशल एविडेंस तो, मैं ही यह कह दूंगा आपसे कि भीमसेन गर्ग, आपके प्रतिपक्ष के दोस्तों के साथ उसकी नाइत्तेकाफी है इसलिए आप उनके भड़कावे पर यह आरोप लगा रहे हैं। यह अरोप लगाना बहुत आसान है। हर किसी के खिलाफ यह आरोप लगाना बहुत आसान है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सरकमस्टांशस एविडेंस बता रहे हैं, यह गलत है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चूंकि लालकोठी पर सिवाय भीमसेन गर्ग के किसी और ने कोई जमीन नहीं खरीदी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप यह बता दें कि कब किया? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुनिए, जब यह झगड़ा चला तो लोगों में आतंक फैल गया कि अब यह मकान टूटेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने जो नियमन किया वह बहुत अच्छा किया, स्वागत योग्य है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं लेकिन आपके इस फैसले से पहले डेढ़ लाख स्कावयर यार्ड, जो संयम लोढ़ा ने कहा है वह गलत नहीं कहा है। वह क्यों किया और कमलाजी के, माननीय राजस्व मंत्रीजी के आर्डिनेंस के पहले... (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह किसलिए...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्यों अकेले इस भीमसेन गर्ग ने ही यह एग्रीमेंट किया?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अब आप मेरा जवाब सुनिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अकेले भीमसेन गर्ग पर आरोप लगा है, मंत्रीजी, भीमसेन गर्ग से...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप जवाब सुनेंगे या लगातार बोलते ही रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र व्यास। माननीय सुरेन्द्रजी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप घुमा रहे हो उसको। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप यह बता दें, यह बता दें कि लालकोठी के बाबत अगर आपकी जानकारी है तो लालकोठी कितने बीघा की है? कौन-कौन सी जमीनें भीमसेन गर्ग ने ली हैं? आप यह बता दें। कोरा-मोरा, समुद्र में पत्थर फेंक देना और अपने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य हैं, यह कांग्रेस के सदस्य हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतनी देर बोल लिए, सबने सुना आपको, अब सुनो न आप इनको। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : और मुख्य मंत्रीजी से आपकी व्यक्तिगत नाराजगी से, नाराजगी का व्यक्त करने के लिए इस सदन का दुरूपयोग करना यह बहुत आपत्तिजनक बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न आपको लालकोठी के बाबत पूरी जानकारी, न आपको यह जानकारी कि भीमसेन गर्ग ने कितनी जमीनें यहां पर खरीदी हैं जो कि रीयल एस्टेट का धंधा करते हैं। जबरदस्ती का आरोप लगाकर के आप सिर्फ व्यक्तिगत रूप से, चूंकि मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ हैं। कभी मानसिंह देवड़ा को लेकर आप आरोप लगाते हैं, कभी कोई दूसरी बातों को लेकर आप आरोप लगाते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जमीन खरीदने पर प्रतिबन्ध है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कृपया मैं मालपुरा से पधारने वाले माननीय सदस्य से अर्ज करना चाहता हूं कि इस सदन की प्रतिष्ठा को बनाएं रखें। आप बहुत पुराने सदस्य हैं। राजस्थान की जनता आपसे कभी यह अपेक्षा नहीं करती कि आप अपने व्यक्तिगत झगड़ों के लिये इस सदन का उपयोग करेंगे, इन चीजों के लिये आप करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब। बिराजिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आरोप-प्रत्यारोप के बारे में झगड़ा हो रहा था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता और मैं नाम भी नहीं लूंगा, चूंकि राजेन्द्र जी पारीक ने कहा कि जो सदस्य यहां पर मौजूद नहीं है उनका नाम मत लेओ। लेकिन इस अमैंडमेंट बिल के तहत मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपके उस कमिटमैंट में भी मैं नहीं जाना चाहता। मोमे वाले केस में आपने फरमाया था कि सात दिन में आप मुझे जवाब देंगे। इस बिल में मंत्री महोदया, सबसे बड़ी जो...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मोमे वाला कौनसा?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वह मैं बाद में पर्सनली अर्ज कर दूंगा। आपने फरमाया था कि मोमे वाले केस में इंक्वायरी कराकर सात दिन का आश्वासन दिया था।

डा. (श्रीमती) कमला : कौनसे वाला?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वही भैरोसिंह जी वाला और उनके जंवाई साहब वाला। मोमे वाला। जांच हो गयी है। जांच कहा पड़ी है वह मंत्री महोदया जानती होंगी। एनी वे मैं यह अर्ज करना चाहता हूं मंत्री महोदया, 1996 में राजेन्द्रजी चौधरी ने जोधपुर महाराजा की जमीनों के बारे में कुछ इश्यू उठाया था। दुर्भाग्य से विपक्ष के नेता, अभी जो कह रहे हैं न ब्रूट मैजोरिटी के तहत हमें निकाल दिया। ब्रूट मैजोरिटी में उस समय इनको चुप भी कर दिया और उस कारण साजिश से इन पर अटैक भी करवाया। यह तो मरते-मरते बच गये नहीं तो आज यहां होते भी नहीं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं मंत्री महोदया, कि यह जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट का आप जो एक ठोस प्रमाण दे रहे हैं कि साहब, मन्दिरों की जमीन को डयूटी की जमीन को हम नहीं बेचेंगे। लेकिन भले ही तो वह टीनेन्सी एक्ट हो, एक्स-जागीरदारों का मसला हो, भले ही लैण्ड ओनर एस्टेट एक्ट हो, एक्स-रूलर्स का मसला हो जितना घपला मंत्री महोदया, बैक डेट में रेगुलराइजेशन के तहत करोड़ों बीघा जमीन का सन 1947 के बाद हुआ है, वह आप अनुमान ही नहीं कर सकते। वह सब खासकर एक्स-रूलर्स जो हैं, मैं सबका नहीं कह रहा हूं, बट आज जैसे जयपुर का है। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक उदाहरण दिया, जोधपुर का आप ले लीजिए। अच्छा, प्रतिपक्ष के नेता इसलिए आएंगे कि आपने इनसे भी पूछा कि एक कोई ठोस प्रमाण या उदाहरण दीजिए।

आज यह शहर के विधायक बैठे हुए हैं। जोधपुर में मेहरानगढ़ ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। मैं उदाहरण दे रहा हूं जसवन्तथड़ा का, जसवन्तथड़ा की जमीन होगी कम से कम मंत्री महोदया, 1500-2000 बीघा जमीन और 1993 से 1998 में वह जमीन जसवन्तथड़ा, यही

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

प्रतिपक्ष के नेता जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने मेहरानगढ़ ट्रस्ट को दे दी गवर्नमेंट की जमीन। अब मंत्री महोदया, क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन के तहत, मैं आपके दो मिनट लूंगा। इस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन के तहत इन सब महाराजाओं को अधिकार था कि वह अपनी जमीने, किलें, इत्यादि जो पर्सनली रखना चाहते थे, वह अलोकेट करवा लें।

वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया, गवर्नमेंट आफ राजस्थान और महाराजाओं के बीच में जो इस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन साइन हुआ, उसके तहत वह जमीनें आ गयी या किले आ गए। भले ही रामबाग पैलेस हो, चाहे सिटी पैलेस हो या उदयपुर का सिटी पैलेस, ऐसी हजारों-लाखों-करोड़ों बीघा जमीने इन एक्स-रूलस के पास आ गयी और करीब-करीब इन सब एक्स-रूलर्स ने टैक्सेशन से बचने के लिए इनको चैरिटेबल ट्रस्ट और आपने जो फरमाया है रजिस्टर्ड ट्रस्ट, उनमें कन्वर्ट कर दिया। उस कन्वर्जन के तहत आप देखिए, हानि कितनी होती है मंत्री महोदया। उस कन्वर्जन के तहत न तो उन्होंने रजिस्ट्री करवाई और चूंकि वह उनकी लैण्ड ओनर एस्टेट मतलब या तो गवर्नमेंट ओनर थी या वह एक्स-रूलर्स ओनर्स थे तो उन पर कोई भी प्रावधान लागू नहीं हुए। एज ओनर्स भले ही ट्रांसफरीज को मिल गयी या ट्रस्ट बन गए। अब उन ट्रस्ट का नाजायज फायदा इस अमेंडमेंट के तहत उठेगा मंत्री महोदया। उठेगा ऐसे कि यह रजिस्टर्ड है।

आज करीब करीब खासकर के एक्स रूलर्स का एक बार रतनारामजी ने कहा था कि साहब, आप रूलर्स को किले, महाराजाओं को, किले वालों को क्यों फायदा दे रहे हो? टूरिज्म के तहत आप पालिसी बनाएं। भले ही बनाएं लेकिन वास्तव में आपको फायदा नहीं देना चाहिए। क्योंकि वह जमीनें थीं किसकी? जनता की। जनता की थी। एक हजार, पन्द्रह सौ, दो हजार साल से जनता उनके साथ भिड़कर, यह तो एक दुर्भाग्य है कि सन 1947 में ब्रिटिशर्स के यह सब पंगु थे, ब्रिटिश राज के एक्स-रूलर्स और ब्रिटिश राज में 150 साल में इनको ऐसा अय्याशी बना दिया। यह तो कृपा होगी कांग्रेस पार्टी की, कि उनको यह जमीनें मिल गयीं।

उन जमीनों में भी मंत्री महोदया, तीन कैटेगरीज हैं इस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन आप पढ़कर देखें। एक तो उनकी पर्सनल, प्राइवेट किला या पैलेस, एक एस्टेट एण्ड बाकी नोन ट्रांसफरेबल प्रोपर्टीज। अगर आप उनको ट्रांसफर करें तो आटोमैटिकली एक्वायर हो। अब आपने 90 बी के तहत अब जो दूसरा वाला अमेंडमेंट है उसके पहले आपने जो अमेंडमेंट किया, उसमें आपने कहा कि अगर आप उसका

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

करेक्टर चेंज रखते हैं और बाकी टीनेन्सी एक्ट में भी है कि टीनेन्सी एक्ट के तहत कोई जमीन अगर ग्रीन बैल्ट में आयी हुई है और आपकी वगैर परमिशन से मैंने वहां पर सपोज कोई होटल बना लिया है या गार्डन बना लिया है, तो आटोमैटिकली वहां का कलक्टर मुझे नोटिस देकर उसको एक्वायर करना चाहिए टीनेन्सी एक्ट के तहत, लेकिन उसने नहीं किया। जिसकी मर्जी आए वह तो बच गये थे।

आज उदाहरण के रूप में जैसे खातीपुरा है। खातीपुरा मंत्री महोदया, जब बगैर रजिस्ट्रेशन के इन्होंने अलाटीज को दी, महाराजा भवानी सिंहजी ने, कम से कम होगी पांच-छह हजार बीघा जमीन। उसमें आई.पी.एस. अफसर को दिया, आई.ए.एस. अफसर को दिया। अपने पर्सनल फ्रेण्डस को दिया। उन्होंने क्या किया मंत्री महोदया, उनकी सबकी कालोनीज बना दी और करोड़ों रुपयों का तो नुकसान सरकार को पहुंचा और लाखों-करोड़ों रुपयों का नुकसान अभी भी आपको पहुंचेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित इसलिए करना चाहता हूं कि आप अमेंडमेंट लाएं, लेकिन मेहरबानी करके या तो आप, क्योंकि आप निर्देश देंगे, आप फरमाएंगी कि मैं चीफ सेक्रेटरी को कहूंगी, मैं कलेक्टर्स को कहूंगी कि इन जमीनों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। आप कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एजेंसी तो वह है। एजेंसी बड़ी ईजीली परचेजेबल है।

आज मैंने वित्त मंत्रीजी को कहा कि इस ब्यूरोक्रेसी, मेरा कोई ब्यूरोक्रेसी से, मैं खुद भी आई.पी.एस. में था, आई.पी.एस. छोड़कर पोलिटिक्स में आया हूं तो आज इन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब तक आप इन पर कोई अकुंश नहीं रखेंगे, आज जोधपुर में क्या हो रहा है, उदयपुर में क्या हो रहा है। आज जग मन्दिर की जमीन ले लीजिए आप। यह गुलाब सिंहजी साहब बिराजे हुए हैं। अब ओनरशिप तो है सरकार की और उसकी यूज है महाराजा अरविन्द सिंहजी के पास। आज जग मन्दिर की जमीन मंत्री महोदया, कम से कम होगी तो ढाई सौ करोड़ की। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो उसी जमीन को आप लेकर एक शानदार लैक पैलेस बनाइए। इंटरनेशनल कम्पनी को ग्लोबल टेण्डर दीजिए। आप इस सरकार के लिए कम से कम 200-250 करोड़ का फायदा पहुंचा सकती हैं। लेकिन इस एक इनोकुअस अमेंडमेंट के तहत मुझे तो पूरी उम्मीद है, मुझे भय है, मंत्री महोदया कि यह सब जितने भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं। मेरा आरोप है गवर्नमेंट आफ इंडिया पर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आफ ट्रस्ट एक्ट कन्करेंट लिस्ट में है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने जो घपला करना था बहुत जबरदस्त किया, जो इनको पोलिटिकल बेनिफिट दे सकते थे, मंत्री महोदया, उनको अरबो रुपयों की जमीन गिफ्ट कर दी। लेकिन

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

आप ज्ञानी हैं, यह आपका सब्जैक्ट है, रेवेन्यू मिनिस्टर आप रह चुकी हैं, अभी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, मंत्री महोदया, कि अगर आप इन सब को सचेत करें, या तो आप इन सब चेरिटेबल ट्रस्ट की इन्क्वायरी करवा लीजिए कि यह रजिस्टर कैसे हुए हैं और उसके बाद में जो इल्लीगली रजिस्टर्ड हुए हैं उनको आप भंग करिए, जो ट्रस्ट बन गये हैं उनको देवस्थान में रिज्यूम करिए। अगर आप वह भी नहीं करना चाहती हैं, तो चौकस होइये और इसमें आप अमेंडमेंट तो आप ला नहीं सकती, क्योंकि अमेंडमेंट का आप अमेंडमेंट कर रही हैं लेकिन आप जांच करवाइए कि जमीनें जो लैंड ओनर्स एस्टेटस एक्ट के तहत गयी थीं वह लीगली ट्रांसफर हुई हैं या नहीं हुई हैं। जो सरेंडर्ड जमीने हैं, उसका पजेशन रह गया, तो वह महाराजा और जागीरदार लोग अभी भी उसको लिए बैठे हैं।

मंत्री महोदया, एक्चुअली उनकी बीमारी यह है कि वो क्रिटिसिजम नहीं सहन कर सकते। मेरे को इनके जंवाई साहब से कोई दुश्मनी तो थी नहीं, न भैरोसिंहजी से है लेकिन आपके मुख्य मंत्री....

श्री जनार्दन गहलोत : भाटी साहब, इस मामले में तो सुरेन्द्रजी और आप एक थे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : किस मामले में?

श्री जनार्दन गहलोत : जिस मामले में जिक्र कर रहे थे, जंवाई साहब और सारा मामला, आप और सुरेन्द्रजी दोनों एक साथ थे, साहब। आपने तो सारी लड़ाई लड़ी, आज मालूम नहीं क्यों अलग-अलग लड़ रहे हो?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, अलग-अलग नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : इस मामले में तो सुरेन्द्रजी इनके साथ ही हैं।

श्री देवीलाल बैरवा : आप तो पहले भी जब एम.एल.ए. थे तब खड़े होकर विधान सभा में दो घंटे तक इस प्रश्न का जवाब दिया था।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : धन्यवाद।

मंत्री महोदया, मैं डाइग्रेस नहीं होना चाहता हूं पर इसको आप गम्भीरता से लीजिए क्योंकि आप अमेंडमेंट कर के चली जाएगी और उसके बाद में हमारे पास क्या चारा है? आज मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुख्य मंत्रीजी के बारे में कहा, उन्होंने वापस ले लिया, एक्सपंज हो गया, मैं उसकी उसमें नहीं पड़ना चाहता। लेकिन इस बी.जे.पी. की सरकार ने अपने पोलिटिकल एलाइस को, एक्स रूलर्स को, एक्स जागीरदार को, खास कर के मैं उनकी बात कर रहा हूं, जितना ओब्लाइज किया है 50 साल के कांग्रेस के राज में आपने एक आपके कार्यकर्ता को ओब्लाइज नहीं किया है।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिलवाया, आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करता हूं कि इसमें खास तौर से चौकसी आप रखें, बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ अब?...(व्यवधान)...हो गया न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : I will be very brief. I will seek your permission Sir.

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भाटीजी ने जो बातें कही हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्री महोदया, आप जवाब देंगी, पहले मेरी बात सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो एट दी कोस्ट आफ रिपिटिशन, लालकोठी के नियमन के लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं, स्वागत भी करता हूं। यह शिकायत नहीं है, शिकायत यह है कि रिक्त भूखण्डों का एक समान नियमन किया जाएगा, यह सिवाय भीमसेन गर्ग के किसी को पता नहीं था, उसी ने लाखों स्क्वायर यार्ड जमीन खरीदी है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैंने जो दो एग्रीमेंट पढ़ कर सुनाए हैं, पर दो एग्रीमेंट नहीं हैं ऐसे अनेक एग्रीमेंटस हैं। इसी तरह से यह आर्डिनेंस प्रोमलगेट होने के पहले भीमसेन गर्ग ने मन्दिर माफी की जमीनें, लार्ज स्केल पर उसका एग्रीमेंट कराया है और इसलिए मैं कहता हूं उसको नालेज थी, उसको इन्फोर्म किया गया है। अब मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं लेकिन निश्चित रूप से...

श्री शांति कुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर दूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब यह क्या तरीका है? आप बोल लें बाद में।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब है क्या जवाब? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, सब कह दिया इसमें, अब क्या है?(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आखिर है क्या बात? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आजाद साहब। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या दुश्मनी है उस आदमी से?...(व्यवधान)

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट का दर्द है या गर्ग का दर्द है?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं मिल कर के उसको मिली हो, पैसे दिये हैं अगले ने खरीदी है। (व्यवधान) इसमें कहां आपत्तिजनक कोई बात है? रोज की रोज इसी को मुद्दा बना कर और सदन का समय खराब करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य का आरोप है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : दाम दिये जमीन खरीदी है। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह आरोप है कि भीमसेन गर्ग को गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इस बाबत सारी की सारी जानकारी थी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आरोप नहीं तथ्य हैं। आप डिफेंड क्यों कर रहे हो?

श्री शांति कुमार धारीवाल : अच्छा तथ्य, आप तथ्य कहते हैं। मैं आपके माध्यम से आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिफेंड क्यों कर रहे हैं?

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप डिफेंट कर रहे हो, आप जबरदस्ती...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपके तो खिलाफ कुछ कह ही नहीं रहा हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप जबरदस्ती इस पूरी सरकार पर आरोप लगा रहे हो। यह कह कर के कि पूरी सरकार, मुख्य मंत्रीजी जो हैं वो भीमसेन गर्ग की...

श्री सुरेन्द्र व्यास : पूरी सरकार नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, यही तो मुद्दे की बात मैं कहता हूं, पूरी सरकार नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप दोनों बिराज जाओ। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, भीमसेन गर्ग के बजाय तो सुरेन्द्रजी को थी ज्यादा जानकारी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय शांति धारीवालजी खुद कह चुके। सुरेन्द्रजी को ज्यादा जानकारी थी। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : जैसा अभी राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि मन्दिर माफी की जमीन अगर वह मन्दिर की है, मन्दिर के खाते की है तो वह रेगुलराइज हो ही नहीं सकती। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बता रहे हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अब आप यह बता दो अगर मान लीजिए

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

भीमसेन गर्ग को मालूम था तो वो इतनी बेवकूफी तो नहीं कर सकता था कि वो मन्दिर माफी की जमीन खरीदता? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बेवकूफ नहीं है।... (व्यवधान) यह बिल ड्राफ्ट किया हुआ उसका है...(व्यवधान) ड्राफ्ट किया हुआ है बिल।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्रीजी, बोलिए।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठा दीजिए ताकि मंत्री बोलें। सदन का समय खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड नहीं होगा, माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, प्लीज बिराजिए। हो गया बहुत। माननीय मंत्रीजी, आप बोलिए। (व्यवधान) आप बैठो न।

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भाटीजी ने जो कुछ बातें कही हैं उनमें बहुत-सी बातें महत्वपूर्ण हैं और वास्तविक भी हैं, क्योंकि...

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन के तहत में जो राजा-महाराजाओं की जमीनें उनके लिए छोड़ी गयी थी उन जमीनों को छोड़ कर उसके अलावा जो स्टेट की जमीनें हुई, उन जमीनों पर भी बहुत कुछ कब्जे इस तरह से किए हुए हैं और उसमें सम्भवतया जो स्थानीय प्रशासन है उसका भी योगदान इसलिए है कि उन्होंने उसको देखभाल नहीं की, इसके लिए कार्यवाही नहीं की।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

डा. (श्रीमती) कमला : कोर्ट में ले जाकर उनकी स्टे लगा दी गयी। वर्षों तक वह स्टे नहीं खुले। उन स्टे की आड़ में जो एक्स रूलर्स थे, स्टे लेने के बाद में जो राजकीय जमीनें थीं, जो राजकीय प्रोपर्टीज थीं उनको भी उन्होंने मिसयूज किया है, यह बात सही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. (श्रीमती) कमला : इसी तरह से प्रिंजम्प्शन आफ जागीर जो की गयी, उनमें खुदकाश्त की जमीनें उनको छोड़ी जाती थी, उसके अलावा भी बहुत-सी जमीनें उन्होंने अपने पास रखी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

डा. (श्रीमती) कमला : उस बाबत में काफी कुछ केसेज जो निगाह में आए, उनके बाबत कार्यवाही भी की गयी है, की जा भी रही है और जो अधिकारी स्टे को खारिज कराने में लापरवाही बरत रहे हैं या मिलीभगत से उसे नहीं कर रहे हैं उनको भी तकाजे कर के और एक्शन लिये जाने की कार्यवाही की गयी है। लेकिन इसके बावजूद भी यह तथ्य है कि बहुत-सी जमीनें, बहुत-सी प्रोपर्टी की इस तरह से खुर्द-बुर्द हुई हैं लेकिन जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है या जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनके अन्दर यह जमीनें कभी नहीं आयेगी जो उनकी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

डा. (श्रीमती) कमला : आप सुन लीजिए जरा। मैंने आपको सुना, आप भी सुनो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

डा. (श्रीमती) कमला : जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं या चैरिटेबल इंस्टीटयूशंस हैं, आधिकारिक रूप से जो उनकी खुद की जमीनें हैं, सिवाय उन जमीनों के वो किसी दूसरी जमीन को कायदे में उपयोग नहीं कर सकते, गैर कायदे, अवैधानिक रूप से कोई करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने के प्रावधान मौजूद हैं। इसलिए इसको पारित किया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधयेक, 2002 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2002 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

माननीय अकाल सहायता मंत्रीजी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, आर्डर। हो गया न।

शासकीय वक्तव्य

चक्रवात और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नदबई से और डेगाना से आने वाले माननीय

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

सदस्य ने दिनांक 7 और 8 अप्रैल को आए चक्रवात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। जैसाकि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मैं सभी जिलाधीशों से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके सदन को अवगत करवाऊंगा। मैंने राजस्थान के सभी जिलों से जो जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार स्थिति इस प्रकार है। राजस्थान के 32 जिलों में से 28 जिलों में जिलाधीश महोदयों ने चक्रवात और ओलावृष्टि से किसी को नुकसान का जिक्र नहीं किया है। केवल चार जिले जिनमें जोधपुर, पाली, राजसमन्द और बीकानेर का उल्लेख है। उन्होंने लिखा है :-

जोधपुर जिले की सात तहसीलों में से छः तहसीलों में कोई नुकसान नहीं हुआ जबकि तहसील बिलाड़ा के ग्राम बूरूंगा में 529 हैक्टेयर क्षेत्रफल में 30 प्रतिशत आलोवृष्टि, चक्रवात से फसल को नुकसान हुआ है। इसी तहसील के ग्राम देवनगर में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।

पाली जिले में दिनांक 8.4.2002 को हुई आलोवृष्टि, चक्रवात के दौरान बिजली गिरने से तहसील जैतारण के ग्राम डिगराना में चार बकरियों की मृत्यु हुई है और तहसील रायपुर की मजरा मियां पुलिया में एक बीस वर्षीय चरवाहे की मृत्यु हुई है।

राजसमन्द जिले में 7.4.2002 को हुई ओलावृष्टि, चक्रवात से भीम तहसील देवगढ़ के ग्राम कीटों का बाड़िया में भीम तहसील निवासी एक व्यक्ति की कुल बत्तीस बकरियों की मृत्यु हुई है।

बीकानेर जिले में दिनांक 7.4.2002 को हुई ओलावृष्टि, चक्रवात से नोखा तहसील में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु तथा दो व्यक्तियों के मामूली रूप से चोटें आयी हैं।

राज्य सरकार द्वारा ओलावृष्टि और चक्रवात से हुए नुकसान के सम्बन्ध में पीड़ितों को निर्धारित नार्म्स के अनुसार सहायता राशि भुगतान करने के निर्देश जिला कलक्टर्स को दिए गये हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन जिलों के जिलाधीशों ने गलत रिपोर्ट दी है उनके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे भरतपुर जिले में...

श्री रिछपाल मिर्धा : हमारे नागौर में सब जगह...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 28 जिलों में, जहां से रिपोर्ट नहीं आयी उनके बारे में क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक बोलें।

श्री रिछपाल मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों की फसल खलिहानों में पड़ी थी, वह सारी की सारी फसल भीग गयी। ओलोवृष्टि से खराब हुई फसल का मुआवजा देने की सरकार की मंशा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न।

श्री रिछपाल मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार की हठधर्मिता है और सरकार किसानों को कुछ राहत पहुचाने का सोच नहीं रखती है। मैं सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ सदन से बहिष्कार करता हूं।

(माननीय सदस्य श्री रिछपाल मिर्धा का सदन से बहिर्गमन)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सरकार की कोई हठधर्मिता नहीं है। जो सूचना कलक्टर्स ने हमको दी है उसके आधार पर मैंने सदन को अवगत कराया है।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे करौली जिले में नुकसान हुआ था। (व्यवधान) फसल खलिहानों में पड़ी हुई थी। वह सारी फसल नष्ट हो गयी। गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ओलावृष्टि से इतना नुकसान हुआ है कि खलिहानों में पड़ी फसल बरसात से सारी तबाह हो गयी।

श्री रामस्वरूप : इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कम से कम हमारे करौली जिले को भी सहायता दें। जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए। उनके बिजली के बिल माफ किए जाएं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, 25 बकरियां मर गयीं। किसानों के साथ अन्याय हुआ है। फसल नष्ट हो गयी करौली जिले में, उनको भी सहायता दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बिराजिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नदबई से आने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि वे चाहते हैं तो मुझे कहें ताकि मैं दुबारा जांच कराने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। माननीय मुख्य सचेतकजी। गुजरात पर प्रस्ताव। माननीय सदस्य, गुजरात पर प्रस्ताव। बिराजें प्लीज। गुजरात पर आप इतने बोल रहे थे। इस पर प्रस्ताव आ रहा है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनें। जिला कलक्टर ने रिपोर्ट सही नहीं भेजी। किसानों की फसल खलिहानों में पड़ी बरसात से खराब हो गयी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नदबई से आने वाले माननीय सदस्य रिपोर्ट को चेलेंज करेंगे तो मैं दुबारा जांच कराने को तैयार हूं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : चेलेंज कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन के सामने चेलेंज कर रहा हूं। बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आपने इतनी गम्भीरता से, आप बिराजिए। प्लीज हो गयी न बात।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अभी इनके सामने चेलेंज कर रहा हूं और क्या चाहिए? उपाध्यक्ष महोदय, सत्यानाश हो गया, बरबाद हो गया किसान।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलशहर) : शीतलहर का मामला, ओलावृष्टि का मामला, पिछले महीने शीतलहर से हुए नुकसान के बारे में सरसों की फसल को नुकसान हुआ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको संतोष है। बकरियां मर गयी, किसी को भेड़ मर गयी, किसी का कुत्ता मर गया। किसान बरबाद हो गया उसकी चिन्ता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री नन्दलाल पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले महीने शीतलहर से सरसों की फसल को नुकसान हुआ था। मैंने इस सम्बन्ध में राहत मंत्रीजी से वक्तव्य देने की बात कही थी और सहायता देने की मांग की थी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आ गयी आपकी बात, रिकार्ड पर आ गयी न। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आज साम्प्रदायिक शक्तियों ने जिस प्रकार देश में सिर उठाया है और मानवता पर क्रूर प्रहार किया है...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : साहब, काश्तकारों के पास कुछ नहीं रहा। सरसों की फसल बरबाद हो गयी 50 से 80 प्रतिशत। मैंने राहत मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में निवेदन किया था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जिन माननीय सदस्यों को रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो वे हमें बता दें। मैं उसकी दुबारा जांच करवाने को तैयार हूं। किसानों को राहत पहुंचाने का काम निश्चित रूप से सरकार करेगी, जहां नुकसान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतकजी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हद हो गयी। कभी मंत्रियों पर हाथों हाथ रिएक्शन हुआ है क्या? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : मैं मीटिंग में रखूंगा मामला अकाल राहत के बारे में, आपने कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, प्लीज।

माननीय मुख्य सचेतकजी।

शासकीय संकल्प

गुजरात में हुए अमानवीय अत्याचारों की निन्दा व राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने का संकल्प

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन सदियों से लम्बे संघर्ष तथा स्वतंत्रता सेनानियों की कुरबानी से प्राप्त आजादी, साम्प्रदायिकता सदभाव, एक भाईचारे की नींव पर स्थापित प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता पर साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि गुजरात में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किये जा रहे प्रहार एवं नरसंहार, गरीबों की सम्पत्ति को नुकसान विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों की घोर निन्दा करता है।

मान्यवर, यह सदन राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सदभाव, लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को हर हाल में कायम रखने का दृढ़ संकल्प लेता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

राष्ट्रगान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा।
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा।
तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशिष मांगे।
गाहे तब जय गाथा।
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.47 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राजकीय चिकित्सालय नोहर (हनुमानगढ़) में महिला एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ का रिक्त पद

470. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ के राजकीय चिकित्सालय नोहर में महिला रोग विशेषज्ञ तथा नेत्र रोग विशेषज्ञ का पद लम्बे समय से रिक्त है?

(2) क्या सरकार उक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। पी.पी. सेंटर नोहर में कनिष्ठ–विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद स्वीकृत है, जिस पर डा. गोगाराम, कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) कार्यरत है तथा नेत्र रोग विशेषज्ञ का कोई कार्य पद स्वीकृत नहीं है।

(2) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में नवीन जनगणना के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

471. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र वर्ष 1981 की जनसंख्या के आधार पर खोले गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां?

(2) वर्ष 1981 की जनसंख्या के बाद बढ़ी हुई वर्ष 2002 की जनसंख्या से जहाजपुर व कोटड़ी के भू-भाग के ग्रामों की जनसंख्या के आधार पर विभाग के मानदण्ड से कितने केन्द्र होने चाहिए? उक्त के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों में लगभग 50,000 की जनता उक्त योजना से वंचित है और पूरे विधान सभा क्षेत्र में मानदण्ड के अनुसार नये केन्द्र सृजित होना आवश्यक हैं? उक्त के लिए सरकार क्या सोच रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त विधान सभा क्षेत्र में मानदण्डानुसार केन्द्र कब तक खोल दिए जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम बार वर्ष 1981 की जनसंख्या के आधार पर खोले गये थे परन्तु वर्ष 1995-96 में वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार बढ़ी हुई आबादी के अनुपात में 12 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये। विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना जहाजपुर के 103 एवं कोटड़ी के 38 कुल 141 आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि वर्ष 2001 की पंचायत समितिवार जनगणना के आंकड़ें जनगणना निदेशालय द्वारा प्रकाशित नहीं किये गये हैं।

(3) जी हां। वर्तमान में विभाग को सही तथ्यों की जानकारी नहीं है क्योंकि नवीनतम जनसंख्या आंकड़े अभी अप्राप्त है। जी हां। मानदण्ड के अनुसार नवीन केन्द्र स्वीकृत होने चाहिए परन्तु अतिरिक्त नवीन केन्द्रों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जावेगी। जिसके लिए विभाग द्वारा यथा समय भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिये जावेंगे।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार अतिरिक्त नवीन केन्द्र भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही खोले जा सकेंगे। जनगणना, 2001 के प्रकाशन के पश्चात् प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाएं जाएंगें, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर केन्द्र खोले जाएंगे।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खरीफ फसल के उन्नत बीजों का नि:शुल्क वितरण

472. श्री अमीन खान (शिव): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में खरीफ की फसलों का गरीब किसानों को नि:शुल्क बीज वितरण किया जाता है? यदि हां, तो कब-कब और कितना-कितना?

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने किसानों को नि:शुल्क व कितने किसानों को कीमत पर उन्नत बीज वितरण किया गया? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस वर्ष खरीफ की फसल के लिए समय पर कितना उन्नत बीज वितरण करने का सरकार विचार रखती है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) खरीफ 2001 में जिला जैसलमेर में 300 कृषकों को अरण्डी किस्म डी.सी.एस. 9 के बीज मिनिकट नि:शुल्क वितरित किया गया। जिला जैसलमेर व बाड़मेर में 2000 कृषकों को बाजरा के बीज के मिनिकट्स, कीमत राशि की 10 प्रतिशत राशि कृषकों से वसूल कर वितरित किए गए। दिनांक 28.6.1999 से बीज मिनिकिट लाटरी पद्धति से वितरित किये जा रहे हैं। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) इस वर्ष खरीफ 2002 में कुल 1.82 लाख क्विंटल प्रमाणित/उन्नत बीज उपलब्ध कराने की योजना है। जिलेवार एवं जिंसवार सूची परिशिष्ट 'ब' पर है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की प्रस्तावित नवीन सड़कें

473. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कुल कितनी सड़कें स्वीकृत हैं और नई सड़क कितनी प्रस्तावित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सड़क कार्यों में से कितनी सड़कों का कार्य शुरू हो गया और कितनी का शेष है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में 8 सड़कें स्वीकृत हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है। नई सड़कें 11 प्रस्तावित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट ''ब'' में संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत सड़क कार्यों में पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के तहत कुल 6 स्वीकृत कार्यों में से 2 कार्य प्रगति पर हैं तथा 4 के कार्यादेश दिनांक 15.3.2002 को जारी किये हैं जो कि शीघ्र प्रारम्भ हो जाएंगे। शेष दो कार्यों को धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण विड्रा करने का निर्णय लिया गया है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा किशनगंज में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	योजना	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य की स्थिति
1.	सुदृढ़ीकरण 17/0 से 20/0 भंवरगढ़ नाहरगढ़ सड़क	एस.एम. एण्ड आर.	10.00	गिट्टी कलेक्शन के बाद रोक आने से कार्य बंद।
2.	सुदृढ़ीकरण 12/0 से 14/0 किशनगढ़ रामगढ़ सड़क	एस.एम. एण्ड आर.	10.00	कार्य बजट व मद पर रोक आने से शुरू नहीं हुआ।
3.	कागला बम्बोरी सड़क	पी.एम.जी.एस.वाई.	44.32	कार्य प्रगति पर है।
4.	बजरंगगढ़ से कुंडी	पी.एम.जी.एस.वाई.	75.54	कार्य प्रगति पर है।
5.	गरडा से गयारा	पी.एम.जी.एस.वाई.	43.67	कार्य आदेश जारी कर दिया गया है।
6.	समरानिया से नारायणखेड़ा	पी.एम.जी.एस.वाई.	54.90	कार्य प्रगति पर है।
7.	रामपुरिया से पीजना	पी.एम.जी.एस.वाई.	50.10	कार्य आदेश जारी कर दिया गया है।
8.	सम्पर्क सड़क सोडाना	पी.एम.जी.एस.वाई.	25.15	कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट "अ"

किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित नयी सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)	योजना	प्रस्तावित राशि (लाखों में)
1.	सम्पर्क सड़क भैरूवन (1142/2001)	2.60	पी.एम.जी.एस.वाई. योजना	41.00
2.	सम्पर्क सड़क भैरूना (1109/2001)	2.00	" "	23.65
3.	सम्पर्क सड़क करवरीखुर्द (1147/2001)	2.1	" "	41.85
4.	सम्पर्क सड़क मोयड़ा (1011/2001)	1.9	" "	22.05
5.	सम्पर्क सड़क छतरपुरा (1011/2001)	2.10	" "	23.10
6.	सम्पर्क सड़क माटई अरोन्डा (1123/2001)	–	" "	21.45
7.	सम्पर्क सड़क महोदरा (विलेज हाटरी) (1099/2001)	4.50	" "	51.45
8.	सम्पर्क सड़क देवरी विलेज चीराखेड़ी (1091/2001)	16.00	" "	204.80
9.	सम्पर्क सड़क कस्बा थाना जागर रोड किमी. 2/100 (1020/2001)	–	" "	57.25
10	नारायणखेड़ा विलेज सिरसोदखुर्द (1017/2001)	5.70	" "	68.85
11.	बेन्ता विलेज किराड पहाड़ी (1004/2001)	1.00	" "	18.20

जिला बाड़मेर के अल्पसंख्यकों को वाहन ऋण

474. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यकों को वाहन खरीदने हेतु ऋण दिया जाता है? यदि हां, तो राज्य में कुल कितने अल्पसंख्यकों को ऋण वाहन खरीदने हेतु दिया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 23.12.2000 को जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र सम्बन्धित विधायक पचपदरा को अल्पसंख्यक के लिए ओटोरिक्शा (पेट्रोल) एक ऋण पर देने के लिए लिखा गया था? यदि हां, तो अभी तक इसमें क्या कार्यवाही की गई? क्या श्री साबीर पुत्र श्री अलाबक्स तेली बालोतरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रबन्ध संचालक अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक आयोग राजस्थान जयपुर को भेजा गया था? यदि हां, तो क्या उक्त को ऋण दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि., द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक को वाहन खरीदने हेतु ऋण दिया जाता है। निगम द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से अब तक कुल 55 अल्पसंख्यकों को वाहन खरीदने हेतु ऋण दिया गया है। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जिला कलक्टर बाड़मेर से प्राप्त सूचना के आधार पर माननीय विधायक, पचपदरा को अल्पसंख्यकों हेतु लाभान्वित कराने में सहयोग के लिए जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा पत्र लिखा गया था। जिला बाड़मेर को वर्ष 2000-01 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम योजनान्तर्गत आटोरिक्शा (पेट्रोल) में आबंटित एक लक्ष्य के विपरीत परियोजना प्रबन्धक, बाड़मेर से कोई चयनित नाम प्राप्त नहीं हुआ। जबकि वर्ष 2001-02 में आटोरिक्शा (पेट्रोल) का कोई लक्ष्य आबंटित नहीं होने के बावजूद श्री साबिर पुत्र श्री अलाबक्श तेली, बालोतरा का चयनित नाम जिला कार्यालय, बाड़मेर द्वारा निगम मुख्यालय को भेजा गया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर पृथक से राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन हो जाने एवं इनका कार्य स्वतंत्र रूप से केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जरिए कराने के निर्णय से निगम के परिपत्र दिनांक 4.10.2001 द्वारा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वर्ष 2001-02 में आबंटित लक्ष्यों को निष्प्रभावी समझा जावे। फलस्वरूप श्री साबिर पुत्र श्री अलाबक्श को ऋण वितरण नहीं किया जा सका।

परिशिष्ट-1

राज्य में अल्पसंख्यकों को वाहन खरीदने हेतु उपलब्ध कराये गये ऋण के लाभार्थियों की सूची

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	जिले का नाम		ऋण राशि
1	2	3	4	5
1.	इशाक महोम्मद	अजमेर	आटो पैट्रोल	46750/-
2.	शकील अहमद	बारां	आटो पैट्रोल	46750/-
3.	मुबारक हुसैन	चित्तौड़गढ़	आटो पैट्रोल	46750/-
4.	असरार अहमद	डूंगरपुर	आटो पैट्रोल	46750/-
5.	मुशताक	जोधपुर	आटो पैट्रोल	46750/-
6.	इयान	झालावाड़	आटो पैट्रोल	46750/-
7.	अल्लानूर	नागौर	आटो पैट्रोल	46750/-
8.	मोहम्मद आवेद	सीकर	आटो पैट्रोल	46750/-
9.	महोम्मद असलम	भीलवाड़ा	आटो पैट्रोल	46750/-
10.	महोम्मद अयूब	उदयपुर	आटो पैट्रोल	46750/-
11.	इकवालूद्दीन	उदयपुर	आटो पैट्रोल	46750/-
12.	मुजफ्फर हुसैन	उदयपुर	आटो पैट्रोल	46750/-
13.	महोम्मद आरीफ	चूरू	आटो पैट्रोल	46750/-
14.	नवाब खां	जोधपुर	आटो डीजल	73100/-
15.	शकूर बेग	जोधपुर	आटो डीजल	73100/-
16.	रसूल बक्श	जोधपुर	आटो डीजल	73100/-
17.	महोम्मद शरीफ	जोधपुर	आटो डीजल	73100/-

1	2	3	4	5
18.	महोम्मद खालीब	चित्तौड़गढ़	आटो डीजल	73100/–
19.	महोम्मद शादीक	दौसा	आटो डीजल	73100/–
20.	सलीम खां	जयपुर	आटो पैट्रोल	46750/–
21.	अब्दुल मलाम	अजमेर	आटो पैट्रोल	46750/–
22.	रहमान खां	बाड़मेर	आटो पैट्रोल	46750/–
23.	तसलीम	दौसा	आटो डीजल	73100/–
24.	कल्लू खां	दौसा	आटो डीजल	73100/–
25.	अहसान महोम्मद	भीलवाड़ा	आटो डीजल	73100/–
26.	मुरशीद अहमद	जोधपुर	आटो पैट्रोल	46750/–
27.	मोबीन खां	जोधपुर	आटो पैट्रोल	46750/–
28.	इनसाफ खां	पाली	आटो पैट्रोल	46750/–
29.	हबीब अली	जैसलमेर	आटो पैट्रोल	46750/–
30.	रोशन खां	जैसलमेर	आटो पैट्रोल	46750/–
31.	जहीर हुसैन	बून्दी	आटो पैट्रोल	46750/–
32.	महोम्मद हुसैन	हनुमानगढ़	आटो डीजल	73100/–
33.	महोम्मद रशीद	भीलवाड़ा	आटो डीजल	73100/–
34.	कशमीर महोम्मद	भीलवाड़ा	आटो डीजल	73100/–
35.	वरकतुल्ला	करौली	आटो पैट्रोल	46750/–
36.	मनफूल अली	बीकानेर	आटो डीजल	73100/–
37.	मेहबूब अली	बीकानेर	आटो डीजल	73100/–

1	2	3	4	5
38.	महोम्मद रुसतम	अजमेर	आटो डीजल	73100/-
39.	जाकीर हुसैन	कोटा	आटो पैट्रोल	46750/-
40.	अब्दुल वहीद	जयपुर	आटो पैट्रोल	46750/-
41.	महोम्मद जावेद	अजमेर	आटो डीजल	73100/-
42.	जाकिर हुसैन	डूंगरपुर	आटो डीजल	73100/-
43.	सिराजुद्दीन	डूंगरपुर	आटो डीजल	73100/-
44.	नसीर	टोंक	आटो पैट्रोल	46750/-
45.	मुराद खां	चित्तौड़गढ़	आटो डीजल	73100/-
46.	चांद मोहम्मद	जयपुर	आटो पैट्रोल	46750/-
47.	सूकरात अली	झुंझुनूं	आटो पैट्रोल	46750/-
48.	रीयाज अहमद	जयपुर	आटो डीजल	73100/-
49.	यासीन खां	जयपुर	आटो डीजल	73100/-
50.	हमीद	जोधपुर	आटो डीजल	73100/-
51.	शौकत अली	जोधपुर	आटो डीजल	73100/-
52.	इकबाल खां	बांसवाड़ा	आटो पैट्रोल	46750/-
53.	असरफ खां	डूंगरपुर	आटो पैट्रोल	46750/-
54.	मोहम्मद सलीम	डूंगरपुर	आटो पैट्रोल	46750/-
55.	इकबाल शेख	डूंगरपुर	आटो पैट्रोल	46750/-

निजी क्षेत्र द्वारा राजकीय विद्यालयों का संचालन

475. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या निजी शिक्षण संस्था वालों से किराया लेकर राजकीय विद्यालय भवनों में द्वितीय पारी चलाने की स्वीकृति देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है?

(2) क्या राजकीय विद्यालयों का संचालन निजी क्षेत्र को सौंपने सम्बन्धी कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? उक्त सम्बन्ध में विचाराधीन प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों का संचालन निजी क्षेत्र को सौंपने से सम्बन्धित कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन विकास निगम की कार का निजी उपयोग

476. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, डा. दिनेश कुमार गोयल व श्री राजहंस उपाध्याय द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम की व्यावसायिक उपयोग के लिए खरीदी गई टैक्सी कार का उपयोग अपने अधिकृत वाहन के रूप में किया तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम से स्थानान्तरण होने के पश्चात् भी दोनों अधिकारियों ने अपना वाहन राजस्थान पर्यटन विकास निगम को सुपुर्द नहीं किया? यदि हां, तो वाहन सुपुर्द नहीं करने के क्या कारण रहे? उक्त वाहनों की खरीद के लिए कितनी राशि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक डा. गोयल द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम की व्यवसायिक उपयोग के लिए खरीदी गई टैक्सी कार के नम्बर को प्राइवेट नम्बर में बदलाया गया? यदि हां, तो प्राईवेट नम्बर बदलने पर कितनी राशि यातायात विभाग में जमा करानी पड़ी तथा टैक्सी कार में प्राइवेट नम्बर बदलने का आदेश किसने किस नियम के तहत किया? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पास वर्तमान में कितनी टैक्सी कारें हैं तथा उनका उपयोग कौन–कौन अधिकारी किस–किस रूप में कर रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार के स्टेट मोटर गैराज विभाग के परिपत्र दिनांक 24 नवम्बर, 1999 (परिशिष्ट 'अ'), जो निगम के गैर व्यावसायिक वाहनों पर ही लागू था, के नियम 7 के अन्तर्गत एक वाहन स्टेट मोटर गैराज विभाग के आदेश दिनांक 28.4.2000 द्वारा श्री दिनेश कुमार गोयल को तथा आदेश दिनांक 6.9.2001 द्वारा एक वाहन श्री राजहंस उपाध्याय को आबंटित किया गया। स्टेट मोटर गैराज विभाग के दिशा-निर्देश दिनांक 7 मई, 2001 के संदर्भ में विभाग (स्टेट मोटर गैराज) द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 11.7.2001 एवं 21.11.2001 के उक्त दोनों आदेशों के दिनांक 29.11.2001 को निरस्त होने के कारण दोनों अधिकारियों द्वारा वाहन निगम को वापिस लौटा दिये। उक्त वक्त वाहनों की खरीद पर कुल राशि रुपये 8,96,950.00 रुपये का व्यय किया गया।

(2) जी हां। इस कार्य हेतु राशि रुपये 35,750.00 यातायात विभाग में जमा करवाई गई। वाहन को टैक्सी नम्बर से निजी नम्बर में बदलने का निर्णय निगम की 98वीं बोर्ड मीटिंग में दिनांक 16.8.2000 को लिया गया था। बोर्ड के निर्णय की प्रति (परिशिष्ट 'ब') पर उपलब्ध है।

(3) निगम के पास वर्तमान में 9 टैक्सी कारें हैं। इनमें से किसी भी टैक्सी कार का उपयोग निगम के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीडा द्वारा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भू-खण्ड विक्रय

477. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

"बीडा" ने अब तक भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कितने भू-खण्ड किस-किस व्यक्ति को किस-किस भाव से बेचे? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में "बीडा" द्वारा दिनांक 1.11.2000 से 31.3.2002 तक कुल 333 भू-खण्ड बेचे गये हैं। जिसमें आबंटियों के नाम एवं दर अंकित हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दवाइयां/उपकरण खरीदने हेतु प्राप्त निविदाएं

478. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्तीय वर्ष 2001-02 में सरकार द्वारा दवाइयों/उपकरणों आदि खरीदने हेतु कितनी निविदाएं कब-कब किस-किस के लिए आमंत्रित की गई? नियत तिथि को कितनी व किनसे निविदाएं किस-किस दर से प्राप्त हुई? क्या उक्त आपूर्ति हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस को?

(2) क्या सरकार को काली सूची में घोषित किये गये व्यक्तियों/फर्मों की भी निविदाएं प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस की किस-किस दर पर क्या-क्या आपूर्ति करने हेतु? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 में विभाग द्वारा दवाइयों की खरीद हेतु अत्यावश्यक औषधि सूची में से राज्य की दवा क्रय नीति के अनुसार राजकीय उपक्रमों द्वारा उत्पादित दवाइयों की खरीद हेतु दर संविदा जारी करने के लिए निविदाएं निदेशालय के पत्र दिनांक 23.2.2001 द्वारा 28.3.2001 तक परिशिष्ट "अ" में वर्णित राजकीय उपक्रमों से आमंत्रित की गई। नियत तिथि को निम्न राजकीय उपक्रमों से निविदा प्राप्त हुई-

1. मैसर्स राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि. जयपुर
2. मैसर्स कर्नाटक एंटिबायोटिक एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बैंगलोर
3. मैसर्स बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल लि. जयपुर
4. मैसर्स स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल लि. नई दिल्ली
5. मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली
6. मैसर्स हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक लिमिटेड, जयपुर
7. मैसर्स ओडीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, भुवनेश्वर
8. मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि. चेन्नई
9. मैसर्स यू.पी. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि. लखनऊ

राजकीय उपक्रमों से प्राप्त विभिन्न दवाइयों की दरों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। सप्लाई हेतु राजकीय उपक्रमों से प्राप्त न्यूनतम दरों पर दर संविदा भण्डार क्रय समिति के अनुमोदन उपरान्त जारी की जा चुकी है। दर संविदा (सप्लाई आदेश) निम्न राजकीय उपक्रमों को जारी की गई है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

1. मैसर्स राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि. जयपुर
2. मैसर्स कर्नाटक एंटिबायोटिक एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बैंगलोर
3. मैसर्स बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल लि. जयपुर
4. मैसर्स स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल लि. नई दिल्ली
5. मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली
6. मैसर्स हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक लिमिटेड, जयपुर

राज्य की दवा क्रय नीति के अनुसार जो दवाइयां राजकीय उपक्रमों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है अत्यावश्यक औषधि सूची में से ऐसी शेष बची औषधियों एवं चिकित्सीय सामग्री हेतु निजी क्षेत्र में दवा निर्माता/दवा आयातकों से दिनांक 30.7.2001 को निविदाएं आमंत्रित की गई। निविदाओं के कवर "ए" को दिनांक 31.7.2001 को खोले गये प्राप्त निविदाओं की कम्पनीवार सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

सैक्शन "ए" की निविदाओं की निविदा शर्तों के अनुसार जांच पड़ताल करने पर योग्य पाई गई निविदाओं को कवर "बी" निविदा शर्तों के अनुसार खोले गये टेंडर में प्राप्त दरों का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। इन निविदाओं के आधार पर कोई भी दर संविदा जारी नहीं की गई है। अत: सप्लाई आदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उपकरणों आदि की दर संविदा जारी करने हेतु संयंत्र एवं उपकरणों के निर्माता/आयातकों से दिनांक 19.12.2001 तक 500 आइटमों की निविदाएं प्राप्त की गई तथा प्राप्त निविदाओं के कवर "ए" निम्न दिनांकों को खोले गए :-

सैक्शन ए.बी.सी. दिनांक 20.12.2001

सैक्शन डी.ई.एफ. दिनांक 21.12.2001

सैक्शन जी.एच.आई.
जे.के. दिनांक 22.12.2001

प्राप्त निविदाओं की कम्पनीवार सूची परिशिष्ट "ई" पर संलग्न है। उक्त प्राप्त निविदाओं के कवर "ए" की जांच कार्यवाही प्रक्रिया धीन है उक्त जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही निविदाओं के कवर "बी" निविदा शर्तों के अनुसार खोले जाएंगे। अभी तक उपकरणों की निविदा का कोई भी कवर "बी" नहीं खोला गया है। अत: दर संविदा व सप्लाई आदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड घोषित किसी ऐसे व्यक्ति/फर्म की जानकारी नहीं है जिसने टेण्डर भरा हो यदि टेण्डर स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो फर्म के टेण्डर पर नियमानुसार उचित कार्यवाही भण्डार क्रय समिति द्वारा की जाती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला एवं पंचायत समिति कार्यालय के नाकारा वाहनों के ड्राइवरों की रिक्त स्थान पर नियुक्ति

479. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीनस्थ राज्य जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत कार्यालयों के कुछ वाहन नाकारा घोषित होने योग्य हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वाहन खराब होने से नाकारा घोषित होने योग्य होने के कारण वर्तमान में वाहन किसी काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहां पर ड्राईवर कार्यरत हैं?

(3) क्या सरकार उक्त स्थानों पर कार्यरत ड्राईवरों को उन कार्यालयों एवं परियोजनाओं में लगाने का विचार रखती है जहां वाहन तो उपलब्ध हैं लेकिन ड्राईवर का पद रिक्त है अथवा अनुबंध के आधार पर ड्राईवर रखे गए हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' संलग्न है।

(3) जी हां। वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध है प्रतिबंध हटने पर इन वाहन चालकों को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाएगा।

परिशिष्ट "अ"

नाकारा वाहनों की सूची

क्र. सं.	नाम कार्यालय	वाहन संख्या	वाहन की स्थिति	नियुक्त वाहन चालक का नाम
1	2	3	4	5
1.	बा.वि.प. अधि., राजगढ़ (अलवर)	RSA1582	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
2.	बा.वि.प. अधि., अलवर (शहर)	RND 1274	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
3.	उपनिदेशक कार्यालय बाड़मेर	RJ 4 C 408	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
4.	बा.वि.प. अधि., चोहटन	RJC 1880	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
5.	बा.वि.प. अधि., सिवाना	RJC 2641	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
6.	बा.वि.प. अधि., बालोतरा	RJC 4987	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
7.	बा.वि.प. अधि., धोरीमन्ना	RJC 5027	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
8.	बा.वि.प. अधि., सिणधरी	RJE 4968	नकारा योग्य	स्वीकृत पद 2 कार्यरत 2 वाहन 1 1. श्री मोती सिंह 2. श्री टीकमाराम
9.	बा.वि.प. अधि., सज्जनगढ़	RJB 6771	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
10.	बा.वि.प. अधि., आनन्दपुरी	RJB 5700	नकारा योग्य	प्री चिमन लाल पारसी
11.	बा.वि.प. अधि., डीग	RSD 6915	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
12.	बा.वि.प. अधि., नदबई	RJ 5C 329	नकारा योग्य	नियुक्त नही
13.	बा.वि.प. अधि., धौलपुर	RJD1687	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं

1	2	3	4	5
14.	बा.वि.प. अधि., बाड़ी	RNJ 2041	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
15.	बा.वि.प. अधि., बसेड़ी	RJNC 0028	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
16.	बा.वि.प. अधि., महुवा	RNI 1897	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
17.	बा.वि.प. अधि., रायसिंहनगर	RNE 2177	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
18.	बा.वि.प. अधि., हनुमानगढ़	RJC 5777	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
19.	उपनिदेशक कार्यालय, जोधपुर	RJ 19C 1978	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
20.	बा.वि.प. अधि., करौली	RJU 7081	नकारा योग्य	नियुक्त नहीं
21.	बा.वि.प. अधि., करौली	RJ 25C 0073	नकारा योग्य	दुर्घटनाग्रस्त
22.	बा.वि.प. अधि., धरियावद	RSS 6620	नकारा योग्य	वाहन एक है 1. शैतान सिंह 2. केशव लाल
23.	बा.वि.प. अधि., पोकरण	RNN 2009	नकारा योग्य	
24.	बा.वि.प. अधि., जैसलमेर	RJM1785	नकारा योग्य	
25.	बा.वि.प. अधि., किशनगढ़ (ग्रा.)	RJ 01C 4293	नकारा योग्य	दुर्घटनाग्रस्त

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	जिला	नाम कार्यालय	वाहन संख्या	नाकारा घोषित की तिथि	
1.	जालौर	बा.वि.प. अधि., जालौर	RJN 3081	2.1.2001	वाहन चालक नियुक्त
2.	जालौर	बा.वि.प. अधि., आहौर	RJN 5086	2.1.2001	वाहन चालक नियुक्त
3.	जयपुर	बा.वि.प. अधि., चाकसू	RNB 589	28.1.2001	–
4.	जयपुर	बा.वि.प. अधि., जयपुर	RNB 357	3.1.2002	–
5.	जैसलमेर	बा.वि.प. अधि., जैसलमेर	RJM 1741	8.2.2002	–
6.	उदयपुर	बा.वि.प. अधि., कोटड़ा	RSJ 3228	11.9.2001	–
7.	नागौर	बा.वि.प. अधि., डेगाना	RNH 4392	22.6.1999	–
8.	नागौर	बा.वि.प. अधि., परबतसर	RSH 4479	11.3.2000	–
9.	नागौर	बा.वि.प. अधि., डीडवाना	RSS 3551	6.2.2002	–
10.	चूरू	बा.वि.प. अधि., रतनगढ़	RSS 5511	27.11.2001	वाहन चालक नियुक्त

जिला बूंदी में जल ग्रहण विकास योजनाओं के सर्वे पर व्यय

480. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला बूंदी में पंचायत समितिवार जल ग्रहण विकास योजना स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त परियोजनाओं का सर्वे करवाया गया था?

(2) क्या वर्तमान में उक्त परियोजनाओं को निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो सर्वे पर किए गये व्यय की जिम्मेदारी किसकी है?

(3) उक्त परियोजनाओं के सर्वे पर कितनी राशि व्यय की गई है? क्या सरकार उक्त परियोजनाओं को पुन: स्वीकृत कर ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। बूंदी जिले में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना अन्तर्गत वर्ष 1997-98 से 2001-2002 के दौरान पंचायत समितिवार कुल 14 जलग्रहण परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। उक्त स्वीकृत 14 जलग्रहण परियोजनाओं में से 2 जलग्रहण परियोजनाओं का सर्वे करवाया गया था।

इसी प्रकार बूंदी जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी द्वारा वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में पंचायत समितिवार विभिन्न परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों को कुल 36 जलग्रहण विकास परियोजनाएं सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत की गई थीं। उक्त स्वीकृत 36 परियोजनाओं में से 34 जलग्रहण परियोजनाओं का सर्वे करवाया गया था।

(2) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना अन्तर्गत स्वीकृत 14 जलग्रहण विकास परियोजनाओं में से किसी भी जलग्रहण परियोजनाओं को निरस्त नहीं किया गया है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत 36 जलग्रहण परियोजनाओं में से 22 जलग्रहण परियोजनाओं को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी के आदेश दिनांक 23.10.1999 द्वारा निरस्त कर दिया गया। निरस्त की गई परियोजनाओं की क्रियान्वयन एजेन्सी वन विभाग एवं विभिन्न पंचायत समितियां थीं।

(जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण मंत्री)

इनमें से 20 परियोजनाओं का सर्वे करवाया गया था। इन परियोजनाओं पर व्यय कम होने के कारण निरस्त किया गया था तथा सर्वे पर हुए व्यय को निरर्थक नहीं माना जा सकता क्योंकि सर्वे रिपोर्ट का भविष्य में भी उपयोग किया जा सकता है। अत: व्यय निरर्थक नहीं होने से जवाबदेही की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

(3) उक्त सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी द्वारा निरस्त की गई 20 परियोजनाओं के सर्वे पर कुल राशि रुपये 5,37,255 व्यय हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। दिनांक 1.4.1999 से सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत नये जलग्रहण विकास परियोजनाओं की स्वीकृति पर भारत सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। अत: इन्हें पुन: स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

परिशिष्ट "अ"

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्रों की सूची जिन्हें सर्वे करवाने के उपरान्त निरस्त कर दिया गया

क्र. सं.	पंचायत समिति	परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	स्वीकृत जलग्रहण परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)	सर्वे पर व्यय राशि (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	हिण्डोली	विकास अधिकारी, पं.स. हिण्डोली	टोकडा-प्रथम	1997-98	20.00	28750
2.	हिण्डोली	विकास अधिकारी, पं.स. हिण्डोली	टोकडा-द्वितीय	1997-98	20.00	27600
3.	हिण्डोली	विकास अधिकारी पं.स. हिण्डोली	काछोला-प्रथम	1997-98	20.00	28750

1	2	3	4	5	6	7
4.	हिण्डोली	विकास अधिकारी, पं.स. हिण्डोली	काछोला–द्वितीय	1997–98	18.40	26450
5.	हिण्डोली	मण्डल वन अधिकारी, बूंदी	हिण्डोली	1996–97	10.68	19800
6.	के.पाटन	विकास अधिकारी, पं.स. के.पाटन	नवलपुरा	1996–97	20.00	31165
7.	के.पाटन	विकास अधिकारी, पं.स. के.पाटन	अरनिया	1996–97	20.00	36800
8.	के.पाटन	विकास अधिकारी, पं.स. के.पाटन	बलवन	1996–97	16.68	23977
9.	के.पाटम	विकास अधिकारी पं.स. के. पाटन	बाबई	1996–97	15.60	24150
10.	के.पाटन	मण्डल वन अधिकारी, बूंदी	बलवन	1996–97	06.80	23417
11.	तालेडा	विकास अधिकारी, पं.स. तालेडा	मण्डावरा	1996–97	20.00	28750
12.	तालेडा	विकास अधिकारी, पं.स. तालेडा	अनोपपुरा	1996–97	20.00	28750
13.	तालेडा	विकास अकिारी, पं.स. तालेडा	भैरूपुरा बरड	1996–97	20.00	28750
14.	तालेडा	विकास अधिकारी, पं.स. तालेडा	पीलाकीखान	1996–97	12.00	17250

1	2	3	4	5	6	7
15.	तालेडा	विकास अधिकारी, पं.स. तालेडा	आमली	1996-97	16.88	32084
16.	नैनवा	विकास अधिकारी, पं.स. नैनवा	खनपुरा-प्रथम	1997-98	16.00	23000
17.	नैनवा	विकास अधिकारी, पं.स. नैनवा	खानपुरा-द्वितीय	1997-98	13.20	18975
18.	नैनवा	विकास अधिकारी, पं.स. नैनवा	जजावर-प्रथम	1997-98	20.00	29900
19.	नैनवा	विकास अधिकारी, पं.स. नैनवा	जजावर-द्वितीय	1997-98	20.00	30187
20.	नैनवा	विकास अधिकारी, पं. स. नैनवा	पाण्डुला	1997-98	20.00	28750
					कुल रु.	5,37,255

जिला श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विचाराधीन सड़कें

481. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सड़कों के नवीनीकरण हेतु दो वर्षीय योजनान्तर्गत राज्य सरकार कितनी राशि व्यय करने जा रही है? प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितनी राशि व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया?

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रदेश के कितने गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना है तथा वर्तमान में कितने गांव उक्त योजना से लाभान्वित हो चुके हैं?

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के कितने गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सड़कों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रुपए 300.00 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रस्तावित है। विधान सभा क्षेत्र के अनुसार सामान्यतया यह राशि लगभग रुपए 150 लाख प्रतिवर्ष है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 1000 व अधिक जनसंख्या के 2001 की अनुमानित जनसंख्या के 2030 गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना है। 1000 से कम व 500 तक की जनसंख्या वाले गांवों की 2001 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के पश्चात् ही पता चलेगा। वर्तमान में 253 गांव इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में वर्तमान में कोई गांव प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़े जाने का लक्ष्य नहीं रखा गया है क्योंकि 500 से अधिक आबादी के सभी गांव डामर की सड़कों से जोड़े जा चुके हैं।

मारवाड़ जंक्शन (पाली) के छात्रावास में आधारभूत सुविधाओं का अभाव

482. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में सरकार द्वारा कितने छात्रावास संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों को सरकार द्वारा एक

(श्री केसाराम चौधरी)

वर्ष में प्रति छात्र क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?

(3) क्या मारवाड़ जंक्शन छात्रावास में विद्यार्थी के सोने के पाटे टूटे एवं कम्बल फटे हुए हैं? यदि हां, तो उक्त कम्बल कब दिये गये थे तथा कितने वर्ष बाद नये देने की व्यवस्था है?

(4) प्रत्येक छात्र के ऊपर सरकार द्वारा कितने रुपये किन-किन वस्तुओं एवं पढ़ने हेतु व्यय होते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में सरकार द्वारा 23 राजकीय एवं एक अनुदानित छात्रावास कुल 24 छात्रावास संचालित है। जिनकी सूची परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। मारवाड़ जंक्शन के छात्रावास में कुछ मात्रा में सोने के पाटे एवं कम्बल टूटे एवं फटे हुये हैं। छात्रावास के छात्रों हेतु कम्बल वर्ष 1986 में दिए गये थे। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार लोहे के पाटे की उपयोगिता न्यूनतम 15 वर्ष एवं कम्बल की उपयोगिता न्यूनतम 10 वर्ष है। अवधि पूरी होने के बाद छात्रावास व्यवस्था हेतु नियुक्त समिति द्वारा कम्बल एवं लोहे के पाटे के अनुपयोगी होने की स्थिति में मांग करने पर नये क्रय हेतु आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

(4) प्रत्येक छात्र के ऊपर सरकार द्वारा कितने रुपये किन-किन वस्तुओं पर एवं पढ़ने हेतु व्यय होते हैं कि सूची परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

पाली जिले में संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास की सूची

क्र.सं.	नाम छात्रावास व स्थान
1.	राजकीय छात्रावास, फालना
2.	राजकीय छात्रावास, जैतारण
3.	राजकीय छात्रावास, आ. कालू
4.	राजकीय छात्रावास, बर
5.	राजकीय छात्रावास, रायपुर
6.	राजकीय छात्रावास, सोजत "ब"
7.	राजकीय छात्रावास, सोजत "स"
8.	राजकीय छात्रावास, बगड़ीनगर
9.	राजकीय छात्रावास, मा.जं.
10.	राजकीय छात्रावास, पाली "ब"
11.	राजकीय छात्रावास, पाली "स"
12.	राजकीय छात्रावास, पाली (कन्या)
13.	राजकीय छात्रावास, रोहट
14.	राजकीय छात्रावास, बूसी
15.	राजकीय छात्रावास, खौड़
16.	राजकीय छात्रावास, रानी
17.	राजकीय छात्रावास, नाडोल
18.	राजकीय छात्रावास, देसूरी
19.	राजकीय छात्रावास, सादड़ी
20.	राजकीय छात्रावास, बाली
21.	राजकीय छात्रावास, सेवाड़ी
22.	राजकीय छात्रावास, बेड़ा
23.	राजकीय छात्रावास, सुमेरपुर
24.	अनुदानित छात्रावास, नापा

परिशिष्ट "ब"

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को प्रति माह एवं प्रतिवर्ष दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण

क्र.सं.	सुविधा का विवरण	प्रतिमाह/प्रतिछात्र रुपये
1.	भोजन, ईधन व नाश्ता	525/-
2.	वस्त्र, जूते, मोजे, तोलिए	80/-
3.	बिजली, पानी	28/-
4.	तेल, साबुन व बाल कटिंग	24/-
5.	बिस्तर धुलाई	12/-
6.	पत्र-पत्रिकाऐं	6/-
	योग	675/-

इन सुविधाओं के अलावा कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को 40/- प्रतिवर्ष व कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों का 60/- प्रति वर्ष स्टेशनरी क्रय करने हेतु दिये जाते हैं।

अन्य सुविधाऐं/प्रति छात्र

क्र.सं.	वस्तु	संख्या
1.	पलंग	एक
2.	गद्दा	एक
3.	बेडसीट	दो
4.	मेज	दो
5.	तकिया	एक
6.	तकिया कवर	दो
7.	कम्बल	दो
8.	चमचा	एक
9.	थाली स्टील	एक
10.	गिलास स्टील	एक

तहसील धरियावाद (उदयपुर) के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

483. श्री नगराज मीणा (लसाड़िया): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील धरियावद जिला उदयपुर में कितने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं?

(2) उक्त विद्यालयों में छात्रों की कितनी-कितनी संख्या है तथा कितने-कितने अध्यापक पदस्थापित हैं?

(3) क्या छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापक कार्यरत है? यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त हैं?

(4) क्या यह सही है कि लम्बे समय से रिक्त पदों को नहीं भरने से विद्यार्थियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है? उक्त में सुधार की क्या व्यवस्था की जा रही है?

(5) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार ब्लाक शिक्षा अधिकारी, धरियावद के कार्यालय में कार्यरत शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील धरियावद जिला उदयपुर में 6 उच्च माध्यमिक एवं 6 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

(2) तहसील धरियावद जिला उदयपुर में संचालित उ.मा.वि./माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 2476 हैं एवं इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या 88 है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में छात्रों के अनुपात के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। मगर व्याख्याता 11, व.अ. 24 एवं अध्यापक 04 कुल 39 पद वर्तमान में रिक्त पद हैं।

(4) जी नहीं। विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार हेतु गेस्ट फैकल्टी योजना के अन्तर्गत लगाया जाकर छात्रों की शिक्षण व्यवस्था की गई है।

(5) जी हां। व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने हेतु विभिन्न विषयों की अर्थनाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाई जा चुकी है। पदोन्नति पर लगाई गई रोक हटाये जाने पर ही आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(6) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा, धरियावद (उदयपुर) कार्यालय में वर्तमान में कोई अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

किसानों को विद्युत् बिलों में अनुदान

484. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में कृषि कनेक्शनों के किसानों को प्रति यूनिट विद्युत् आपूर्ति किस दर से की जा रही है? गत बजट सत्र 2000-2001 के दौरान उक्त आपूर्ति किस दर से की जा रही थी? गत दो वर्षों में उक्त श्रेणी में कब-कब तथा कितनी बार बढ़ोतरी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों का विद्युत् बिलों में सब्सिडी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में किसानों को प्रति यूनिट विद्युत आपूर्ति की दर तथा बजट सत्र 2000-2001 के दौरान विद्युत आपूर्ति की दर का विवरण परिशिष्ट ''अ'' में सदन के पटल पर रख दिया गया है। गत दो वर्षों में कृषि श्रेणी की विद्युत दर एक बार बढ़ाई गई है जो कि दिनांक 1.4.2001 से प्रभावी हुई जिसका विवरण उपरोक्त परिशिष्ट ''अ'' में दर्शा दिया गया है।

(2) वर्तमान में किसानों को विद्युत बिलों में सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

STATEMENT INDICATING LAST TWO YEARS RATES APPLICABLE ON AGRICULTURE CATEGORY CONSUMERS

Rate in Paise/Unit

S.No.	CATEGORY	Tariff rates during financial year 2000-01	Tariff rates w.e.f. b/m May' 2001 onwards
	AGRICULTURE:		
(I)	**Merered Supply**		
(i)	General	70	90
(ii)	Agriculture connections in Farm Houses	220	275
(iii)	All others not covered under (i) & (ii) above including Nursery (till Conversion), Urban area wells, 24 hours supply areas and Poultry farms	140	165
(II)	**Flat Rate Supply** (in Rs. Per HP/Month)		
(i)	General and Special General Category	60	85
(ii)	Special Scheme—Fodder scheme	120	145
(iii)	All others not covered under (i) & (ii) above Urban area wells and 24 hours supply areas	120	175

पंचायती राज संस्थाओं का चिकित्सकों पर नियंत्रण

485. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों के नियंत्रण के लिए कुछ अधिकार पंचायतीराज संस्थाओं को सौंपे थे? यदि हां, तो कब तथा क्या-क्या? उक्त सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा जारी उक्त आदेशों की पालना हुई है? यदि हां, तो कैसे तथा सरकार ने कैसे सुनिश्चित किया और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त आदेशों की पालना हो इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे आदेशों की पालना सुनिश्चित हो सके?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। आदेशों की अधिकांशतया पालना की जा रही है। जिला स्तर के अधिकारियों के माध्यम से आदेशों की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित किए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुष्कर गैप परियोजनान्तर्गत वृक्षारोपण

486. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर गैप परियोजना जो आई.सी.ई.एफ. के सहयोग से वर्ष 1999-2000 में शुरू की गई? यदि हां, तो इसकी योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि पुष्कर गैप परियोजना क्षेत्र में शीशम, नीम, अरडू तथा फलदार पौधे चकैया, आंवला, नीम्बू, अमरूद, अनार, जामुन लगाने तथा चारागाह विकास हेतु मुंजा, घास बुवाई का प्रावधान रखा गया था?

(3) उक्त परियोजना में सरकार ने कौन-कौन से पौधे लगाये और उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में आंवला, नीम्बू, अमरूद, अनार, जामुन के लगाये पेड़ों में से कितने जीवित हैं और जीवित पेड़ों पर क्या फल लगने शुरू हुए? यदि हां, तो कितनी तादाद में और नहीं, तो क्यों?

(श्री रमजान खान)

(5) क्या यह सही है कि पुष्कर गैप परियोजना के अन्तर्गत लगाये फलदार पौधे करीब-करीब मृत हो चुके हैं?

(6) क्या यह भी सही है कि लाखों रुपये व्यय करके लगाये गये पौधों की बरबादी विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की लापरवाही से हुई? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह परियोजा वर्ष 1997-98 में प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना की स्वीकृत राशि रुपये 425.00 लाख थी।

(2) जी हां।

(3) विभाग द्वारा वानिकी गतिविधि अन्तर्गत शीशम, इजराईली, बबूल, करंज, अरडू, जंगल जलेबी, कुमठा एवं नीम प्रजाति के कुल 164000 पौधे लगाये गये, जिन पर रुपये 43.54 लाख का व्यय हुआ। उद्यानिकी गतिविधि अन्तर्गत आंवला, गौन्दा, नीम्बू, अमरूद, अनार, करौंदा, आम, जामून एवं फालसा प्रजाति के कुल 66264 पौधे लगाये गये जिन पर रुपये 26.996 लाख व्यय हुए हैं।

(4) यूजर्स कमेटियों के सदस्यों/अध्यक्षों द्वारा माह मार्च, 2002 में किये गये मौका मुआयना के आधार पर आंवला, नीम्बू, अमरूद, अनार एवं जामून के लगाये गये 51834 पौधों में से 30513 पौधे जीवित हैं। परिपक्वता (मैच्युरिटी स्टेज) की निर्धारित अवधि में नहीं पहुंचने के कारण जीवित पेड़ों पर फल शुरू नहीं हुए हैं।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से सामान्य से कम वर्षा होने के बावजूद भी वर्तमान में परियोजना में 38460 उद्यानिकी पौधे जीवित हैं। परियोजना अवधि की समाप्ति के उपरान्त आई.सी.ई.एफ. द्वारा गठित समिति ने माह अप्रेल, 2001 से जून, 2001 की अवधि में परियोजना में सम्पादित कार्यों का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार लाभान्वित व समुदाय के फलदार बगीचे विकास कार्यक्रम एवं वृक्षारोपण कार्यों में रूचिपूर्ण योगदान के कारण इन गतिविधियों हेतु प्रतिवेदन में आंके गये लाभों की अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त होने के फलस्वरूप समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार पाया गया। इन गतिविधियों के परिणाम एवं लाभों को देखते हुए अन्य कृषकों द्वारा भी इन गतिविधियों को अपनाया गया।

खेरियाघाटा व रणघाटी (उदयपुर) का सुदृढ़ीकरण

487. श्री कुबेर सिंह (फलासिया): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार उदयपुर से झाड़ोल मार्ग पर खेरीयाधाटा व रणघाटी को विशेष योजना में सम्मिलित कर इसका सुदृढ़ीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

उदयपुर से झाड़ोल मार्ग पर खेरीयाघाटी एवं रणघाटी के सुधार का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

पंचायत समिति आनन्दपुरी (बागीदौरा) में प्राप्त कुए गहरे कराने के आवेदन-पत्र

488. श्री जीतमल खांट (बागीदोरा): क्या जनजातिय क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा बागीदौरा की पंचायत आनन्दपुरी की सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासन गांवों के संग अभियान में कुए गहरे कराने व ब्लास्टिंग हेतु कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे? क्या उक्त प्रार्थना-पत्रों को रजिस्टर में दर्ज किया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त आवेदन-पत्रों में कुछ की स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो किन-किनकी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से जिन प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है उक्त प्रार्थना-पत्रों पर हल्का पटवारी ने क्या-क्या रिपोर्ट अंकित की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में से कितने आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया है? उक्त को निरस्त किये जाने के क्या-क्या कारण रहे हैं? निरस्त किये गये प्रार्थना-पत्र पर पटवारी हल्का ने क्या रिपोर्ट लिखी है? आवेदन पत्र की प्रति मय पटवारी की रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पटवारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर नियमों को नजर अन्दाज करते हुए गलत रिपोर्ट के आधार पर अपने पसन्द के लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है? यदि हां, तो सरकार उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति आनन्दपुरी की विभिन्न ग्राम पंचायतों से प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान ब्लास्टिंग से कुए गहरे कराने हेतु कुल 565 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उक्त प्रार्थनापत्रों को आवक रजिस्टर में दर्ज किया गया है।

(जनजातिय क्षेत्र विकास मंत्री)

(2) जी हां। प्राप्त आवेदन पत्रों में से 160 आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी हो चुकी है। स्वीकृत कृषकों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(3) हलका पटवारी की रिपोर्ट, तहसीलदार का प्रमाण पत्र एवं विकास अधिकारी की सिफारिश हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। उक्त प्रारूप में हल्का पटवारी–तहसीलदार एवं विकास अधिकारी की सिफारिश प्रार्थी के पक्ष में होने पर ही स्वीकृति जारी की जाती है, उक्त सभी 160 मामलों में उक्त तीनों रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में होने पर स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

(4) किसी भी आवेदन पत्र को अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। शेष आवेदन पत्रों की जांच का कार्य चल रहा है। उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदन पत्रों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

(5) जी नहीं। पटवारियों ने रिकार्ड के हिसाब से ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

राज्य में बोर्ड माध्यम से कक्षा पांच की परीक्षाएं

489. श्री प्रभूलाल करसोल्या (नैनवां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सत्र 2001–2002 में राजकीय एवं गैर–राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा पांच के छात्र/छात्राओं की संख्या कितनी है?

(2) क्या सत्र 2001–2002 में राजकीय/गैर–राजकीय संस्थाओं में अध्ययनरत कक्षा पांच के छात्र/छात्राओं की वार्षिक परीक्षाएं बोर्ड माध्यम से ली जायेंगी? यदि हां, तो कक्षा पांच हेतु गठित बोर्ड के प्रारूप सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रादेशिक शिक्षा विभाग में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में वर्ष 2001–2002 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की संख्या का विवरण इस प्रकार है :–

राजकीय विद्यालय

छात्र	छात्रा	योग
382730	247738	630468

गैर–राजकीय विद्यालय

छात्र	छात्रा	योग
207596	115627	323223

(2) सत्र 2001–2002 में पांचवीं कक्षा की परीक्षा सम्मान परीक्षा योजनान्तर्गत लिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

दिनांक 3 अप्रैल, 2002

जिला अजमेर के मरम्मत योग्य एनीकट

237. श्री सांवरलाल (भिनाय): क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जिला अजमेर की पंचायतों के अधीन आने वाले तालाब, एनीकट क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन–कौन से व कब से?

(2) क्या सरकार उक्त एनीकट ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस योजना के तहत?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर उक्त एनीकट एवं तालाबों को ठीक करवाया जा सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों को कृषि श्रेणी में कनेक्शन

490. श्री अमराराम (धोद): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को विद्युत कनेक्शन कृषि श्रेणी में दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त अभ्यर्थी जिसने सवर्ण से 10 वर्ष पूर्व भूमि क्रय की थी उसे क्या अब कनेक्शन दिया जा सकता है? यदि हां, तो आर.ई.सी. 209, दिनांक 12.7.2000 के अन्तर्गत अब तक कुल कितने कनेक्शन दिए गये? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में तकनीकी स्तर पर साध्य पाये जाने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को हाथों हाथ कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान किया हुआ है।

(2) जी हां। विद्युत मण्डल द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्र. 3260 दिनांक 20.3.1997 (आर.ई.ए. 70) के तहत उन अनुसूचित जाति के आवेदकों जिसने सवर्ण से वर्ष 1990 के बाद जमीन का कुछ बीघा क्रय किया हो उनको कनेक्शन दिये जाने हेतु सम्भागीय मुख्य अभियन्ता को स्वीकृति जारी करने के लिए अधिकृत किया हुआ था। क्षेत्राधिकारियों से इस प्रावधान के दुरूपयोग की जानकारी प्रकाश में आने पर इस पर पुनर्विचार कर आदेश क्रमांक आर.ई.ओ. 209 दिनांक 12.7.2000 के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया था कि वर्ष 1990 के बाद सवर्ण से भूमि क्रय कर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को अब सामान्य श्रेणी की प्राथमिकता से कनेक्शन न देकर यदि वे चाहें, तो स्पेशल श्रेणी में ही कनेक्शन दिया जा सकेगा। आदेश क्रमांक आर.ई.ओ. 209 दिनांक 12.7.2000 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के जिन अभ्यर्थियों को जिसने सवर्ण से भूमि क्रय कर कनेक्शन प्राप्त किये हैं का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "अ"

आदेश संख्या आर.ई.ओ. 209 दिनांक 12.7.2000 के प्रावधानों के अनुसार दिए गये कृषि कनेक्शनों का जिलेवार संख्या विवरण

क्र.सं.	डिस्काम/जिले का नाम	दिए गये कृषि कनेक्शन
1	2	3
अ.	जयपुर डिस्कॉम	
1.	अलवर	—
2.	बारां	—
3.	भरतपुर	22
4.	बूंदी	—
5.	दौसा	—
6.	धौलपुर	—
7.	जयपुर	—
8.	झालावाड़	—
9.	कोटा	—
10.	सवाईमाधोपुर	—
11.	टौंक	—
12.	करौली	—
ब.	अजमेर डिस्कॉम	
1.	अजमेर	—
2.	बांसवाड़ा	—
3.	भीलवाड़ा	—
4.	चित्तौड़गढ़	—

1	2	3
5.	डूंगरपुर	—
6.	झुंझुनूं	1
7.	नागौर	—
8.	राजसमन्द	—
9.	सीकर	38
10.	उदयपुर	—
स.	**जोधपुर डिस्कॉम**	
1.	बाड़मेर	—
2.	बीकानेर	—
3.	चूरू	—
4.	जैसलमेर	—
5.	जालौर	—
6.	जोधपुर	—
7.	हनुमानगढ़	—
8.	पाली	—
9.	सिरोही	—
10.	श्रीगंगानगर	—
	योग	61

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं के विरुद्ध लम्बित जांच

491. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुन्झुनूं में वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कौन कार्यरत है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति न्यायालय से स्थानान्तरण पर स्टे के आधार पर कार्यरत थे? क्या निवर्तमान सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कनिष्ठ होते हुए भी उन्हें चार्ज दे दिया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जांच दिनांक 13.8.2001 के संयुक्त निदेशक के आदेश के तहत विचाराधीन है? क्या उक्त जांच पूर्ण हो गई? यदि नहीं, तो क्या उक्त के इस पद पर रहते हुए जांच निष्पक्ष एवं सही हो सकेगी? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें उक्त पद से हटाकर जांच कराने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) डा. महावीर सिंह कृष्णिया वर्तमान में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपखण्ड नवलगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं तथा अपने कार्य के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनूं के पद का भी कार्य कर रहे हैं।

(2) यह सही है कि डा. कृष्णिया जो उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपखण्ड नवलगढ़ के पद पर कार्यरत थे, का स्थानान्तरण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.7.2000 के द्वारा माडक (कोटा) किया गया था किन्तु राज्य सरकार के ही आदेश दिनांक 8.9.2000 के द्वारा डा. कृष्णिया का स्थानान्तरण निरस्त कर पदस्थापन यथावत उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपखण्ड नवलगढ़ में रखा गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं का चार्ज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुंझुनूं को दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त अधिकारी द्वारा कार्यभार लेने में असमर्थता प्रकट करने के कारण डा. कृष्णिया को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद का अपने पद के कार्य के अतिरिक्त कार्य सम्पादन हेतु कार्य भार सम्भलवाया गया था।

(3) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जयपुर के पत्र दिनांक 13.8.2001 के तहत डा. महावीर सिंह कृष्णिया एवं 22 अन्य के विरुद्ध प्राथमिक जांच करने हेतु सहायक लेखाधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जयपुर को निर्देशित किया गया था जो प्रक्रियाधीन है तथा यह जांच डा. कृष्णिया के उप मुख्य चिकित्सा एवं

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) झुंझुनूं के कार्यकाल की है एवं जोन स्तर के अधिकारी से जांच करवाई जा रही है। अत: डा. कृष्णिया के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने से जांच प्रभावित नहीं हो पाएगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला बांसवाड़ा में स्टार्च मिल की स्थापना

492. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में प्रतिवर्ष मक्का का उत्पादन कितना होता है? मक्का उत्पादन में बांसवाड़ा जिले का राज्य में कौनसा स्थान है?

(2) क्या स्टार्च मिल की स्थापना के सम्बन्ध में उपनिदेशक, कृषि विस्तार, बांसवाडा ने अपर निदेशक कृषि, कृषि निदेशालय, जयपुर से कोई पत्र व्यवहार किया है? यदि हां, तो उक्त पर निदेशक कृषि (आदान) द्वारा स्टार्च मिल की स्थापना के सम्बन्ध में क्या जानकारी एवं कार्य योजना दी गई?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में मक्का का औसतन उत्पादन 1,25,417 टन होता है। मक्का उत्पादन में इस जिले का राज्य में सामान्यत: चतुर्थ स्थान रहता है।

(2) जी हां। उप निदेशक कृषि (विस्तार) बांसवाड़ा ने 10 जनवरी, 2002 को एक पत्र कोर्डिनेटर दिल्ली को लिखा था, जिसकी प्रति निदेशालय को दी थी। उद्योग स्थापित करने का कार्य उद्योग विभाग के कार्य क्षेत्र में आता है। वहां से स्टार्च मील लगाने की मोडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त कर उप निदेशक कृषि (विस्तार) बांसवाड़ा को 21 मार्च, 2002 को भेज दी गई है।

राज्य में सड़क निर्माण पर व्यय

493. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक सड़कों के रख-रखाव एवं नवीन सड़कों के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें

(2) सड़कों के रख रखाव एवं नवीन सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से कितनी सहायता प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने बी.ओ.टी. के आधार पर भी सड़कें निर्माण के समझौते किये हैं? यदि हां, तो उक्त पर कितनी राशि व्यय की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक सड़कों के रख-रखाव पर 156.46 करोड़ रुपए व नवीन सड़कों के निर्माण पर 161.86 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई। संख्या विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) नवीन सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से 279.40 करोड़ रुपए की सहायता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई। विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है। रख-रखाव हेतु राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

(3) जी हां। उक्त योजना के तहत 60.54 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी। विवरण परिशिष्ट ''स'' पर उपलब्ध है।

जिला मुख्यालय डूंगरपुर पर परियोजना अधिकारी कार्यालय भवन की स्थापना

494. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर परियोजना अधिकारी कार्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार को जनजाति कार्यालय भवन बनाने हेतु पूर्व में प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो कब तक भवन निर्माण हो जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। फिलहाल डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर परियोजना अधिकारी के भवन का निर्माण करने का कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं।

प्रश्न संख्या-495

(स्थगित)

फार्म हाउस कनेक्शन योजना नावां के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र

496. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) फार्म हाउस कनेक्शन योजना तहसील क्षेत्र नावां में कब से लागू की गई है? अब तक उक्त योजना के अन्तर्गत कितने-कितने आवेदन कब-कब प्राप्त हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन को कितने समय में विद्युत् कनेक्शन दे दिया जावेगा तथा विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कितनी-कितनी राशि किस हिसाब से जमा करानी पड़ेगी? पूर्ण निर्धारित शर्तें व मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि कनेक्शन फार्म हाउस योजना दिनांक 31.1.2002 से लागू की

(ऊर्जा मंत्री)

गई है। इसके तहत नावां तहसील में उपखण्ड कुचामन में 22 एवं उपखण्ड नावां में 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदनों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) मांग पत्र की राशि जमा होने पर वरीयतानुसार कनेक्शन देने का प्रावधान है। इसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना के तहत कनेक्शन लेने के लिए राशि अजमेर डिस्कॉम के आदेश संख्या 4321 दिनांक 31.1.2002 व आदेश संख्या 6807 दिनांक 22.3.2002 के प्रावधानों के अनुसार ली जावेगी। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट ''ब'' व ''स'' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय चिकित्सालयों से सम्बद्ध निजी मेडिकल कालेज

497. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में निजी क्षेत्र में ऐसे कितने मेडिकल कालेज थे जिन्हें राजकीय चिकित्सालयों से सरकार द्वारा संबद्धता प्रदान की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संबद्धता प्रदान करने की क्या शर्तें रखी गई हैं? क्या उक्त सम्बन्ध में नियम बनाए गये हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। निजी क्षेत्र में स्थापित किसी भी मेडिकल कालेज को राजकीय चिकित्सालयों से सम्बद्धता प्रदान नहीं की गई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

जिला कोटा में निर्मित जल ग्रहण क्षेत्रों में घटिया सामग्री का उपयोग

498. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में भू-संरक्षण विभाग द्वारा गत वर्षों में हेमल खेड़ी, हुमायुं, बारोली कलां व अन्य वाटर शेड का कार्य करवाया गया है? यदि हां, तो किस वाटर शेड पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वाटर शेड के निर्माण कार्य में अनियमितता व घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्यों में प्रशासनिक मद एवं अन्य व्यय पर 15% के स्थान पर 50% का

(श्री रामगोपाल बैरवा)

व्यय किया जाकर राजकोष का दुरूपयोग किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं?

(4) उक्त कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण मदवार व उपयोगिता प्रमाण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार प्रशासनिक मद व अन्य व्यय पर अधिक राशि का भुगतान कर राजकोष का दुरूपयोग करने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने व इसका भौतिक सत्यापन करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला कोटा में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत गत वर्षों में 34 कार्य कराये गये जिनकी स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वाटरशेड के निर्माण कार्यों में अनियमितता से सम्बन्धित दो शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. हमांउ जलग्रहण क्षेत्र के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसके सम्बन्ध में खण्ड स्तर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय से विशेष जांच दल भेजकर भौतिक सत्यापन कराने के आदेश दिये गये हैं।

2. जलग्रहण क्षेत्र, लसूडिया जलग्रहण क्षेत्रों के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है जिस सम्बन्ध में भी निदेशालय स्तर से विशेष जांच दल से जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त कार्यों पर किये गये व्यय एवं प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण का मदवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(5) प्रशासनिक व अन्य मद पर अधिक राशि का भुगतान नहीं हुआ है। जिन कार्यों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है उन कार्यों का उपरोक्तानुसार भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-1

कोटा जिले में जलग्रहण विकास कार्यों पर किये गये व्यय का मदवार विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृत राशि (लाखों में)	मदवार आवंटन पी.आई.ए. प्रशा-सनिक	मदवार आवंटन पी.आई.ए. सामु-दायिक संगठन	मदवार आवंटन पी.आई.ए. प्रशि-क्षण	मदवार आवंटन ई.पी.ए. कार्य	मदवार आवंटन जल ग्रहण कार्य	मदवार आवंटन कुल योग	व्यय पी.आई.ए. प्रशा-सनिक	व्यय पी.आई.ए. सामु-दायिक संगठन	व्यय पी.आई.ए. प्रशि-क्षण	व्यय ई.पी.ए. कार्य	व्यय जल ग्रहण कार्य	व्यय कुल योग	मदवार यू.सी. प्रस्तुत पी.आई.ए. प्रशा-सनिक	मदवार यू.सी. प्रस्तुत पी.आई.ए. सामु-दायिक	मदवार यू.सी. प्रस्तुत पी.आई.ए. प्रशि-क्षण संगठन	मदवार यू.सी. प्रस्तुत ई.पी.ए. कार्य	मदवार यू.सी. प्रस्तुत जल ग्रहण	मदवार यू.सी. प्रस्तुत कुल योग कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	रोलाना	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63	11.63
2.	कंवरपुरा	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	7.03
3.	डांबरी	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	6.71
4.	धायपुरा	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41	15.41
5.	गुडाला	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	2.73
6.	खेडली-ए	20.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00	20.00	2.00	0.02	0.42	0.94	15.00	18.38	2.00	0.02	0.42	0.94	15.00	18.38
7.	खेडली-बी	20.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00	20.00	2.00	0.09	0.22	0.98	15.00	18.29	2.00	0.09	0.22	0.98	15.00	18.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.	ढोटी-ए	20.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00	20.00	2.00	0.56	0.41	0.99	15.00	18.96	2.00	0.56	0.41	0.99	15.00	18.96
9.	ढोटी-बी	20.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00	20.00	2.00	0.56	0.42	0.99	15.00	18.97	2.00	0.56	0.42	0.99	14.79	18.76
10.	लसुड़िया-I	30.00	3.00	0.00	1.50	1.50	24.00	30.00	0.60	0.00	0.26	0.44	3.20	4.50	0.60	0.00	0.00	0.00	1.89	2.49
11.	लसुड़िया-II	30.00	3.00	0.00	1.50	1.50	24.00	30.00	0.60	0.00	0.24	0.43	6.10	7.37	0.60	0.00	0.00	0.00	1.84	2.44
12.	लसुड़िया-III	30.00	3.00	0.00	1.50	1.50	24.00	30.00	0.60	0.00	0.16	0.42	2.60	3.78	0.60	0.00	0.00	0.00	1.23	1.83
13.	अलोद-I	25.80	2.58	0.00	1.29	1.29	20.64	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	कुरार-III	30.00	3.00	0.00	1.50	1.50	24.00	30.00	0.60	0.00	0.27	0.31	2.40	3.58	0.60	0.00	0.00	0.00	1.42	2.02
15.	कुरार-IV	30.00	3.00	0.00	1.50	1.50	24.00	30.00	0.60	0.00	0.25	0.40	4.90	6.15	0.60	0.00	0.00	0.00	1.70	2.30
16.	कुरार-V	30.00	3.00	0.00	1.50	1.50	24.00	30.00	0.60	0.00	0.25	0.05	3.90	4.80	0.60	0.00	0.00	0.00	1.60	2.20
17.	मंडिता	16.20	1.62	0.00	0.81	0.81	12.96	16.20	0.32	0.00	0.03	0.05	0.00	0.40	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18.	मदनपुरा	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29	6.29
19.	गैहुखेड़ी	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08
20.	देवली कलां	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	4.61
21.	मोड़ुहेडा	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	3.35
22.	बोरीना–ए	20.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00	20.00	2.00	0.12	0.55	1.00	15.00	18.67	2.00	0.12	0.55	1.00	13.67	17.34
23.	बोरीना–बी	20.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00	20.00	2.00	0.00	0.20	1.00	15.00	18.20	2.00	0.00	0.20	1.00	13.58	16.78
24.	बोरीना–सी	18.80	1.88	0.94	0.94	0.94	14.10	18.80	1.88	0.02	0.13	0.98	13.31	16.32	1.88	0.02	0.13	0.98	12.45	15.46
25.	बोरीना–डी	19.60	1.96	0.98	0.98	0.98	14.70	19.60	1.96	0.00	0.03	0.67	14.69	17.35	1.96	0.00	0.03	0.67	13.15	15.81
26.	हेमलखेड़ी	12.00	1.20	0.60	0.60	0.60	9.00	12.00	1.20	0.07	0.23	0.20	9.00	10.70	1.20	0.07	0.23	0.20	8.66	10.36
27.	सलावदखुर्द	13.20	1.32	0.66	0.66	0.66	9.90	13.20	1.32	0.09	0.32	0.22	9.90	11.85	1.32	0.09	0.32	0.22	9.58	11.53

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
28. हमाड	13.00	1.30	0.65	0.65	0.65	9.75	13.00	1.16	0.08	0.40	0.61	9.75	12.00	1.16	0.08	0.40	0.61	9.56	11.81
29. बडोदिया	12.00	1.20	0.60	0.60	0.60	9.00	12.00	1.16	0.11	0.32	0.59	9.00	11.18	1.16	0.11	0.32	0.59	8.93	11.11
30. खड़िया	16.32	1.63	0.82	0.82	0.82	12.24	16.32	1.63	0.03	0.36	0.82	12.19	15.03	1.63	0.03	0.36	0.82	11.91	14.75
31. बपावर–ए	20.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00	20.00	2.00	0.15	0.23	0.99	15.00	18.37	2.00	0.15	0.23	0.99	14.69	18.06
32. बपावर–बी	20.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00	20.00	2.00	0.32	0.27	0.97	14.95	18.51	2.00	0.32	0.27	0.97	14.85	18.41
33. काल्याखेड़ी	13.20	1.32	0.66	0.66	0.66	9.90	13.20	1.32	0.05	0.16	0.28	9.90	11.71	1.32	0.05	0.16	0.28	9.82	11.63
34. मांदलियाहेड़ी	5.20	0.52	0.26	0.26	0.26	3.90	5.20	0.31	0.07	0.26	0.26	3.90	4.80	0.31	0.07	0.26	0.26	3.84	4.74
योग	614.41	50.53	14.17	25.27	25.27	449.64	564.87	31.86	2.34	6.39	14.59	295.53	350.71	31.86	2.34	4.93	12.49	275.00	326.62

विधान सभा क्षेत्र दूदू में विधायक अनुशंसा पर डामरीकृत सड़कें

499. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में विधायक अनुशंसा पर 120 किलोमीटर लम्बाई की कौन-कौन सी सड़कें डामरीकरण हेतु स्वीकृत की गई हैं?

(2) प्रथम चरण में 60 किलोमीटर लम्बाई की कौन-कौन सी सड़कों की कितने किलोमीटर की निविदा कब-कब आमंत्रित/स्वीकृत हो चुकी है तथा अब तक कुल कितनी किलोमीटर लम्बाई में डामरीकरण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

(3) दूसरे चरण की विधायक अनुशंसा की 60 किलोमीटर लम्बाई की कौन-कौन सी सड़कों का कार्य स्वीकृत कर कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? सूची सड़क के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों पर कार्य शुरू न करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने किलोमीटर किस-किस सड़क पर गत दस वर्षों से पुनः डामरीकरण नहीं किया गया? उक्त की सूची सदन की मेज पर रखें। विधायक अनुशंषा पर स्वीकृत सड़कों के अलावा शेष कितने किलोमीटर टूटी हुई सड़कें शेष हैं? क्या सरकार उक्त सड़कों पर भी डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दूदू विधान सभा क्षेत्र में विधायक की अनुशंसा पर प्रथम चरण में 57.5 किमी. लम्बाई की सड़कें स्वीकृत की गई एवं द्वितीय चरण में 57.5 कि.मी. लम्बाई की सड़कें नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है, जिसकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "अ" एवं "ब")

(2) प्रथम चरण में 57.50 कि.मी. लम्बाई की सड़कों पर डामरीकरण हेतु दिनांक 25.10.2001 को निविदा आमंत्रित की गई तथा 7.12.2001 को मै. हरदयाल चौधरी को आदेश दिया गया, जिसकी पूर्ण करने की तारीख 16.8.2002 है इस विभाग द्वारा जिन रोडस का डामरीकरण कराया जाना है कि सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है, बाकी की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

रोड्स पर डामरीकरण का कार्य कृषि उपज मण्डी द्वारा कराया जा रहा है।

(3) दूसरे चरण की सड़कों पर डामरीकरण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति अभी जारी नहीं हुई है। कार्य जून, 2003 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(4) हां, यदि ठेकेदार समय पर कार्य नहीं करता है तो उसके अनुबन्ध में दी गई धाराओं के तहत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(5) सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। विधायक अनुशंसा द्वारा स्वीकृत सड़कों के अलावा 222 किलोमीटर टूटी हुई सड़कों पर विभाग द्वारा पेच रिपेयर का कार्य करवाया जा रहा है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-883 का विवरण)

राजकीय नाहटा चिकित्सालय, प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, बालोतरा में विभिन्न श्रेणी के चिकित्सकों के स्वीकृत पद संख्या एवं उन पदों पर कार्यरत चिकित्सकों के नाम मय पदस्थापन की समय अवधि सहित विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पदस्थापित चिकित्सक का नाम	पदस्थापन की समय अवधि
1	2	3	4	5
राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा	वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन, सर्जरी)	2	डा. एन.के. छंगाणी (मेडिसन) रिक्त (सर्जरी)	1/2001
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी, मेडिसन, नेत्र, निश्चेतन, हड्डी रोग)	5	डा. एस.पी. गुप्ता (निश्चेतन)	8/1998
			डा. जी. सी. बडेरा (सर्जरी)	9/1998
			डा. के. सी. गुप्ता (हड्डी)	7/1999
			डा. आर. एल. खत्री (मेडिसिन)	12/2000
			डा. कन्हैया लाल मीणा (नेत्र)	कार्यग्रहण नहीं किया।
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	डा. एम.एम. पुरोहित	7/1995
			डा. तनवीर हुसैन	10/2001

1	2	3	4	5
	चिकित्सा अधिकारी	6	डा. एम.एल. मेघनानी	1/1991
			डा.एच.आर.आकोदिया	1/1993
			डा. सरोज सिंह	3/1998
			डा. सविता परमार	11/1998
			डा. मुकेश राजपुरोहित	7/2000
			डा. जी.आर. पटेल	7/1998
	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	डा. के.एन. मूथा	4/1999
प्रसवोत्तर केन्द्र, बालोतरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग, गायनी)	2	डा. एन.एल. गुप्ता (शिशुरोग)	10/1991
			डा. विजय लक्ष्मी शर्मा (गायनी)	7/1999
मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, बालोतरा	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. परसराम खींची	8/1998

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-889 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र केसोरायपाटन के चिकित्सालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति

चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
राजकीय चिकित्सालय, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र/ प्रसवोत्तर केन्द्र, केसोरायपाटन।	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	–
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	–
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	–	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	1	–
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (बालरोग)	1	–	1
	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–
	नर्स श्रेणी-द्वितीय	2	2	–
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	2	2	–
	प्रसाविका	2	2	–
	वरिष्ठ लिपिक	1	1	–
	वाहन चालक	1	–	1
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–
	वार्ड बॉय	5	5	–
	स्वीपर	2	2	–
उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कापरेन	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	–	–
	चिकित्सा अधिकारी	4	4	–
	नर्स श्रेणी-प्रथम	2	2	–
	नर्स श्रेणी-द्वितीय	4	3	1
	वरिष्ठ लिपिक	1	1	–
	कनिष्ठ लिपिक	2	1	1
	लैब टैक्नीशियन	2	1	1

1	2	3	4	5
	वाहन चालक	1	1	–
	प्रसाविका	2	2	–
	रेडियोग्राफर	1	1	–
	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	–
	बी.एच.एस. (मेल)	1	1	–
	बी.एच.एस. (फिमेल)	1	1	–
	संगणक	1	1	–
	मलेरिया निरीक्षक	1	1	–
	वरिष्ठ बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	–	1
	वार्ड बाय	7	7	–
	स्वीपर	1	–	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, लाखेरी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	–	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1	–
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	1	–
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	–
	चिकित्सा अधिकारी	3	3	–
	नर्स श्रेणी-प्रथम	1	1	–
	नर्स श्रेणी-द्वितीय	6	5	1
	वरिष्ठ लिपिक	1	1	–
	कनिष्ठ लिपिक	1	1	–
	सहायक रेडियोग्राफर	1	1	–
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–
	प्रसाविका	3	3	–
	वाहन चालक	1	1	–
	वार्ड बाय	5	5	–
	स्वीपर	1	1	–

1	2	3	4	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ाखेडा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–
	नर्स श्रेणी–द्वितीय	2	1	1
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	–
	प्रसाविका	1	1	–
	लैब टैक्नीशियन	1	1	1
	कनिष्ठ लिपिक	1	1	–
	वरिष्ठ लिपिक	1	1	–
	वार्ड बाय	3	3	–
	स्वीपर	1	1	–
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देइखेड़ा	चिकित्सा अधिकारी	1	–	1
	नर्स श्रेणी–द्वितीय	2	1	1
	प्रसाविका	1	1	–
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	–
	वाहन चालक	1	1	–
	वार्ड बाय	3	3	–
	स्वीपर	1	1	–
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरनेठा	चिकित्सा अधिकारी	1	–	1
	नर्स श्रेणी–द्वितीय	2	2	–
	प्रसाविका	1	1	–
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–
	वार्ड बाय	1	1	–
	स्वीपर	1	1	–

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-891 की सूची)

सामान्य चिकित्सालय जालौर में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सा अधिकारियों को विवरण

पद नाम	कार्यरत चिकित्सक का नाम
वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	डा. आर.सी. सोमान
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	डा. अनिल कुमार व्यास
कनिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक)	डा. जीवनमल सिसोदिया
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	डा. वी.सी. भण्डारी
कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी)	डा. एस.पी. शर्मा
कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलाजी)	डा. जी.एम. सोलंकी
कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	डा. शान्तिलाल माथुर
कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग)	डा. जी.एस. त्रिपाठी
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	डा. जतनमल माथुर
	डा. लीला चौहान
चिकित्सा अधिकारी	डा. फूलसिंह जोधा
	डा. रमेश चौहान
	डा. त्रिलोक चौहान
	डा. अलका चण्डालिया
	डा. योगेन्द्र नेगी
	डा. पी.के.खत्री
	डा. रमेश जैन
	डा. नीरू पुरोहित

परिशिष्ट-5

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-895 की सूची)

गत पांच वर्षों में किये गये सड़क कार्यों की सूची

1.	भूणास महेन्द्रगढ़ आमली से सम्पर्क सड़क	2.5 किमी.	5 लाख रुपये
2.	सम्पर्क सड़क सातलियास	2 किमी.	5.00 लाख रुपये
3.	आचार्य तुलसी कालेज सड़क	1 किमी.	5.00 लाख रुपये
4.	साकरिया जबर किया सड़क	4 किमी.	8.00 लाख रुपये
5.	चांडखेडा आशाहोली सड़क	3 किमी.	6.00 लाख रुपये
6.	जगदीश बोराणा सड़क	2 किमी.	4.00 लाख रुपये
7.	मौखून्दा जिलोला सड़क	4 किमी.	12.00 लाख रुपये
बी. एम. एस. पी.			
1.	सम्पर्क सड़क अडसीपुरा	4 किमी.	20 लाख रुपये
2.	सम्पर्क सड़क पालरा	5 किमी.	21 लाख रुपये
3.	सं. स. शिवरती	1 किमी.	4.00 लाख रुपये
4.	गंगापुर करेडा से बोराणा कोट सड़क	8.5 किमी.	34.00 कोट सड़क
नाबार्ड			
1.	देवरिया उल्लई सालेरा खांखला	13 किमी.	65.93 लाख
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें			
1.	लाखोला से भरक सड़क	6 किमी.	
2.	लाखोला से अरनिया सड़क	1 किमी.	
3.	कोशीथल से गलवा सड़क	1.5 किमी.	

परिशिष्ट "ब"

जनगणना 2001 (अनुमानित) पर 1000 व अधिक के डामर से नहीं जुड़े गांवों की सूची

1.	जबरकिया	1003
2.	माकरिया	1041
3.	लख़ममिलास	1114
4.	बधेरा	1097
5.	भटेवर	1018
6.	मासिंगपुरा	1045
7.	पनोतिया	1051
8.	टूंगथ	1083
9.	सुरास	1091
10.	बागड	1121
11.	धूलखेडा	1167
12.	गल्यावड़ी	1392
13.	वारोट	1195
14.	रायथलिया	1137

परिशिष्ट "स"

जनगणना 2001 (अनुमानित) पर 500 से 999 तक के डामर से नहीं जुड़े गांवों की सूची

1.	बीकरिया	505	24.	नारायणखेड़ा	983
2.	सूरतसिंह का खेड़ा	543	25.	कलालखेडी	972
3.	कालाखेड़ा	558	26.	बाडी	955
4.	रूपपुरा	559	27.	खाखरमाता	934
5.	कालादूंढा	586	28.	लडकी	910
6.	पालरा	592	29.	डांगरी	827
7.	सिरोहीखेड़ा	595	30.	बाकन	772
8.	नाथजी का खेड़ा	603	31.	खूटिया	749
9.	झूमपुरा	604	32.	सिंहपुरा	739
10.	कालीमगरी का खेड़ा	643	33.	टोकरा	723
11.	फूंदिया	643	34.	बारियाखुर्द	714
12.	खातीखेड़ा	650	35.	पातियो का खेड़ा	696
13.	सल्यावड़ी	654	36.	रामा	686
14.	तिरोली	665	37.	रानास	667
15.	लक्ष्मीपुरा	674	38.	आसुना	662
16.	भूतेला	708	39.	मियाला	603
17.	दियास	718	40.	मांडकाखेडा	600
18.	ठेकला	741	41.	मेरनियाखेडा	599
19.	अतोलो	806	42.	मांडोल	571
20.	उम्मेदपुरा	858	43.	बेरियाकला	526
21.	मण्डपिया	859	44.	केमूनिया	525
22.	मेंगरास	910	45.	भोगियाखेडा	556
23.	सरेवडी	987			

परिशिष्ट-6

प्रपत्र "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-901 की सूची)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र.सं.	तहसील	सड़क से जोड़े जाने वाले ग्राम का नाम	सड़क का नाम	राशि
1.	छीपाबड़ौद	राई	ढोलम से राई	42.06
2.	"	कोहनी	बारां इकलेरा सड़क ढांचा से कोहना	46.00
3.	"	बरसत	सम्पर्क बरसत	14.00
4.	"	धामन्या	सम्पर्क सड़क धामन्या	54.75
5.	"	सुखनेरा	बिलेण्डी से सुखनेरी	19.75
6.	छबड़ा	बापचा	कोटा धरनावदा सड़क से बापचा	10.40

प्रपत्र "ब"

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत पूर्ण/अपूर्ण सड़कों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण कब तक करा दिया जावेगा
1.	ढोलम से राई	42.06	अपूर्ण	30.6.2002 तक पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जावेंगे।
2.	कोटा धरनावदा सड़क से बापचा	10.40	अपूर्ण कार्य दिनांक 15.3.2002 को आबंटित	कार्य को 24.12.2002 तक पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जावेंगे।
3.	बारां इकलेरा सड़क से टांचा से कोहनी	46.00	"	"
4.	सम्पर्क सड़क बरसत	14.00	"	कार्य को 24.2.2003 तक पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जावेंगे।
5.	विलेण्डी से सुखनेरी	19.75	"	"
6.	सम्पर्क सड़क धामन्या	54.75	"	"

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-904 का विवरण)

क्र. सं.	सड़क का नाम	अवार्ड जारी होने की तिथि	मूल अवार्ड राशि	ब्याज राशि 31.3.2002 तक	योग
1.	चूरू-तारानगर सड़क किमी. 0/0 से 14/0	28.9.1998	19,65,128	14,05,052	33,70,180.00
2.	सम्पर्क सड़क लोहसना बड़ा से लोहसना छोटा किमी. 0/0 से 10/0	28.9.1998	3,23,010	2,09,952	5,32,962.00
3.	तारानगर-पुनसीसर सड़क किमी. 0/0 से 4/0	22.12.1997	1,03,177	73,386	1,76,563.00
4.	मोलीसरा बड़ा-चूरू-रतनगढ़ सड़क से किमी. 0/0 से 5/0	28.12.1998	1,30,053	84,512	2,14,565.00
5.	नाकरासर-धीरासर सड़क किमी. 0/0 से 7/330	2.2.1998	4,05,339	2,76,947	6,82,286.00
		योग	29,26,707	20,49,849	49,76,556.00

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-905 का विवरण)

वर्ष 1994 से 2001 तक राजकीय विद्यालयों के प्रविष्ट व उतीर्ण विद्यार्थियों की संख्या व परीक्षा परिणाम

वर्ष	माध्यमिक परीक्षा			उच्च माध्यमिक विद्यालय (विज्ञान + वाणिज्य + कला वर्ग)		
	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण	%	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण	%
1994	207993	110626	53.19	99391	49629	49.93
1995	225048	120873	53.71	109681	54223	49.44
1996	228262	137406	60.20	116204	72891	62.73
1997	199641	127949	64.09	121856	74821	61.40
1998	237736	133964	56.35	136560	90139	66.01
1999	252164	128066	50.79	132682	82496	62.18
2000	226414	123049	54.35	140979	108040	76.64
2001	252960	146534	57.93	144089	111815	77.60

परीक्षा 1991 से परीक्षा 1993 तक का सम्मिलित परीक्षा परिणाम निम्नानुसार है :-

वर्ष	माध्यमिक परीक्षा	उच्च माध्यमिक परीक्षा
1990	40.87%	56.66%
1991	40.36%	53.34%
1992	39.92%	45.09%
1993	41.95%	43.33%

परिशिष्ट-2

मेरिट में आये अभ्यार्थियों की संख्या के आधार पर सरकारी छात्रों की तुलनात्मक संख्या

परीक्षा वर्ष	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक (विज्ञान + वाणिज्य + कला वर्ग)	प्रवेशिका	वरिष्ठ उपाध्याय
1991	12	13	3	4
1992	10	17	5	2
1993	19	15	7	1
1994	10	15	7	4
1995	10	11	7	1
1996	10	24	4	4
1997	10	19	9	2
1998	33	27	3	0
1999	11	22	4	0
2000	27	23	1	3
2001	40	33	3	2

परिशिष्ट-9

परिशिष्ट ''क''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-906 की सूची)

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/3623/01 दिनांक : 12.3.2001

परिपत्र

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श स्कूल

1. राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उच्च प्राथमिक स्कूल का चयन कर उसे आदर्श स्कूल बनाया जाय।
2. अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्कूल का चयन किया जाय।
3. (अ) जहां तक सम्भव हो, स्कूल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित उच्च प्राथमिक शाला हो।

   (ब) स्कूल में पर्याप्त भवन/फर्नीचर सुविधा उपलब्ध हो।

   (स) ग्राम पंचायत में स्थित अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में उच्च कक्षाओं का नामांकन सर्वाधिक हो।
4. इस प्रकार के स्कूल का चयन कर उसका एक प्रोफाइल तैयार किया जाय अर्थात उस स्कूल के बारे में समस्त सूचनाओं का संकलन किया जाय।
5. स्कूल के चयन के बाद इस प्रकार का प्रयास किया जायेगा कि उक्त स्कूल की सभी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाय। वहां अध्यापक विषयवार लगे तथा इन शालाओं में नवाचार भी लागू किया जा सके।
6. (अ) इस प्रकार स्कूल का चयन 31 मार्च तक।

   (ब) स्कूल का प्रोफाइल 15 अप्रेल तक।

   (स) चयनित स्कूल की सूचित निदेशालय में 15 अप्रेल तक प्रेषित कर दी जाय।

ह०/–

निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय पंचायत राज मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, विकास आयुक्त, शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायत राज., शासन सचिवालय, जयपुर
4. उपनिदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
6. समस्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

ह०/–

सहायक निदेशक

परिशिष्ट "ख"

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भाषा अध्यापकों की नियुक्ति का जिलेवार संख्यात्मक विवरण

क्र.सं.	जिला	नियुक्तियों की संख्या	
		उर्दू	सिंधी
1	2	3	4
1.	कोटा	17	–
2.	बूंदी	13	–
3.	झालावाड़	08	–
4.	सवाईमाधोपुर	08	–
5.	बारां	02	–
6.	करौली	18	–
7.	अजमेर	15	–
8.	भीलवाड़ा	09	–

1	2	3	4
9.	नागौर	20	–
10.	टोंक	10	–
11.	उदयपुर	09	–
12.	डूंगरपुर	–	–
13.	बांसवाड़ा	01	–
14.	चित्तौड़गढ़	–	–
15.	राजसमन्द	01	–
16.	जोधपुर	14	05
17.	पाली	03	–
18.	सिरोही	01	–
19.	जालौर	–	–
20.	बाड़मेर	09	–
21.	जैसलमेर	02	–
22.	अलवर	22	–
23.	भरतपुर	48	–
24.	दौसा	01	–
25.	धौलपुर	–	–
26.	जयपुर	02	–
27.	सीकर	10	–
28.	हनुमानगढ़	01	–
29.	श्रीगंगागनर	–	–
30.	झुंझुनूं	–	–
31.	चूरू	33	–
32.	बीकानेर	01	–
	योग	279	05

परिशिष्ट–10

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–911 का विवरण)

क्र.सं.	नाम विद्यालय	विधायक महोदय का प्रदत्त राशि	मुख्य मंत्री सहायता कोष में	भास्कर सहायता कोष में	कलक्टर महोदय को	योग
1.	ओसवाल जैन वि.	21001	5602	–	–	26603
2.	जवाहर उमावि.	–	–	3332	2100	5432
3.	आदर्शनगर उ.मा.वि.	6000	–	–	–	6000
4.	पीपल का कुआ वि.	3100	–	–	–	3100
5.	सुभाष मा. वि.	–	–	2525	–	2525
6.	बालुपूरा मा.वि.	–	–	1251	–	1251
7.	तोपदड़ा उ.मा.वि.	11000	–	–	–	11000
	योग	**41101**	**5602**	**7108**	**2100**	**55911**

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-918 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र चौमूं की 42 ग्राम पंचायतों में से 24 ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय स्थापित है। जिनका विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	स्थापना वर्ष	विद्यालय का नाम
1.	अनन्तपुरा	1994-95	रामावि. अनन्तपुरा
2.	उदयपुरिया	1978	रामावि. उदयपुरिया
3.	टांकरड़ा	1998-99	रामावि. टांकरड़ा
4.	सिंगोदखुर्द	1975	रामावि. सिंगोदखुर्द
5.	धोबलाई	1996-97	रामावि. धोबलाई
6.	धिनोई	1990	रामावि. धिनोई
7.	तिगरिया	1978	रामावि. तिगरिया
8.	हस्तेड़ा	1989	रामावि. हस्तेडा
9.	हाडौता	1997-98	रामावि. हाडौता
10.	किशनपुरा	1977	रामावि. किशनपुरा
11.	सांदरसर	2000-2001	रामावि. सांदरसर
12.	नांगल भरडा	1994	रामावि. नांगल भरडा
13.	गुडरिया	1999	रामावि. गुडलिया
14.	मोरीजा	1978	रामावि. मोरीजा
15.	ढोढसर	1996	राउमावि. ढोढसर
16.	फतेहपुरा	2000	राउमावि. बासां
17.	खेजरोली	1960	राउमावि. खेजरोली
		1984-85	राबामावि. खेजरोली
18.	निवाणा	1970-71	रामावि. निवाणा
19.	गोविन्दगढ़	1989	राउमावि. गोविन्दगढ़
		1998	राबाउवि. गोविन्दगढ़
20.	सामोद	1999-2000	राउमावि. सामोद
		1999-2000	राबाउमावि. सामोद
21.	इटावाभोपजी	1991	राउमावि. इटावाभोपजी
22.	आलीसर	1994	रामावि. आलीसर
23.	आष्टीकला	1984	रामावि., आष्टीकला
24.	अमरपुरा	1994	रामावि., विशनपुराचारणवास

परिशिष्ट-12

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-921 का विवरण)

नगरपालिका क्षेत्र रामगढ़ शेखावटी में गत अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक की गई विद्युत कटौती का विवरण

क्र.सं.	माह	कुल कटौती (घंटे)	समय 18 से 22 बजे तक	अन्य समय में विद्युत कटौती
1.	अप्रैल, 2001	27.25	14.50	12.35
2.	मई, 2001	65.50	28.05	37.45
3.	जून, 2001	31.40	8.00	23.40
4.	जुलाई, 2001	25.15	3.55	21.20
5.	अगस्त, 2001	54.30	17.35	36.55
6.	सितम्बर, 2001	153.40	47.45	105.55
7.	अक्टूबर, 2001	71.00	18.40	52.20
8.	नवम्बर, 2001	65.25	22.25	43.00
9.	दिसम्बर, 2001	100.10	31.05	69.05
10.	जनवरी, 2002	136.25	42.00	94.25
11.	फरवरी, 2002	104.10	34.40	69.30
12.	मार्च, 2002	99.20	29.35	69.45

परिशिष्ट-13

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-924 की सूची)

प्रश्न सं. 3102

विधान सभा केशोरायपाटन जिला बूंदी में जिन ग्रामों की विद्युत बकाया राशि होने के कारण विद्युत आपूर्ति कटी हुई है उनकी सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम
1.	बलदेवपुरा
2.	कोटरी
3.	सूनगर
4.	केशव नगर
5.	इन्दरपुरिया
6.	पाटौलिया
7.	बीरज
8.	नौताड़ा
9.	अजेन्दा
10.	जलौदा
11.	मिठिया
12.	कमोलर
13.	खेडली जलोदा
14.	जगन्नाथा
15.	वातिता
16.	मिमोदा
17.	खेडली बालिता
18.	च्यावछ
19.	बटियाली
20.	करवाला
21.	रघुनाथपुरा
22.	जाखरन

परिशिष्ट-14

परिशिष्ट "अ"

प्रश्न सं. 3187

(अतारांकित प्रश्न संख्या-925 का विवरण)

तहसील हिण्डौन के ग्राम वरगमा एवं झारेडा में विद्युत विभाग के सम्बन्धित कार्यालय द्वारा किये गये आर.सी. कनेक्शन एवं विचाराधीन आर.सी. कनेक्शनों को सूचना/विवरण निम्न प्रकार से है

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम एवं गांव	खाता संख्या	DIC/PDC दिनांक	बकाया राशि	राशि जमा कराने का दिनांक	RCO का नं. एवं दिनांक	कनिष्ठ अभियंता का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री भरतलाल/रामसिंह वरगमा	1801/21J FR	27.11.2001	1350.00	31.1.2002	17441/03 2.2.2002	श्री प्रहलाद बैरवाJ841
2.	श्री गिलूरा/रघुवीर वरगमा	18-1/00T6 AJ	26.11.2001	6988.00	4.12.2001	17591/77 4.2.2002	श्री प्रहलाद बैरवाJ841
3.	श्री खुशीराम/कन्हैया वरगमा	1801/243 AJ	27.11.2001	8350.00	5.2.2002	17591/81 8.2.2002	श्री प्रहलाद बैरवाJ841
4.	श्री हरभजन बाबू/केदार झारेड़ा	2402/45 AJ	1.10.1999	7213.00	14.7.2000	17591/82 8.2.2002	श्री प्रहलाद बैरवाJ841

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	श्री सुक्का नथोली/भोरया मीणा झारेड़ा	2402/88 AJ	26.10.1995	16500.00	10.7.2000	17591/83 8.2.2002	श्री प्रहलाद बैरवाJ841
6.	श्री केदार/प्यारे वरगमा	1801/69 AJ	8/1999	31167.00	23.12.1999	17591/65 14.2.2002	श्री प्रहलाद बैरवाJ841
7.	श्री मदनलाल/दामोदर शर्मा झारेड़ा	2402/018 AJ	27.11.2001	8148.00	21.2.2002	17591/87 21.2.2002	श्री प्रहलाद बैरवाJ841
8.	श्री किरोड़ी/रतनलाल वरगमा	1801/0121 AJ	19.12.2001	5613.00	26.3.2002	17441/29 26.3.2002	श्री प्रहलाद बैरवाJ841
9.	श्री देवेन्द्र/जौहरी वरगमा	1801/014 5AJ	19.12.2001	6745.00	3.4.2002	17441/36 4.4.2002	श्री प्रहलाद बैरवाJ841
10.	श्री काडू, बन्नू/दुलीचन्द मीणा झारेड़ा	2403/0078	8/1999	8858.00	19.1.2000	D.H. issued on dated 30.3.2002 Vicle No. 5990 that not depended.	श्री प्रहलाद बैरवाJ841

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	श्री घन्टोली/श्योपाल मीणा झारेड़ा	2402/0139	30.3.1990	1696.00	6.10.1991	D.H. dep. on dated 27.3.2002 and persent/ for checking on dated 28.3.2002	श्री प्रहलाद बैरवाJ841
12.	श्री धमाल/भूत्याराम वरगमा	1801/0106	14.7.1999	7292.00	30.7.2001	D.N. depointed on dated 3.1.2002 and work order issued.	श्री प्रहलाद बैरवाJ841

ह०/-

अधीक्षण अभियंता (प)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.

दौसा

परिशिष्ट-15

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-926 का विवरण)

प्रश्न सं. 3262

जयपुर नगर वृत के अन्तर्गत आवासीय बस्तियों में मकानों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों के आवेदित एवं शिफ्ट किये गये प्रकरण

क्र.सं.	आवेदक का नाम	स्थान जहां से लाईन शिफ्ट की जानी है	किया गया कार्य/ वर्तमान स्थिति
1.	–	भटटा बस्ती शास्त्री नगर	लाईन शिफ्ट की गई
2.	आर.एस. गौतम	खोकावास	लाईन शिफ्ट की गई
3.	गजसिंह	टोडारमजानीपुरा	लाईन शिफ्ट की गई
4.	जनक सिंह	जगतपुरा	राशि जमा नहीं हुई है
5.	कैलाश	खोकावास	राशि जमा नहीं हुई है
6.	श्यामपुरी गृह निर्माण समिति	राम नगर बम्बाला	राशि जमा नहीं हुई है
7.	रामस्वरूप	सिद्धार्थ नगर गैटोर	राशि जमा नहीं हुई है
8.	श्रीमती कमलेश	दादू कालोनी बम्बाला	स्वीकृति हेतु लम्बित
9.	नम्बर 1 शिवा कापरेटिव सहकारी समिति	6 डी इंजिनियर्स कालोनी मानसरोवर	राशि जमा नहीं हुई है
10.	कैलाश पारीक	नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी	लाईन शिफ्ट करने की कार्यवाही जारी है
11.	आर्य नगर निवासी	आर्य नगर, मुरलीपुरा	स्वीकृति हेतु लम्बित
12.	नया खेड़ा निवासी	एल.एस.नगर, नया खेड़ा शिव मन्दिर के पास	स्वीकृति हेतु लम्बित

परिशिष्ट-16

परिशिष्ट ''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-934 की सूची)

कार्यालय पंचायत समिति, प्रतापगढ़, जिला-चित्तौड़गढ़

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की वर्ष 2000-2001 से फरवरी 2002 तक की सूची

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	नाम मय पिता/पति	जाति	निवासी	ग्राम पंचायत	देय राशि
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती मिटूडी/कारूलाल	मीणा	केरवास	केरवास	10000/-
2.	श्रीमती टमली/कारू	''	हरमरखेडा	''	10000/-
3.	श्रीमती रूपली/आशिया	''	खतोडी	''	10000/-
4.	श्रीमती हुलकी/भाणजी	''	केरवास	''	10000/-
5.	श्रीमती टाकूडीबाई/समरथ	''	छोटीडोरी	बारावरदा	10000/-
6.	श्रीमती गंगा/रूपा	''	कलसिया	ना.खेडा	10000/-
7.	श्रीमती लच्छीबाई/केशुराम	''	उमरदा	बारावरदा	10000/-
8.	श्रीमती छगन/नेतिया	''	धावडा	जोलर	10000/-
9.	श्रीमती लीलाबाई/कल्लू	''	सालमगढ़	अचलपूर	10000/-
10.	श्रीमती कचरीबाई/अम्बालाल	''	डोर	''	10000/-
11.	श्रीमती बालूराम/नागूलाल	''	तालाबखेड़ा	खेरोट	10000/-
12.	श्रीमती कचरीबाई/गोपाल	''	झन्या	कथोटिया	10000/-
13.	श्रीमती भागवतीबाई/बगदीराम	''	खेरोट	खेरोट	10000/-
14.	श्रीमती बगदीराम/धरम	''	पाडलिया	कचोटिया	10000/-
15.	श्रीमती छगन/पूरणमल	''	रामपूरिया	रामपूरिया	10000/-
16.	श्रीमती पक्ता/भगवाना	''	धाबडा	जोलर	10000/-

1	2	3	4	5	6
17.	श्रीमती नाका/जीवा	,,	मगरी	,,	10000/–
18.	श्रीमती रूपा/रमेश	,,	,,	,,	10000/–
19.	श्रीमती धुलिया/खातू	,,	आडावेला	चिकलाड	10000/–
20.	श्रीमती रकमाबाई/नाका	,,	मगरी	जोलर	10000/–
21.	श्रीमती लक्ष्मण/माथजी	,,	,,	,,	10000/–
22.	श्रीमती गीता/रामा	,,	कोचरियाभाटा	चिकलाड	10000/–
23.	श्रीमती गीता/रामा	,,	आडावेला	,,	10000/–
24.	श्रीमती नाकूडा/रामलाल	,,	वेलाडा	जोलर	10000/–
25.	श्रीमती जीवणी/लिम्बा	,,	खुटगढ़	चिकलाड	10000/–
			वर्ष 2001-2002		
1.	श्रीमती मांगीबाई/काल्लाल	गूजर	अचलपूर	अचलपूर	10000/–
2.	श्रीमती शांतिबाई/उकार	चमार	खेरोट	खेरोट	10000/–
3.	श्रीमती रामीबाई/गंगाराम	गूजर	अचलपूर	अचलपूर	10000/–
4.	श्रीमती हरिओमबाई/नन्दलाल	टांक	बारावरदा	बारावरदा	10000/–
5.	श्रीमती नाकूडी/हीरा	मीणा	पाडलिया	कचोटिया	10000/–
6.	श्रीमती नाजूकदेवी/मांगीलाल	नाई	खेरोट	खेरोट	10000/–

ह०/–
विकास अधिकारी
पं. समिति प्रतापगढ़

कार्यालय पंचायत समिति अरनोद जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सामाजिक सहायता लाभान्वितों की सूची

वर्ष 2000-2001

1. श्रीमती जमना बाई पत्नी श्री जीवन मीणा नि. बांसलाई
2. श्रीमती नाथी बाई मीणा पत्नी श्री लालू मीणा नि. माण्डवी
3. श्रीमती भगवती बाई पत्नी वरदी चन्द सांसरी नि. बिरावली
4. श्रीमती कमल कुंवर पत्नी गोवर्धन सिंह निवासी आटीनेरा
5. श्रीमती सुणा बाई पत्नी धान सिंह नि. मण्डावरा
6. श्रीमती बसन्ती बाई पत्नी बद्रीलाल कुम्हार नि. अरनोद
7. श्रीमती सजना बाई पत्नी रतन मीणा नि. सेवना
8. श्रीमती लीला बाई पत्नी शंकर लाल रैदास नि. चकुण्डा
9. श्रीमती मागु बाई पत्नी श्री भुरा नाथ नि. अरनोद
10. श्रीमती केसर बाई पत्नी भैरू लाल दरोगा नि. जाजली
11. श्रीमती जीवली पत्नी नानुराम मीणा नि. उम्मेदपुरा
12. श्रीमती रामकन्या पत्नी भैरूलाल मीणा नि. गोतमेश्वर
13. श्रीमती कला पत्नी कारू लाल मीणा नि. साखाथली खुर्द

वर्ष 2000-2001

1. श्री रमेश पिता हीरा मीणा निवासी फतेहगढ़ पं.स. फतेहगढ़

ह०/-

विकास अधिकारी

पं. समिति अरनोद (चित्तौड़गढ़)

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-941 की सूची)

जिला धौलपुर के वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्रमोन्नत वर्ष	विधान सभा क्षेत्र का नाम	क्र. सं.	विद्यालय का नाम	कार्यरत		रिक्त	
				II	III	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8
1999-2000	धौलपुर	1.	भिलगंवा	01	08	–	–
	,,	2.	आर्दशनगर	01	04	–	–
	,,	3.	बरा	01	04	–	–
	राजाखेड़ा	4.	रायपुर सेईनवाल	–	05	–	–
	,,	5.	नगलादरलाल	01	06	–	–
	,,	6.	चोरी वरेण	01	04	–	–
	,,	7.	चौहानपुर	01	03	–	–
	,,	8.	खणपुरा	01	03	–	–
	,,	9.	कुसेड़ा गुजरान	01	03	–	–
	,,	10.	कुसेडा त्यागी	01	03	–	–
	बाडी	11.	घन्नु कापुरा	–	06	–	–
	,,	12.	काशपुरा	–	06	–	–
	बयानग	13.	श्योहली	01	07	–	–
2000-2001	धौलपुर	14.	सान्दरा	–	03	–	–
	धौलपुर	15.	नगलाभदोरिया	–	04	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
2000-2001	धौलपुर	16.	जाखी	01	03	–	–
	,,	17.	विरोधा	–	03	–	–
	राजाखेड़ा	18.	केरेघा	–	03	–	–
	,,	19.	नशीलपुर	–	03	–	–
	,,	20.	गठीकरीलपुर	–	05	–	–
	,,	21.	अतरोली	–	04	–	–
	,,	22.	छीतापुरा	–	04	–	–
	,,	23.	मीठावली	–	02	–	–
	,,	24.	मढासील	–	03	–	–
	,,	25.	खिराना	–	04	–	–
	,,	26.	गुजराखुर्द	–	04	–	–
	,,	27.	गठी खिराना	–	04	–	–
	,,	28.	अल्लूरपुर	–	04	–	–
	बयाना	29.	बसई	–	02	–	–
	,,	30.	सन्दुलपुरा	–	04	–	–

परिशिष्ट-18

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-950 की सूची)

राजस्थान सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हैण्डपम्प लगे हुए की सूची

	परियोजना जहाजपुर
1.	फलासिया
2.	इन्दोकिया
3.	सिंघाणा
4.	रोवा
5.	देवरा
6.	भूणी
7.	मण्डेर
8.	बदनपुरा
9.	मालकाखेडा
10.	जोजरा
11.	खजूरी
12.	मानपुरा
13.	रजवास
14.	भगुनसर
15.	आमलदा
16.	उलेला
17.	मनोहरपुरा
18.	किशनगढ़
19.	दवाला
20.	अमरवासी
21.	गंगोथला

परिशिष्ट "अ" 950

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हैण्डपम्प लगे हुए की सूची

परियोजना कोटडी

1. विसानिया
2. बूंदी
3. आसोटन
4. दलेडा
5. वीरचोक
6. मंसा
7. रकरपरिया
8. देलखेड़ा
9. गणेशपुरा
10. हांजीवास
11. महेली
12. बपलाज
13. देवरिया
14. चलवाडा
15. कोटाज
16. पारोली
17. आदेड

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-956 का मानदण्ड)

महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान मानदण्ड

प्रदेश में नये महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान में निम्नलिखित मानदण्ड लागू किये जा रहे हैं :-

1. महाविद्यालय के लिये आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।

2. प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हों।

3. प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय कार्यरत नहीं हो।

4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिये उपयुक्त हो।

निजी महाविद्यालयों के प्रारम्भ करने हेतु उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सहशिक्षा के महाविद्यालय द्वारा 25.00 लाख रुपये एवं महिला शिक्षा के महाविद्यालय द्वारा 10.00 लाख रुपये संस्था के 5 वर्षीय सावधि खाते में जमा करवाना आवश्यक है।

परिशिष्ट–20

(अतारांकित प्रश्न संख्या–957 का विवरण)

राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र. सं.	शिकायतकर्ता	शिकायत प्राप्ति का माध्यम एवं पत्रांक दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1.	श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल महामंत्री रुष्टा	मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्रांक 2310 दिनांक 26.2.2002	कुलपति प्रो. के.एल. कमल द्वारा शिक्षकों के विरुद्ध अनर्गल आरोप लगाने तथा दुष्प्रचार की राजनीति की जांच बाबत	निदेशक कालेज शिक्षा एवं कुलपति कार्यालय से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। मामले में पुलिस जांच जारी है।
2.	डा. विक्रम सिंह गुर्जर महामंत्री, महासंघ	माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्रांक 12368 दिनांक 2.3.2001	राज.विश्व. के कुलपति प्रो. कमल द्वारा राजनीति द्वेष की भावना से मिथ्या आरोप लगाने बाबत	" "
3.	विधायकों से प्राप्त पत्र	माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय पत्रांक 2778 दिनांक 3.4.2001	राज. विश्व. के कुलपति प्रो. के.एल.कमल के विरुद्ध विधायकों से प्राप्त पत्र	सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 27.4.2001 को प्रेषित की है।
4.	श्री हरीसिंह महुवा सरकारी मुख्य सचेतक राज. विधान सभा	मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	प्रोफेसर के.एल. कमल कुलपति राज.विश्व. द्वारा की जा रही अवैधानिक नियुक्तियां व कुलपति पद का अवमूल्यन	सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 25.7.2001 को प्रेषित की है।

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-958 का विवरण)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय वार संचालित संकायवार विषयों का विवरण			
		कला संकाय	वाणिज्य संकाय	विज्ञान संकाय	कृषि संकाय
1	2	3	4	5	6
	रा. उ. मा. वि.				
1.	मूण्डवां	हिन्दी अंग्रेजी अर्थशास्त्र भूगोल	वाणिज्य		
2.	कुचेरा	हिन्दी अंग्रेजी इतिहास राज.शास्त्र	वाणिज्य	जीव विज्ञान रसायन भौतिक गणित	कृषि
3.	गोठन	हिन्दी अंग्रेजी इतिहास राज.शास्त्र			
4.	अणं	हिन्दी अंग्रेजी इतिहास राज. शास्त्र			
5.	मेड़तारोड	हिन्दी अंग्रेजी	वाणिज्य	जीव विज्ञान रसायन	

1	2	3	4	5	6
		इतिहास		भौतिक	
		राज.शास्त्र		गणित	
		भूगोल			
6.	बासनी	हिन्दी			
		अंग्रेजी			
		इतिहास			
		अर्थशास्त्र			
		राज. शास्त्र			
7.	जोधियासी	हिन्दी			
		अंग्रेजी			
		इतिहास			
		राज. शास्त्र			
	रा. बा. उ. मा. वि.				
8.	मूण्डवां	हिन्दी			
		अंग्रेजी			
		इतिहास			
		राज. शास्त्र			

परिशिष्ट-22

परिशिष्ट "अ

(अतारांकित प्रश्न संख्या-959 की सूची)

जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति क्षेत्र प्रतापगढ़ एवं अरनोद में प्रस्तुत परियोजना एवं स्वीकृत कार्यों की वर्षवार एवं पंचायत समितिवार सूची

क्र. सं.	नाम	क्षेत्रफल (है०)	लागत (लाख)	स्वीकृति वर्ष	योजना का नाम	पंचायत समिति	स्वीकृति व स्थिति
1.	छोटारसी	7993	319.72	—	एकीकृत बंजर भूमि विकास	प्रतापगढ़	स्वीकृति अपेक्षित है
2.	आमली खेडा-I	400	18.00	2001-02	रा.ज.ग्र.वि. पायलट	प्रतापगढ़	स्वीकृत
3.	टामली खेडा-II	300	13.50	2001-02	रा.ज.ग्र.वि. पायलट	प्रतापगढ़	स्वीकृत
4.	गंधर	300	13.50	2001-02	रा.ज.ग्र.वि. पायलट	प्रतापगढ़	स्वीकृत
5.	खेरमढी	500	22.50	2001-02	रा.ज.ग्र.वि. पायलट	प्रतापगढ़	स्वीकृत
6.	सलमगढ़	500	22.50	2001-02	रा.ज.ग्र.वि. पायलट	अरनोद	स्वीकृत
7.	राजपूरिया	500	22.50	2001-02	रा.ज.ग्र.वि. पायलट	अरनोद	स्वीकृत
8.	पड्डूनी	500	22.50	2001-02	रा.ज.ग्र.वि. पायलट	अरनोद	स्वीकृत